# चलो नाथद्वारा

अ. भा. पु. वै. परिषद् केन्द्रिय कार्यालय
सर्राफा मार्केट, १३८६ चांदनी चौक, दिल्ली।

प्रिय भाई श्री,

सादर भगवत्स्मरण।

सेवा में साग्रह निवेदन है कि परिषद् की श्री नाथद्वारा प्रकरण समिति की ता: २६ अप्रिल की बैठक में यह निश्चित हुआ है कि कोटि "संख्यक वैष्णवों में से प्रथम समूह जिस में १०,००० वैष्णव सम्मिलित होंगे, राजस्थान सरकार" द्वारा अधिनियमित श्री नाथद्वारा मंदिर अधिनियम (कानून) के शांतिमय प्रतिकार के हेतु श्री नाथजी की प्रार्थना करने के लिए श्री नाथद्वारा जायेंगे। वैष्णव गण तीन दिनों तक नाथद्वारा में रहेंगे। समग्र वैष्णवों का नेतृत्व गोस्वामि गण करेंगे। सभी को श्री नाथद्वारा आने जाने का तथा वहां रहने का व्यय स्वयं करना होगा। तिथि की घोषणा वैशाख शुक्ल ७ तदनुसार १५ मई को पोरबन्दर से की जायगी। आशा है, आप इस योजना में सम्मिलित होने का कष्ट करेंगे तथा अपने क्षेत्र के वैष्णवों को भी सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करेंगे।

३० अप्रिल १९५९

भवदीय

देवेन्द्र दत्त द्विवेदी

मंत्री श्री नाथद्वारा प्रकरण समिति

C/o अखिल भारतीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद्

नवजीवन मुद्रणालय देहली।

लगा कर आज पर्यंत आचार्यचरण और उनके वंशजों का एक छत्र अधिकार श्रीनाथ जी, श्रीनवनीतप्रिय जी प्रभृति स्वरूपों पर और मन्दिरों पर भी रहा है। यह एक साम्प्रदायिक इतिहास प्रसिद्ध तथ्य है। इस कथन की पुष्टि में निम्न लिखित घटनाएँ उपस्थित की जा रही हैं—

( १ ) श्री नवनीतप्रियजी प्रभृति जिन स्वरूपों की सेवा अपने सेवकों को आचार्यचरण और उनके वंशजों द्वारा दी गई थी, वे भी केवल उन सेवकों के लिये ही। स्वरूप देते समय उन सभी को यह आज्ञा दी गई थी कि जब तुमसे सेवा न हो तो स्वरूप को हमारे गृह में वापिस पधराना। उस आज्ञा के मुताबिक श्रीआचार्यजी और श्रीगुसांईजी के सेव्य प्रायः सभी स्वरूप आज उनके वंशजों के पास आ चुके हैं। इस प्रणाली से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवत्स्वरूपों पर आचार्यों का ही अधिकार रहता है।

( २ ) श्रीनाथजी पर वि० सं० १५५६ से १५८७ तक श्रीमहाप्रभुजी का अधिकार रहा था। आपने बंगालियों को अष्टाक्षर दीक्षा देकर श्रीनाथजी की सेवा में रखे थे। किंतु मंदिर का प्रबंध अपने अंतरंग सेवक कृष्णदास अधिकारी को ही दिया था। आपने श्रीनाथजी को अपने कुल देवता के रूप में रख कर घर की सेवा के लिये श्रीनवनीतप्रियजी प्रभृति अन्य स्वरूपों को रखा था।

आपके दो पुत्र थे। ज्येष्ठ श्री गोपीनाथजी (प्रा० सं० १५६७) और कनिष्ठ श्री विट्ठलनाथजी (प्रा० सं० १५७२) अतः आपके तिरोधान अनन्तर श्री गोपीनाथजी ने सम्प्रदाय की प्रधान गद्दी के रूप में श्रीनाथजी को स्वीकार किया और श्री विट्ठलनाथजी ने घर के सेव्यनिधि श्री नवनीतप्रियजी का वरण किया। श्रीगोपीनाथजी ने वि० सं० १५९४ के आस-पास पूर्व का प्रदेश किया था और उस प्रदेश में एक लक्ष मुद्रा भेट में आई थी। इस प्रथम प्रदेश की मुद्रा को आपने अपने कुलदैवत स्वरूप श्रीनाथजी की सेवा में अर्पण किया था। उससे श्रीनाथजी के लिये सोना-चाँदी के पात्र आदि बनवाये गये थे।

( ३ ) वि० सं० १६०० में श्री गोपीनाथजी के तिरोधान अनन्तर श्री विट्ठलनाथजी ने श्रीनाथजी के मंदिर का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया और श्री नवनीतप्रियजी की सेवा भी आप घर में करते रहे। आपने कृष्णदास अधिकारी की सहायता से बंगालिओं को सेवा में से हटाया और गुजराती ब्राह्मणों को मुखिया भीतरिया की अंतरंग सेवा में रखा। आपने भी अपने बड़े भ्राता के पथ पर चलते हुए वि० सं० १६०० में गुजरात का जो प्रथम प्रदेश किया था, उस समय की पितृ चरण के सेवकों से और अपने सेवकों से प्राप्त की हुई समस्त भेट अपने कुलदेवता श्रीनाथजी को अर्पण की थी। इस प्रथम प्रदेश के भेट की अर्पण प्रथा के दर्शन उनके वंशजों में आज पर्यंत होते हैं। श्रीनाथजी के 'चोपड़ा' इस बात के साक्षी हैं।

( ४ ) वि० सं० १६२३ में श्री विट्ठलनाथजी के प्रथम पुत्र श्री गिरिधरजी ने अपने पितृचरण की अनुपस्थिति में यवनोपद्रव की आशंका से श्रीनाथजी को जतीपुरा से मथुरा अपने घर में (सतघड़ा स्थान में) पधराये थे और वहाँ २।। मास और ७ दिन रखे थे। इस समय श्री नवनीतप्रियजी आदि अन्य स्वरूप घर में ही विद्यमान थे।

( ५ ) वि० सं० १६४२ में श्रीगुसांईजी के तिरोधान अनन्तर श्रीनाथजी, श्रीनवनीतप्रियजी आदि सब स्वरूपों पर श्री गिरिधरजी और अन्य आचार्य-वंशजों का बटवारे के अनुसार आधिपत्य हुआ था।

इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य 'हृदयस्थित भावात्मा तत्त्व का ही अनन्य प्रकार से भजन करना ही पुष्टिमार्गीय सिद्धांत है। इसीलिए पुष्टिमार्ग के ठाकुर को 'लोकवेदातीत' अर्थात् लोक वेद से पर केवल भक्त हृदय के स्वाधीना भक्तिरूप कहा है। इस प्रकार की स्वाधीना भक्ति रूप संपत्ति पुष्टिमार्ग में 'निधि' स्वरूप मानी गई है। और उस पर केवल पुष्टिभक्ति-मार्ग के आचार्यों का ही एक मात्र अधिकार माना गया है। क्योंकि वे ही इस स्वाधीना पुष्टिमार्ग के प्रदाता हैं। वे ही इस भाव की हरि-विग्रह में प्रतिष्ठा करके उसको साक्षात रूपेण सेवनीय करते हैं।

भावना—इस प्रकार के भावनिधि को साक्षात् स्वरूप मानते हुए उसका षट्ऋतु और अष्ट-याम के अनुसार रतिसंयुक्त सेवन करना ही उक्त भाव की भावना है। यह सेवन 'मानसी' और 'तनु-वित्तजा' ऐसे दो प्रकारों से होता है। तनुजा-वित्तजा क्रिया रूप वाला होता है, मानसी केवल अनन्य चिंतन स्वरूपा। क्रिया के अनुसरण बिना हृदय में भाव की शुद्ध स्थिति नहीं होती है। इसलिए तनुजा-वित्तजा क्रिया के रूप को मानसी का साधन कहा गया है। मानसी को 'पराभक्ति' यानी परम प्रेम रूपा फल कहा है †, भावना के इस रूप को लेकर आचार्यचरण ने पुष्टिमार्गीय सेवा का निर्माण किया है यह सेवा भी पुष्टि-मार्ग के आचार्यों की ही विशिष्ट देन है। अतः इस पर भी पुष्टिमार्ग के आचार्यों की अनुमति सिवाय किसी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

इस प्रकार के सेवन की प्रत्येक क्रिया उक्त आचार्य-हृदय के मूर्तभाव से भावित होने के कारण आचार्य की आज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं की जा सकती है। इसीलिए आज पर्यन्त पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में जो सेवा विधान प्रचलित है उसमें आचार्य-आज्ञा की अपेक्षा प्रत्येक कार्य में अनिवार्य रूप से मान्य हुई है बाहिर की सेवा करने वालों में प्रमुख सेवक अधिकारी से लेकर भीतर के अंतरङ्गतम सेवक मुख्य प्रचारक (मुखिया) तक को सेवा देने न देने का, रखने न रखने का अधिकार आचार्य का ही होता है। उनकी आज्ञा बिना कोई भी व्यक्ति मन्दिर की कोई भी सेवा नहीं कर सकता है। उक्त योजना में ऐसी व्यापक सत्ता आचार्य-हाथों से छीनकर 'वोट-सिस्टम' को दी गई है। जिस सेवा में अथ से इति तक आचार्य का वर्चस्व नहीं रहता वह सेवा पुष्टिमार्गीय व्यवहार से सङ्गत नहीं की जा सकती। ऐसी हालत में पुष्टिमार्ग का उससे कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता। इस प्रकार की मनमानी योजना सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य-गृह के लिए करना सम्प्रदायका जान-बूझ कर नाश करना कहा जायगा। इस प्रकार के असह्य कृत्य को वल्लभीय जनता कदापि सहन नहीं कर सकती।

यह तो हुई सम्प्रदायकी प्रमुख सैद्धान्तिक और व्यवहारिक आपत्तियाँ। अब हम कुछ ऐतिहासिक आपत्तियों पर भी प्रकाश डालेंगे।

वि० सं० १५५६ में आचार्यचरण ने श्रीनाथ जी को गिरिराज पर कच्चा मन्दिर बनवा कर उसमें स्थापित किये थे, और अपने सेवक बुन्देलखण्डीय रामदास चौहाण को सेवा के लिये रखा था। तब से

---

† कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता।
चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ॥ ( सिद्धान्त मुक्तावली )

लिये पुष्टिमार्ग के ठाकुर सर्व सामान्य वैष्णव जनता के नहीं कहे जा सकते। यह एक मानी हुई बात है।

(२) पुष्टिमार्ग में हरि-मूर्ति की उसके आचार्य द्वारा ही भाव-प्रतिष्ठा होती है, और वह भी उनकी विशिष्ट प्रकार की भावना-प्रणाली से ही। महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी ने सदानन्दकृष्ण को आविर्भूत करने का एक मात्र साधन 'भाव' को माना है और उस भाव की सिद्धि भावना से ही होती है, ऐसा कहा है। इसलिये भाव भावना तत्त्व ही पुष्टिमार्ग में साधन और फल दोनों रूपों में स्वीकृत हुए हैं। "भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्य दीष्यते" तथा "भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत्" यह 'सन्यास निर्णय' ग्रंथोक्त आचार्य-वाक्य प्रमाण हैं। इस प्रकार भाव और भावना ये दो तत्व ही पुष्टिमार्ग में प्रधान हैं। अतः उनके स्वरूपों का कुछ विवेचन करना यहाँ उपयुक्त होगा।

भाव—भाव शब्द के कई अर्थ किये जाते हैं। उन सब में प्रधान रूप से 'सत्ता' अर्थ ही सर्वव्यापी है। यह 'सत्ता' स्थायी रूप से केवल 'देव' में ही रहती है। 'देव' शब्द में 'दिव' धातु है। इसलिये देव शब्द से 'दिव्य क्रीड़ा करने वाला' कोई व्यक्ति सिद्ध होता है। ऐसे क्रीड़ाशील देव एकमात्र देवकी पुत्र परब्रह्म श्रीकृष्ण ही माने गये हैं। "एको देवो देवकी पुत्र एव" तथा "वंदे श्रीकृष्णदेवं सुरनरकभिदं वेद वेदान्त वेद्यं" इस प्रकार के आचार्य-वाक्य यहाँ प्रमाण हैं। अतः सर्वकाल में स्थित और सर्वोपरि तत्त्व रूप देव श्रीकृष्ण की सत्ता को ही भक्तिमार्ग में 'भाव' माना गया है। श्रीकृष्ण की यह सत्ता उनकी दिव्य क्रीड़ा शीलता के कारण आनन्द रूपा वा रतिस्वरूपा है। इसी र वह सत्ता ( भाव ) सदानन्द ( सत्ता+आनन्द ) कृष्ण रूप से भी प्रसिद्ध है। साधनपक्ष में इसीभाव को "देवादि विषयक स्थायी रति" रूप से भी कहा गया है।

इस प्रकार की दिव्य क्रीड़ावाली आनन्द संयुक्त सत्ता की अपने में स्थिति बतलाते हुये आचार्य चरण ने उसी को 'सेव्यमान' कहा है—

"नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धि शायिनम्।
लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् ॥" ( दशमस्कंध की सुबोधिनी )॥

इसका तात्पर्य यह है कि मेरे ( आचार्यचरण के ) हृदय-शेष पर विराजमान, जो लीला रूपी क्षीर सागर में शयन ( स्थिति ) करते हैं और सहस्र लक्ष्मियों से क्रीड़ा करते हैं, ऐसे कला के निधि सेव्यमान को मैं नमन करता हूँ।

इस कथन से पुष्टिमार्ग में सेव्यमान स्वरूप से आचार्य-हृदय स्थित यही भावात्मा स्पष्ट होते हैं। इसी सर्वोपरि और परम आनन्दमय भाव सत्ता को आचार्यचरण ने नमन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य तत्व के भजन, दर्शन, प्रार्थना आदि का आपने पुष्टिमार्गीय वैष्णवों के लिये स्पष्ट निषेध किया है—

"अन्यस्य भजनं तत्र स्वतोगमनमेव च।
प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥" ( विवेक धैर्याश्रय )॥

श्रीहरिः ।

# श्रीनाथजी, श्रीनवनीतप्रियजी और उनके मंदिरों की साम्प्रदायिक स्थिति

( लेखक—द्वारकादास परीख )

आज प्रायः ५०० वर्षों से कभी न देखा न सुना ऐसा विकट अवसर पुष्टिमार्गीय वल्लभीय वैष्णवों के लिये उपस्थित हुआ है। बम्बई के सुधारक एक सेठ ने तिलकायत महाराजश्री द्वारा निर्मित भूतपूर्व श्रीनाथजी की 'पावर ऑफ एटर्नी' वाली वहिवटदार कमिटि के बरखास्त होने पर श्रीनाथद्वारा की प्रधान आचार्य-गद्दी को, मय श्रीनाथजी और श्रीनवनीतप्रियजी आदि स्वरूपों के, सामान्य पब्लिक कराने की अक्षम्य धृष्टता की है। उन्होंने उक्त कमिटि के सभी सदस्यों को भी अंधकार में रखकर केन्द्रीय सरकार के द्वारा गो० तिलकायत श्रीगोविन्दलालजी को दिल्ली बुलवाते हुए माननीय गृहमंत्री श्रीगोविन्दवल्लभ पन्त, काँग्रेस-अध्यक्ष श्री ढेबर, तथा राजस्थान के प्रधान मंत्री श्रीसुखाड़ियाजी के समक्ष प्रभावान्वित कर उनके पास श्रीनाथद्वारे के उक्त मंदिरों के स्वतंत्र रूप से वहीवट चलाने के लिये एक योजना स्वीकृत करा ली है। उस योजना से श्रीनाथजी, श्रीनवनीतप्रियजी तथा श्रीमदनमोहनजी के स्वरूप, समस्त भारतवर्ष में स्थित उनकी सम्पत्ति और मंदिर, सब पुष्टिमार्गीय नहीं रहकर लॉ० नं० ६२ के नीचे सामान्य पब्लिक हो जाते हैं। उन सब पर तिलकायत श्री के वंशानुगत प्राप्त कोई भी विशिष्ट प्रकार का अधिकार नहीं रह जाता है।

पुष्टि सम्प्रदाय के भक्ति-सिद्धांत, सेवा-प्रणाली ( व्यवहार ) और इतिहास से इस योजना पर अनेक आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। कानून से भी तिलकायत को इस प्रकार की स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं है। इस सम्प्रदाय के ठाकुर स्वरूपों पर तथा उनके मंदिरों पर आचार्य सिवाय अन्य का किसी भी रूप में अधिकार नहीं हो सकता है और श्रीनाथजी के मंदिर पर तो केवल तिलकायत का ही अधिकार नहीं है किन्तु सात प्रधान आचार्य-गद्दियों का भी समान आधिपत्य है। तिलकायत पदवी उन्हीं गद्दियों के आचार्यों द्वारा समर्पित की गई है और श्रीनाथजी के मंदिर के प्रबन्ध करने की सत्ता भी इन्हीं सात गद्दियों ने सर्वप्रथम तिलकायत को दी है। अतः दिल्ली में बनी हुई योजना सम्प्रदाय के सिद्धाँत और निर्मित अधिकारों से विरुद्ध है। उससे पुष्टि सम्प्रदाय की प्रधान पीठ ( आचार्य-गद्दी ) का समूल उच्छेद हो जाता है। इसकी रक्षा करना न केवल पुष्टिमार्गीय आचार्य, विद्वान और सामान्य जनता का ही कर्तव्य है, हमारी लोक-प्रिय लोकतंत्रीय सरकार के लिये भी एक शुभ कार्य है। मुगलकाल से आज तक चली आई देशी विदेशी सरकारों ने भी पुष्टिमार्ग के सिद्धांत और व्यवहारों के प्रति सन्मान प्रदर्शित कर उनके हितों की हर समय कानूनन रक्षा की है उसे हमारी लोकतंत्रीय सरकार कैसे भूल सकेगी? मुगलों ने, पेशवाओं ने, पठानों ने राजपूतों ने और ब्रिटिशरो ने भी अनेक फरमानों द्वारा इस मार्ग के प्रति अपना अपूर्व अनुराग और सन्मान प्रकट किया है उसका ५०० वर्ष का भारतीय इतिहास साक्षी है।

दिल्ली की योजना में जो साम्प्रदायिक और कानूनी विरोध आते हैं उनमें से कुछ यह हैं—

(१) सर्व सामान्य मर्यादा वैष्णव मार्ग में जिस प्रकार वैदिक मंत्र और विधियों से ब्राह्मणों द्वारा हरि-मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है इस प्रकार पुष्टिमार्ग के सेव्य स्वरूपों की नहीं होती है। इस-

# श्रीनाथजी श्रीनवनीतप्रियजी और उनके मंदिरों की

# साम्प्रदायिक स्थिति

प्रकाशक :

श्रीनाथद्वारा साम्प्रदायिक मर्यादा सुरक्षा समिति, मथुरा।

## ❀ वल्लभी वैष्णवों से निवेदन ❀

गो० तिलकायत द्वारा स्वीकृत दिल्ली-योजना से सम्प्रदाय की प्रधान आचार्य-गद्दी का समूल उच्छेद होता है तथा आचार्य-हृदय भाव-भावित स्वाधीना भक्ति रूप पुष्टि-निधि स्वरूप श्रीनाथजी तथा श्रीनवनीतप्रियजी का तिरोधान हो जाता है। अतः सम्प्रदाय और मंदिरों से वंशानुगत पोषित वर्ग का जिसमें, गोस्वामी आचार्य, सांचोरा आदि सेवक, ब्रजवासी आदि टहलुवा तथा पंडित और वैष्णव आदि अनुचरों का भी समावेश होता है, कर्त्तव्य है कि इस योजना का निम्नलिखित प्रकारों से शीघ्रातिशीघ्र विरोध करें—( १ ) वडिलोपार्जित मिल्कत, वहीवटी अधिकार और ठाकुर स्वरूपों को, उनके वारिसों तथा साम्प्रदायिक सेवा-मर्यादा के हित के विरुद्ध दूसरों के पक्ष में त्याग करने का तिलकायतश्री को कोई अधिकार नहीं है। इस मुद्दा पर उदेपुर, बीकानेर और जयपुर आदि कोर्टों में ल० नं० १।८ से दावा जाहिर करें। (२) इस विषय के विरोध-पत्र गाम-गाम के वैष्णवों के हस्ताक्षरों से अङ्कित करा कर दिल्ली के गृह मंत्री, राजस्थान के प्रधान मंत्री और तिलकायत श्री पर भेजें। ( ३ ) यदि यह योजना, विरोध के बावजूद भी कोर्ट से स्वीकृत हो जाय तो कमिटि का, पोषित वर्ग और वल्लभीय वैष्णव अपने जन धन से संपूर्ण वहिष्कार करें। बहिष्कार का व्यापक स्वरूप समय पर प्रकाशित होगा।

॥ श्रीनाथजी ॥

श्रीनाथद्वारा श्रीनाथजी के प्रबन्ध की

# दिल्ली योजना का विरोध-पत्र

सेवा में,

## माननीय गृहमंत्री महोदय, भारत सरकार, न्यू देहली

हम ग्राम.................के सब वल्लभीय वैष्णव इस योजना का सख्त विरोध करते हैं, वह इसलिये कि–

(१) यह योजना हमारे सम्प्रदाय के सिद्धांत, रीति-रिवाज और सेवा प्रणाली की संपूर्ण घातक है।

(२) इनकी कलमें परस्पर असङ्गत हैं।

(३) वल्लभीय सम्प्रदाय का निजी मुख्य ठिकाना श्रीनाथजी, इससे सार्वजनिक हो जाता है।

(४) केवल तिलकायत श्री को दिल्ली बुलाकर राज्य के शासकों के सामने प्रभावान्वित कर इस योजना की स्वीकृति कराई गई है।

(५) तिलकायत श्री को अपने उत्तराधिकारी के हित और सम्प्रदाय की मर्यादा की सुरक्षा के विरुद्ध इस प्रकार की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं है।

(६) प्रबन्धक कमेटी के जिन सदस्यों के नाम घोषित किये गये हैं उन पर हमारा विश्वास नहीं है, न वे समस्त भारतवर्ष के वल्लभीय समाज का प्रतिनिधित्व ही करते हैं और न उन्हें सम्प्रदायका सेवा प्रणाली का कोई ज्ञान है।

(७) इसलिए हम सब सम्मिलित रूप से अनुरोध करते हैं कि इस योजना को शीघ्र ही रद्द कर दिया जाए और नए रूप से पुष्टि मार्गीय सम्प्रदाय के सिद्धांतों एवं परम्परा की रक्षा व तिलकायत श्री के उत्तराधिकारी के हित को देखते हुए समस्त भारत के वल्लभीय श्री गोस्वामी बालकों एवं वैष्णवों के पूर्ण सहयोग से ही नई योजना बनाई जाए। दिनाङ्क.......................

हम हैं आपके–

प्रतिलिपि—१. श्रीमान् तिलकायत महाराज, नाथद्वारा।
प्रतिलिपि—२. श्रीयुत यु. एन. ढेवर, कांग्रेस प्रेसीडेन्ट, न्यू देहली।
प्रतिलिपि—३. माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

सम्प्रदायी मन्दिर में दैवी व्यवस्था है सो इसे इसके पुराने रूप में ही चलने को छोड़ दिजावे। क्रमशः

निवेदक—
अपने साथियों सहित आपका
सुन्दरलाल वर्मा.

---

## गो० श्री घनश्यामलालजी महाराज प्रमुख चुने गए।

श्रीनाथद्वारा सम्प्रदाय मर्यादा सुरक्षा समिति की एक मिटिंग मथुरा में अपने स्थान पर हुई। उसमें सर्व सम्मति से उसने अपने प्रमुख के रूपमें गो. श्री घनश्यामलालजी सप्तम गृहाधीश कामवन वालों का वरण किया है, और महाराजश्री ने सोत्साह इस पद को सहर्ष स्वीकार किया है। इस मिटिंग में यह भी निर्णय किया गया कि इस योजना का अन्त करना नितान्त आवश्यक है। इसके लिये गाम २ में और वैष्णवों के घर २ में जाकर इस योजना की बुराइयों को बताना और इसके विरुध्द लढने के लिये एक बडी धनराशि इकट्टी करनी। महाराज श्री ने इस महान् कार्य का भार अपने ऊपर ले लिया है। आप वसन्त पंचमी के पश्चात् विदेश पधारेगें। उदयपुर सेशन कोर्ट में विरोधी अरजी की तारीख प्रांतिय पत्रों में जाहिर कराने के लिए गाम २ से वैष्णवों को वकील द्वारा सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ऊपर अरजी करनी चाहिए।

'समिति' की ओर से—

तब गो. श्रीविट्ठलनाथजी ने श्रीनाथजी को अविभक्त संपत्ति रूप में सबके अधिकार में रखे और श्रीनवनीतप्रियजी तथा श्रीमथुराधीश ज्येष्ठ पुत्र श्रीगिरिधरजी को दिये, अन्य प्रमुख छै स्वरूप अपने अन्य छै पुत्रों को दिये। श्रीनाथजी पर सातों का अधिकार सक्रिय रूप में सूचित करने के लिये श्रीनाथजी के मन्दिर पर सात ध्वजाएँ फहराई।

( ६ ) श्रीनाथजी में सातों के सेवा-शृंगार का बंधान बांधा। उसमें भी उत्सव के सेवा-शृंगारका अधिकार श्री गिरिधरजी को। अन्य सामान्य दिनोंमें अन्य भाईयोंका अपनी-अपनी इच्छानुसार अधिकार रखा। श्रीनाथजी के मंदिर पर लहराती हुई सात ध्वजाएं आचार्य की सात गद्दी की होने से वे आचार्य-ध्वज के रूप में मंदिर पर प्रतिष्ठित हुईं हैं। और सातों पुत्रों के गृह आचार्य गृह कहलाते हैं। इन गृहों में एक-एक ध्वजा ही रहती है।

( ७ ) बादशाह शाहजहाँ के राज्यकाल में भी इस अधिकार की राज्य की ओर से पुष्टि हुई है। किंतु सातों भाई श्रीनाथजी की देखभाल और मंदिर का वहीवट एक संग नहीं कर सकते थे। इसलिये उसी समय में उन सातों गृहों की ओर से एक तिलकायत पदवी की नियुक्ति की गई और प्रथम पुत्र श्रीगिरिधरजी के वंशजों को यथा अधिकार गादी पर बैठा कर प्रमुख गृहोंके अधिपतिओं द्वारा उनको तिलक करने की प्रथा चालू की। तब से वे 'गोस्वामि तिलकायत' कहलाने लगे और उन पर सर्व सम्मति से वंशपरंपरागत श्रीनाथजीके मंदिर की व्यवस्था का संपूर्ण भार रखा गया। विद्यमान तिलकायत को भी इसी प्रथाके अनुसार सात गृह के प्रमुख बालकों ने सभी गोस्वामियों की सम्मति लेकर सन् १६३५ में तिलक किया था। और तभी से वे सम्प्रदाय और जाति में भी तिलकायत के अधिकारों को प्राप्त कर सके हैं।

( ८ ) सातों गृहों की ओर से अमुक-अमुक दिनों में सामग्री, वस्त्र, आभूषण आदि का भी श्रीनाथ जी को प्रतिवर्ष समर्पण नियमित रूप से होता रहता है, यह भी श्रीनाथजी के मन्दिर पर सातों के अधिकार का समर्थन करता है।

( ६ ) वि० सं० १७२६ में श्रीनाथजी के तिलकायत गो० श्री दाऊजी ने अपने पितृव्य श्रीगोविंदरायजी की सहायता से श्रीनाथ जी को जतीपुरा से यवनोपद्रव के कारण आग्रा, दंडोतधार, कोटा, कृष्णगढ़, चांपासेनी और मेवाड मे ( आज के स्थान पर ) पधराये थे, साथ में श्रीनवनीत प्रियजी प्रभृति अन्य सभी स्वरूपों को भी वे ले आये थे।

( १० ) गो० श्रीदाऊजी के समय में, गो० श्रीहरिरायजी श्रीनाथजी की सेवा के प्रबंध में बार-बार अव्यवस्था होने पर बिना आज्ञा लिये ही श्रीनाथ जी के मंदिर के झूमका बैठक में से ले आते थे और श्रीनाथ जी का शंखनाद कराते थे। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ वि० सं० १७२८ से १७७२ के बीच में घटी हैं, जिनका उल्लेख 'श्रीनाथजी की प्राकट्य वार्ता' में है।

( ११ ) कांकरौली के गो० श्री व्रजभूषणजी ने भी वि० सं० १८६७ से श्रीनाथ जी की सेवा में, गो० श्रीहरिरायजी से भी विशेष हस्तक्षेप ( तिलकायत के सेवा विषयक। अधिकारों में ) किया था और कई दिनों तक श्रीनाथजी के मंदिर का झूमका भी अपने यहाँ रखा था। यही नहीं मंदिर के शासन-प्रबन्ध भी पूर्ण अधिकार से किया था। इन्हीं गो० व्रजभूषणजी ने वि० सं० १८६७ के फा० बदी ७ को श्रीनाथजी को घस्यार से श्रीनाथद्वारा पधराये थे। उसमें सात लक्ष मुद्रा अपने गृह से खर्च की थी। ( कांकरौली का इतिहास पृ० २५३ )

"गृह सेवा के रूपा में यदि स्वयं सेवा की जायेंगी तो श्रीजी की कृपा से सारी उलझनें समाप्त हो जायेंगी"
गोस्वामी श्रीव्रजभूषणलालाजी (जामनगर)

गोस्वामी श्रीवृजभूषणलालाजी (जामनगर) का खुला पत्र (श्रीवल्लभ विज्ञान) वर्ष - ३, संख्या-७.

# खुला-पत्र

## परमादरणीय श्रीमान् घनश्यामलालजी महाराज अध्यक्ष महोदय की सेवा में-

निवेदन है कि, मैं कुछ अस्वस्थता के कारण परिषद् के इस त्रिदिवसीय समारोह में उपस्थित नहीं हो सका तदर्थ क्षमा प्रार्थी हूं।

प्रकृत विषय पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि सम्प्रदाय की जटिल समस्याओं के २ स्तंभ है।

१) श्रीमान् गोस्वामि महोदय
१) प० भ० वैष्णव जन

उपरोक्त इन्हीं दो स्तंभों को सुदृढ़ एवं उत्तम बनाये जायेंगे तो कदापि इनके हिलने की भी संभावना नहीं रहेगी। और यदि किंचिन्मात्रभी कापट्य एवं असत्यता रही तो खास समय पर बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस परिस्थिति में शुद्धाद्वैतवाद द्वारा विश्वबन्धुत्व का सन्देश दिया था, एकता की प्रणाली से हिन्दू जाति के बिखरे हुए अंगों को संघशक्ति से बांध देने का उच्च और पुनीत आदर्श जनता के समक्ष रखा था, ठीक वैसी ही परिस्थिति संसार के समक्ष आज भी आ चुकी है।

देश की संस्कृति का सौभाग्य सूर्य अन्त सा हो रहा है। हिन्दुओं की धार्मिक नौका जीर्ण शीर्ण होकर डूबने की स्थिति में है। राज्य में, समाज में, जीवन में, धर्म में, चित में एवं नीति में, सबमें एक प्रकार का विप्लव सा मचा हुआ है। सब लोग आधुनिक मानव ऐहिक सुख साधनों और अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। संपूर्ण सामाजिक जीवन की दशा अत्यन्त शोचनीय होती जा रही है।

इस उत्तरोत्तर बढ़ती हुई विपत्ति का सामना करने के लिए, हम "गोस्वामि समाज" क्या कर रहे हैं और हमारे वैष्णव क्या कर रहे हैं? सर्व प्रथम मानव की उन्नति तभी होती है कि जब वह स्वयं को छोटा समझे। अपने आप को छोटा समझना अर्थात् दीनता की भावना रखने से ही भगवान् दर्शन देते हैं। अर्थात् अपने आपको किसी का मालिक (स्वामी) न समझे किन्तु सेवक समझे। अपने कर्तव्य में सदा तत्पर रहे। सत्य भाषणादि के साथ प्रभु सेवा स्मरण में तल्लीन रहे। कथामृत द्वारा संसार के अति तप्त व्यक्तियों को शांति प्रदान करे। आचार विचारों को शुद्ध बनावे। तदनुसार वैष्णव जन भी "वैष्णवजन तो तेणे कहिये जे पीर पराई जाणेरे" वाले सिद्धांत अपने जीवन में ओत प्रोत करें। ईश्वर और गुरू में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने कर्तव्य में संलग्न रहे एवं निष्काम जीवन बनाये। आचार विचार शुद्ध रखे।

आज हमारे संप्रदाय का सर्वोच्च स्थान नाथद्वारा एवं संप्रदाय की सर्वोच्च निधि श्री नाथजी बाबा की सेवा और दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। कई विरोधी समस्यायें खड़ी हो गई हैं कि जो श्रीमान् श्री तिलकायत महाराज श्री के और बोर्ड के साथ उचित पारस्परिक स्नेह का वातावरण होने ही नहीं देती। अमुक सैद्धान्तिक अधिकारों के उच्छेद होने से भी तिलकायत महाराज नाथद्वारा पधारते

# दिल्ली योजना के विरोधार्थ पू. पा. गो. श्रीघनश्यामलालजी कामवन वालों का मंगल प्रयाण।

( श्री ना० म० सु० समिति मथुरा द्वारा )

ता० ३-३-५६ की पेशी पर इस योजना के विरोध अर्थ पू. पा. आचार्य वर्य गो. श्रीघनश्यामलालजी महाराज ता० १७-२-५६ को मोटर से सर्व प्रथम जयपुर पधारेंगे। यहां आप कानूनी पोईन्टस तैयार कर शीघ्र उदयपुर पधारेंगे। इस योजना की स्वीकृति के अर्थ कोर्ट में श्रीनाथजी को प्रतिवादी बनाये है। इस लिए आप श्रीनाथजी के गार्जियन बनने की अरजी करके इस विरोध का प्रारंभ करेंगे।

आपने इस दावे के खर्च के लिए एक बडी रकम अपनी पास से निकाली है। और सुप्रीम कोर्ट तक लडने के लिये वैष्णवों के गाम ग्राम और घर घर में जाकर उनसे एक पाई से लगाकर जो कुछ भी भेट रूप में प्राप्त होगा उसे 'श्रीनाथद्वारा सांप्रदायिक मर्यादा सुरक्षा समिति मथुरा' को देने का एलान किया है श्रीनाथजी के प्रति आपका अनुराग और न्याय अन्य गोस्वामि बालकों और वैष्णवों के लिये अभिनंदनीय और अनुकरणीय है। प्रतिवर्ष व्रजयात्रा के अवसर पर 'अखिल भारतीय वैष्णव सम्मेलन' करके सम्प्रदाय का प्रचार और संगठन सुरक्षा की जायगी। इससे जहां सम्प्रदाय की बिखरी हुई जन-धन शक्ति का सुव्यवस्थित संग्रह होगा वहां सम्प्रदाय के सिद्धान्त विरुद्ध भावी समस्त कार्यों का प्रतिकार भी सफल रूप से किया जा सकेगा।

आपके इस प्रकार के व्यापक प्रचार प्रवास में द्वारकादास परीख (संपादक वल्लभीय सुधा) साथ रहेंगे

## अरब प्रतिनिधि मंडल का कोटा आगमन

विकास कार्यों का अध्ययन

( सा० स० का द्वारा )

जयपुर १४ फरवरी। सात सदस्यों के एक अरब प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिसमें मिश्र, सीरिया, लेबनान तथा अन्य मध्य पूर्वीय देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, अपनी हाल ही की कोटा यात्रा में विकास परियोजनाओं तथा विस्तार सेवा कार्यों का अध्ययन किया। मध्य पूर्व के सामाजिक कल्याण सलाहकार श्री अर्नेस्ट ग्रिज प्रतिनिधि मंडल के साथ थे।

प्रतिनिधि मंडल ने कोटा बांध के स्थान का, जो कोटा शहर के समीप चम्बल नदी पर बनाया जा रहा है निरीक्षण किया और इस कार्य की विशालता से प्रभावित हुए।

प्रतिनिधि मंडल कोटा से ६ मील दूर एक आदर्श ग्राम खेड़ा रसूलपुर भी गया, जहां ग्रामीणों ने उनका उत्साह पूर्वक स्वागत किया। ग्रामीणों ने भजन व कव्वालियां गाकर प्रतिनिधि मंडल का मनोरंजन किया। मंडल के सदस्यों ने विकास योजनाओं संबन्धी विभिन्न माडलों तथा चार्टों में बहुत रूचि ली।

प्रतिनिधि मंडल ने छत्रपुरा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र का भी निरीक्षण किया। केन्द्र के प्रशिक्षार्थियों ने अतिथियों के सम्मान में एक एकांकी नाटक का अभिनय करने के अतिरिक्त कुछ लोकनृत्य भी प्रस्तुत किये।

## स्थानीय श्री गो. बहुउद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला का वार्षिकोत्सव सम्पन्न।

( हमारे संवाददाता द्वारा )

स्थानीय श्री गोवर्द्धन बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के वार्षिकोत्सव सानन्द सम्पन्न हुए। यह कार्य-क्रम १३-२-५६ से १६-२-५६ ई० तक हुए। अन्तिम दिवस अपरान्ह ३॥ बजे से पारितोषिक वितरण का कार्य-क्रम डा० माणिकलालजी के हाथों सम्पन्न हुआ। पारितोषिक वितरण के उपरान्त जलपान का कार्य-क्रम हुआ, किन्तु इस कार्य-क्रम में एक बात कुछ ऐसी रही जो शिष्टाचार की सीमा के बाहर होती है और वह यह कि स्थानीय राजकीय अधिकारी वर्ग उपस्थित अतिथियों एवं छात्रों को छोड जलपान कर समय से पूर्व ही चल दिये जब कि जलपान का नियम है कि सारा कार्य-क्रम एक साथ हो। अस्तु जो कुछ हो कार्य-क्रम विद्यार्थी बन्धुओं की व्यवस्था के अनुरूप उत्तम रहा। खेल कूद के अलावा निम्नांकित विद्यार्थी बन्धु विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताओं में प्रथम रहे।

कविता—श्री भँवरलाल दवे
हिन्दी वाद-विवाद—श्री कन्हैयालाल श्रीमाली
अंग्रेजी वाद-विवाद—श्री भँवरलाल पालीवाल
अन्त्याक्षरी—श्री लक्ष्मीनारायण
सङ्गीत—श्री गोपालकृष्ण भट्ट
निबन्ध—श्री सदाशिव श्रोत्रिय

---

पृष्ठ ४ का शेषांश

वह सम्प्रदाय के नियमों से विरुद्ध होने से बन्द कर देना चाहिए

योजना की कलम न० ४५ का ( अत्यन्त आवश्यक दशा में राजस्थान सरकार को अधिकार है कि वह हस्तक्षेप करके प्रबन्ध के नियम बनावे ) लेख सम्प्रदाय की संस्कृति और प्रणाली पर सदन्तर कुठाराघात करता है। क्योंकि राजस्थान सरकार सम्प्रदाय के सिद्धांत आदि से सर्वथा अपरिचित हो यह स्वाभाविक है और उसकी दृष्टि भौतिक सम्पत्ति की ओर हो, यह भी निर्विवाद है। इसलिये ठाकुरजी के तनिक सुख के लिये लाखों रुपयों की न्योछावर करने वाला यह सम्प्रदाय अपने प्रमुख आराध्य देव श्रीनाथजी का विषयक प्रबन्ध व राज्य व अन्य किसी का भी हस्तक्षेप करा कर अपनी आध्यात्मिक भावना और प्रणाली की किस प्रकार रक्षा कर सकता है।

इस प्रकार यह समस्त योजना उसकी कलम ३ में, जिसमें सम्प्रदाय के निश्चय, नियम, रीतरिवाज और साधन के अनुसार प्रबन्ध करने का ऐलान करती है वह उसके विरुद्ध अन्य कलमों को अपने में विकृत रूप से धारण करने के कारण [illegible] हो जाती है। और सम्प्रदाय के सिद्धांत और भावना की नितांत घातक है। इसलिए किसी भी आचार्य वंश [illegible] और सम्प्रदाय के सुज्ञाता वैष्णव द्वारा यह कदापि मान्य नहीं हो सकती। कमीटी के सम्प्रदाय प्रेमी सदस्यों को भी इसका विरोध करना ही चाहिये। और इसके विरोध में उससे त्यागपत्र भी देना चाहिए, ऐसी हमारी सम्मति है।

योजना की कलम नं० ८ में श्री तिलकायत को सभापतित्व दिया गया है किन्तु योजना कलम नं० १८ में लिखा है कि सभापति की अनुपस्थिति में कोई भी बैठक के सदस्य को सभापति चुन लिया जाय। इससे ज्ञात होता है कि तिलकायत श्री का सभापतित्व सदैव के लिये नहीं है, अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में उनकी आज्ञानुसार किसी सदस्य को अपने प्रतिनिधि रूप में वे नियुक्त कर सकें ऐसी कलम योजना में रह सकती थी इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सभापति को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का व भेजने का भी अधिकार नहीं है।

योजना की कलम नं० १६ में लिखा है कि "प्रबन्धक कमेटी की बैठक में जवाहरात, सोना व चांदी की वस्तुओं अन्य खिलौने तथा इनके सम्बन्धित चीजों की बिक्री अथवा किसी भी अचल सम्पत्ति की बिक्री या इन्तकाल व रहन इत्यादि के संबंध में कोई भी निर्णय बैठक के उपस्थित व ईसदस्यों के बहुमत से वोट डाल कर किया जावेगा। श्रीनाथजी की जवाहरात तथा सोने व चांदी की वस्तुएं तथा खिलौना आदि की बिक्री जब ही हो सकता है जबकि श्रीनाथजी के अनंत भोग में किसी भी प्रकार द्रव्य की आय नहीं रहे और वह भी श्रीनाथजी के भोगादि के काम आ सकती हो। क्योंकि श्रीनाथजी स्वयं उससे भोक्ता हैं। किन्तु वैष्णव वृन्द तथा सेवक गण भी उसके महाप्रसाद लेने तक के अधिकारी नहीं है। यह श्री आचार्य चरण के इतिहास से प्रत्यक्ष प्रमाणभूत हैं। इसके महाप्रसाद लेने का केवल गायों का ही अधिकार है। अन्यथा उस देव द्रव्य के उपभोग करने से निश्चय ही अधःपतन है।

और पावर हाउस जैसे निरर्थक कार्यों में अतुल धन राशि का अपव्यय करके द्रव्य का अभाव पैदा करना यह भी न्याय सङ्गत नहीं है।

योजना कलम नं० २५ (ख) के अन्तर्गत (समस्त सेवकान कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उसको चालू रखना, जिनमें मुनीम, मेहता, ओवरसियर, एजेन्ट, चोकीदार और अन्य सब सम्मिलित हैं, परन्तु मुखियाजी व छोटे मुखियाजी इसमें शामिल नहीं है। इत्यादि) यह लेख भी त्रुटि पूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार दोनों मुखियाजिओं को तिलकायत सम्पति से कमेटी नियुक्त तथा प्रथक करेगी उसी प्रकार समस्त सेवक जो श्रीनाथजी की भीतर की सेवा का अधिकारधरावे है। उन समस्त सेवकों की नियुक्ति तिलकायत श्री की आज्ञा के बिना होना सम्प्रदाय के सिद्धांत के विरुद्ध है। सम्प्रदाय के नियमानुसार वैष्णव के घर भी जो सेव्य स्वरूप विराजते हैं उनके यहां भी आचार्य-वंशजें द्वारा ही आज्ञा लेकर अपने घर के सेव्य स्वरूपों की सेवा का भी अधिकार प्राप्त होता है। तो फिर आचार्य वंशजों के यह बिना उनकी आज्ञा कैसे सेवा हो सकती है। श्रीनाथजी का गृह भी वल्लभाचायजी का है। अतः उनके वंशजों की आज्ञा बिना श्रीनाथजी की कोई भी सेवा सेवक स्वयं नहीं कर सकता है। और कमेटी जो वैष्णव हैं वे सब सम्प्रदाय के सिद्धान्त अनुसार दास हैं। अतः वे अपने गुरु-घर में गुरु-वंशजों की अनुमति प्राप्त किये बिना न तो किसी भी प्रकार का स्वयं अधिकार ही कर सकते हैं। न सेवा का आज्ञा देने के ही अधिकारी हो सकते हैं इस नियम के विरुद्ध कमेटी सेवकों की नियुक्ति आदि करेगी तो उनके हाथ से सिद्ध की हुई सामग्री आदि तथा जल प्रभृति को श्रीनाथजी जोकि पुष्टिमार्ग की प्रणाली के अनुसार श्रीआचार्यजी का'न (मर्यादा) से ही अरोगते हैं वे कदापि अङ्गीकार नहीं कर सकते। उस हालत में आचार्य वंशजें और पुष्टिमार्ग के सिद्धांत के आग्रही वैष्णव उस तथा कथित महाप्रसाद को सर्वथा नहीं ले सकते।

योजना की नं० २५ (च) कलम में जो अधिकार कमेटी को दिया गया है। (पब्लिक प्रवेश के लिये दरकार हो और सम्पत्ति की हद के अन्दर प्रबन्ध तथा शान्ति रखने के लिए आवश्यक हो। वह तथा उसकी कलम नं० २५ (ढ) का (उक्त सम्पत्ति के प्रबन्ध तथा पूर्णतया स्वामित्व रखने के लिये आवश्यकता हो करना) लेख यह दोनों सम्प्रदाय की प्रणाली तथा शास्त्र मर्यादा को गौण रखते हुए सम्पत्ति की ही प्रधानता को दृष्टि के सामने रख कर लिया गया है। क्योंकि सम्प्रदाय की प्रणाली और धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो ऐसे 'पबलिक प्रवेश के दरकार' को मान्य रखना क्या उचित है? सत्य तो यह है कि हमारे सम्प्रदाय की प्रणाली की रक्षा हो उसी तरीके और उसी प्रकार के स्वामित्व में रहने वाली जो सम्पत्ति है उसका ही प्रबन्ध करना योग्य है हमारी संस्कृति के विरुद्ध करोडों रुपयों की सम्पत्ति भी मिलती हो और जिस संपत्ति से हमारी संस्कृति व प्रणाली का नाश होता हो उसके प्रलोभन में आकर सम्प्रदाय पर सदैव के लिए कलंक लगाना न तो आचार्य वंशजों के लिए शोभास्पद होगा न सम्प्रदाय प्रेमी वैष्णवों के लिए। पुष्टिमार्ग का आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसी अखूट सम्पत्तियों का भी स्वयं आचार्य चरण से लेकर आज तक के उनके वंशजों ने प्रसन्नतापूर्वक त्याग किया है। क्योंकि आचार्य वंशजें ही संप्रदाय के सच्चे प्रतिनिधि और उनकी संस्कृति के सुरक्षक हैं। अतः वे अपनी कर्त्तव्य परायणता को छोड़ कर भौतिक सुखों की इच्छा से संपत्ति को रक्षा ही अपना एकमात्र ध्येय बनावें तो वे स्वयं आचार्य सिद्धांत के द्रोही कहे जा सकते हैं। आचार्य चरण का तो यह स्पष्ट सिद्धांत है कि "तत्यागे दूषणं नास्ति यतः कृष्ण बहिर्मुखाः। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विसर्जनम् ॥ ४॥' अतः बहिर्मुख जन धन का त्याग और विसर्जन ही आचार्य चरण का एक आदर्श सिद्धांत है।

योजना कलम नं० ३२ जिसमें सर्व प्रकार के दान चढावों व वसूल बसूली करने का उल्लेख किया गया है वह भी सम्प्रदाय के सिद्धांत के नितांत विरुद्ध है। हमारे सम्प्रदाय की प्रणाली के अनुसार जो हमारे संप्रदाय के सेवक हैं उनका ही द्रव्य गुरु शिष्य के सम्बन्ध से लेकर सेवा में उपयोग कराया जा सकता है सम्प्रदाय में सर्व प्रकार के दान चढावा का उपयोग सेवार्थ किया नहीं जाता है। और कदाचित किया जाता हो ही

ही मानते हैं, इनमें श्रीनाथजी मुख्य हैं। श्रीनाथजी के ऊपर सम्पूर्ण रूपेण समस्त आचार्य वंशजों का परम्परागत अधिकार प्राप्त है। अतः श्रीनाथजी किसी को सौंपने में तिलकायत सर्वतंत्र स्वतन्त्र नहीं हैं। श्रीनाथजी की सेवा सुचारू रूपसे सुव्यवस्थित प्रकार से हो इसके निरिक्षण के लिए ही समस्त आचार्य वंशजों ने श्री तिलकायत जी को अपने मुकुट-मणि रूपसे माना जाता है। फिर भी जब कभी श्रीनाथजी की सेवा सुचारू रूप से होती हुई देखने में नहीं आई है, तब प्रभावशाली तथा निकटवर्ती आचार्य वंशजों ने समय समय पर हस्तक्षेप भी किया है, जिसके आज तक के अनेक प्रमाण इतिहास में विद्यमान हैं।

आधुनिक श्री तिलकायत की नाबालगी अवस्था में वैष्णवों की जो समिति मन्दिर के केवल उस समय तक के प्रबन्धार्थ हुई थी वह नाबालगी की हैसियत से ही हुई थी न कि तिलकायत से सदा सर्वदा के लिए अधिकार प्राप्त कर स्वतंत्र प्रबन्ध करनार्थ हुई थी। इसी कारण से अन्य आचार्य वंशजों ने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया था।

यह योजना जो इस समय निर्माण हुई है वह सर्व आचार्य वंशजों के स्वत्व विनाश करने के लिए हुई है। अतः सर्व आचार्य वंशजों का कर्तव्य है कि अपने स्वत्व की रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर प्रयत्नशील हो। क्योंकि सम्प्रदाय के मुकुट-मणि रूप से आराध्य देव हमारे श्रीनाथजी हैं। और सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व धराने वाले आचार्य वंशज ही हैं, न कि अन्य वह इसलिए कि आचार्यों के द्वारा ही सम्प्रदायका प्रचार होता है और श्रीनाथजी की सेवाके निर्माण व रक्षा करने वाले भी यही हैं, न कि पूंजीपति। अतः वे लोग हमारी सम्प्रदाय के प्रतिनिधित्व धराने वाले सर्वथा नहीं माने जाते। इसलिए नवीन योजना में नं० ७ प८ दिया जो लेख (प्रबन्ध कमेटी में कम से कम ७ सदस्य और अधिक से अधिक ११ सदस्य होंगे, जो जहां तक संभव होगा समस्त देश के पुष्टिमार्गीय और वल्लभ सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते होंगे) असंबद्ध हैं। क्योंकि "सम्प्रदाय के नियम निश्चय आदि के अनुसार" आचार्य ही इस सम्प्रदाय के सर्व विधि प्रतिनिधित्व धराने वाले होते हैं और आज तक रहे हैं।

योजना नं. ३ की (ग) कलम (हिन्दू धर्म की साधारणतया तथा वैष्णव धर्म सम्प्रदाय की विशेषतया उन्नति करना और वह सब कार्य करना जो इन कार्यों के सहायक व आवश्यक हो) तथा योजना नं. ३ की (घ) कलम में (पाठशाला, स्कूलों, गौशालाओं तथा अन्य संस्था व कार्यों को धार्मिक विद्या सम्बन्धी तथा मजहब सम्बन्धी हो चलाना कायम रखना व सहायता करना) और योजना नं. ३ की(च)कलम में (समस्त वैष्णवों की हर प्रकार की भलाई व आध्यात्मिक उन्नति की देख रेख करना।

यह तीनों कलम सम्प्रदाय के सिद्धांत से विरुद्ध हैं। क्योंकि श्रीवल्लभाचार्यजी ने वैष्णवों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही पुष्टिमार्ग को प्रकट किया है। उसमें भगवान् की कृपा का ही जो केवल उनके अनन्य शरण से ही प्राप्त हो सकती है। एक मात्र अवलम्बन माना है। अतः भगवत्कृपा के साधन रूप अनन्य शरण को सिद्ध करने के लिए आपने भगवत्सेवा का निर्माण किया है। इस सेवा को आचार्य प्रतिपादित सेवा-प्रणाली से अनुसरने वाले जीव ही वास्तव में अपनी और दूसरों की भी उन्नति कर सकते हैं। आचार्य प्रतिपादित सेवा-प्रणाली में अहंभाव के नाशपूर्वक दास-भाव की नितांत अपेक्षा मानी गई है। जो भगवान और भगवान के तदीय जनों की दासत्व भाव से निरपेक्ष रूपमें सदैव सेवा करता है वही सच्चा उन्नायक है। किन्तु जिन्होंने लक्ष्मी के दासत्व को स्वीकार किया है और राज्यबल, धनबल, और अधिकार बल का ही एकमात्र आश्रय किया है और इन तीनों में मदांध हो रहे हैं ऐसे व्यक्ति सम्प्रदाय की क्या उन्नति कर सकते हैं?

जो सम्प्रदाय के सिद्धांतों से नितांत अपरिचित है, पुष्टि-मार्ग और सेवा की व्याख्या पूछने पर भी नहीं समझा सकता है वह धार्मिक विद्या संबन्धी कार्यों को किस प्रकार सुचारू रूप से चला सकता है और कायम भी रख सकता है?

वैष्णवों की आध्यत्मिक उन्नति वे ही कर सकते हैं जो पुष्टिमार्गीय धर्मों से परिचित व सम्पन्न हो। इसी प्रकार हिन्दू धर्म की उन्नति भी वही कर सकता है जो उस धर्म के प्रधान चिन्ह शिखा-सूत्र को आग्रह पूर्वक सविधि धारण करता हो। शिखा-सूत्र से हीन व्यक्ति हिन्दू धर्म की क्या उन्नति कर सकता है?

नं ३ की (घ) धारा सम्प्रदाय के सिद्धांत से नितांत विरुद्ध है। क्योंकि श्रीनाथजी की सेवार्थ जिस द्रव्य की आय होती है, उस द्रव्य को प्रभु की सेवा से वंचित करके पाठशाला स्कूल आदि में लगाना प्रणाली और न्याय से विरुद्ध है। क्योंकि जो भी भावुक वैष्णव वृन्द सेवार्थ द्रव्य का समर्पण करते हैं उस द्रव्य को भगवद् सेवार्थ न लगाकर अन्य कार्यों में व्यय करना, जो कार्य कोई भी अंश में श्रीनाथजी से संबन्ध नहीं धराते हैं, सर्वथा अनुचित हैं। क्योंकि अन्य कार्यों में तो वे व्यक्ति स्वयं ही अपना द्रव्य लगा सकते हैं। दृष्टांत बतौर श्रीनाथद्वारा ता १०-१-५५ को हुई ग्यारह सदस्यों की बैठक में, जिसमें केवल ८ सदस्य ही उपस्थित थे, उसमें एक लाख तीस हजार का व्यय करके तीन मास में नाथद्वारा में २४ घन्टे चल सके ऐसा A. C. करन्ट के पावर हाउस के बनाने का निर्णय किया गया। इस प्रकार श्रीनाथजी के भोग सामिग्री अर्थ आये हुए द्रव्य का अपव्यय करना बड़ा ही अनुचित हैं। श्रीनाथजी के लिए A. C. करन्ट के पावर हाउस निर्माण करने से कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता हैं। यह एक महान् हास्यास्पद विषय हैं। श्रीनाथजी की व्यवस्था की आड़ लेकर भौतिक सुखों में द्रव्य का अपव्यय करना ही इस योजना का ध्येय प्रतीत होता हैं।

योजना की कलम ३ (ङ) में (श्री तिलकायत महाराज के दस्तूर को इज्जत तथा सम्मान के साथ कायम रखना जैसा कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक वैष्णव सम्प्रदाय के सर्वोच्च व्यक्ति का होता है) लिखा है वह भी नितांत भ्रामक है। क्योंकि श्रीमान् तिलकायत श्री के दस्तूर तथा इज्जत जबही कायम रह सकता है जबकि तिलकायत श्री स्वयं श्रीमद्वल्लभाचार्यजी के पुष्टि सम्प्रदाय के संरक्षक रूप से कमिटि पर वर्चस्व धराते हो तथा श्री आचार्य चरणों के प्राण श्रेष्ठ आराध्यदेव की सेवा का स्वयं निरिक्षण करने में तत्पर हो। और उनकी आज्ञानुसार सेवा का कार्य-क्रम चलता हो, अन्यथा वाचारम्भण मात्र हैं।

रविवार दि. १९ फरवरी 1956

प्रकाश

अंक: ७
वर्ष: ९



❀ विजयते श्रीमदनमोहनः प्रभुः ❀

श्रीनाथद्वारा ठिकाने के प्रबन्ध की

# दिल्ली योजना की आलोचना

[ आलोचकः पू० पा० गो० श्री घनश्यामलालजी महाराज, सप्तम गृहाधीश, कामवन ]

श्रीनाथद्वारे ठिकाने के प्रबन्ध की नवीन योजना, जो दिल्ली में बनी है, वह पुष्टिमार्ग के इतिहास और सिध्दांत से नितांत विरुध्द है। इस से यह ज्ञात होता है कि इस योजना का निर्माण पुष्टिमार्ग के इतिहास और सिध्दांतों से जो अनभिज्ञ हैं उन व्यक्तियां द्वारा हुआ है। और जिन सरकारी शासकों के समक्ष इस योजना के निर्माताओं ने इसे रक्खा है, उनको भी उन्होंने सम्प्रदाय के इतिहास और सिध्दांतो से वञ्चित रखने का ही प्रयत्न किया है। अन्यथा वे शासक व्यक्ति, जो धर्म और न्याय प्रिय हैं इस योजना को समस्त आचार्य वंशजो और सम्मति प्राप्त किये बिना कभी स्वीकार नहीं करते।

पुष्टिमार्ग के इतिहास से यह सिध्द होता है कि श्रीनाथजी श्रीवल्लभाचार्यजी के आराध्य देव हैं। श्री आचार्यचरण ने वि. सं. १५४६ में श्रीनाथजी की आज्ञा होनेपर व्रज में पधार कर सर्व प्रथम श्रीनाथजी को गोवर्धन पर्वत में से प्रकट किये और एक कचा छोटा मन्दिर सिध्द करके उसमें श्रीनाथजी को पाट पधराये थे। उस समय वे स्वयं पृथ्वी परिक्रमा में होने के कारण श्रीनाथजी की सेवा का सम्पूर्ण कार्य उन्होंने बुन्देलखण्ड के रामदास चौहाण क्षत्री को सेवक करके सौंपा था। और नेग भोग के प्रबन्ध के लिये आपने अपने सेवक सदूपांडे आदि आन्योर के व्रजवासियों को आज्ञा दी थी।

वि सं. १५५६ में जब पूरणमल क्षत्री अम्बालय से श्रीनाथजी का मन्दिर सिध्द कराने के लिए व्रज में आये और रामदासजी से श्रीनाथजी का मन्दिर सिध्द कराने के लिए आज्ञा मांगते हुए कहा कि मुझे श्रीनाथजी ने मन्दिर सिध्द कराने के लिए प्रेरणा की है इसलिए मैं आया हूँ। तब रामदास और सदूपांडे आदि ने कहा कि श्रीनाथजी श्रीवल्लभाचार्यजी के ठाकुर हैं. अतः उनसे पूछ कर उनकी आज्ञा से ही मन्दिर सिध्द हो सकता है। फिर जब वल्लभाचार्यजी व्रज में पधारे तब पूरणमल क्षत्री ने उनसें श्रीनाथजी के मन्दिर सिध्द कराने की श्रीनाथजी की इच्छा को प्रकट करते हुए आपसे उस कार्य को सम्पन्न करने की आज्ञा मांगी। तब श्री आचार्य चरण ने प्रथम पूरणमल को ब्रह्म-सम्बन्ध कराकर सेवक किया, और फिर गुरु-सेवक के सम्बन्ध से उसका द्रव्य अङ्गीकार करके उसको मन्दिर सिध्द कराने की आज्ञा प्रदान की। इससे यह सिध्द होता है कि श्रीनाथजी श्रीमहाप्रभुजी के स्वतन्त्र मालिकी के आराध्य देव हैं।

श्री आचार्यचरण के पुत्र श्री गोपीनाथजी और श्री विट्ठलनाथजी हुए। आचार्य चरण के पश्चात् श्रीनाथजी पर पूर्ण अधिकार वारिस रूप से इन दोनों का रहा। श्रीगोपीनाथजी और उनके एकमात्र पुत्र श्री पुरुषोत्तमजी बहुत कम समय तक भूतल पर रहे इस से श्री आचार्यचरण के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथजी का ही श्रीनाथजी पर पूर्ण अधिकार रहा। उनके पश्चात् वारिस रूप से उनके सात पुत्रों को श्रीनाथजी की सेवा का समान अधिकार प्राप्त हुआ है। और अब तक वह अधिकार उनके वंशजों के पास बराबर सुरक्षित रूप से कायम है।

श्री विट्ठलनाथजी के प्रथम पुत्र श्रीगिरधरजी थे। उनको ज्येष्ठत्व के नाते गोकुलगृह के निजी सेवनीय स्वरूप श्री नवनीतप्रियजी स्वपितृचरण ने विशेष में दिये। और श्रीनाथजी के उत्सवादि के सेवा शृङ्गार तथा प्रबन्ध कार्य भी उनको सौंपा गया। इससे पूर्व सात पुत्रों के बटवारे में गृह सेवार्थ श्री मथुरेशजी उनके माथे पहिले से ही पधराये गये थे। जिस प्रकार श्री गिरधरजी को श्रीविट्ठलनाथजी ने गृह-सेवार्थ श्रीमथुरेशजी पधराये थे, उसी प्रकार अन्य छहों पुत्रों को भी गृह-सेवार्थ आचार्यचरण की छह प्रमुख अन्य निधिया पधराई थीं, जो सम्प्रदाय में प्रसिध्द हैं।

आचार्यचरण और श्री विट्ठलनाथजी के पास जो कुछ भी सम्पत्ति थी वह उनके निधि स्वरूप ही थे। अतः वे ही निधि स्वरूपमें उनके वंशजो को वारसा में प्राप्त हुए हैं। इसीलिए उनके वंशजों को उन पर स्वतन्त्र स्वत्व कायम है, और श्रीनाथजी की सेवा पर भी सभी वंशजों का स्वतन्त्र रूप से अधिकार आजतक चला आ रहा है।

मुगल साम्राज्य में हिन्दू धर्मपर आपत्ति आने के कारण से अनेक आचार्य वंशजे अपने धर्म तथा निधि सेव्य स्वरूपों केरक्षार्थ राजपूताने में धर्म-प्रिय राजपूत राजाओं की उत्कन्ठा से निजी सेवनीय स्वरूपों पर स्वतन्त्र अधिकार रखते हुए उनके मनोरथ पूर्णार्थ पधारे। और उन राजा महाराजाओं ने भाव पूर्वक सेवक होते हुए आचार्य वंशजों को अनेक प्रकार की सम्पतियां भेंट की उनको स्वतन्त्र रूपसे राज्य के किसी भी प्रतिबन्ध के बिना अपने सेव्य स्वरूपों को अङ्गीकार कराई। और जब जब राज्य की ओरसे कोई प्रतिबन्ध उपस्थित किया गया वा धर्म की हानि होती हुई देखी तब तब उन प्रतापी वंशजे उन सर्व सम्पत्तियों को त्याग कर अपने वारसा में प्राप्त आध्यात्मिक आधिदैविक पुष्टि-भक्ति संपत्ति रूप निधि स्वरूपों को अन्यत्र पधरा कर ले गये। किन्तु उन्होंने कभी भी भौतिक सम्पत्ति के प्रलोभन में आकर अपने धर्म विरुध्द राज्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उनके प्रमाण स्वरूप माला प्रसङ्ग से लेकर आज तक के जयपुर, अमरेली, शेरगढ, कोटा आदि के अनेक सुवर्णाङ्कित उज्ज्वल इतिहास पुष्टिमार्ग में प्राप्त और प्रसिध्द हैं। आचार्य वशंजों ने भूतकाल में और विद्यमान समय में भी अनेक संकटों को सह कर अपने सेव्य स्वरूपों की रक्षा की है और कर रहे हैं। अस्तुः

इन सब प्रमाणों से यह निश्चित होता है कि आचार्य वंशजे अपनी वास्तविक सम्पत्ति अपने सेव्य निधि स्वरूपों को

6 May 1956

1956 # भगवान तुम्हारे दर्शन भी बिकते देखे !

श्रीनाथजी मंदिर के
व्यापारीकरण पर
एक भक्त कवी की अंतर्वेदना!

( नवनीत कुमार पालीवाल 'साहित्य-रत्न' )

सब कुछ बिकते देखा करता हूँ इस जगमें-
भगवान तुम्हारे दर्शन भी बिकते देखे !

भगवन तव दर्शन के देवालय हाट बने,
व्यापारी पन्डों के अन्तस्थल बाट बने,
तुलते दर्शन चांदी के टुकडों पर प्रतिदिन,
जो चाहें लेले......रोक नहीं चांदी गिन-गिन;
ओ भक्त विदुर के शाक-पात खाने वाले,
अब दुर्योधन के महलों में टिकते देखे,
भगवान तुम्हारे ........!

जिनके अन्तर में केवल भक्ति-भावना है,
बस एक झलक दर्शन का उन्हें कामना है,
तेरे दर्शन का लाभ निकट से वे लेते,
जो धनिक बने पन्डों को हंस कुछ दे देते,
इतना ही सब कुछ नहीं और भी सुन भगवन।
तेरे मन्दिर को और तुम्हें बिकते देखे।
भगवान .....

लाखों श्रीदामा और विदुर धक्के खाते,
व्यापारी पंडों के हाथों पीटे जाते,
ग्राहक आगे, पीछे ही रह जाते याचक,
इसलिए कि क्रय का मूल्य नहीं वे दे पाते !
यदि कभी भूल से कुछ आगे वे बढ जाते,
उनको पंडो के कोडों से पिटते देखे.
भगवान........!

सुनता था पत्थर प्रतिमा में भी तुम रहते,
ऐसा लगता वे झूठे जो ऐसा कहते,
पत्थर में भी बसने वाले भगवान सुना-
तुम भी पत्थर बन गये वहीं रहते-रहते।
यदि नहीं ! तो रोको अपने इन क्रय-विक्रयको-
प्रति दिन जिनको देवालय में होते देखे।
भगवान .........!

( १२ ) विद्यमान तिलकायत के प्रपितामह गो० श्री गिरिधारी जी को उदेपुर के राणा ने मेवाड़ से बाहर कर दिये और उनके स्थान पर उनके पुत्र गो० श्रीगोवर्द्धनलाल जी को गादी पर रखे। फिर भी जब तक गिरिधारीजी महाराज विद्यमान रहे तब तक श्री गोवर्द्धनलालजी को गोस्वामिओं ने 'गोस्वामी तिलकायत' रूप में स्वीकार नहीं किये थे।

( १३ ) गो० तिलकायत के सेवा विषयक अधिकार उनकी अनुपस्थिति में अन्य गोस्वामि 'प्रचारक' को मिलता है। बिना गोस्वामि के रहे श्रीनाथजी की सेवा नहीं हो सकती है। यह प्राचीन प्रथा 'कमिटि सिस्टम' ने तोड़ दी है।

इतिहास के इन प्रामाणिक तथ्यों से यह निश्चित होता है कि श्रीनाथजी पर आचार्य गद्दी के सातों गृहों का अधिकार है। श्रीनाथजी सातों की अविभक्त संपत्ति हैं। अतः तिलकायत की यह निजी सम्पत्ति नहीं है। वे केवल सेवा और वहीवट ही कर सकते हैं। और उसमें भी सैद्धान्तिक अव्यवस्था होने पर अन्य सात गृहों के अधिपति गोस्वामिएँ हस्तक्षेप कर सकते हैं। वर्तमान तिलकायत के पिता को भी ऐसे ही कारणों से जाति बाहर न करते हुए भी श्रीनाथजी की सेवा में आने से अन्य गोस्वामिओं ने रोके थे और मंदिर की अपरस भी निकलवाई थी। उससे श्रीनाथजी की अर्थ व्यवस्था ( वहीवट ) पर भी काफी असर हुआ था।

तिलकायत श्री अपने इस परंपरा प्राप्त सेवा और वहीवट के अधिकार को सात गृहों के गोस्वामिओं की अनुमति लिये बिना त्याग नहीं कर सकते हैं। केवल अपने वारिस के पक्ष में ही त्याग कर सकते हैं। क्यों कि सेवा और वहीवट का यह अधिकार वंश परंपरा के लिये सातों गृहों की ओर से दिया गया है। यही कारण है कि सन् १९४२ के बंबई हाईकोर्ट द्वारा हुए निर्णय में अन्य गोस्वामिओं ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि उससे भी सम्प्रदाय के इस इतिहास का समर्थन ही हुआ था। उसमें श्रीनाथजी के वहीवटदार रूप में ही तिलकायत को स्वीकार किये गये है मालिक रूप में नही। इससे सातों गृहों की मालिकी अपने आप सिद्ध रहती थी।

आज तक अनेक भयावह परिस्थितियाँ में भी इस वंश परंपरा प्रणाली की रक्षा के लिये ही किसी गोस्वामि ने कोई विरोध नहीं किया। किंतु अब जब कि तिलकायत अपने वडिलोपार्जित मिल्कत, श्री नवनीतप्रियजी आदि ठाकुर और वंशानुगत अधिकार की भी अपेक्षा नहीं रख कर सम्प्रदाय की इस परंपरा को ही खो रहे है तब इसकी उपेक्षा कोई भी गोस्वामि वंशज नहीं कर सकता है। कानून से भी इस योजना को उनके पुत्रादि के हित में और साम्प्रदायिक मर्यादा की संरक्षा के हक में चुनौती दी जा सकती है। गोस्वामि बालकों और वैष्णवों दोनों को चाहिए कि जयपुर, बीकानेर और उदयपुर तीनों कोर्टों से यह योजना स्वीकृत न होने दें और इसे रद्द करा दें।

---

अग्रवाल प्रेस, मथुरा.

॥ श्री हरिः ॥

# * श्री नाथद्वारा प्रकरण समिति *

( अखिल भारतीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद् (रजि०) अन्तर्गत )

## "नाथद्वारा धर्म संकट"
## लेख का
# परिशिष्ट

### नाथद्वारा प्रकरण के विषय में ज्ञातव्य-सूचनायें एवं समिति की प्रवृत्तियां।

## पुष्टि-वैष्णवों को धन्यवाद !

**भारत के एवं भारत से बहार निवास करने वाले परम भगवदीय वाल्लभ-वैष्णवों को सस्नेह भगवत्स्मरण !**

नाथद्वारा प्रकरण के विषय में सभी पुष्टि मार्गीय अनुयायी अभी तक इतना अवश्य जान चुके होंगे कि 'नाथद्वारा संशोधन विधेयक' को जनसंघ के एक सदस्य ने राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत किया था और जिसके द्वारा पुष्टि वैष्णवों ने यह मांग की थी कि उनके धर्म गुरु को सेवा के वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिये जिनके अनुसार वे मुखिया सहित अपने सभी सेवा वालों को नियक्त एवं पदच्युत करते आये हैं। इस संशोधन विधेयक को विधान सभा ने विचारार्थ प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया। प्रवर समिति में कुल इक्कीस सदस्य थे ग्यारह कांग्रेस के एवं दस अन्य विभिन्न विरोध पक्ष के। कांग्रेसीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय उसके अध्यक्ष थे।

पुष्टि संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतोंका अस्तित्व इस विधेयक के यथावत् पारित होने पर अवलंबित है, अपनी इसी हार्द भूत भावना की अभिव्यक्ति करते हुये पुष्टि वैष्णवों ने प्रतीक रूप से एक लक्ष हस्ताक्षर वाले हिंदी गुजराती एवं अंग्रेजी भाषा में "निवेदन-पत्र" राजस्थान सरकार को भेजे जिसके द्वारा यह प्रार्थना को गयी कि नाथद्वारा मंदिर बोर्ड को पुष्टि संप्रदाय के धर्म गुरु पूज्य तिलकायित महाराज के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोका जाय। एक लक्ष हस्ताक्षर वाले निवेदन पत्र के अतिरिक्त भारत के सभी देश और दिशाओं से प्रतोक रूप में पच्चीस हजार तार भी राजस्थान सरकार को भेजे गये जिसके द्वारा भी यही प्रार्थना की गयो कि "नाथद्वारा मंदिर" में सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड के सदस्यों को पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत अनुशासन चलाने से रोका जाय। पुष्टि संप्रदाय के इस उग्र आंदोलन का परिणाम यह हुवा कि प्रवर समिति ने इस विधेयक को यथावत् सर्वानुमति से पारित कर दिया केवल एक अनुपस्थित कांग्रेसीय सदस्य ने असहमति प्रदर्शित की।

प्रवर समिति द्वारा इस तरह पारित यह संशोधन विधेयक पुनः राजस्थान की विधान सभा में चर्चा एवं अंतिम-निर्णय के लिये प्रस्तुत किया गया। विधेयक के इस तरह प्रस्तुत किये जाने के पूर्व पुष्टि संप्रदाय के वैष्णवों ने पुनः तार आंदोलन प्रारंभ किया तथा एक लक्ष तार प्रतोक रूप में राजस्थान सरकार को प्रेषित किये गये। इन तारों द्वारा पुष्टि वैष्णवों ने एक बार पुनः सरकार को अनुरोध किया कि वह मंदिर बोर्ड के सदस्यों की नाथद्वारा में अधार्मिक तथा असैद्धांतिक प्रवृत्तियों को रोक दें एवं इस विधेयक को यथावत् पारित करदें। यह तार केवल भारत में रहने वाले पुष्टि मार्गीय वैष्णवों ने ही नहीं किन्तु भारत से बाहर निवास करने वाले अफ्रोका अरेबिया (एडन) इंगलेंड आदि विदेशों के इसी संप्रदाय के वैष्णवों ने भी प्रेषित किये थे। ये तार राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष को वहाँ के मुख्य मंत्री तथा देवस्थान सचिव को संबोधित किये गये थे। तदुपरांत भारत के सभी देशों में एवं एशिया यूरोप तथा अफ्रीका के अन्य उपखंडों में भी जाहिर सभाओं में उपरोक्त विषय को लेकर प्रस्ताव पारित किये गये। ये सभी प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेजे गये। इन सभी तारों में, आवेदन पत्रों में, प्रस्तावों में और जाहिर सभाओं में पुष्टि मार्गीय वैष्णवों ने एक स्वर से विनम्र वाणी द्वारा सरकार को यही निवेदन किया कि वह उनके मुख्य धार्मिक संस्थान की प्राचीन साम्प्रदायिक प्रणालिकाओं को अक्षुण्ण रखें।

( कृ०पृ०उ० )

प्रकाश

पृष्ट ३

प्रकार मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं हैं। इस पर महाराज श्री और इनके सोलिसिटर ने भी कोई भी आपत्ति नहीं की वरन् उस मीटिंग को बंद रख कर फिर ता. ६-१-५६ को मूलराज कृष्णदास के नाम से मिटिंग बुलाई गई। इससे वैष्णव जनता समझ सकती है कि मूलराज ने तिलकायत महाराज पर अपना कहां तक प्रभुत्व जमा लिया है और उनके सोलिसिटर आदि का सकारण दब्बू नीति भी जानी जा सकती है हम नहीं समझ पाये कि मूलराज किस खेत की मूली है जिसने अचानक ही वल्लभ सम्प्रदाय में अपनी इस प्रकार की धाक जमाने की शुरुआत की है।

श्रीनाथद्वारा सम्प्रदाय सुरक्षा समिति मथुरासे —

श्रीनाथद्वारा दिल्ली योजना प्रकरण को लेकर एक पत्र सम्पादक के नाम श्री द्वारकादासजी परीख सम्पादक– वल्लभीय सुधा का प्राप्त हुआ है जिसका कुछ अंश स्थानाभाव से यहां दिया गया है। जिसकी प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं—

१. राजस्थान सरकार का कतई हस्तक्षेप प्रबन्ध में न होना चाहिए।

२. मन्दिर में पब्लिक प्रवेश आदि जाहिर ट्रस्ट के नियम की बातें कतई नहीं होनी चाहिए।

३. श्री मूलराज कमेटी में कतई नहीं रहना चाहिए।

४. कमेटी के चुनाव और कोरम न हो सके तो एक या दो व्यक्ति भी अपने निर्णय कर सकते हैं ये बातें सर्वथा नहीं रहना चाहिए।

५. मन्दिर के आभरण आदि बेचने का अधिकार कमिटी को न रहना चाहिए। रुपयों की आवश्यकता पडने पर ये प्रतिनिधि गिने जाने वाले धनिक अपने पास से उधार देकर काम चलावें।

६. यदि खर्च को नहीं पहुँच सकें तो बाहरी खर्च कम करें।

७. कमेटी में उन विद्वान् और सेवाभावी मर्मज्ञ दो गोस्वामि बालक और दो शास्त्रज्ञ पन्डित सलाहकार रूप में रहना चाहिए नेग भोग आदि भीतरी सेवा के विषय में उनका अन्तिम निर्णय माना जाना चाहिए।

८. श्रीनाथजी का मन्दिर वल्लभी सम्प्रदाय का मन्दिर रहना चाहिए जिस पर गोस्वामि बालक और वल्लभी वैष्णवों का ही अधिकार हो। आम पब्लिक का न होना चाहिए।

९. श्री नवनीत प्रियाजी गोस्वामि तिलकायत महाराज के निजी ठाकुर होने से भिन्न रहने चाहिए और तिलकायत श्री का वंशपरम्परागत उन पर स्वत्व रहना चाहिए।

१०. तिलकायित श्री द्वारा नाथद्वारा में अखिल भारतीय वैष्णव की जिसमें गोस्वामि बालक भी शामिल हो एक परिषद् करवाकर नई योजना बनाई जाय।

-: જાગૃતિ ગાના :-

રચયિતા શ્રી પુષ્ટિવાડો લુણાવાડા

આજ શહાદત-પર્વ સોહાગી વીર ભરદો ખપ્પર ખોલી
ખુબ લડો ખુબ લડો ખુબ લડો..................
હે ભારતવાસી રણવીરો, ગોવર્દ્ધન જય .....ખુબ લડો।
ગયા કહાં "ભીમગદા" ને વીર અર્જુન શર આજ કો ?
શાહ કટારે કિરણ પદ્મિની, જોહરનાં ચમકારા કો ?
રણ-તરસી તલવાર લઉ જા શ્રી વિઠ્ઠલ શિરનામીરે ખુબલડો
લાજ બચાઓ "ધ્વજ-શિખરણી એક નઈ દિલ્હી ચાલા
નવી યોજના બન્ધ કરાવો, વિજય કરો ભારત નામી
આજ દિપાવો ધુમ-જતેતા પુષ્ટિવાડો પ્યારા જય ખુબલડો
ખુબલડો, ખુબલડો, ખુબલડો............।

## प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर १३ जनवरी। राजस्थान सरकार ने स्टेज कैरिज़ों में ४० पौंड से अधिक सामान या वैयक्तिक ले जाने के लिए निम्नांकित अधिकतम वहन शुल्क नियत किया है जो सम्पूर्ण राज्य में लागू होगा।

क. सीमेंट, तारकोल, अस्फाल्ट की या अन्य पक्की सडकों पर एक तरफ की यात्रा के लिये वैयक्तिक सामान के लिए अधिकतम शुल्क..............३ पाई प्रति मील प्रति मन

ख. कङ्करों की सडकों पर एक तरफ की यात्रा के लिए वैयक्तिक सामान के लिये अधिकतम वहन शुल्क
३॥ पाई प्रति के प्रति मील प्रति मन

ग. मौसमी सडकों तथा ऐसी अन्य सडकों पर जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आती है एक यात्रा के लिए वैयक्तिक सामान के लिए अधिकतम वहन शुल्क.....
५ पाई प्रति मील प्रति मन

---

**'प्रकाश' के पाठकों से—**

'प्रकाश' का संस्करण भारत के प्रत्येक भाग में बहुत बडी संख्या में जाता है। पुष्टिमार्गीय वैष्णव जनता की मांग पर हमने इसके अंकों में गुजराती लेखमाला देने का भी निश्चय किया है तथा जो कमियां अभी चल रही हैं, उसको पूरा किया जारहा है। अतः लेखकों, कवियों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन है कि वे इसकी सेवाओं से पूरा २ लाभ उठावें।

—व्यवस्थापक.

प्रकाश



पृष्ठ ६ से आगे—

उदयपुर कोर्ट में प्रस्तुत करने योग्य कुछ प्रश्न—

१ यह योजना किसने किस अधिकार से बनाई है?
उस समय न तो कोई कमीटी थी न किसी को कोई सम्प्रदाय की ओरसे भी अधिकार प्रदत्त किया गया था।

२ यदि यह योजना तिलकायत महाराज ने बनाई है तो वे दिल्ली जाकर इसकी स्वीकृति करने क्यों गये? श्रीनाथद्वारा में ही वे बना सकते थे और उसको स्वीकृत करा सकते थे।

३ यदि यह योजना तिलकायत महाराज पर दबाव डाल कर बनवाई है, जैसा कि परिस्थिति से स्पष्ट है तो यह योजना गैर कानूनी है।

४ तिलकायत महाराज को सन् १९४२ के हाईकोर्ट बंबई के एवॉर्ड के निर्णयानुसार श्रीनाथजी के मन्दिर का केवल वहीवट करने मात्र का अधिकार है। श्रीनाथजी के मन्दिर को बेचने का नहीं जैसा कि इस योजना से जाहिर होता है।

५ यदि वे इस योजना के पक्ष में जाहिर तौर पर कोर्ट में सम्मति देते हैं तो उनके ऊपर विश्वासघात का दावा हो सकता है। क्यों कि श्रीनाथजी वल्लभ सम्प्रदाय के हैं और उनकी सम्पत्ति पर भी उसी का हक्क है। सम्प्रदाय में गोस्वामी बालक और वैष्णव दोनों को अंग-अंगी रूप से स्थित है। इसलिये समस्त गोस्वामि बालक और वैष्णवों की मंजूरी बिना तिलकायत महाराज तीन हजार रुपयों में श्रीनाथजी के मन्दिर का ऐसा सौदा नहीं कर सकते।

६ श्रीनाथजी के मन्दिर में करोंडों की मिल्कत मानी जाती है उसका व्याज भी लाखों रुपये हो सकते हैं। अतः तीन हजार रुपयों का सोदा निरा भोलापन है।

७ श्रीनवनीतप्रियाजी ठाकुर श्रीनाथजी को भेट नहीं किये जा सकते हैं। ठाकुर को भेट तो आचार्य को ही हो सकती है जैसा कि पुष्टिमार्ग के इतिहास से प्रसिद्ध है। अतः श्रीनाथजी के मन्दिर के खर्च में से श्री नवनीतप्रियाजी का खर्च नहीं किया जा सकता है।

८ 'सेवाकृतिगुरोराज्ञा' इस महाप्रभुवल्लभ के वाक्य के अनुसार पुष्टिमार्ग का सेवा पद्धति गुरु आज्ञा के अनुसार ही हो सकती है। पुष्टि मार्ग के गुरु केवल महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी और उनके द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथजी है। अतः उनकी बंधी हुई मर्यादा के (आज्ञा के) अनुसार ही सेवा हो सकती है। उनके द्वारभूत वंशजों की वही आज्ञा प्रतिनिधि रूपसे स्वीकार हो सकती है जो उसके विपरीत न हो। यह योजना उन मूल आचार्यों की प्रणाली से विपरीत है। अतः अस्वीकार्य है।

९ कानून की दृष्टि से किसी भी सम्प्रदाय में प्रचलित उसकी परंपरागत प्रणाली की महत्ता कानून से भी विशेष मानी गई अतः उस प्रणाली का उल्लंघन कानून भी नहीं कर सकता है।

१० सम्प्रदाय की सेवा प्रणाली में अधिकारी से लेकर मुखिया तक को आचार्य गद्दी के प्रतिनिधि गुरु द्वारा उपरना ओढा कर सेवा की आज्ञा प्रदान करने का आदि कालसे रिवाज है। कृष्णदास अधिकारी की वार्ता और सम्प्रदाय की आज तक की परम्परा इस बात का प्रमाण है। इस योजना में इस परम्परा को नष्ट कर दिया गया है। और कमीटी को ही सर्वेसर्वा अधिकार दिया गया है, सर्वथा अग्राह्य है।

११ पुष्टिमार्ग में श्रीनाथजी मूर्ति (IDOL) नहीं माने जाते हैं। वे साक्षात् स्वयंभू व्रजाधिप श्रीकृष्ण हैं। उनकी सेवा (लालन पालन) बालभाव की प्रणाली से होती है। अतः ये महाप्रभु वल्लभ के निजी दिव्य बालक हैं। आचार्य द्वय उनको 'बावा' कह कर बुलाते थे। जिस प्रकार यह बालक दिव्य हैं उसी प्रकार उनको सेवाके आभरण आदि भी है। उनके आभरण आदि गोपिकाओं के तत्व रूप में माने गये है। श्रीसुबोधिनी श्री गुसाईंजी कृत 'सेवाश्लोक' आदि उसके प्रमाण हैं। अतः उनके आभरण आदि जो प्राचीन काल से सेवा में ही रहते आये हैं उनको बाहर के लोगों का स्पर्श भी नहीं होता है। यदि कोई कार्यवशात् होता है तो फिर धोकर यथाविधि लिये जाते हैं। इस योजना में कमीटी को ऐसी सब चीजों को बेचने का भी अधिकार दिया गया है। जो सेवा प्रणाली से सर्वथा विपरीत है और पुष्टि मार्ग की दिव्य भावना को नष्ट करता है।

१२ सम्प्रदाय के वैष्णवों का प्रतिनिधित्व का करने दावा वही रख सकता है जिसने सम्प्रदाय की कुछ भी अनुपम जाहिर सेवा की हो। इसमें अहमदाबाद के दो सज्जनों को छोड़ किसीने भी ऐसी सेवा आज तक की हो ऐसा ज्ञात नहीं है। अतः उनका प्रतिनिधित्व पूंजी के कारण ही अग्राह्य किया गया है जो लोकतन्त्र के अनुसार भी सर्वथा विपरीत है।

१३ आज पांचसो वर्षों से श्रीनाथजी और उनके मन्दिर पर वल्लभसंप्रदाय का ही एकमात्र अधिकार चला आ रहा है अतः अन्य किसी सम्प्रदाय के व्यक्ति का किसी भी रूप में इससे संबंध स्थापित नहीं हो सकता। जो तीन वर्ष खेत जोतता है उसका आज के कानून से उस भूमि पर अधिकार हो सकता है तो ५०० सो वर्षों से जिस मन्दिर पर इस सम्प्रदाय का अधिकार रहा हो उस पर अन्य संप्रदाय के वैष्णवों का अधिकार वा सम्पर्क किस प्रकार हो सकता है। योजना में अन्य सम्प्रदाय के वैष्णवोंका इस प्रकार का अधिकार परोक्ष रूपसे स्वीकार किया गया है जो सर्वथा अग्राह्य है।

मोटे तौर पर यही प्रश्न कोर्ट में उपस्थित किये जा सकते हैं। योजना में कई प्रकार की कानूनी अपूर्णता अस्पष्टता और त्रुटियां भी है जिसको फिर कभी प्रकाशित करेंगे।

यह योजना सर्वथा अव्यावहारिक और गैर कानूनी है कोर्ट का ध्यान इन प्रश्नों पर लाने से वह स्वयं इसे अप्रमाणिक घोषित कर सकती है।

ता० क० सुना है कि तिलकायत महाराज ने पावर ऑफ एटर्नी देने के संबंध में इस कमीटी की मीटिंग ता. २०।१२।५५ को श्रीनाथद्वारा में बुलाई तब इस कमीटी के अग्रगण्य कांग्रेसी सुधारक नेता मूलराजजी ने आपत्ति उठाई थी कि आपको

प्रकाश



न केवल धार्मिक भावनाओं से ही ओत-प्रोत है बल्कि राजनैतिक क्रांति में भी अपनी सानी नहीं रखता। दृष्टान्त के लिए ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान के वर्तमान मुख्यमन्त्री यहीं की पावन रज में पले हैं। इसी प्रकार हमारे वर्तमान महाराज श्री गोविंदलालजी भी पूर्ण राष्ट्रीय विचार धारा के हैं। वे दयालु, उदार हैं और सरल स्वभाव के हैं। यहां की जनता की मांग पर आपने नगण्य मूल्य एवं बिना मूल्य के साहित्य मंडल को, मोर्डन स्कूल को तथा नगर पालिका को जमीन प्रदान की है। गांधीजी की मूर्ति स्थापना आपकी राष्ट्रीय भावना का ज्वलन्त प्रतीक है।

नाथद्वारा न तो व्यापारी मंडी है न यहां कल कारखाने हैं। फिर भी यह एक वैभवशाली नगर है। यह सब कुछ श्रीनाथजी की कृपा और हमारे पूज्य आचार्यवर्ग का कठिन परिश्रम का फल है।

समय बदला। देशव्यापी आन्दोलन हुए। और परिस्थिति वश अंग्रेजो को भारत छोडना पडा। बागडोर जनता के हाथ में आई। राजनीति ने भी पलटा खाया। श्रीनाथजी का मन्दिर अत्यन्त वैभवशाली होने के कारण लोकप्रिय कही जाने वाली सरकार की दृष्टि इधर पडी। काफी हद तक महाराज श्री पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप बचपन से आतंकित रखे जाने वाले महाराज श्री भी भयभीत हो नाथद्वारा छोड बाहर पधार गए। इस नगर का सबसे बडा दुर्भाग्य तो यही है कि यहीं के कुछ षडयन्त्रकारियों एवं स्वार्थियों के कारण यह नगर हमेशा अवनत होता रहा है। और आजभी वह राजनैतिक कुचक्रों से वञ्चित नहीं है। यदि तनिक भी अतिशयोक्ति न की जायतो यह सर्वथा निर्विवाद सत्य है कि वर्तमान गोस्वामि श्री गोविंदलालजी एक विलक्षण युवक हैं। उनकी प्रतिभा का यदा कदा परिज्ञान परिलक्षित होता है। किन्तु बचपन से आप पर आतंक रहा है। कुचक्र रहा है। स्वार्थियों के गोल ने हमेशा आप को अच्छे व्यक्तियों से दूर रक्खा है। जिससे महाराज श्री वस्तुस्थिति तक पहुँच ही नहीं पाते। आपको मन्दिर के मामले में शुरू से ही भीरू बनाने का प्रयत्न किया है। आपके दयालु स्वभाव का लोगों ने दुरुपयोग किया। मन्दिर की सुव्यवस्था के नाम पर कमेटियां बनाई किन्तु जिनको अधिकार सौंपे गए वे महाराज श्री पर हावी होते आए। कुछ लोगों ने मन्दिर की व्यवस्था में जनतन्त्र बताया हमें तरस आता है उन लोगों की बुध्दि पर जिसने घरकी व्यवस्था में जनतन्त्र बताया। यह सब उन स्वार्थी लोगों का काम है जिन्होंने अपने छोटेसे स्वार्थ के पीछे बहुत बडी व्यवस्थित योजना को भ्रष्ट बनाया। कुछ लोगों ने गवर्नमेंट का धौंस बताई। गवर्नमेंट कब्जा करलेगी, नहीं तो, व्यवस्था कमेटी द्वारा कराई जाय। क्या गवर्नमेंट बिना आर्डिनेंस हस्तक्षेप कर सकेगी। घरका मालिक स्वयं गृहाधीश होता है, गवर्नमेंट नहीं। किन्तु, यह सब स्वार्थी लोगों की चालें थी जिससे महाराजश्री की मन्दिर व्यवस्था प्रति तटस्थ और उदीन रहे। फल स्वरूप आज मन्दिर की सत्ता गैरों के हाथमें है। अब यहां की व्यवस्था सत्ता के बल पर होगी। इससे वैष्णव जनता महाराज श्री उनकी भावी पीढ़ी एवं यहां के सेवकों का भविष्य अंधकार में है। पुष्टिमार्ग के इतिहास में यह नया पृष्ठ खुला है जिसने इस सम्प्रदाय को खुला चेलेन्ज दिया है। यह व्यवस्था प्रति क्रियात्मक है, स्वार्थ युक्त है। जिसमें यहां की मर्यादा को कुचलने का दुःसाहस किया है। यह अप्रजातान्त्रिक है। किन्तु हमारा विश्वास है कोटि २ वैष्णव जनता इसका खुले रूप में विरोध कर इसे विफल बनाएगी। पुष्टिमार्ग के करीब ५०० वर्ष के इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करने वाली यह दिल्ली योजना कितनी विघातक और घातक है इसका अनुमान कोई भी समझदार व्यक्ति इनकी शर्तों को पढकर लगा सकता सकता है। हमारी वैष्णव जनता से अपील है कि वह महाराज श्री एवं उनके वंशजों के लिए अभिशाप रूप इस योजना को व्यवस्थित प्रोग्राम और योजना से रद्द कराने में प्रयत्नशील हो। केवल प्रचार प्रोपेगेन्डा एवं नोटिस बाजी से काम नहीं होगा। जब तक व्यवस्थित योजना क्रियात्मक रूप में चालू नहीं की जायगी तब तक यह घातक दिल्ली योजना विफल नहीं होगी।

लेखक—नरेन्द्र कुमार पालीवाल
"आयुर्वेद रत्न– साहित्य रत्न"
नाथद्वारा [राज.]

कमेटी के सदस्यों से हमारा निवेदन है कि यदि वे पुष्टिमार्गीय जनता की भावनाओं का स्वागत करते हैं तथा महाराज श्री उनके वंशज एवं इसके सेवकों के शुभेच्छु हैं तो वे भी अब यहां की मर्यादा के हक्क में अपना विरोध जाहिर कर इस संस्थान की मर्यादा की सच्चे वैष्णवता के नाते इसका विरोध कर रद्द करावें। यदि उनमें सेवा भावना है तो वे सेवक के रूप में सामने आवें, शासक बनकर नहीं। मन्दिर के सेवकों से एवं वृजवासी संघसे हमारा सुझाव है कि वह वर्तमान की बदला बदली के मोहमें फंसकर इस घातक योजया का विरोध करना नहीं भूलें। यदि यहां की मर्यादा सुरक्षित रही तो यह सब कुछ है अन्यथा पीछे पछताना पडेगा।

वर्तमान कमेटी के यहां के दो सदस्यों की सूझबूझ एवं कार्य प्रणाली एवं दर्शन व्यवस्था की हम प्रसंशा करते हैं किन्तु, यह सब उस समय हित कर है जबकि उनकी सद्भावना इस संस्थान की सुरक्षा के हित में यहां की परम्परागत मर्यादानुकूल हो। उन्हें भी यहां के नागरिकता के गौरव रखने के लिए सही कमेटी का निर्माण कर सेवा करें।

यह एक संकट कालीन स्थिति है, जिसका हर वैष्णव विधिवत् विरोध कर रहा है। किन्तु इसके विरोध का उग्ररूप श्रीनाथद्वारा में होना आवश्यक है। किन्तु हम देख रहे हैं यहां के मन्दिर के लोग छोटे से प्रलोभन में पड़ आपस में ही झगड कर अपने मूल ध्येय को भूले हुए हैं। अतः उन्हें जागरूक हो इस घातक योजना का भारतव्यापी आन्दोलन शुरू कर देना चाहिए।

दिल्ली योजना की शर्तों की विस्तृत विश्लेषणात्मक व्याख्या एवं उसको रद्द कराने की योजना फिर लिखी जायगी, किन्तु विरोध की कुछ बातें यहां बतादेना आवश्यक है जिसको कोई भी समझदार वैष्णव रद्द कराने में प्रयत्नशील हो सकता है तथा वर्तमान उदयपुर चल रहे मुकदमें में प्रश्न उपस्थित कर सकता है।

(पृष्ठ २ पर भी पढिये।)

प्रकाश

पृष्ठ ३

अन्तमें हम आनन्दकन्द भगवान श्रीनाथजी के एवम् श्री दाम्भुजानाथजी को प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे मुख्य-मन्त्री को उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान करें। और आपने इस शांत-काल में यहां पधार कर जो कष्ट किया उसके लिए एक बार क्षमायाचना करते हुए आपके शुभाशीर्वाद और सहयोग की कामना करते हैं।

# श्रीनाथद्वारा के विगत वैभव और वर्तमान की करुण कहानी।

विश्व के इतिहास की गौरवशाली युध्द-भूमि हल्दी घाटी और बापा रावल की पुनीत भावनाओं की प्रतिक कैलाशपुरी के मध्य अर्वली की सुन्दर तलहटी में श्रीनाथद्वारा शुध्दाद्वैत ब्रह्मवाद की पुरातन परम्परा को करीब ५०० वर्षों से सुरक्षित रखे हुए है। भक्ति सति मीरा और स्वातन्त्र्य संग्राम के वीर सेनानी राणा-प्रताप के देश मेवाड में पुष्टिमार्ग का गढ नाथद्वारा कोटि २ वैष्णव जनता का आकर्षण केन्द्र बना हुआ है। भौतिकवादी इस युग में भी आज मानव बरबस इस ओर आकृष्ट होकर आही जाता है। यही प्र-मुखता है इस स्थान की कि देशदेशान्तर से यात्रि यहां आकर अपनी आध्यात्मिक भावना को जागृत पाकर भक्ति में विभोर हो उठता है। यह सब आकर्षण श्री गिरिराज धरण का है। भक्त वत्सल आनन्द कन्द भगवान् श्रीनाथजी को श्री वल्लभ सम्प्रदाय के गोस्वामी श्री बडे दाऊजी औरङ्गजेब के अत्याचारों से पीडित हो सर्वप्रथम काटा, चांपा सेनी, तदनन्तर घसियार होते हुए श्रीनाथद्वारा में पधरा लाये। महाराणा श्री राजसिंहजी के समय सम्वत १७२८ मृगसर कृष्ण ३ को श्रीनाथजी नाथद्वारा बधार और फाल्गुन कृष्ण ७ संवत् १७२- को विधिवार को स्थापना की गई उसी दिन से यह पाटोत्सव कहा जाता है।

जबसे श्रीनाथजी यहां बिराजे तब से कोई ऐसी आपति जनक घटना घटित नहीं हुई जो ऐतिहासिक महत्व रखती हो। किन्तु, इसके विपरित वीर भूमी मेवाड में चिर-शांति का साम्राज्य हुआ। श्रीनाथद्वारा जो एक छोटे से ग्राम के रूप में भी नहीं था, आज भारतवर्ष का एक प्रमुख तीर्थ है। जहां वर्ष में लाखों यात्री आते हैं। यहां की विधिवार सेवा, आठ दर्शन [ प्रातःकाल मङ्गला श्रृङ्गार, ग्वाल, राज भोग सायं—उत्थापन, भोग, संध्यारती और शयन] जिनमें भिन्न २ सामग्र का भोग एवं नवीनतम श्रृङ्गार तथा शुध्द प्रणाली पर लगाया हुआ भोग आदि को देखकर ही कोई भी यहां के वैभव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यात्रि-यों के शब्दों में ' Town of inns ' इस बातका घोतक है कि कितना वैभव पूर्ण है यह नगर।

यहां की सुव्यवस्था और वैभव बढाने का मूल श्रेय वर्तमान गोस्वामीजी श्री गोविंदलालजी महाराज के दादा श्री गोवर्द्धनलालजी महाराज को है। जो एक अच्छे व्यवस्थापक, कला प्रेमी तथा कलापारावी व्यक्ति थे। उनके समय में संगीत कला, चित्रकारी और शिल्पकला को प्रोत्साहन मिला। आजभी आकाश वाणी पर यहां के श्री पुरुषोत्तमजी पखावज अपना संगीत पर अपना प्रोग्राम रखते हैं। तथा जर्मनी और स्विटजरलैंड में यहां के प्रसिध्द कलाकर श्री घासीरामजी के तेल चित्र यहां के कलापारखियों के गीत गारहे हैं। यहां के गोस्वामियों ने न केवल मन्दिर की ओरही ध्यान दिया अपितु जनता की हर सुविधा को लक्ष्य में रखकर हाई स्कूल संस्कृत कालेज, कन्या मिडिल स्कूल अस्पताल खोले। छात्रों को छात्र वृतियां बांटी जाती थी और दवाओं का मुफ्त वितरण था। खेद है, आज उन्ही अस्पतालों की दयनीय दशा है यहां दवाई की नाम मात्र व्यवस्था है। क्योंकि अब वह लोकप्रिय सरकार के हाथ में हैं। यहां के बगीचे विगत वैभव की गाथा गारहे हैं।

श्री गोवर्द्धनलालजी के समय में ही उनके सुपुत्र श्री दामो-दरलालजी एक विनोदी विद्वान् शिक्षा शास्त्री असंकुचित विचार धारा वाले उदार चेता के रूप में अपना विशेष महत्व रखते थे। उन्होंने अल्पकाल में ही काशी के विद्वानों को विद्वता से चकित किया। आपकी विलक्षण प्रतिभा स्फूर्ति और कार्य संचालन कला उल्लेखनीय थी। आप अच्छे तैराक, खिलाडी और मौजी महापुरुष थे। किन्तु राजनैतिक षडयन्त्र और लोगों की कला बाजियों ने एक महापुरुष को खोचा। उसी समय श्री रमाकान्त मालवीय नाथद्वारा के व्यवस्थापक नियुक्त किये। जिन्होंने यहां के विधान की रूपरेखा ऐं बनाई और एक विश्व विद्यालय बनाने वाले थे, किन्तु दुर्भाग्य है उन्हें यहां के राजनैतिक तत्वों और स्वार्थियों के षडयन्त्र का शिकार हो नाथद्वारा छोडना पडा।

श्री दामोदरलालजी के स्वर्गस्थ होने और मालवीयजी के नाथद्वारा छोड देने के बादही नाथद्वारा के पतन की करुण कहानी आरम्भ होती है। वर्तमान गोस्वामीजी श्री गोबिंदलालजी उस समय अपनी शैशव अवस्था में थे। श्रीनाथद्वारा अब एक वैभव शाली नगर बन चुका था। उदारचेता महाराणा श्री भोपालसिंहजी हमेशा इस मन्दिर और सांस्कृतिक केन्द्र की सुरक्षा की ओर पूरा ध्यान रखते थे। श्री दामोदरलालजी के बाद यहां कोई सुव्यवस्था पक नहीं होने से तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने समय २ पर विभिन्न व्यवस्थापकों की व्यवस्था की जिनमें से बहुत कम लोगों ने इस नगर और वर्तमान महाराज श्री की उन्नति की ओर ध्यान दिया। बल्कि महाराज श्री को उनके परिजनों से भी दूर रक्खा गया। यहां के आर्थिक शोषण का सम्पूर्ण दायित्व उदयपुर के उन गेर जिम्मे-दार कार्य कर्ताओं का है जिन्होंने महाराज श्री के बचपन का नाजायज लाभ उठाया। सन् १६४१ का खजाना कांड उस समय का ज्वलन्त उदाहरण है, जिसमें कई निरपराध व्यक्ति जेल में ठूंसे गए और फिर परासत हो सरकार को छोडना पडा।

श्रीनाथजी की चमत्कारिता के कारण यहां भारत के विभिन्न प्रांतोंसे यात्री आते रहें है और उस सम्पर्क से यहां राजनैतिक चेतना आरम्भ हुई, फल स्वरूप सर्व प्रथम यहां मेवाड़ प्रजामंडल (वर्तमान कांग्रेस) की स्थापना हुई। जिसके अगुणी श्री रघुनाथजी पालीवाल एवम् श्री नारायणदासजी प्रोफेसर हैं। यह चेतना लोगों तक सीमित न रह कर देशव्यापी बन आबालवृध्द नरनारी तक फैली। फल स्वरूप सन् १६३८ का नाथद्वारा आन्दोंलन राजस्थान के स्वर्णाक्षरों में अङ्कित करने योग्य है। तात्पर्य यह कि नाथद्वारा

⇨ 6

करें। वर्तमान युग में विचारों का स्वातंत्र्य है। वे विचार युक्ति संगत और सविनय सार्थक होने चाहिए।

जामनगर ४-१२-६३

गों०–व्रजभूषणलाल

अध्यक्ष,

श्री नाथद्वारा प्रकरण समिति

प्रतिलिपि सेवा में

(१) श्री मद्गोस्वामि तिलकायत श्री गोविन्द-लालजी महाराज, बंबई।

(२) श्रीमद् गोस्वामि श्रीव्रजरायजी महाराज, अध्यक्ष अ० भा० पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद, राजनगर।

(३) प० भ० श्री गोपालदासजी झालानी इंदौर परिषद् सन्देश में प्रकाशनार्थ।

---

## आदर्श भगवदीय श्री वाडीलाल न. शाह का निधन

## —एक कठोर वज्रपात—

संप्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान् और आदर्श वैष्णव बंबई के श्री वाडीलाल नगीनदास शाह बी. ए. एल एल. बी. एडवोकेट के ता. १३-१२-१९६३ को सहसा 'हरिशरण' हो जाने के समाचारों से सर्वत्र अत्यंत वेदना हुई है। भगवद्धर्म, सौजन्य एवं विनम्रता की मूर्ति श्री वाडीलाल भाई के संपर्क में जो आये वे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। सम्प्रदाय ने एक सच्चे लेखक, प्रकाशक, प्रचारक, विद्वान् धर्मानुरागी महानुभाव को खो दिया है। श्री वल्लभविज्ञान् श्री वाडीलाल भाई के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करता है।

**बंबई में जाहिर शोक सभा**:—श्री पुष्टिमार्गीय युवक परिषद्, श्री कृष्णाश्रय मंडल, श्री वैष्णव समाज केसरिया मंडली, श्री भारतवर्षीय गोपाल गोरक्षक मंडल, श्री भक्ति मार्गीय वाचनालय और श्री गोकुलेश सेवक समाज बंबई के तत्वावधान में गोस्वामि कुलावतंस पूज्यपाद गो. श्री १०८ श्री रणछोडलालजी महाराज 'प्रथमेश' के प्रमुखत्व में बंबई के वैष्णवों की जाहिर सभा ता. १९-१२-६३ को श्री सात स्वरूप की हवेली में हुई। प्रस्ताव में कहा गया है कि सभा पुष्टिमार्गीय युवक परिषद् बंबई के प्रमुख, सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री हरि गुरु वैष्णव सेवा परायण, प.भ. श्रीयुत वाडीलाल नगीनदास शाह एडवोकेट का शुक्रवार ता. १३-१२-६३ को हुए देह विलय से सम्प्रदाय और वैष्णव समाज को श्री भगवत्सेवानुरागी, आदर्श वैष्णव गृहस्थ, साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के मर्मज्ञ विद्वान्, सम्प्रदाय के साहित्य के लेखक और प्रकाशक तथा अनुभवी प्रौढ़ कार्यकर्ता की, पूर्ति न हो सके ऐसी कमी हुई है तदर्थ अपना वियोगजन्य हार्दिक शोक प्रकट करती है। प्रस्ताव में श्री वाडीलालजी के कुटुम्बियों एवं आत्मीयों के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना व्यक्त करते हुए श्री हरि से प्रार्थना की गई है कि वे श्री वाडीलालजी की दिव्यात्मा को अपने चरणारविन्द में स्थान एवं स्वरूपानन्द प्रदान करें।

**श्री ईश्वरलाल मगनलाल शाह का देहावसान**–सूरत से श्री शास्त्री चीमनलालजी सूचित करते हैं कि "सम्प्रदाय के साक्षर मार्मिक सिध्दान्तों के ज्ञाता मेरे मित्र ईश्वरलाल मगनलाल शाह १९-१२-६३ गुरूवार को गौ. वासी हुए हैं, इससे हमें और संप्रदाय को बडी क्षति हुई है। संप्रदाय में ऐसे विद्वानों के स्थान की पूर्ति नहीं होती। ब्रह्मवाद, मायावाद जैसे ग्रंथों को लिखनेवाले विद्वान् साक्षर की क्षति हुई है। ये शु. महासभा के मानदमंत्री भी थे एवं स्थानिक शु. महासभा के उप–प्रमुख। शु. महासभा में उनकी सेवाएं अनन्य थीं।

नहीं है और नाथद्वारा पधारे बिना श्रीनाथजी की सेवा स्मरण हो नहीं सकता।

इसी तरह पद लोलुपता के कारण वर्तमान पदाधिकारी मिथ्याभिमान में वास्तविक वैष्णव के मूल सिद्धान्त को ठेस लगाते हैं।

अतः मेरी तो श्री तिलकायत महाराज श्री से कर बद्ध प्रार्थना है कि आप श्रीमान् शीघ्रातिशीघ्र श्रीजी बावा का स्मरण करके श्री जी द्वार पधारें। हम आपके अंग गोस्वामियों को एवं हरि-गुरु चरणानुरागी वैष्णवों को जोर से आज्ञा दीजिये कि नाथद्वारा आवें और आनन्द से श्रीजी बाबा की सेवा करें। हम गोस्वामि भी आपकी परचार-की में हाजिर रहें। गृह सेवा के रूप में यदि स्वयं सेवा की जायगी तो श्रीजी की कृपा से सारी उलझनें समाप्त हो जायेंगी। सारे अधिकार विचारों द्वारा नियत होते हैं। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिम्ब है। सफलता, अस-फलता, उन्नति, अवनति, तुच्छता, महानता सुख दुख, शान्ति, अशान्ति, आदि सब पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। अतः विचारों द्वारा अधिकारों का दास बने रहने के बजाय अधिकारों को अपना दास बनाया जाना ज्यादा हितकर होगा। भगवान्‌वल्लभ ने अधिकारों की छीना-झपटी से संप्रदाय एवं धर्म पर साम्राज्य नहीं किया था, पर असीम तप और निष्ठा से मानव के हृदय सम्राट् हुए थे। जो आशा के दास हैं उन्हे सारे संसार के ही दास समझना चाहिये। किन्तु आशा जिसकी दासी है उनका अनुचर विश्व हो जाया करता है। भगवान् वल्लभाचार्य ने हमको और हमारे द्वारा वैष्णवों को वह अपार आत्मशक्ति एवं दृढ़ विश्वास रूपी आत्मबल का दान किया है कि उस आत्मबल से माहात्म्य का दिग्दर्शन नहीं कराया जाता बल्कि भगवत् साक्षात्कार प्राप्त होता है।

एतदर्थ पुनः पुनः मेरी श्री तिलकायत महा-राज के चरणों में यहीं प्रार्थना है और नाथ द्वारा प्रकरण समिति की तरफ से भी अ० भा० पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के शुभाञ्चल में यही निवेदन है कि उपरोक्त विचारों पर संपूर्ण ध्यान देकर परि-स्थिति एवं समय को अपने अनुकूल बनाया जाय।

(१) समय से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं।
(२) हृदय से बढ़कर कोई प्रचारक नहीं।
(३) संसार से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं।
(४) ईश्वर से बढ़कर कोई मित्र हितैषी नहीं।

### परिषद्-प्रचार

समग्र भारत में परिषद् का व्यापक प्रचार तभी शक्य हो सकता है कि जब प्रचारक नियमित रूप से प्रान्तवार प्रचार का का कार्य संभाल लें।

इसमें चार प्रश्न विचारणीय रहते हैं।

(१) कुशल प्रचारक (२) प्रचारक योग्य क्षेत्र (३) प्रचारक का जीवन और (४) प्रचारक का ज्ञान। इन चारों प्रश्नों को सुलझाकर यदि प्रयत्न किया जाय तो मैं मानता हूं कि आज बीते वर्षों में जो सफलता प्राप्त नहीं कर सके वह सफलता अचिरेण ही प्राप्त होगी।

उपरोक्त मेरे विचारों से परिषद के अध्यक्ष महोदय एवं कार्य कारिणी समिति के सदस्य सहमत हों तो प्रचार की सुविस्तृत रूप रेखा सेवा में प्रेषित करने का प्रयत्न करूं एवं आर्थिक सामाजिक शारी-रिक जो भी सहयोग मुझसे हो सके उसमें भी प्रयत्नशील रहूं।

सर्वेश्वर सबों को सद्‌बुध्दि प्रदान करें।

मेरे निवेदन में यदि कहीं किंचित् मात्र त्रुटि एवं गलती हुई हो तो उसे विशाल हृदय से क्षमा

कुछ दिनों से राजस्थान के पत्रों ने इस विषयको राजस्थान कांग्रेस की दलबन्दी के अन्तर्गत राजनैतिक रूप दे दिया है और इस विषय को लेकर काफी कीचड़ उछाला जा रहा है। यह कार्य अत्यन्त घृणास्पद है।

इससे हमारे सम्प्रदाय एवं प्राणवल्लभ श्री नाथजी तथा हमारे पूज्यपाद आचार्य चरणोंके सम्मान को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हम इस विषय में अपना भारी विरोध प्रकट करते हैं।

जो लोग यह मिथ्या प्रचार करते हैं या करने में सहायता पहुचाते हैं वह कभी भी हमारे सम्प्रदाय के प्रतिनिधि नहीं हैं। एवं न उन्हें हमारे सम्प्रदाय के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार है। ऐसे लोगों ने कभी सम्प्रदाय के ग्रन्थों का अवलोकन नहीं किया है, न उन्हें श्री नाथजी श्री नवनीत प्रियाजी, एवं श्री आचार्य चरणों के स्वरूप का ही ज्ञान है और न इनकी अभिन्नता का ही कुछ भान है।

हमारा सम्प्रदाय पूर्ण भक्ति भावना मय है। यदि भावनाको त्याग दिया जाय तो इस में कुछ भी बाकी नहीं रहता। यह लोग भौतिकवादी हैं; न इन्हें धर्म से प्रेम है, न श्रीनाथजी से। यह लोग केवल प्रतिष्ठा के भूखे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में हमारे सम्प्रदाय की बागडोर कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है।

राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री सुखाडिया जी ने शुद्ध भावना से इस धार्मिक स्थान की व्यवस्था के लिये एक सुन्दर (Scheme) योजना श्रीमान् तिलकायत महाराज श्री के सहयोग से बनाई है और इसमें हम वैष्णवों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। हम सब लोग इस योजना से पूर्ण सहमत एवं संतुष्ट हैं।

आप इस विषय में किसी भी निर्णय पर पहुँचने के पहले हमारे सम्प्रदाय के पूज्यपाद वयोवृद्ध आचार्य चरणों से एवं भावुक वयोवृद्ध वैष्णव महानुभावों से मिलकर उनकी सम्मति लेकर ही कोई निर्णय करें।

ऐसी प्रार्थना हम वैष्णववृन्द बार-बार करते हैं। समय प्रदान करने पर हमलोग अपना प्रतिनिधि मंडल भेजकर इस विषय पर अधिक रूप में सप्रमाण शास्त्र सम्मत भावपूर्ण साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को आपके सम्मुख रखने को तैयार हैं; जिस विषय की पूर्ति इस संक्षिप्त पत्र द्वारा कुछ भी नहीं हो सकती है। विशेष किमधिकम्।

दिनांक........

प्रतिलिपि श्री यू. एन. ढेबर कांग्रेस प्रेसीडेन्ट न्यू देहली — हम हैं आपके,

प्रतिलिपि चीफ मिनिस्टर राजस्थान जयपुर

॥ श्रीनाथ जी ॥

श्रीमान् माननीय **गृहमंत्री की सेवा में**

भारत सरकार, न्यु देहली। ।

माननीय महोदय

हम ………… के वैष्णव आपकी सेवा में यह प्रार्थना पत्र उपस्थित करने को बाध्य हुए हैं। क्योंकि हमारे प्राणस्वरूप आराध्य देव श्रीनाथद्वारा के श्रीनाथ जी तथा हमारे परमपूज्य गुरुदेव श्री तिलकायत महाराज के ऊपर ४७७ वर्ष के पश्चात् महान संकट उपस्थित कर दिया गया है।

बम्बई के कुछ अपने को वैष्णव कहने वाले सज्जनों ने कई मीटिंगों में परम पूज्य श्री तिलकायत महाराज के विपरीत विषाक्त वातावरण पैदा कर दिया है जो कि वास्तविकता से बहुत ही दूर है। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं पर भारी आघात पहुँचा है।

कुछ विघ्न सन्तोषियों ने बम्बई के और जयपुर के समाचार पत्रों द्वारा हमारे आचार्य श्री गोविन्द् लाल जी महाराज एवं आराध्य देव श्रीनाथ जी एवं हमारे आचार्य गो० ति० श्री गोविन्द् लाल जी महाराज के विरुद्ध अनर्गल प्रचार शुरू कर दिया है।

इससे भी हमारी धार्मिक भावनाओं को महान् क्लेश पहुँचा है। हमको विदित हुआ है कि अब यह विषय आपके सन्निकट उपस्थित हुआ है। इससे हम लोगों को बहुत ही सन्तोष हुआ है। आप पूर्ण धार्मिक विचार रखते हैं। और हमारे सम्प्रदाय तथा श्रीनाथ द्वारा के इतिहास से भी अत्यन्त परिचित हैं। क्योंकि इसका विशेष सम्बन्ध व्रजभूमि के कारण आपके प्रान्त उत्तर प्रदेश से है।

माननीय स्वर्गस्थ सरदार पटेल ने जब वर्तमान श्री तिलकायत महाराज श्री को सन् १९४९ में न्यु देहली में अपने पास पधराये थे तब आप भी वहाँ उपस्थित थे। सद्गत सरदार के इस सम्प्रदाय तथा श्री तिलकायत महाराज के प्रति जो विचार थे उनसे आप पूर्ण परिचित हैं। हम आपके न्याय में पूर्ण विश्वास रखते हुए आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे सम्प्रदाय, हमारे प्राणनिधि श्रीनाथजी एवं हमारे पूज्य आचार्यश्री के बारे में जो भी व्यवस्था विचारें वह पूर्ण न्याय संगत एवं लोक तंत्रात्मक हो। इसमें सिर्फ चिल्लाने वालों की आवाज (Press, Platfarm and Propaganda) को ही महत्व न दिया जाय।

भारत एवं विदेशों में एक करोड़ से अधिक वैष्णवों की संख्या है जिसमें अधिक तम ग्रामों में निवास करते हैं, जिनको इन शहरी प्रचारकों की चालका किंचित् मात्र भी आभास नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में कुछ इने गिने सम्प्रदाय-विरोधी एवं आचार्य-विरोधी तत्वों के प्रचार को ही ध्यान में रखकर कोई योजना बनेगी तो इससे हमारे कोटि कोटि धार्मिक भावना वाले वैष्णवों को प्राणान्त कष्ट होगा और यह बात धार्मिक पक्षपात बिहीन हमारी सरकार की नीति के भी विरुद्ध होगी।

इनकी नीति से तंग आकर वैष्णवता का बाना रखने वाले, मार्ग के सिद्धान्त को समझने वाले, अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा रखने वाले कमेटी के अनेकों सदस्यों ने इनका विरोध किया और असहयोग किया है। बेहद नाराजी दिखलाई है यहां तक कि वैष्णव कमेटी के दो दल हो गए। आपसका समझौता कराने के लिए राज० के प्रधान मंत्रीजी ने काफी कोशिश की। जब कोई हल न निकल सका तब विवश होकर नई योजना और नई कमेटी बनाई गई। सरकार ने उसकी स्वीकृति देदी। तमाम भारत के बड़े बड़े शहरों के वैष्णव उसमें सदस्य चुने गए। सब कुछ तय होगया। कार्य आरंभ होने का समय आते ही आपने केवल अपना प्रभुत्व जमाने की नीति से रोड़े अटकाने शुरू किये, प्रधानमंत्री श्री सुखाड़ियाजी पर घूंस खाने का दोषारोपण किया गया, भोले भाले वैष्णव व अज्ञान जनता को झूठ सच बर्गलाकर गवर्नमेंट के अधिकारियों को उभाड़ कर हाइकमाण्ड से हुक्म प्राप्त करके उस स्कीम को और कमेटी को रद्दी ठहरा दिया गया। क्यों ? इस लिये कि उसमें आपका प्रभुत्व न था। आपको तो किसी भी तरह नाथद्वारा ठिकाने का सर्वे सर्वा बना रह कर ठिकाने की मर्यादा और सम्प्रदायकी प्रणालिका को तहस नहस करके इसे पब्लिक ट्रस्ट के सिपुर्द करना है।

सावधान सम्हल कर कदम रखना! अभी भी भारत के वैष्णवों का वैष्णवत्व गया नहीं है। अब भी श्रीनाथजी के एवं उनके तिलकायत के अनुयाई हैं, निष्प्राण नहीं होगए हैं। सारा वैष्णव समाज अपने इष्ट देव श्री गिरिराज धरण के सुख के लिये उनके तिलकायत श्री की मर्यादा के लिए सम्प्रदायकी प्रणालिका के लिए एवं ठिकाने को अवैष्णवों से बचाने के लिए अपने रक्त का एक एक बूंद देने के लिए तिलमिला उठेगा। भारत के कौने कौने से वैष्णव दल अनीति का विरोध करेंगे और अपने इष्ट देव को अवैष्णवों के हाथ से बचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे।

आप यहां के प्रबन्धक होना चाहते हैं, बड़े आनन्द से आइये तिलकायत श्री ने तो पहिले ही आपको सर्वे सर्वा बना दिया था और अब भी अगर आप वैष्णवत्व का बाना रख कर, सम्प्रदायकी मर्यादा समझ कर गुरु और गोविन्द को एक मान कर श्रीनाथद्वारा को एक मात्र गोस्वामी बालकों एवं वैष्णवों का स्थान बना रहने देने की नीति से, मालिक नहीं सेवक बन कर सेवाके भाव से शुद्ध हृदय से कार्य करना चाहते हैं तो हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। तिलकायत श्री आपको अपना अंग समझेंगे, नाथद्वारा के सेवा वाले एवं प्रजा आपको देख कर कृत कृत्य होगी, किन्तु फिर भी आपसे निवेदन है कि कापूं कापूं और जोड़ूं जोड़ूं की नीति को भूल जाना होगा। श्री नाथद्वारा ठिकाना एक रियासत है, बनिये की दुकान नहीं है श्रीजी की सेवा एक महान यज्ञ है। श्रीनाथजी यज्ञ भोक्ता हैं, उत्तम से उत्तम सामग्री मंगाइये, नित नए मनोरथ कराइये, सेवक टहलुवों को श्रीजी का अंग समझिये। गौमाता की समृद्धि कीजिये, तिलकायत माहाराज को हर तरह से प्रसन्न रखिये, उनको तथा उनके परिवार को श्रीजी के अनुरूप समझिये। विश्वास रखिये यहां धन की कोई कमी नहीं है। श्रीजी के दरबार में लक्ष्मी हर समय पांव पर लौटती रहती है, श्रीनाथजी के लिये वैष्णव समाज अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए प्रस्तुत है, एक इशारे पर ही हजारों क्या लाखों रुपये श्रीजी के लिए क्षणों में एकत्रित हो सकते हैं। कभी भी धनाभाव का अनुभव नहीं होगा, चारों ओर भंडार भरे रहेंगे, विश्वास रखिये, श्रीजी अपना राज्य स्वयं करते हैं। जीव तो निमित मात्र है, सङ्कल्प करना ही जीव के हाथ है; उत्तम सङ्कल्प कीजिये, श्री जी और उनके तिलकायत आप पर प्रसन्न होंगे, आपका कल्याण होगा, आप निर्विघ्न होकर सदा सर्वदा यहां बने रहेंगे जिधर जाएंगे उधर आपकी वाह वाह होगी, आपका सुयश सारे संसार में फैल जायगा।

आशा है आप इस पर ध्यान देकर भयानक संघर्ष के पथ से विरत हो जायेंगे।

विजयादशमी
सं० २०१२ विक्रमी

विनीत, नाथद्वारा वैष्णव मण्डली की ओरसे—
मधुसूदन दास काशीवाला

श्री कल्याण प्रेस, काँकरोली

आपके प्रतिनिधियों से बार बार कहा गया कि आमदनी बढ़ाइये, रूपयों की कमी नहीं है, खर्च कुछ भी बेवाजबी नहीं लग रहा है, इसे कम करने की बात न सोचिये, मगर सुनता कौन है, यहां तो बधा चोर छे, लूटीने खाय छे; कापो अने काढो की धुन सवार थो। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई, गुण्डेशाही को प्रोत्साहन मिला, जिसने कुछ भी हु–हा–मचाई, धमकी बताई, आंख दिखाई, उसने चैन किया। जो जरा दबा उसे हर तरह से दबा कर सब तरह से गला घोंट नीति अखत्यार की गई। तमाम नाथद्वारा आपको हिकारत की नजर से देखने लगा। पीठ पीछे आपको हजारों गालियां पड़ने लगी। आप के नियोजक यहां के रहवासियों को इतना खंखेड़ा गया कि बेचारों को कई बार सिर पैर बचाना मुश्किल हो गया। सब कुछ हुआ मगर आप यहां बने रहने दिये गए, क्योंकि तिलकायत श्री द्वारा आप अधिकृत थे इसीलिये।

आपको मालुम है कि यहां तंगी का अनुभव क्यों हुआ। आपको यहां बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? जानते हैं! पाकिस्तान होने से आमदनी की लम्बी रकम कम हो गई, जागीरी की आमदनी गवर्नमेंट द्वारा एक दम रोक दी गई; लड़ाई की आग बुझने के बाद से ही स्वराज्य आन्दोलन में देश की प्रजा आर्थिकता से कमजोर हो गई, चारों ओर से धक्का लगा। इधर खर्च महंगवारी के कारण चौगुना हो गया। आमदनी घटती गई, खर्च बढ़ता गया।

तिलकायत श्री नाबालिक थे। हाथ में अधिकार आते ही आफतें दिखलाई पड़ने लगीं, फिर भी आपने यह स्थिति को काबु में लाने की काफ़ी कोशिश की, बरसों तक अपना नित्त का खर्च संभवतः कम करके श्रीनाथजी, वृजवासी, गौमाता, यहां तक के किसी जीव को भी जरा जरा भी कमी का अनुभव न होने दिया। अन्त में जब परिस्थिति बे काबु हो गई ठिकाना मकरूज हो गया। तब आपका सहयोग चाहा और अपना सब कुछ त्याग कर आपको सर्वे सर्वा बना दिया आपने क्या किया, जरा सोचिये। बिजली घर अपने भाग्य की ओर आपको भी कोसता है। २१कोट-याधिपतियों के होते हुए भी इसका जीर्णोद्धार न हुआ। १ की जगह ४ खर्च लगने पर भी शहर और धर्मशालों की तो बात क्या निज मंदिर में भी प्रायः अन्धकार का राज्य हो जाता है। तमाम लाइनें ही नहीं एन्जिन भी बेकार होता जा रहा है। यहां का प्रेस (यन्त्रालय) विद्या विभाग और पुस्तकालय जो मार्ग के सिद्धान्तों के परिज्ञान कराने का महान साधन है निकृष्ट अवस्था में जीवन बिता रहा है। उसके ओर बार बार चिल्लाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। बागानों की हालत ज्यों की त्यों शोचनीय है ही, बारह बागों के होते हुए श्रीनाथजी के शाक भण्डार को शाक भाजी फल फूल के लिये बजार का आश्रित बना रहना पड़ता है।

मोटर कारखाने के मद में करीब १५०००) व्यर्थ पानी में फेंक दिये गए, फिर भी यात्रियों के आवागमन की सुविधा एवं सामग्री लाने में कोई सहुलियत नहीं हुई।

अब आपकी आर्थिक उनन्ति करने की बात सुनिये। आप डींग मारते हैं, तीन लाख रुपयों का कर्ज चुकाया है, मैं पूछता हूं इसमें आपकी क्या बहादुरी थी। नीचे के आंकड़ों पर दृष्टि करने से समस्त संसार को मालुम हो जायगा कि सब कुछ श्रीजी की इच्छा से स्वतः हुआ है आपने ठिकाने का भला करने के लिये कुछ भी प्रयत्न नहीं किया है। करीब ३५००००) का कर्ज ठिकाने पर था उसमें करीब ६५०००) तिलकायत श्री चुका चुके थे बकाया २८५००० करीब आपने किस तरह चुकाया यह समझने की चीज है। रू० ८७०००) व्यापारियों को कम देकर ठिकाने की प्रतिष्ठा का नाश किया। ६१०००) रू० का सोना चांदी बेच दिया गया। १२ ८ ० के हरे हरे श्री जी के उपयोग में आने वाले चन्दन के वृक्ष बराबर मना करने पर भी यवनों के हाथ बेच दिये गये। करीब दो लाख रुपये श्री नवनीत प्रियाजी का नेग भोग कम करा कर एवं उन्हें श्रीजी से अलग करके बचा लिये गये। इस आंकडे को देखने से यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि करज चुकाने के बहाने ७५०००) की बचत कर ली गई।

अब आपकी बचत का नमूना देखिये!

करीब १२५०००) बाजार भाव घट जाने से स्वतः बच गया; करीब १०००००) का घास की फ़सल अच्छी हो जाने से नहीं खरीदना पड़ा, करीब ७४०००) का पुराना स्टाक श्री कृष्ण भण्डार के कोठे का खर्च कर दिया गया। इस प्रकार करीब २०००००)दो लाख रुपये प्रकृति ने श्री जी के अनुग्रह से स्वयं बचा दिये। अब संसार देखे कि इन डींग मारने वालों ने ठिकाने के लिये क्या किया। हम आपको स्पष्ट रूप से बतला देते हैं कि यहां के अधीश्वर तिलकायत श्री को बार बार परेशान और अपमानित करने श्री नाथजी के मुखियाजी का अविश्वास कर के बार बार उन्हे यहां की मर्यादा तोड़ने के लिये विवश करने यहां के गौ वृज वासियों के हक्कों को मिटाने और ठिकाने की मर्यादा को मिटा कर उसे अवैष्णवों के हाथ सिपुर्द कर देने का प्रयत्न करने के अतिरिक्त इन प्रबन्ध का मुख्यत्व करने वाले, वैष्णवता का दंभ रखने वाले, एवं संसार में अपनी बहादुरी का डंका पीटने वाले धर्मध्वजियों ने कुछ नहीं किया है।

### —: श्री नाथद्वारा प्रबन्ध में :—

# अपना साम्राज्य बनाए रखने के लालसु सेठ साहेब-

तनिक ठण्डे माथे से, वैष्णवता न सही मनुष्यता का ध्यान रख कर भगवान न सही जनता जनार्दन के भावों का विचार करके अपने प्रेम का एक तुच्छ सेवक समझ कर जो कुछ कहा जारहा है उसे सुनकर उस पर ध्यान दीजिये तभी आपका कल्याण है वरना यह श्रीनाथजी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े धुरन्धर यहां के प्रबन्ध के ठेकेदार बनने के लिए आए उनका कहीं नामो निशान नहीं है, श्रीजीतो अपना राज्य स्वयं करते हैं, सिवाय अपने बनाए हुए तिलकायत श्रीके और किसी का किया इन्हे भाता ही नहीं है और यह निश्चय समझियेगा कि यह तिलकायत श्रीके ही दयालुता और कृपा का कारण है कि आप इतनी उछल कूद मचा सके हैं वरना इनके एक इशारे पर सारे भारत का वैष्णव समाज खलबला उठेगा, फिर किसी सत्ता की ताकत नहीं जो एक मात्र वैष्णवों के परम आराध्य देव श्री गिरिराज धारण या उनके महान आचार्य तिलकायत श्रीके किसी भी कार्य में दस्तंदाजी कर सके। श्रीनाथजी – आचार्य शिरोमणि श्रीमद्वल्लभाचार्यजी के ठाकुरजी हैं। उनके कुल, उनके शिष्य और उनके सिद्धान्त के परम अनुयाइयों का ही सदा से यहां सत्व रहा है और रहेगा।

मैं पूछता हूँ आपको यहां बुलाया किसने ? यहां के प्रबन्ध एवं उन्नति की फिक्र पहिले किसने की, क्या बिना बुलाए आपको यहां कोई बात भी पूछ सकता था ? तिलकायत श्री यदि यहां का सर्वस्व लुटाकर मौज करना चाहते तो उन्हें आपको बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी। आप श्री को जब यहां की गिरती परिस्थिति का अनुभव हुआ तब उन्होंने ही इस स्थान को सब तरह से समृद्ध और सुसम्पन्न बनाने की नियत से नेक सलाह और सहकार के लिए अपने घर का परम सेवक और श्रीनाथजी का अनन्य भक्त समझ कर आप लोगों को यहां बुलाया, आते ही आपने मालिक बनने की चेष्टा आरंभ करदी, आप अपनी वैष्णवता अपने गुरु के स्वरूप का ज्ञान भूल गए। आप पर अधिकार लोलुपता सवार होगई।

श्रीनाथद्वारा स्थान की मर्यादा, यहां की स्मृद्धि की सुरक्षा एवं अपने इष्ट देव श्री गोवर्धन धरण के उत्तरोत्तर आनन्द वृद्धि का विचार करके तिलकायत श्री ने ही आपका कहा सब कुछ मान कर अपने समस्त अधिकार आपको देदिये और जब आपने मनमानी की हद करदी तब विवश होकर: मेरा कुछ भी हो, स्थानतो समुन्नत होगा, यहां की प्रजा तो सुख पाएगी, गौमाता को तो आनन्द रहेगा, श्रीजी को तो इन वैष्णवों द्वारा नित नए लाड़ लड़ाए जांयगे, यह समझ कर, यहां का सब कुछ आपके भरोसे छोड़ कर तिलकायत श्री परदेशी बन गए। जब उन्होंने यहां आकर रहने का प्रयत्न किया आपने स्वयं अपनी राजशाही बनाए रखने की दूषित मनोवृति से कुछ न कुछ नया करके उनको बेहद नाराज करके, यहां से चले जाने में योग दिया। उन्होंने फिर भी अपनी बेहद दयालुता का परिचय दिया, मौन रह कर सब कुछ सहन किया जरा भी नजर फेर लेते तो आपको आटे दाल का भाव मालुम पड़जाता।

धन्य हैं तिलकायत श्री आपके आचार्यत्व को, आपकी क्षमा को, आपकी सहनशीलता एवं दयालुता को, आपके धैर्य को, आपकी सहिष्णुता को कोटानकोटि बार धन्य है। और आपके बनाए हुए इन अभिमान के पुतलों को क्या कहें, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का ध्यान भुला दिया, अपने धर्म की बात गौण करदी, अपने आचार्य की वाणी अपने पूर्वजों की मनोवृति, अपने कुलाराध्य श्री गोवर्धनधरण के सुख का विचार, सब कुछ बालाए ताक रख कर जो कुछ यहां था या है उसे समूल नष्ट कर देने [illegible] नीति ग्रहण करली और फिर तुर्रा यह कि ठेकेदार बनते हैं यहां की बड़ी भारी समुन्नति और समृद्धि कर [illegible] की।

मैं पूछता हूं जनाब,आली आपने यहां के प्रबन्ध के सर्वेसर्वा बन कर कौनसा सुयश किया ? कितने अधिकी मनोरथ कराए, श्री जी को कौन से लाड़ लड़ाए आप के समय में कितनी अधिकी सामग्री श्रीजी अरोगे, कौन से नए कारखाने यहां खुले। बागों की क्या उन्नति हुई, यहां की गौशाला का [illegible], यहां कौनसी खुश हाली हुई, कौनसी नई आमदनी का रास्ता आपने किया, किस चीज का आपने सुधार किया, आप कुछ भी जवाब नहीं दे सकते! उलटे आपने अपनी कारगुजारी दिखलाने का विचार कर खर्चा में कमी करने की नीति से श्रीजी के सामग्री के लिए निकृष्टतम वस्तुएं उपयोग में लाकर हजारों रूपयों का श्रीजी का कभी न खराब होने वाला महा प्रसाद सड़ा बोल कर कुए में फिकवाया, पुश्त दर पुश्त से श्री नाथद्वारा ठिकाने [illegible] वाले लोगों को निकाल [illegible] करके बेकारी को प्रोत्साहन दियो। हजारों रूपयों की कीमत डीजल ट्रक और उनका गैरेज [illegible] में खो दिया श्रीजी के सब तरफ के गोदामों में भरी हुई चीजों को मिट्टी के दाम में बेच कर सीगों में कमी की गई। अपनी नादिर शाही दिखलाने जाकर ५००००) की कीमत का पर्वटी का बाग खो दिया। पास के तमाम जंगलों के हरे हरे पेड़ कटवा कर लकड़ियों का काम चलाया गया। आदमियों के ही नहीं गौमाता, [illegible], अपाहिजों तक के खुराक में कमी कर दी गई।

# —: प्रकरण समिति का कार्य विवरण :—

●

१२–५–५६ को पोरबन्दर स्थित माधव भवन में श्री नाथद्वारा प्रकरण समिति की बैठक पू० पाद गोस्वामी श्री ब्रजभूषणलालजी महाराज की अध्यक्षता में हुई। सर्व सम्मति से निम्न निर्णय लिये गये—

१. नाथद्वारा प्रकरण समिति की कोई भी बैठक १५ दिनों से कम की सूचना पर नहीं बुलाई जाय।

२. सूचना कार्यक्रम की सूची के साथ प्रेषित की जाय।

३. राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियमित श्री नाथद्वारा मंदिर कानून के शान्तिमय प्रतिकार के हेतु जो प्रार्थना करने के लिये १०००० वैष्णव नाथद्वारा जाने वाले हैं उनका पहला जत्था पू० पा० गो० श्री द्वारकेशलालजी के नेतृत्व में ज्येष्ठ शुक्ला १४ तदनुसार १६ जून को नाथद्वारा जायगा। इस जत्थे में ५०० वैष्णव होंगे तथा जत्थे को नेता के निर्देशानुसार आचरण करना होगा। एवं प्रकार अनेक जत्थे काल क्रम से जाते रहेंगे। प्रथम जत्थे के प्रस्थान की सूचना १५ दिन पूर्व राजस्थान सरकार को देदी जायगी।

## ❀ सूचना ❀

श्री नाथद्वारा प्रकरण समिति
C/o अ. भा. पुष्टिमार्गीयवैष्णव परिषद (रजि.)
कार्यालय, एस बी. शर्राफा मार्केट, चांदनी चौक
दिल्ली द्वारा प्रेषित।

प्रिय भाईजी,

श्री हरि स्मरण !

विगत १५ मई को श्री नाथद्वारा प्रकरण समिति को बैठक जो पोरबन्दर में हुई उसकी कार्यवाही का वर्णन आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। उक्त बैठक में निश्चय किया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियमित नाथद्वारा मन्दिर कानून के शान्तिमय प्रतिकार के हेतु श्री नाथजी की प्रार्थना कराने के लिये ५०० वैष्णवों का पहला जत्था पू. पाद गोस्वामी श्री द्वारकेशलालजी के नेतृत्व में ज्येष्ठ शुक्ला १४ तदानुसार १६ जून को श्री नाथद्वारा जायगा जिसको नेता के निर्देशन के अनुसार आचरण करना होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आपके क्षेत्र से जो व्यक्ति जाने को इच्छुक हैं उनसे निम्न प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराकर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष १४ को पूर्व परिषद के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिये।

भवदीय

१८–५–५६.

देवेन्द्रदत्त द्विवेदी

## ❀ प्रतिज्ञा–पत्र ❀

मैं.................................................(पूरा पता).................................

.................................................प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्री नाथद्वारा मन्दिर कानून के शान्तिमय प्रतिकार के हेतु प्रार्थना करने श्री नाथद्वारा जाने वाले जत्थे में सम्मिलित होकर जत्थे के नेता के आदेशानुसार आचरण करूंगा। यदि मैं अन्यथा व्यवहार करूं तो उसकी जवाबदेही मेरी होगी।

हस्ताक्षर शाखा मन्त्री

हस्ताक्षर प्रतिज्ञाकर्त्ता

तिथि.....................

तिथि.....................

भारत के समस्त अग्रगण्य पुष्टि मार्गीय वैष्णवों ने, विद्वानों ने खेडूतों (ग्राम वासियों) ने श्रेष्ठिवर्गों ने और सामान्य जन समुदाय ने व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से भी सरकार को पत्र लिखे, तार दिये, अनुनय किये, अनुरोध किये, भारत के प्रायः समस्त गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू के अग्रगण्य समाचार पत्रों में इस आंदोलन के समाचार भी प्रकाशित हुये। इस देश व्यापी आंदोलन का सविस्तार वर्णन "Impasse at Nathdwara" अंग्रेजी पुस्तिका में किया गया है। इस पुस्तिका का गुजराती एवं हिंदी रूपान्तर भी उपलब्ध है। प्राप्ति स्थान : **केन्द्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद् 'रजिस्टर्ड' मानधना भवन, चौपासनी मार्ग, जोधपुर।**

अस्तु ताः २ अक्टूबर १९६५ को सांझ के करीब चार बजे यह नाथद्वारा संशोधन विधेयक राजस्थान विधान सभा में अंतिम चर्चा के लिये प्रस्तुत हुआ। विधान सभा का अशासकीय विधेयकों की चर्चा के लिये यह अंतिम दिवस था। विधान सभा का प्रेक्षक कक्ष भारत के प्रायः समस्त प्रमुख प्रदेशों जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान, गुजरात के नगरों से यथा कोटा, नाथद्वारा, मनोहर थाना, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, बम्बई आदि से आये हुये अग्रगण्य पुष्टिमार्गीय वैष्णवों से खचाखच भर गया था। लेकिन इन सभी को महद् आश्चर्य एवं परम निराशा हुई जब राजस्थान के देवस्थान मंत्री ने राज्य सभा के प्रांगण में यह प्रस्तावित किया कि इस नाथद्वारा 'टेंपल एक्ट' एमेंडमेंट बिल (संशोधन विधेयक) को एक बार पुनः प्रवर समिति को विचारार्थ सुपर्द कर दिया जाय।

वैष्णवों को संपूर्ण आशा थी और यह दृढ मान्यता थी कि इस संशोधन विधेयक को विधान सभा आज ही सर्वानुमति से पारित कर देगी-किन्तु देवस्थान मंत्री के उपरोक्त प्रस्ताव से वैष्णव समाज को अत्यन्त निराशा हुई। सखेद आश्चर्य तो इस बात का है कि प्रवर समिति में करीब सर्वानुमति से पारित इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति सुपुर्द किये जाने की कौनसी आवश्यकता हो सकती है?

अस्तु विधेयक पर इस तरह प्रारंभिक चर्चा हो रही थी कि विधान सभा स्थगित करदी गई-चर्चा अधूरी ही रही। अब विधेयक राज्य सभा के आगामी अधिवेशन में संभव है चर्चा की संपूर्ण आहुति के लिये प्रस्तुत होगा।

इस विधेयक के संबंध में यह बात सुनिश्चित है कि यदि इसे विधान सभा में 'मुक्त मत' (Free voting) पर छोड़ दिया जाय तो यह बहुमति से निःसन्देह पारित हो सकता है। किन्तु क्या शासकीय पक्ष इतना भी कर गुजरने के लिये तैयार है? अशक्ये हरिरेवाऽस्ति मोहं मागाः कदाचन।

अंत में हम भारत में एवं भारत से बाहर के देशों में रहने वाले पुष्टि सृष्टि के समग्र जन समुदाय को अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद देते हैं जिसके तन मन धन के सहयोग द्वारा यह वैष्णव आंदोलन अनुप्राणित है। भगवान् के कृपा बल से यह कृतार्थ एवं सफल है।

राजस्थान सरकार को आज तक एक लक्ष से भी अधिक जो तार भारत से एवं विदेशों से भेजे गये, उनकी यथा क्रम संख्या इस तरह है।

| | प्रदेशों के नाम | तारों की संख्या |
|---|---|---|
| १. | सोराष्ट्र .... ... | ५१,६८४ |
| २. | गुजरात .... .... | २८,९७२ |
| ३. | राजस्थान .... .... | ३,०७२ |
| ४. | महाराष्ट्र .... .... | ५.५४० |
| ५. | मध्यप्रदेश .... .... | ४,३९६ |
| ६. | पंजाब .... .... | ६८४ |
| ७. | बंगाल .... .... | १.९५६ |
| ८. | आंध्र .... .... | ६४८ |
| | | ९६,९५२ |

| | प्रदेशों के नाम | तारों की संख्या |
|---|---|---|
| | | ९६,९५२ |
| ९. | मद्रास .... .... | ८४ |
| १०. | बिहार .... .... | ४ |
| ११. | दिल्ली .... .... | १.४६४ |
| १२. | उत्तर प्रदेश .... .... | १,६८८ |
| १३. | अफ्रीका .... .... | ९२ |
| १४. | एडन .... .... | २० |
| १५. | लंदन .... .... | ४ |
| | | १००३०८ |

कुल तारों की संख्या एक लाख तोन सो आठ होती है।

भवदीय कृपा कांक्षी
**नन्ददास**
**कार्य-संचालक**
केन्द्रीय कार्यालयः– मानधना भवन,
चौपासनी मार्ग,
जोधपुर.

भावक :
**कविरत्न आर० कलाधर भट्ट**
**मन्त्री**
सुरेन्द्र निवास,
२२, दादा भाई रोड़, विले पारले (वेस्ट)
बम्बई – ५६

हिन्द प्रेस, जोधपुर.

( પૃષ્ઠ ૮ સે આગે )

આ પ્રકારે ગરુડાસન જેવો સર્વોચ્ચ આસને પ્રાપ્ત ઈશ્વર ને બેસવાને કયું આસન આપી શકાય તેમજ કૌસ્તુભ જેવા ઉત્તમ અને અમૂલ્ય આભુષણ થી ભૂષિત ભગવાન ને જીવ કયું આભૂષણ ધરાવી શકે છે. ઈત્યાદિ ઇશ્વરીય માહાત્મ્ય ને અંગે જીવ તેની સેવા કરી શકે તેાજ નથી.

બાલભાવ વલ્લભ સંપ્રદાયનીજ એક મહાન દેન છે. બીજા કોઇ સમ્પ્રદાય માં બાલભાવ ની સેવા છેજ નહીં એથી શ્રી વલ્લભાચાર્યજી ના ઘરમાંજ બાલભાવથી શ્રીકૃષ્ણની સેવા થઇ શકે છે. યદિ આ સેવાને ચાલુ રાખવી હોય તેા આચાર્ય ગૃહને કાયમ રાખવું અનિવાર્ય છે આચાર્યનું ઘર એજ કહેવાય જ્યાં આચાર્ય સર્વત્ર સત્તા હોય. અન્યથા આચાર્ય ગૃહના અભાવમાં આ સેવા પ્રણાલી ને બન્ધ કરી ઇશ્વર ના માહાત્મ્યની પૂજા પદ્ધતિ ને શ્રીનાથદ્વારા મન્દિર માં ઠોકી બેસાડવી જોઇયે. કમિટિના સભ્યો ઉત્તર આપે કે તેઓ બેમાથી કઇ વાતને રાખવા માગે છે. ચાલુ યોજના માં સાંકર્યપણું છે એમા નતેા ઈશ્વરીય માહાત્મ્યની પૂર્ણ સિસ્ટમ છે. ન પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા પ્રણાલીની લેશ પણ રક્ષા થયેલી છે.

( ૪ ) "સમસ્ત વૈષ્ણવોની હર પ્રકારની ભલાઇ અને તેની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને " ઠેકેા ( કોન્ટ્રાક્ટ ) રાખનાર કમિટિ ને વલ્લભીય વૈષ્ણવો પૂછે છે કે કલમ ૨૪।૧૦ ને અનુસાર મંદિરમાં હરિજનોને "પ્રવેશ" કરાવીને તેમજ શ્રીનાથજી ના પૈસાનેા તે સમ્બન્ધી ભાવી લડાઇ ઝગડા માટે કોર્ટ માં ખર્ચ કરાવીને અમારી કયા પ્રકારની ભલાઇ અને આધ્યત્મિક ઉન્નતિ તમે કરી શકશેા? કૃપા કરીને એનેા અવશ્ય ઉત્તર આપશેા અને તે સમ્પ્રદાના કયા સિદ્ધાન્તને અનુસાર છે તે પણ અવશ્ય જણાવશેા.

( ૫ ) તમને વલ્લભ સમ્પ્રદાયના વૈષ્ણવોનુ પ્રતિનિધિત્વ કોણે આપ્યું છે અને તેનેા સ્વીકાર કયા કયા વૈષ્ણવોએ કર્યો છે એનાં જરા નામ બતા વવાકતલીફ લેશેા.

( ૬ ) કલમ ૨૩ ની "સમ્પ્રદાયના નિશ્ચય આદિથી શ્રીનાથજીના મંદિરનેા વહિવટ કરવાની" તમારી યોજના માં જે વોટ સિસ્ટમ અને સભ્યો ના પરિવર્તન આદિની કલમો છે તે સમ્પ્રદાયના કયા નિયમ અને નિશ્ચય ને અનુસાર છે તે જણાવવા કૃપા કરશેા ? સંપ્રદાય નાં કયા ગ્રન્થ માં કે કઈ પ્રણાલીથો એની પુષ્ટી થાય છે ?

( ૭ ) કલમ ૩૪ માં ઉલ્લિખિત તિલકાયત મહારાજ ની "સર્વોપરિતા અને સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ તરીકેની સ્થિતિ" અન્ય સભ્યોના તેમના સમાન કાસ્ટીંગ વોટનેા અધિકાર તેમજ કાર્યકારિણી કમિટિઓ માટે તેમની સમ્મતિ તકની આવશ્યકતા નેા અભાવ બતાવીને શું જળવાઇ શકે છે ? કમિટિ ના બુદ્ધિમાન સદસ્યેા આનેા ઊત્તર આપવા બતાવીને શુ જળવાઈ શકે છે? કમિટીના બુદ્ધિમાન સદસ્યેા આનેા ઉત્તર આપવા અવશ્ય કૃપા કરશેજ.

( ૮ ) શું આ સમ્પૂર્ણ અસંગ યોજના વલ્લભ સમ્પ્રદાયના નિયમ નિશ્ચય આદિ સાથે એક ધોકાબાજી નાં રૂપમાં તેા ઉપસ્થિત કરવામાં નથી આવતી ? એમાં કોર્ટ અને રાજસ્થાન સરકાર ના હસ્તક્ષેપ પરિવર્તન આદિનો અધિકારોને સુરક્ષિત રાખીને વલ્લભ સમ્પ્રદાયના ઉપર પરિવર્તનશીલ મનેાવાંછિત કલમો ઠોકી બેસાડવાનું નાટક તો નથી કરેલું ?

( ૯ ) કમિટિ કોને જબાબદાર છે? યોજનામાં એનો ખુલાસો નથી કમિટિ ના મેંબરેાં વૈષ્ણવેાં ના ચુંટાયલા નહીં હોવાથી તેમની બહુમતિના નિર્ણય વૈષ્ણવ સમાજ ને કેવી રીતે માન્ય થઈ શકે છે.

( ૧૦ ) શ્રીનાથજીના પૈસા થી હાલમાં રૂપીયા એક લાખ અને તીસ હજાર માં પાવર હાઉસ બાંધવાની કમીટી ને શી જરૂરત પડી ? દૈવી દ્રવ્ય નો એટલેા મોટેા અન્ય વિનીયોગ શા માટે કરવેા જોઈએ ? એમાં શ્રીનાથજી ને શું સુખ છે ? નાથદ્વારા ની પ્રજા ને પણ એથી શેા લાભ છે ? એનો ખુલાસેા પત્રોમાં અવશ્ય કરશેા

અમે વૈષ્ણવો આશા રાખીએ છીએકે આ પ્રશ્નોની ચોખવટ કમેટી અવશ્ય કરશેજ અન્યથા વૈષ્ણવોને કમીટી ને કોઈપણ પ્રકારનેા સહયોગ નહીજ આપે અને એનાં ગમ્ભીર પરીણામેા પણ આવશેજ

પ્રકાશકઃ—
શ્રીનાથદ્વારા સાંપ્રદાયિક મર્યાદા
સુરક્ષા સમીતિ-મુંબઈ
માનદમન્ત્રી
શ્રીઅંબાશંકરણદાસ મં, ચાવલા
૮૫-૮૭, વિઠ્ઠલવાડી
૩ જો માળો. મુમ્બઈ ૨,

---

उदयपुर के नागरिकों में काफी उत्साह और स्फूर्ति नजर आ रही थी जबकि हरिजनों ने महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए मन्दिर में उसके निर्माण के पश्चात् आज प्रथम वार प्रवेश किया। जगदीश में हरिजनों के प्रवेश की स्मृति नागरिकों के हृदय में चिरकाल तक बनी रहेगी क्योंकि वह मंदिर हिन्दु पुरातनपन्थियों का गढ माना जाता रहा

जयपुर, ३० जनवरी। राजस्थान के स्वायत शासन मंत्री, श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता आज दोपहर को कार द्वारा सुमेरपुर के लिए प्रस्थान कर गये हैं। आप वहां ३१ जनवरी को नेशनल वालंटीयर फोर्स की परेड का निरीक्षण करेंगे तथा विकास क्षेत्र के भिभिन्न विकास कार्यो। को देखेगें और १ फरवरी को तीसरे पहर जयपुर लौट आयेंगे।

जयपुर, ३० जनवरी। राजस्थान सरकार ने भूस्वामी संघ के आन्दोलन के सम्बन्ध में दण्डित २८ और बंदियों को उनके शेष कारावास से मुक्त करते हुए रिहा करने की आज्ञा दी है। इनमें से ७ बन्दी अभी जयपुर सेन्ट्रल जैल में है तथा २ सब जेल सीकर, २ डिस्ट्रक्ट जेल, अलवर, ३ सेन्ट्रल जेल जोधपुर, और १४ डिस्ट्रिक्ट जेल, कोटा में है।

# ० प्रकाश ०



# श्रीनाथद्वारा नी प्रबन्धक कमिटिने पुछाता वल्लभीय वैष्णवों ना प्रश्नो-

આ યોજનામાંથી ઉઠતા પ્રશ્નો ના સન્તોષકારક ઉત્તરો સરકાર સમર્થિત શ્રીનાથદ્વારાની પ્રબન્ધકતા કમિટિના સભ્યો અમો વલ્લભીય વૈષ્ણવોંના સમક્ષ રજુ કરશે એવાં આશા છે જો તેમ નહીં કરે તો તેઓ પોતાના હાથેજ—

( ૧ ) યોજના કલમ ૬/૨ ના પુષ્ટિમાર્ગીય નિયમ ( સેવા પ્રણાલી ) નિશ્ચય ( સિદ્ધાંત ) આદિને અનુસાર ઉલ્લિખિત પ્રબન્ધની સ્વયોગ્યતા ને વલ્લભીય સમાજમાંથી ખાઇ બેસસે.

( ૨ ) ઉક્ત અયોગ્યતા ના કારણે તેઓ વલ્લભ સંપ્રદાય નાં વૈષ્ણવોનુ પ્રતિનિધિત્વ નથી ધરાવતા એમ સિદ્ધ કરશે અને તેથી યોજનાં માં બતાવેલી તેમની પ્રતિનિધિ પણાની પ્રતિષ્ઠા ની નાલાયકી તે સ્વતઃ સ્પષ્ટ કરી દેશે.

( ૩ ) ઉદેપુર, જોધપુર, અમદાવાદ, મુંબઇ, કલકત્તા આદિ કોરટો માં તેમની યોગ્યતા ને ..... વા ને વૈષ્ણવ જનતા ને ..... આપશે.

( ૪ ) વૈષ્ણવ જનતા નો સંપૂર્ણ ખોફ વ્હારી લેશે જેનાં ભાવી ગમ્ભીર પરિણામો ની જુમ્મેવરી પોતેજ ઓઢી લેશે सुज्ञ षु किं बहुना !

❀ પ્રશ્નાવલી ❀

"પુષ્ટિમાર્ગ ના નિશ્ચય ( સિદ્ધાંત ) ને અનુસાર" તેનાં સેવાનો પ્રત્યેક કૃતિ ગુરૂનો આજ્ઞાથીજ થવી જોઇએ. મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી "નવરત્ન" ગ્રન્થ માં આજ્ઞા કરે છે "सेवाकृतगुरोराज्ञा" એટલે કે સેવા ગુરૂની આજ્ઞાથી કરવી એથી મન્દિરની સેવામાં અધિકારીથી લઇને મુખિયા સુધીના બધાજ સેવકોં ગુરૂનાં આજ્ઞાથીજ નિયુક્ત થાય છે. અને તે તે સેવા કરે છે. એ 'નિયમ' આજ સુધી સમ્પ્રદાય માં જળવાતો આવ્યોં છે ને યોજના માં એ 'નિશ્ચય' અને 'નિયમ' ને અભરાઇ ઉપર મૂકી દઇ રાજસ્થાન સરકાર અને કમીટીની આજ્ઞાથીજ સેવકોંના નિયુક્તિ પ્રત્યેક સેવામાં સ્વીકારાઇ છે. ગુરૂપદે બિરાજમાન તિલકાયત ને કોઇ પણ વ્યક્તિની નિમણુંક કરવાનો અધિકાર નથી આપ્યો એટલે હવે શું સમ્પ્રદાય ના ગુરૂપદે વૈષ્ણવોએ કમીટી નાં સભ્યો ને કે રાજસ્થાન સરકારનેજ માની લેવી ? એનો ઉત્તર આપવા વિનન્તી છે

( ૨ ) જો તેઓ ગુરૂસ્થાને બેસે તો તેમને સમ્પ્રદાયના બ્રહ્મસંબન્ધ દેવા આદિના અધિકારો પણ પ્રાપ્ત થાય છે કે કેમ એ પણ ખુલાસા કરવા વિનન્તી છે.

( ૩ ) સમ્પ્રદાયના 'નિશ્ચય' (સિદ્ધાંત) પ્રમાણે પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી યશોદોત્સંગ લાલિત' કૃષ્ણનીજ સેવા થાય છે. 'जानीत परमं तत्वं यशोदोत्संग लालितम् । तदन्यादातियेप्राहुरासुरांस्तान द्दो बुधाः ।' આ 'અણુભાષ્ય' ના આદેશ ને અનુસાર યશોદોત્સંગ લાલિત શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઇ ને પરમતત્વ કહેતો તેને આસુર જાણવા એ હિસાબે પુષ્ટિમાર્ગનુ પરમતત્વ શ્રી યશોદોત્સંગ લાલિત શ્રીકૃષ્ણ છે એનો નિવાસ શ્રી નન્દરાયજી ઘરમાંજ રહેલો છે. એ નન્દરાયજી નુ ઘર શ્રી વલભકુલનુજ ઘર છે એથીજ નન્દમહોત્સવ માં ગોસ્વામિ બાલકોં નન્દ યશોદા પ્રભૃતિના વેશ ધારણ કરી પ્રભુને પાલને ઝુલાવે છે આમ શ્રી વલ્લભકુલનુ ઘર તેજ નન્દરાયજીનું ઘર છે સમ્પ્રદાય ના 'નિયમ' નિશ્ચય રીતિ રીવાજ અને અમલ' આદિને અનુસાર' પુષ્ટિમાર્ગીય ઠાકુર શ્રી વલભકુલનાં ઘરમાંજ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે. આ યોજના માં આ ઘરનો સમૂલો નાશ કરી દેવામાં આવ્યો છે કેમકે વિદ્યમાન ગૃહપતિ તિલકાયત સત્તા વિહીન પ્રમુખ પદે રાખી "આ બધું ઘર તારુ પણ હુકુમ મારો" એ કહેવત ને ચરિતાર્થ કરવામાં આવી છે રાજસ્થાન સરકાર અને કમીટીની આજ્ઞા બીના તિલકાયત કોઈ પણ વ્યક્તીની નિયુકતી કરી શકતાજ નથી એથી તેઓ નામમાત્ર નાજ પ્રમુખ છે આ રીતે મંદિર આચાર્ય ગૃહ મટીને પબ્લીક મહાજનનુ ગૃહ બને છે મહાજનનું ઘર ન હોય તેમને તો ન્યાય કરવાને માટે વાડી ચોરો હોય છે ત્યાં બેસી ને તેઓ ન્યાય કરે છે એટલે આ સિસ્ટમ થી બાલભાવ ના પુષ્ટિમાર્ગીય ઠાકુરજી ત્યાં રહેતા નથી કેવલ ઇશ્વર ભાવનીજ સત્તા માત્ર રહે છે ઈશ્વરની સેવા થઈ શકતી નથી કેમકે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કેઃ- "किं आसने ते गरुडासनाय किं भूषणं ते कौस्तुभ भूषणाय । इत्यादि"

( શેષ પૃષ્ઠ ૭ પર )

From—Mânager The "PRAKASH" Nathdwara ( Rajasthan )

Regd No, J·20

वार्षिक ६)
छः माही ३।।)
एक प्रति =)
स्थानीय ग्राहक प्रति
~।) आना

To

सम्पादक - मुद्रक और प्रकाशक - पं. रघुनाथ पालीवाल, श्री महेश प्रिंटिंग प्रेस, नाथद्वारा [ राजस्थान ]

25 मार्च : 1956 संख्या 11, वर्ष : ९

प्रकाश



# उदयपुर के सेशन कोर्ट में वैष्णवों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

[ यह उन हस्ताक्षर युक्त पत्रों में से एक की प्रतिलिपि है जो उदयपुर के माननीय जज महोदय सेशन कोर्ट की सेवामें दिल्ली योजना के विरोध में भेजे गये हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान दिल्ली योजना का कितना प्रबल विरोध हो रहा है। [सम्पादक ]

माननीय जज महोदय सेशन कोर्ट उदयपुर।

मान्यवर!

श्रीनाथद्वारा के श्रीनाथजी के मन्दिर एवं ठिकाने के प्रबन्ध की नई योजना जो दिल्ली में बनाई गई है वह हमारे पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त एवं इतिहास के नितान्त विरुद्ध है और इस योजना का निर्माण पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त से अनभिज्ञ व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है जिन सरकारी शासकों के समक्ष इस योजना को निर्माताओंने रक्खा है उन्होंने भी सम्प्रदाय के इतिहास और सिद्धान्त से इसको वंचित रखने का प्रयास किया है अन्यथा वे शासक व्यक्ति जो धर्म और न्याय प्रिय है इस योजना को वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्यों और वैष्णव समाज की सम्मति प्राप्त किये बिना कभी स्वीकार नहीं करते जिसकी प्रमाणिकता के लिए हमारा नम्र निवेदन है—

पुष्टिमार्ग के इतिहास से प्रमाणित है कि श्रीनाथजी को उनकी आज्ञा से श्रीगोवर्द्धन पर्वत पर प्रकट कर पधराये और स्वयं उनकी सेवा की व्यवस्था की एवं उसके पश्चात् जब पूरणमल क्षत्रिय ने श्रीनाथजी को बिराजने हेतु श्रीगोवर्द्धनजी पर मन्दिर बनवाना चाहा तो उनको श्री वल्लभाचार्य जी से प्रथम दीक्षा लेकर मन्दिर बनवाने की आज्ञा लेनी पड़ी उसके पश्चात् से आज तक श्रीनाथजी के ठिकाने की सारी चल व अचल सम्पत्ति और श्रीनाथजी की निधि एवं सेवा के सर्वाधिकार उनके वंशजों के हाथों में सुरक्षित हैं। श्रीवल्लभाचार्य जी के पश्चात उनके द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथजी के सात पुत्र हुए जिनको पृथक् २ उन्होंने सात स्वरूपों की सेवा सौंपी और श्रीनाथजी की निधि जो उनकी स्वयम् सेवा है, का सेवा कार्य प्रथम पुत्र को सौंप दिया और व्यवस्था का अधिकार सातों पुत्रों के हाथों रक्खा तब से अब तक उन्हीं के वंशज श्री आचार्य चरणों द्वारा पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों एवम् मर्यादाओं का पूर्ण पालन करते हुए वहां की व्यवस्था और सेवा की जा रही है।

उपरोक्त इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि श्रीनाथजी की सेवा एवम् वहां की व्यवस्था और चल व चल सम्पत्ति सार्वजनिक नहीं है वरन श्रीवल्लभाचार्य के वंशजों का उन पर पूर्ण अधिकार है जिसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सर्वथा अवैधानिक और पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों पर कुठाराघात करने वाला है जो समस्त वैष्णव समाज के लिए असहनीय है।

श्रीनाथजी का वैभव और सम्पत्ति श्री आचार्यों द्वारा एकत्रित की हुई और वैष्णवों द्वारा समर्पित की हुई है अतः उसकी व्यवस्था एवम् खर्च करने का खर्च करने का अधिकार भी उन्हीं को है। यदि सरकार को कमेटी बनाना ही अपेक्षित था या तो पूज्य आचार्य महानुभावों की ही बनाई जाती अथवा सारे भारतवर्ष के पुष्टिमार्गीय वैष्णवों के बहुमत के आधार पर बनाई जानी चाहिए थी दिल्ली शहर में बैठ कर कुछ सरकारी व्यक्तियों द्वारा इस तरह के पूंजीपतियों और सहूकारों की कमेटी बना देना सर्वथा अवैधानिक है, जो पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों से सर्वथा अनभिज्ञ है।

श्रीनाथजी के ठिकाने में जितनी सम्पत्ति अब तक श्री आचार्यों के द्वारा एकत्रित की गई अथवा वैष्णवों ने समर्पित की गई है, मात्र श्रीनाथजी की निधि के श्रृंगार भोग और उसकी सुन्दर व्यवस्था में जिसमें स्वयम् श्रीनाथजी को सुख हो, खर्च करने के लिए की है तो फिर उनकी इच्छाओं के विरुद्ध इस सम्पत्ति को और विषयों में ( दिल्ली योजना नं० ३ घ के अनुसार ) खर्च करना सर्वथा अनुचित और अवैधानिक है।

श्री तिलकायत महाराज से उनको अकेले दिल्ली बुलाकर भय अथवा कुछ प्रलोभन देकर श्रीनाथजी और श्रीनाथजी के ठिकाने की कोई तहरीर करा लेना इसलिए अन्याय संगत और अवैधानिक है कि श्रीनाथजी और श्रीनाथजी के ठिकाने पर श्री आचार्य जी के प्रत्येक वंशज का अधिकार है और उनमें से किसी एक को इस तरह तहरीर कर देने का अधिकार नहीं है।

अतः हमारा निवेदन है कि दिल्ली में की गई सारी योजना अवैधानिक करार दिया जाकर वहां की सारी व्यवस्था या तो समस्त आचार्य चरणों द्वारा निर्मित कमेटी को सौंपी जावे या अखिल भारतीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज के बहुमत के आधार पर कमेटी का निर्माण किया जावे।

सुना है इस कमेटी के लोगों ने श्रीनाथजी के ठिकाने की सम्पत्ति में से १ लाख ३० हजार रुपये खर्च कर एक पावर हाउस बनाने की योजना स्वीकार की है जो असहनीय है।

अतः हमारा निवेदन है कि यदि यह रुपया खर्च भी कर दिया गया है तो यह उस कमेटी के पूंजीपतियों से ही वसूल किया जावे।

विनीतः—

हम हैं—आपके निष्पक्ष न्यायके आशार्थी
पुष्टिमार्गीय वैष्णव समाज मनोहरथाना )

[ इस पत्र पर अनेक वैष्णव एवम् बाइयों के हस्ताक्षर हैं जो रजिष्ट्री जवाबी द्वारा माननीय जज साहब सेशन कोर्ट उदयपुर को भेजी गई है। ]

( हमारे विशेष प्रतिनधि द्वारा )

## मद्य निषेध समिति द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में नशा बन्दी लागू करने की मांग मद्य निषेध दिवस मनाने का निश्चय

उदयपुर विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्थानीय कांग्रेस कमेटी के रचनात्मक कार्य कर्ता दल ने अपनी हालही की बैठक में मद्य निषेध दिवस मनाने का निश्चय किया गया है समिति की ओरसे इसकी प्रारम्भिक योजनायें भी तैयार कर ली गई है तथा एक हस्ताक्षरी आन्दोलन भी प्रारम्भ किया जा चुका है अब कई शराब पीनेवालों ने समिति द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर कर भविष्य में शराब न पीने की प्रतिज्ञायें की है नगर के विभिन्न मोहल्लों में अपना २ सक्रिय कार्य कर रही है मद्य निषेध समिति की ओरसे राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन करते प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि राजस्थान में कई परिवार इस नशाखोरी के शिकार हैं अतः सरकार इस ओर सक्रिय कदम उठा कर सम्पूर्ण राजस्थान में नशा बन्दी कानून करें लागू कर जनता के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करें।

साहिब जो कि एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे उनका धार्मिक मामलो में उत्तराधिकारी मानना कहांतक सही है जब की राजस्थान सरकार की तरफ से एक पाई भी श्री नाथ जी की भेट पूजा नहीं होती है। एक धर्म निरपेक्ष राज्य अगर मन्दिर मे कोई खामी देखता तो उसको चाहिये था कि बद इन्तजामी को न होने देने के लिये और मन्दिर की आमद-खर्च को जांचने के लिये एक आडीटर रख देता जो सरकार को वक्तन फवक्तन आमद-खर्च की इत्तला करता रहता अपने मन चाहे चन्द बनियों का टेंपल बोर्ड बना कर उन को मन्दिर की दौलत सोंप देना क्या जनता-राज्य (डेमोक्रेसी) के खास उसूलों को तोड़ना नहीं है।

हम को इस बात को देख कर सख्त अफसोस है कि जब आप की सरकार ने मन्दिर के आला इन्तजामात की महरबानी हम वैष्णवों पर बख्शी है तो इसी किस्म की महरबानी से हमारे मुसलमान भाईयों को क्यों महरूम रखा गया। क्या उन को हिन्दुस्थान की रियाया होने का हक हासिल नहीं है अजमेर शरीफ मैं ख्वाजा साहिब की दरगाह एक बहुत नामी दरगाह है जहां पर हर साल उरस के मेले पर लाखों मुसलमान भाई हिन्दुस्थान ही नहीं अरब वो ईरान पाकीस्तान वो अफ़ग़ानिस्तान तक से हज करने को आते हैं उस दरगाह में हजारों लाखों रुपयों का आमद खर्च है क्या उस सब का आला इन्तजामात करना आप की सरकार का फर्ज नहीं है। यह आपका मुसलिम भाईयों के साथ सोतेली मा का सा बर्ताव हम को बहुत अखरता है। खैर हुवा सो हुवा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अब "ख्वाजा दरगाह बोर्ड" बनाकर ख्वाजा साहिब की दरगाह का आला इन्तजाम करें ताकि हमको ही नहीं दूसरे हिन्दुस्थानी भाइयों को शिकायत करने का मौका न मिले या सेक्यूलर राज होने की हैसियत से हरेक धार्मिक संस्था को अपना २ इन्तजाम करने की आज़ादी बख्शें जिसमें हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव भी शामिल होवें।

ऊपर लिखी हुई सब हकीकतों पर हमारी ता० २८-६-६३ की आम सभा ने विचार कियाऔर सब की राय से नीचे लिखे रिज़ोल्यूशन (प्रस्ताव) पास किये गए।

(१) मौजूदा टेंपलबोर्ड को तोड़कर नाथ द्वारा टेंपल एक्ट की दफा (क्लाज) ५ (५) व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिन्दुस्तान के सब सूबों के वैष्णवों के नुमाइंदों का टेंपल बोर्ड बनाया जाय और इस टेंपल बोर्ड के सभापति श्रीतिलकायत महाराज को मुकर्रर किया जावे जिससे सम्प्रदाय के सब से ऊँची गादी नाथद्वारा की मान मर्यादा कायम रह सके।

(२) श्री नाथजी बावा के मन्दिर के अन्दर होने वाली सेवा में काम करने वाले जैसे मुखिया, भीतरिया वगैरह नौकर चाकरों को नौकरी में रखने वो निकालने का पूरा अख्तियार श्रीमान् तिलकायत महाराज कोदिया जावे क्योंकि यह हमारे धर्म का एक खास रिवाज है। हमारे घर में सेवा करने का अधिकार भी हम को हमारे गुरु श्री गोस्वामि महाराज की इजाज़त के मुताबिक ही हासिल है इसलिये गुरु के घर में यह अधिकार वैष्णवों को देने का मतलब सेवा को नापाक बनाना है। इस बाबत पुष्टि मार्ग के श्रीमद्बल्लभ वंशज गो स्वामि परिषद् के विशेषाधिवेशन में पास किये प्रस्तावों की नकल नत्थी है।

(३) श्री नाथ जी के मन्दिर में तीन साल से ज्यादा अरसे पहले पानी के हौज में एक आदमी के गिरकर मर जाने की वजह से जो छूत (अशुद्धी) हुई उसको श्री तिलकायत महाराज की निगरानी में जल्दी से जल्दी ठीक कराया जावे जिससे हम लोगों का श्री जी बावा के सन्मुख ब्रह्म सम्बन्ध हो सके।

(४) हमारी सभा राजस्थान सरकार की खिदमत में अर्ज करती है कि श्री कृष्ण भण्डार में हम गरीब वैष्णवों की कडी महनत के पसीने की कमाई जाती है उसे बेदर्दी से खर्च न करके निहायत किफ़ायतसारी से खर्च किया जावे। बड़ी २ तनखाह के अफसरों के न होने पर भी जब पहिले अधिकार में कोई खामी नहीं आती थी तो अबइतने उंचे दरजे के आफिसर को क्यों अधिकारी जी बनाया जावे। तो भी सरकार ऐसा करना ही चाहती है तो एक रिटायर्ड तजर्बेकार अफसर को कम तनखा पर रखा जावे जिससे खर्चे में कमी होवे। वैष्णवों में भी ऐसे बहुत से रिटायर्ड काबिल व तजुर्बेकार आदमी मिल सकते हैं जो सेवा भावना से कम तनखा पर काम करना मंजूर कर लेंगे।

नाथ द्वारा टेंपल एक्ट के कायदे बनाने के लिये ऊपर लिखे रिजोल्यूशनों के तार जनाब की खिदमत में भेजे हैं। सो ठीक कार्यवाही की जावे हम सब लोग जानते हैं कि आप एक निहायत इन्साफ पसन्द आला इखलाक के अफसर हैं और आपने मुल्क के लिये बहुत कुर्बानियां भी की हैं। आपको अन्दरूनी वारदातों का पता नहीं चला वरना आप कभी इन को नहीं होने देते खैर जो हुवा सो हुवा अब इन शिकायतों को दूर कर देवें। हमारे डेपुटेशन को मिलने का वक्त देवें।

आपका विनीत

**बालकृष्णदास**

प्रधान, पुष्टि मार्गीय वैष्णव मण्डल

दिल्ली

ता० २८ जून १९६३ **एस.बी. सर्राफ़ा मार्केट,** [illegible] चांदनी चौक, देहली।

नोटः—हमारे मण्डल के अलावा कुछ वैष्णव भाई बहिन जो हमारी इस अपील में शरीक हैं उनके दस्तखत की फहरिश्त नत्थी है।

इस अपील की नकल वाजिब कार्यवाही के लिये खिदमत में:—

(१) श्रीमान् डा० राधाकृष्णन साहिब राष्ट्रपति, भारत, नई दिल्ली
(२) " पं० जवाहरलालजी नेहरू, प्रधान मन्त्री, भारत,
(३) " लालबहादुरजी शास्त्री, होम मिनिस्टर "
(४) " डा० सम्पूर्णानन्दजी गवर्नर, राजस्थान, जय
(५) " हरिभाऊजी उपाध्याय, देवस्थान मन्त्री "

...र्ज को बिना
...हाराज ने दावा
...ल बाइज्ज़त लौटा
...हमारे बेगुनाह गुरू महाराज को
...। फोड़ करना अपना फर्ज नहीं
...मले यहां सौदा दस्त बदस्त है"

फेमस प्रिंटर्स, १२२० चाह रहट दिल्ली।

बावजूद इन सब झूठे इलजामों के हाई कोर्ट के जज साहबान ने राजस्थान सरकार पर नाथ द्वारा एक्ट बनाने के खिलाफ, किये गये मुकद्दमों के फैसले में लिखा है कि अगर तिलकायत महाराज जिनका अपनी सम्प्रदाय में इतना मान व इज्जत है उनको अगर टैंपल बोर्ड के प्रेसिडेन्ट बनाया जाता तो हमें निहायत तसल्ली व खुशी होती। इतना ही नहीं राजस्थान सरकार की तरफ से, लड़ने वाले सोली सिटर जनरल साहब भी इस राय में शरीक थे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं राजस्थान सरकार को शिफारिश करूंगा कि श्री तिलकायत महाराज को बोर्ड के प्रेसिडेन्ट तैनात किया जावे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से दर्ज किया है कि श्री तिलकायत महाराज को बोर्ड का मेम्बर बनाना ही पड़ेगा। पर हमको बड़ा तअज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अब तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है हालां कि फैसला हुए को ६ महीनों से ज्यादा अरसा हो गया है और इसके बाद बोर्ड की कई मीटिंगें हो चुकी हैं।

जब सन् १९५९ में आप की सरकार ने हमारे श्रीनाथजी के मन्दिर पर जबरन कबजा कर लिया तो इस कदर नाजाइज हरकत को देख कर हम सब वैष्णवों ने मिल कर हाई कोर्ट में दावा किया और दीगर कार्यवाहियाँ भी की गई जिससे आप को समझ लेना चाहिये था कि आप का मन्दिर पर कबजा करना वैष्णवी जनता की मर्जी के खिलाफ था। अफसोस है कि आप की सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को न मान कर सुप्रीम कोर्ट में हम वैष्णवो के खिलाफ दावा किया जिसमें उसूलन कचहरी व वकीलों का खर्च आप की सरकार को भुगतना चाहिये था पर ऐसा नहीं किया गया। हम गरीब वैष्णव जो दिन भर कडी महनत कर के अपना गुजारा करते हैं और उस पसीने की कमाई में से पाई पैसा बचा कर श्रीनाथजी बावा के नेगभोग के लिये भेजते हैं उस कडी कमाई के पैसों को हमारे खिलाफ मुकद्दमें बाजी में बरबाद किया और इस आम मिसाल को साबित किया कि "तुम्हारा जूता और तुम्हारा ही सिर" आपकी सरकार की इन कार्यवाहियों को देख कर किस वैष्णव का दिल नहीं जलता है।

हम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सरकारी अमलदारी में सेवा भावना किसी भी मुलाजिम में नहीं रह सकती है क्योंकि उन लोगों में हकूमत की बू आ जाना एक मामूली बात है। दूसरी बात यह भी है कि सरकारी नौकर में लापरवाही और फिजूल खर्ची होना भी कोई बडी बात नहीं है और आला इन्तजाम तो एक सपना है। इन्हीं कमजोरियों की वजह से राजस्थान सरकार की एसम्बली में नाथ द्वारा टेम्पल एक्ट को पास करने की बहस में कई मेम्बरों ने यह कहा था कि जब सरकार अपने इन्तजाम को ठीक नहीं रख सकती है तो मन्दिर का आला इन्तजाम कैसे करेगी। इन बातों पर कोई ग़ौर नहीं किया गया क्योंकि मन्दिर का कबजा जो लेना था। खैर, जैसा हम ही क्या, सब दुनिया सोचती थी सो ही हुवा। मन्दिर में श्रीनाथजी बावा के नेग भोग पर खर्च के अलावा बेहद खर्च बढाये गए हैं। अधिकारी जी को कई गुना तनखा ज्यादा दी जा रही है जब कि उनके काम काज में किसी किस्म की बढोतरी नहीं हुई है। जहां जब तक श्री तिलकायत महाराज का अधिकार था तब तक अधिकारी की तनखा रु० ३००) या ३५०) महावार थी। अब उस जगह पर सरकार ने एक कई गुना ज्यादा तनखा के अफसर को भेज दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। दोयम बोर्ड के मेम्बरों को बड़ी ऊंची रकम बतौर भत्ते दी जा रही है हालाँकि सरकार ने हमको दम दिलासा दिया था कि हमने चोटी के वैष्णवों को बोर्ड के मेम्बर बनाया है। हमारे समझ में नहीं आता कि ये कैसे वैष्णव हैं जिनको देवधन लेने में कुछ भी हिचक नहीं होती है। हम तो श्रीजी बावा की सेवा में एक पैसे की बचत करने में भी अपनी खुश किस्मती समझते हैं। इसी तरह और भी बहुत से फिजूल खर्च बढा दिये गये हैं।

हकीकत में धार्मिक मामलों में गरीब जनता का पैसा लगता है। अमीर आदमी सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं ऐसी सूरत में निहायत किफायतशारी के साथ इन्तजामात होने चाहिये। सरकारी नौकरों में सेवा भावना की उम्मीद रखना खरगोश के सींग लगाना है। नाथ द्वारा टेम्पल एक्ट को बनाये आज तीन साल से ऊपर हो गए हैं। टेम्पल बोर्ड ने क्या २ आला इन्तजाम किये क्या इस बात की जाँच पड़ताल, कानून बनाने वालों या आपकी सरकार ने कभी की है? नही की होगी हम से सुनिये श्री तिलकायत महाराज के अधिकार में जो रकम हम बजरिये मनी आडर श्री कृष्ण भण्डार को भेजते थे उसकी रसीद कृष्ण भण्डार से एक हफ्ते के भीतर आ जाती थी। हम साबित कर सकते हैं कि अब रसीद भेजने के लिये कई खत डालने पर भी कई मास तक रसीद नहीं आती है। क्या दुबारा वो वैष्णव सेवा करने की हिम्मत करेगा?

हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पढा है कि श्रीनाथजी के मन्दिर को आम जनता का मन्दिर करार दे दिया गया है वह इस बिना पर, कि उदयपुर के महाराणा ने फरमान जारी किया था जिसमें श्री तिलकायत महाराज को मन्दिर के मुन्तज़िम (मैनेजर) वो ट्रस्टी बताये हैं। इससे क्या उदयपुर के महाराणा श्रीनाथजी के मालिक थे इस चीज को पुरानी तवारीख साबित करने में नाकाबिल है। अब राजस्थान सरकार उदयपुर राज्य के तख्ते नशीन हुई है लिहाजा अब राजस्थान सरकार का श्रीनाथजी के मन्दिर पर अधिकार हो गया। न कि श्रीनाथजी के स्वरूप पर।

इस सिलसिले में हमारी अर्ज है :—

(१) कि महाराना उदयपुर एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे जिनके बुजुर्गों ने श्री नाथ जी की सेवा के लिये [illegible] किये थे और वर्ष भर के त्योहारों पर बहुत सी दफा उनकी तरफ से श्री नाथ जी के मनोरथ होते [illegible] जब कभी श्री नाथजी के दर्शन के लिये आते थे तब श्रीनाथजी के भारी रकम भेट [illegible] एक सेवक के मन्दिर की देख भाल व आला इन्तज़ामात की निगरानी करना उनका [illegible]भी भी आप की सरकार की तरह अपना आदमी रख कर श्री कृष्ण भंडार से उस [illegible]हीं दिलवाये और देवधन को इस तरह मुकद्दमेबाजी में बरबाद नहीं किया।

[illegible] एक धर्म-निर्पेक्ष (सेक्यूलर) राज्य का सूबा है इस वजह से उस को उदयपुर महाराना

श्री तिलकायत महाराज ने जांच कमेटी अपने खर्चे पर नाथ द्वारा भेजी। उस कमेटी ने जाँच कर के बताया कि पुष्टिमार्ग की रीत के मुताबिक छूत नहीं हटाई गई है, बावजूद तिलकायत महाराज के लिखा पढी करने और वैष्णव परिषद् के नुमाइंदों के टेंपल बोर्ड के सभापति को बार बार अर्ज करने पर भी छूत दूर करने का बन्दोबस्त अब तक नहीं किया गया है।

(४) जैसा कि ऊपर कहा गया है कि हम लोगों को गुरू के हुक्म के मुताबिक ही सेवा करने का अधिकार है। श्री तिलकायत महाराज की तरफ से "उत्सवों की टीप" यानि किस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जावे उसकी जंत्री निकाली जाती थी। टेंपल बोर्ड ने उस जंत्री पर से "श्री तिलकायत महाराज की आज्ञा से प्रकाशित" लफ्जों के बदले "श्रीकृष्ण भण्डार द्वारा प्रकाशित" करीब तीन साल से छपवाना शुरू कर दिया जिसका नतीजा यह हुवा कि वैष्णवों ने उस उत्सव-टीप का बाइकाट कर दिया है और गोस्वामि परिषद् की टीप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह टेंपल बोर्ड की कितनी नाजाइज़ और भद्दी हरकत है जो श्री तिलकायत महाराज के लिये उनके दिल में जो खयालात हैं उनका इज़हार करती है।

(५) अभी टेंपल बोर्ड को कायम हुए कुछ ही अरसा हुवा था कि उन्होंने धार्मिक मामलों में दस्तन्दाज़ी करना शुरू कर दिया और यहां तक नौबत आ गई कि श्री तिलकायत महाराज को आखिर तंग आकर टेंपल बोर्ड के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में दावे करने पडे जिनके फैसले श्री तिलकायत महाराज के हक में हुए तब भी टेंपल बोर्ड अपनी छेड़खानी से बाज नहीं आता है और कदम २ पर महाराज के नौकरों को परेशान करता है।

(६) सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि मुखिया और नायब मुखिया का भगवान की सेवा से ताल्लुक है सो श्री तिलकायत महाराज के अधिकार में रहेंगे पर हर दिन की सेवा में काम में आने वाले श्रीनाथजी के जेवरात उनके पास में रहते हैं इससे उन पर टेंपल बोर्ड का भी अधिकार रखा गया है। दो हाकिमों के नीचे काम करने वाले नौकर किसी का भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। सेवा में किसी किस्म की खामी न पडे इस मकसद से श्री तिलकायत महाराज ने अपने इश्तिहार में जाहिर किया कि मेरे रखे हुये मुखिया श्रीनाथजी का सिंगार बिना जेवरात के भी कर सकेंगे।

इस के जवाब में टेंपल बोर्ड के सभापति श्री कृष्णराज ठाकरसी ने फरमाया कि बिना जेवरात के श्रीनाथजी का सिंगार करना वल्लभ सम्प्रदाय के उसूलों के खिलाफ है। यह उनका कहना साबित करता है कि वे मामूली बात भी नहीं जानते हैं कि श्रीमद्वल्लभाचार्य जी ने हुक्म दिया है कि जिस तरह गुरू आज्ञा देवे वैसे ही सेवा करना चाहिये। श्री तिलकायत महाराज के इस विचार की हमारे धर्म के आचार्य गोस्वामि परिषद् ने भी तारीफ की है और इस के लिये श्री तिलकायत महाराज को मुबारिकबादी दी है।

नाथ द्वारा टेंपल एक्ट में लिखा है कि नाथ द्वारा टेंपल बोर्ड के मेम्बरों को राजस्थान सरकार रखेगी और उनमें एक मेम्बर श्री तिलकायत महाराज भी होंगे। पर हम को यह देख कर बहुत दुःख है कि आप की सरकार ने श्री तिलकायत महाराज को टेंपल बोर्ड का मेम्बर नहीं बनाया जिसका सबब आप की सरकार ही जानती है। हम नहीं जानते कहाँ तक ठीक है पर आम जनता में अफवाह है कि कुछ लोग श्री तिलकायत महाराज को श्रीनाथजी के मन्दिर से हमेशा केलिये रुखसत देने के हक में है और यह पहिला कदम था कि उनको टेंपल बोर्ड में न घुसने दिया जाय ताकि सरकार के चुनीदा नामधारी वैष्णवों को टेंपल बोर्ड में मनमाने ढग पर स्याह सफेद करने की पूरी आज़ादी मिल जाय।

दूसरा कदम था श्री तिलकायत महाराज पर झूठा इलजाम लगाना कि श्रीनाथजी के मन्दिर में जो पोशीदा रखा हुवा खज़ाना पुराने गहना घर में मिला था उसमें से श्री तिलकायत महाराज ने श्री नाथजी के जेवरात ले लिये हैं हालां कि श्रीनाथजी को भेट की गई एक २ चीज़ का हवाला श्रीकृष्ण भण्डार की बहियों में मौजूद था। इसी बीच में किसी न किसी ढंग से श्री तिलकायत महाराज की कई दफा तलाशियां करवा कर उन की तौहीन की गई।

तीसरा कदम था श्री तिलकायत महाराज की प्राइवेट मोटर कारों को आमेर के पास बज़रिये पुलिस रोकना और उनके अपने जेवरात को पकड़वाकर यह इलज़ाम लगाना कि ये श्री नाथ जी के ज़ेवरात चुराकर भाग रहे थे। श्री तिलकायत महाराज ने दावा किया और जेवरात की पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वह मुकम्मल जेवरात श्री तिलकायत महाराज के हैं और उनको दे दिये जावें पर ऐसा नहीं किया गया और कोई न कोई दाव पेच से उन जेवरात को काफी अरसे तक रोका गया आखिर श्रीमान् मेहरचन्द महाजन रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सर पञ्च बनाया गया जिन्होंने सब मामले को सही ढंग से जांच कर फैसला दिया कि सारे जेवरात श्री तिलकायत महाराज के हैं तो भी मैं पांचवां हिस्सा श्रीनाथजी को दिलवाता हूं क्योंकि तिलकायत महाराज मेरे फैसले को मंजूर करते हैं। अगर वे जिद्द करें तो सारा माल उन्हीं को सौंपना पड़ेगा।

इतना करके भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई उनका चौथा कदम था—बम्बई में श्री तिलकायत महाराज ने अपने जेवर कुछ बैंकों के लोकरों में रख छोड़े थे। उन लोकरों को श्री तिलकायत महाराज को बिना इत्तला किये पुलिस की मदद से तुड़वाकर माल पकड़वा दिया। इसके लिये भी श्री तिलकायत महाराज ने दावा किया 'सांच को आंच नहीं" कचहरी में फैसला उनके हक में हुआ, और उनका सारा माल बाइज्ज़त लौटा दिया गया।

हम इन वारदातों को सुन कर और देख कर निहायत रंजीश में है कि हमारे वेगुनाह गुरू महाराज को कुछ लोगों ने इस कदर तंग करके मुसीबतों में डाला, फिर भी हम उनका भंडा फोड़ करना अपना फर्ज नहीं समझते है क्योंकि यह "कलयुग नहीं है करयुग है" "इस हाथ करे उस हाथ मिले यहां सौदा दस्त बदस्त है" इसलिये करने वाले अपनी करनी भुगतेंगे।

॥ श्री हरिः ॥

# श्री पुष्टि मार्गीय वैष्णव मण्डल [ रजिस्टर्ड ] दिल्ली

( स्थापित श्री राम जयन्ती वि० सं० २००७ ता० २८ मार्च १९५० )

श्रीमान् मोहनलालजी सुखाड़िया साहिब,
मुख्य मंत्री, राजस्थान राज
जयपुर

**श्रीनाथजी के मन्दिर नाथद्वारा के इन्तज़ामात के बारे में—**

जनाब मुख्य मन्त्री साहिब,

की खिदमत में अर्ज़ है कि सन् १९४७ में भारत देश के बटवारे के वक्त हम अपने सूबों पच्छमी पंजाब, उत्तर-पच्छमी छोर ( फ्रंटियर ) व सिन्ध में कीमती चीज़ों को छोड़ कर अपना धर्म बचाने के लिये हिन्दू स्थान में आये थे। हम को इस बात का पूरा भरोसा था कि सरकार की तरफ से हमारे धर्म पालन में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। भारत का विधान बनाने वालों ने भी इस बात की तसल्ली दी है कि हरेक भारतवासी को अपना २ धर्म पालने की पूरी आज़ादी है।

हिन्दू स्थान की तवारीख इस चीज़ की गवाह है कि मुग़ले आज़म अकबर के ज़माने में मेवाड़ के महाराना प्रताप ने अपनी आज़ादी और धर्म पालन करने के लिये बन बन में भटक कर जबरदस्त मुसीबतों का सामना किा। उस पवित्र भूमि को हमारे इष्टदेव श्री नाथ जी ने अपनाया। हमें विश्वास था कि उस धर्म भूमि की सरकार धार्मिक मामलों में कभी भी दखल नहीं देगी। पर सन् १९५९ के शुरू होतेर हमने देखा कि आपकी सरकार ने हमारे इष्ट देव श्री नाथ जी के मन्दिर पर. पहिले काम करती हुई एक वैष्णवों की कमेटी के काम में किसी तरह की खामी न बताते हुवे एक आरडीनेंस जारी करके आला इन्तजाम के बहाने से जबरदस्ती अपना कबज़ा कर लिया और एक टैम्पल बोर्ड बनाकर सारा इन्तज़ाम उसके जुम्मे छोड़ दिया। पिछले सौ साल की तवारीख बताती है कि अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर कोई भारी आफत आने पर भी शादिर नादिर ही ओरडीनेंस जारी किया हो पर मालूम नहीं आपकी सरकार ने हम गरीब औ निहायत अमन-पसन्द वैष्णवों के मन्दिर पर कबजा करने के लिये ओरडरीनेंस जारी निकाल कर दुनिया में अपना मज़ाक क्यों उड़ वाया। इसके अलावा बोर्ड के मेम्बर ज्यादा तादाद में बम्बई के अमीर सेठियों को रखा और अधिकारी जी की कुरसी पर भी एक सरकारी आला अफसर को बिठाया! जो धार्मिक मामलों में नावाकिफ साबित हुये जो नीचे लिखी चन्द मिसालों से साफ जाहिर होता है। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक इन्जीनियर के सामने इलाज के लिये एक दमे के मरीज़ को पेश किया जावे तो अञ्जाम क्या होगा, सो ही हाल यहां हुवा।

(१) पुष्टि मार्ग यानि वल्लभ सम्प्रदाय का यह एक सब से पुराना रिवाज़ है कि भगवान की सेवा करने के अख्तिहारात चाहे वह वैष्णव का घर हो या गोस्वामि महाराज का मन्दिर हो, गुरू के हुक्म से ही मिलते हैं। इस का मतलब यह है कि मन्दिर में सेवा करने वाले नौकरों को काम में लगाने या काम से हटाने के अख्तिहारात गोस्वामि महाराज को है। गोस्वामि महाराज की इजाजत के बिना रखे हुए आदमी से कराई हुई सेवा नापाक (अशुद्ध) होती है। टेंपल बोर्ड ने इस उसूल की परवाह न करते हुए श्री तिलकायत महाराज के हुक्म बिना श्री पन्नालाल जी मुखिया को बरखास्त करके उनकी एवज़ में श्री विश्नूदत्त जी को दो पुराने काम करते हुये नायब मुखियाओं का हक मार कर मुखिया बना दिया। इस ढंग की और भी कई कार्यवाहियाँ की गई हैं। इस अंधेरगर्दी के खिलाफ श्री तिलकायत महाराज ने खतकिताबत से और अखिल भारतीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद् के नुमाइंदों ने पिछले साल जून के महीने में बम्बई में टेंपल बोर्ड के सभापति श्री कृष्ण राज ठाकरसी को रूबरू बहुत समझाया पर वे टस से मस न हुए। इस पर आप के और देवस्थान मिनिस्टर साहिब की खिदमत में जोधपुर से तार व चिट्ठियाँ भेजी गई कि इस सिलसिले में वैष्णवों के नुमाइंदों को मिलने का वक्त दिया जाय पर अफसोस है कि आप के दफतर ने मिलने का वक्त देना तो दरकिनार रहा तार और चिट्ठियों की पहुँच भी नहीं दी यह है सरकारी मुलाज़िमों के बहतरीन काम करने का नमूना।

(२) हमारी सम्प्रदाय का रिवाज़ है कि अगर कोई वैष्णव, भगवान की सेवा-भोग अपनी तरफ से करवाना चाहता है तो गोस्वामि महाराज से इजाज़त मिलने पर ही करा सकता है। श्रीनाथ जी के छप्पन भोग बम्बई के सेठ श्री बिन्दानीजी ने करने के लिये टेंपल बोर्ड को कहा जिस ने तिलकायत महाराज की बिला इजाज़त मंज़ूरी दे दी जो उसूलन भारी भूल थी पर जब श्री बिन्दानी जी को पता चला कि टेम्पल बोर्ड ने यह मग़रूर से भरी हुई गैर अख्तियारी हरकत की है कि पुष्टिमार्ग के उसूल को तोड दिया है तो उन्होंने छप्पन भोग करवाने से साफ इन्कार कर दिया। इसी तरह जो दूसरे मनोरथ किये गए उनमें भी श्री तिलकायत महाराज का हुक्म नहीं लिया गया और हमारे खयाल से मनोरथ कराने वालों की रकम बेकार गई क्योंकि वह सेवा श्रीनाथजी ने नहीं मानी इसके लिये श्रीमद्वल्लभ वंशज गोस्वामि परिषद् के स्वीकृत प्रस्ताव न. ३ को देखें जो इसके साथ लगा है।

(३) करीब तीन साल पहिले श्रीनाथजी के मन्दिर में एक आदमी होज में गिर कर मर गया था। जिस की छूत (अशुद्धि) हमारी सम्प्रदाय के रिवाज के मुताबिक ठीक नहीं की गई जिस की तहकीकात के लिये

॥ श्रीनाथजी ॥

# पुनर्विचार के लिए-

महानुभाव वैष्णव वृन्द !

सर्व प्रथम यह प्रश्न उठता है कि नव योजना प्रबन्ध संस्थान श्रीनाथद्वारा के विषय पर कुछ भी लिखने का मुझे क्या अधिकार है। अस्तु मेरी नित्यात्मा साक्षी है कि कोड संख्यक वैष्णव समुदाय में भी एक जीव गिनती में आता हूँ एसी स्थिति में गुरुदेव के सम्मान दृष्टि पड़ने वाली बाधा दिल में दुःख का धक्का मारती है।

बाधाएं क्या रहे प्राचीन प्रणाली के मुकाबले में नवयोजना का मजमून कोई न्याय पंडित पढ़ेंगे तो स्पष्टता सामने प्रस्फुटित हो जायगी।

मैं ऐसा विश्वास लेकर श्रीमदाचार्य चरण के प्राचीन गौरव का जिक्र लिख रहा हूँ बास्तव में वह सौम्य शुद्ध हृदयारविन्द वाले महानुभाव वैष्णव इस पर ध्यान देवें तो नवयोजना पर पुनर्विचार करना अनिवार्य होना असंभव नहीं है।

श्रीमद्वल्लभाचार्य के वंशजों का सन्मान ४५० वर्ष से अबचक्र चलन आ रहा है यय सर्व विदित है। फिर नवयोजना में बाधा क्यों ! आश्चर्य यह है कि जिन वैष्णव जनों के श्री घरों में पुष्टि सिद्धांत की विभूतियां अखण्ड बिराज रही हैं उन्होंने नवयोजना के मजमून का समर्थन किस तरह किया।

गुरु सेवा परायण वैष्णवों के सौम्य हृदयोद्गार में देवार्पित सम्पत्ति पर के प्रतिनिधित्व करने की इच्छा नहीं होती उनके लिये तो धर्म में गुरुपद की महत्ता मान कर गुरुवर्य के सीधे संचालन में ही निजकलाप का साधन समझना उपयुक्त होता है

फिर मार्गच्युत करने वाली कलमों का औचित्य कैसे आ टपका लीलास्थ श्रीमन् तिलकायित श्रीमदाचार्य चरण श्रीगोवर्द्धनलालजी महाराज की निर्माण की हुई कमेटी में बहोत बहोत प्रान्तीय वैष्णव जन थे उनमें से कुछ नाम यह है—

मान्यवन्त वैष्णवजन सेठ-सरमन मोहनदासरामजी वै. सेठ लालजी नारायणजी बंबई तथा वै० सेठ राजाबाबूदासजी कलकत्ता एवं डीबला बहादुर नारायण गोविन्दरामजी मद्रास आदि महानुभावों का श्रध्दा प्रिय रेकार्ड सद्भावना सुगन्धियों में महक रहा है।

वै० रिखिवर सेठ देवीदास माधवजी ठोकरसी वै. सेठ जेठाभाई कल्याणजीने सुकुमार (नाबालिग) श्रीमदाचार्य तिलकायित को उस समय जैसे लाड़ लड़ाये सर्व विदित है हुकूमत की इच्छा को दोष मानते थे। इस समय ऐसा कोई सङ्कट काल नहीं है जैसा कि लीलास्थ टिकायतों के सामने आया था।

## संक्षिप्त जिक्र

गोलोकस्थित श्रीमदाचार्य चरण श्रीदामोदरजी महाराज (बडे दाऊजी) के समय श्री गोवर्द्धननाथजी का ब्रजसे मेवाड में पधारना हुआ बीहड़ पहाडों (घसियार) में बिराजे वहां सेवाभोग प्रणाली सदा की भांति चलाई विधर्मियों के आक्रमणों से बचाव किया।

वैकुण्ठवासी महाराणा श्रीमदमेदपाटेश्वराधीशोंने गाँव धरती भेट किये किन्तु उस चल अचल सम्पत्ति पर प्रभुत्व सम्पन्न हुकूमत स्थापित करने की इच्छा नहीं की बल्कि ज्यूडिशियल अधिकार देकर दिनोंदिन सन्मान वृद्धि की।

इस प्रकार भारत के कितने ही नरेशों ने श्रीमदाचार्य पेश तथा जागीर को गांव धरती लाखों भेट किये किन्तु हुकूमत की इच्छा नहीं की जिससे कि श्रीमदाचार्य चरण के प्राचीन सनमान में नुक्स पैदा हो अब तक भी ग्वालियर इन्दौर की लागा भेट भेजने से पहले केवल यह जबाब मंगा लिया जाता है कि श्रीमदाचार्य वर्य की बांधी हुई प्रणाली के अनुसार सेवा भोग राग आदि का प्रबन्ध सुचारु रूपसे है या नहीं।

सिर्फ बम्बई के सेठ प्रागजी सूरजी ने संवत् १६७४ की सालमें प्रत्येक विभाग में श्रीमदाचार्य चरण टिकायत गोलोकवासी श्री गोवर्ध्दनलालजी महाराज की परवानगी लेकर उनके घरू खर्च से निगरानी करने के लिये आदमी बैठाये थे थोड़े ही दिनों तक निगरानी चली फिर क्या हुवा उनके वंशज जाने देखिये !

कठिन कालमें भी गुरु सेवा को चुनौती देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई मसलन सन् १८५७ की जन क्रान्ति में सिंधिया फोज ने श्री नाथद्वार में प्रवेश किया जिनके पास न तो अन्न था न धन था जब नाथद्वार का जनसमूह भय भीत होकर कम्पित हो उठा था एसे समय में श्रीमदाचार्य चरण ने मेदपाटेश्वराधीश महाराणा श्रीभीमसिंहजी की तथा जोधपुर नरेश को सहायता लेकर संकट का सामना किया एक रात्रि में दरवाजा तयार करा कर आराध्यदेव श्री देवदमन की सम्पत्ति की सुरक्षा की मथरादरवाजा नामसे आज यह दरवाजा प्रख्यात है।

जोधपुर नरेश ने जनसम्पत्ति रक्षा के लिये सींगवी श्री शंभूमल के साथ फोज भेजी अन्तमें सिंधिया फोज नम्र हुई और समरक पत्थर खुदवा कर चली गई आज भी चौपाटी बाजार में दीवार पर गौ सूअर की प्रतिमामें शपथ ली हुई दीवार पर लगी मौजूद है।

फोज मोहल्ला आज भी नाथद्वारा में मौजूद है और चिर प्रवासी सिंगबी शंभूलाल का खानदान संस्थान श्रीनाथद्वारा सम्मान के साथ उसी मोहल्ले में आबाद है।

आज वह दिन है कि श्रीमदाचार्य चरण तिलकायत श्रीनाथद्वारा के उस प्रतिष्ठित गौरव को सेवाके मुआवजेमें प्रबन्ध योजना के नाम से सदा के लिये समर्थ शक्ति छीन रही है। लीलास्थ टीकायत श्रीमदाचार्य चरण श्री गोवर्ध्दनलालजी महाराज ने कैसे भयंकर घटना चक्रका सामना किया वह भी सुन लीजिये।

संवत १९५६ के दुष्काल में भारत पर विपता के विषैले बादल मँडरा रहे थे जन समुदाय अन्न के कण कण से मोहताज था भूख से जन समुदाय मोत के पञ्जे में फँस रहा था गो धन के लिये घास का तिनका पैदा नहीं हुआ था ऐसें विकट समय में सेवा भोग प्रणाली सदैव की भांति चलाई गो-धन के लिये घास का प्रबन्ध किया।

# प्रकाश



॥ श्री गोकुलेश ॥

## माला तिलक के तारणहार

લેખકઃ—"પુષ્ટિવાડી" વાડીલાલ વૃજલાલ દોશી-લુણાવાડા

( રાગઃ-ભારત કા ઝંડા આલમ મે, ફહરાયા વીર જવાહર ને )

માલા ઓર તિલકકા રક્ષન. કિયા હય વલ્લભ પ્રભુજીને
કિયા હય વલ્લભ પ્રભુજીને, રખ્ખા હય વલ્લભ પ્રભુજીને
..........માલા ઓર તિલક.

યે લાલ શ્રીવિઠ્ઠલનાથ કે હય,
ઔર માતા અપની રૂકમાના હય,
પુષ્ટિ કી ધર્મ પતાકાકો, અપનાયી... વલભ પ્રભુજીને
... ...માલા ઓર તિલક

જબ પૂછે પ્રશ્નો જહાંગીર ને
જબાબ દિયે સતશાસ્ત્રો સે
દિલ્હીપતિ-જહાંગીર કો, ચમકાયા... વલભ પ્રભુજીને
---...માલા ઓર તિલક

વીર-વલ્લભીયો, ગભરાય ગયે,
શાન્તિ દીની સબ વીર ધીર કો,
ભક્તિ કો રોશન કરતે હુવે, ઝલકાવી-વલભ પ્રભુજીને
......માલા ઓર તિલક

ચિદ્ર પકો ચિત્ત, ચકોર હુવા,
માલાકા સચમુચ જતન હુવા,
"પુષ્ટિવાડી" પ્રણામ કરી કે, વધાવે......વલભ પ્રભૂજીને
"માલા ઓર તિલક" કા રક્ષન કિયા શ્રી વલભ પ્રભૂજીને

---



શ્રીનાથદ્વારા મંદિરના પ્રબન્ધની નવી દિલ્હી

## योजनानो प्रचंड विरोध

વડોદરાઃ-અહીં પૂ. પા. ગો. શ્રીપુરુષોતમલાલજી મહારાજ અમરેલીવાળાના પ્રમુખ પદે વડોદરાના સમસ્ત વૈષ્ણવોની એક વિરાટ સભા તા૦ ૧૪-૧૨-૫૫ ના રોજ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી ના મંદિરમાં ભરાઈ હતી. તેમાં પૂ. શ્રી નરહરિ શાસ્ત્રીજી શ્રી દ્વારકાદાસ પરીખ, શ્રી વિઠ્ઠલપ્રસાદ શાસ્ત્રી વગેરેનાં પ્રવચન થયાં હતાં, પ્રવચનોમાં નવી દિલ્હી યોજના સમ્પ્રદાય સિદ્ધાન્ત અને સેવા પ્રણાલી સંપૂર્ણ ઘાતક છે તેમજ કમીટીના સભ્યોએ ગો૦ શ્રી તિલકાયત મહારાજ શ્રીના વિરુદ્ધ મુંબઈ સમાચાર આદિ છાપાઓમાં જે અમાનવીય અને ગન્દો પ્રચાર કરેલો તેની અસત્યતા પ્રમાણોથી પુરવાર કરી હતી. અંતમાં પૂ૦ પા૦ સભાપતિ મહોદયે આ યોજનાના વિરુદ્ધમાં પગલાં લેવાની આવશ્યકતા ઊપર ભાર મુકયો હતો. પછી શ્રીનાથદ્વારા સામ્પ્રદાયિક સુરક્ષા સમિતિ મથુરા દ્વારા છપાયેલા વિરોધ પત્રમાં તમામ વૈષ્ણવોએ હસ્તાક્ષર કરવા શરૂ કર્યાં હતા અને એ વિરોધમાં એક મને સંપૂર્ણ સહયોગ આપવાની તીવ્ર ઇચ્છા દર્શાવી હતી છેવટે શ્રીનાથજી ના જયનાદ વચ્ચે સભાનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું.

## वैष्णव कमीटी से सेठ कल्याणजी लालजी का त्यागपत्र

ता० १७-९-५६ को श्रीनाथद्वारा में वैष्णव सब कमीटी बैठक हो रही है जिसके लिए बम्बई से सेठ कल्याणजी लालजी ने त्यागपत्र दे दिया है। स्मरण रहे इस मीटिंग के पूर्व भी सब कमीटी के नाम पर ठकाने के कर्मचारियों ने मनमानी कार्यवाहियां करली है।

---

From—Manager The "PRAKASH" Nathdwara ( Rajasthan )

Regd No, J·20

वार्षिक ६)
छः माही ३॥)
एक प्रति =)
स्थानीय ग्राहक प्रति
-)॥ आना

To ६१०
श्री० गो० श्री १०८ श्री विठ्ठलनाथजी महाराज
श्रीनथुलालजीनु मन्दिर
कच्छ (मांडवी)



सम्पादक:- मुद्रक और प्रकाशक:-पं. रघुनाथ पालीवाल, श्री महेश प्रिंटिंग प्रेस, "नाथद्वारा" [राजस्थान]

वर्ष ६ नाथद्वारा रविवार दि॰ २२ अप्रेल १९५६ अङ्क १४

# श्रीनाथद्वारा-प्रकरण पर उदयपुर डि. एण्ड शेसन कोर्ट में बहस

गोस्वामी ति॰ कायम महाराज श्री १०८ श्री श्री गोविन्दलालजी महाराज

आप इसी सप्ताह बम्बई एवं ग्रीष्म काल बिताने के लिए पहाड़ी प्रदेशों के लिए सपरिवार प्रस्थान कर रहे हैं। श्रीजी की सेवा में आपकी व्यस्तता प्रशंसनीय रही।

(हमारे विशेष सम्वाददाता द्वारा)

उदयपुर। १४ अप्रेल ५६ की अपूर्ण बहस दि॰ १६ अप्रेल ५६ को डि॰ एण्ड सेशन जज महोदय उदयपुर के न्यायालय में हुई।

गो॰ ति॰ महाराज श्री गोविन्दलालजी की ओरसे एडवोकेट श्री जी एल माली, श्री मूलराज के एडवोकेट श्री भट्टाचार्य, साकर भाई की ओर से श्री पटेल, सरकारी एड्वोकेट श्री गोविल एवं सप्तमेश महाराज श्री घनश्यामलालजी महाराज के एडवोकेट श्री मोहनलाल श्रीमाल की बहस हुई। प्रत्येक पार्टी ने श्री सप्तमेश का खूब विरोध किया। श्री श्रीमाल ने माननीय जज सा॰ का ध्यान कई ऐसी मुद्दे की ओर आकर्षित किया जिनका जिक्र स्कीम में है और उस से यह प्रमाणित होता है कि योजना किसी खास दृष्टि कोण की पूर्ति के लिए ही है, न कि पुष्टि सम्प्रदाय की उन्नति के लिए जैसा कि मुद्दायलों की ओरसे कहा जा रहा एवं मुद्दई की ओरसे भी समर्थन प्राप्त है।

माननीय जज सा॰ के एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमाली एवम् श्री पटेल एड्वोकेट ने यह स्वीकार कर लिया है कि श्री सप्तमेश को प्रोपर पार्टी मान लिये जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

× × ×

## नाथद्वारे में विकास खण्ड खुलेगा।

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नाथद्वारा में विकास खण्ड खोला जा रहा हैं। जिसका उद्घाटन मई के प्रथम सप्ताह तक होने की सम्भावना है।

### जयपुर में तृतीय अखिल भारतीय हाथ करघा सप्ताह कार्य-क्रम

जयपुर, २० फरवरी। जयपुर में तृतीय अखिल भारतीय हाथ करघा सप्ताह बडो धूमधाम से मनाया जा रहा है। २० से २५ फरवरी तक प्रतिदिन प्रातः १० बजे से तीसरे पहर ३ बजे तक घर घर जाकर हाथ करघा वस्त्र तथा सूत बेचा जायगा तथा ४ बजे से ५ बजे तक तकली एवं चर्खे पर कताई और हाथ करघे पर बुनाई प्रतियोगिताएं आयोजित की जायगी। इसके पश्चात हाथ करघा उद्योग के महत्व पर भाषण कवि सम्मेलन, गीत, राम धुन, नाटक तथा लोक नृत्य के कार्यक्रम रहेंगे और ७ बजे से रात्रि को ६ बजे तक फिल्म प्रदर्शन होगा।

सप्ताह अन्तिम दिन २५ फर्वरी को २ बजे से ४॥ बजे तक छात्रों तथा प्रौढों द्वारा तकली एवम् चर्खों पर कताई और हाथ करघों पर बुनाई की अन्तिम प्रतियोगिताएं होगी। इसके बाद ५ बजे से ७ बजे तक हाथ करघा सप्ताह समाप्ति समारोह होगा।

उक्त समस्त कार्यक्रम एलबर्ट हाल राम निवास बाग, में होंगे।

### भू-स्वामी संघ के ३ अन्य आन्दोलन कारी रिहा।

जयपुर, २२ फरवरी। राजस्थान सरकार ने भू-स्वामी संघ आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार एवं दण्डित ३ और आन्दोलनकारियों को शेष कारावास की अवधि से रिहा करने के आदेश दिए है। ये आन्दोलनकारी अभी जिला जेल भीलवाडा तथा सब जेल सीकर व नागोर में बन्दी हैं।

इन आन्दोलनकारियों की रिहाई से अब तक रिहा किए गए आन्दोलनकारियों की कुल संख्या २४८ हो गई है

### कोटा में डिविजनल समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय

जयपुर २२ फरवरी। कोटा डिवीजन में सारया परिवारों के पुनर्स्थापन की योजना को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार ने डिवीजनल समाज कल्याण अधिकारी के प्रधान कार्यालय को भरतपुर से तुरन्त कोटा स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिए हैं

### राजस्थान में ग्राम जल सहायता बोर्ड की प्रगति

### ६४८ कार्य पूरे किये गये

जयपुर, २१ फरवरी। राजस्थान ग्राम जल सहायता बोर्ड द्वारा राज्य के २५ जिलों में स्वीकृत ५,१३६ कार्यों में से ६४८ कार्य जनवरी के अन्त तक पूरे किये जा चुके हैं।

राज्य सरकार ने उक्त कार्यों के लिए कुल ६६,२३,०७५ रु० स्वीकृत किया था जिनमें से ३८,६३,०७५ रु० विभिन्न जिला जल सहायता बोर्डों को उनकी योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए दिए हैं।

उक्त ६४८ कार्य पूर्ण करने के अतिरिक्त २,७३६ कार्य ५० प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं और ४,४२७ कार्यों का निरन्तर प्रगति हो रही है। बोर्ड की योजनाओं को यथोचित रूपसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग १४० पूरे काम करने वाले कार्यकर्ता है।

### भू-स्वामी संघ के ९ अन्य आन्दोलनकारी रिहा

जयपुर, २१ फरवरी। राजस्थान सरकार ने भू-स्वामी संघ आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार एवं दण्डित ९ और आन्दोलनकारियों को शेष कारावास की अवधि से रिहा करने के आदेश दिए हैं। ये आन्दोलनकारी अभी जिला जेल उदयपुर तथा भीलवाडा और सेन्ट्रल जेल जयपुर में बन्दी हैं।

इन आन्दोलनकारियों की रिहाई से अब तक रिहा किए गए आन्दोलनकारियों की कुल संख्या २४५ हो गई है

## श्री गोकुलनाथजी नी सृष्टि ने विनन्ती

श्री गोकुल मां बिराजता श्रीगोकुलनाथजी ठाकुरजी ना मन्दिर सम्बन्धी मथुरा मां चालता केसनी ताजी खबरों साभली ने सम्प्रदाय ना सिद्धान्त आग्रही वैष्णवों ने घणुं ज दुःख थयुं छे अने ते सम्बन्ध मां केटलीक जगाओ थी मारा उपर पत्रों पण आव्या छे तेथी हु श्रीगोकुलनाथजी नी डाही सृष्टि अने तेमना तरफ थी केस लडती कमीटी ना सभ्यो ने करबद्ध प्रार्थना करुं छुं के जेमां सम्प्रदाय नुं वल्लभकुलनुं अने श्री गोकुलनाथजी नी सृष्टि नुं भलुं देखाय एवो मार्ग स्वीकारो आवेश मां आवी ने एवुं कोई काम न करो जेनाथी सम्प्रदाय मां सरकार अने सामान्य जनता नुं वर्चस्व कायम थाय। एमां कोइ सन्देह नहीं के श्री गोकुलनाथजी ठाकुर ना सुख माटे तेमनी बरबाद थती सम्पत्तिनी रक्षा ने माटेज आ केस वैष्णवो तरफ लडाय छे एमां कोइनाय स्वार्थ के [illegible] नथी तो पण हवे ज्यारे ए सम्पत्तिनी रक्षा ने माटे मन्दिर ने सार्वजनिक बनाववानुं पगलुं भराइ रहेलु संभलाय छे त्यारे मारी ते डाही कमिटी ने करबद्ध प्रार्थना छे के तेओ मंदिर ने सार्वजनिक न बनावतां महाराज श्रीनां लालजी ने गादी ना अधिपति रूपमां कोर्ट थी जाहेर करावे अने तेमनी नाबालगी पर्यन्त सरकारी प्रबन्ध हेठल मन्दिर ना वहीवट ने चलावे। एमां सम्प्रदाय ना सिद्धान्तनी गुरुघर नी अने श्री गोकुलनाथजी ना घरना वैष्णवोनी रक्षा अने शोभा छे.

उच्च कक्षा ना सोलीसीटरों ना अभिप्राय ने अनुसार सम्प्रदाय नुं कोइ पण मन्दिर जाहेर ट्रस्ट नथी अने आजना कोइ पण कानुनथी थइ शकतुं पण नथी त्यारे आपणे स्वयं ज तेने सम्पत्ति ना मोहमां आवी ने जो जाहेर ट्रस्ट अर्थात सार्वजनिक बनावी शुं तो आचार्यजी ना विलक्षण सिद्धान्त प्रति आपणो द्रोहज थयो गणाशे सम्प्रदाय मां सम्पत्ति नुं महत्व नथी किन्तु श्री ठाकुरजीनुज महत्व मानवामां आवे छे श्री ठाकुरजीनी रक्षा थती होय तो सम्पत्ति ने लात मारवी जोइए। ज्यां लक्ष्मी पति छे त्यां लक्ष्मी स्वयं एनी मेले आवी जशे। सुज्ञेषु किम्बहुना

—द्वारकादास परीख

**कहां गये वो लोग?**

वर्ष ६ ] नाथद्वारा, रविवार दि० २६ फरवरी १९५६ [ अङ्क ८

# नाथद्वारा सुरक्षा समिति के अध्यक्ष गो. श्री घनश्यामलालजी महाराज का नाथद्वारा शुभागमन। सेशनकोर्ट उदयपुर में वे स्वयं श्रीनाथजी के गार्जियन की हैसियत से तथा गो. श्री रघुनाथलालजी महाराज गोकुलवाले गो. तिलकायत के लालजी के गार्जियन की हैसियत से मुद्दायला बनने कि प्रार्थना करेंगे।

नाथद्वारा २५ फरवरी

श्रीनाथद्वारा-दिल्ली योजना के प्रसंग को लेकर नाथद्वारा सुरक्षा समिति के अध्यक्ष पू० पा० गो० श्रीघनश्यामलालजी महाराज सा० कामवन वाले दिनांक २३-२-५६ को प्रातः काल श्रीनाथद्वारा पहुंच पधार गये हैं। आपके साथ समाज के प्रसिद्ध विद्वान् 'वल्लभीय सुधा' मथुरा के सम्पादक श्री द्वारकादासजी परीख है। यहां आप श्री नाथद्वारा-दिल्ली-योजना विषय को लेकर उदयपुर सेशन में चल रहे मुकदमें में दिनांक ३-३-५६ को श्रीनाथजी के गार्जियन बनकर आब्जेक्शन फायल करेंगे। इसी प्रकार गो० श्री रघुनाथलालजी महाराज गोकुल वाले तिलकायत श्री के लालजी के गार्जियन की हैसियत से मुद्दायला बनने की प्रार्थना करेंगे। इस अभियोग की कानूनी पैरवी करने के लिए मध्यभारत आगर के प्रसिद्ध सीनीयर एडवोकेट श्री चतुर्भुजदासजी ता० २८-२६ को पधार रहे हैं। इसी प्रकार उज्जैन के एडवोकेट श्री जमनादासजी कालानी भी यहां शीघ्र ही पहुंच रहे हैं।

नाथद्वारा २५ फरवरी

स्थानीय श्री गोवर्द्धन कन्या पाठशाला में वार्षिकोत्सव मनाए जारहे हैं। जिसमें कविताप्रतियोगिता, सङ्गीत प्रतियोगिता तथा उद्घाटन का कार्य दिनांक २५-२-५६ को सम्पन्न हुए। माननीय मजिस्ट्रेट मुंसिफ श्री तुलसीदासजी ने उद्घाटन कार्य की रस्म अदा की। कविता प्रतियोगिता में सु.श्री कला देवी गुर्जर गोड प्रथम तथा सु. श्री जयादेवी पालीवाल द्वितीय रहीं। इसी प्रकार संगीत में सु.श्री भानुमति प्रथम, जयादेवी पालीवाल द्वितीय रहीं तथा श्री कान्ता तृतीय रहीं। अभी अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, वैषवैचित्र्य एकाभिनय, तथा 'मीरां' नामक अभिनय एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रहीं हैं। सुना है, गो. ति. श्री गोविन्दलालजी महाराज सा. छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु पारितोषिक वितरण के दिन स्थानीय श्रीगोवर्द्धन कन्याशाला में पधारने की कृपा करेंगे।

# प्रकाश

पृष्ट ३

सम्पादकीय—

॥ जयहिन्द ॥ समाजवाद जिन्दाबाद दिनांक ६-१-५६


## 'प्र का श'

नाथद्वारा १५ जनवरी, ५६

### श्रीनाथद्वारा व्यवस्था—

श्रीनाथजी के मन्दिर पुष्टि सम्प्रदाय और यहां की व्यवस्था के संबन्ध में आज एक उथल पुथल और नए अध्याय का सूत्रपात होने जारहा है। माननीय पं. पंत जी के समक्ष उपस्थित होकर सम्बन्धित व्यक्तियों ने इस पर विचार करने के बाद एक नवीन दिल्ली योजना का जन्म हुआ है जो भारतीय विधिसंहिता की धारा ६२ के अन्तर्गत न्यायालय में डिक्री लेने हेतु प्रेषित हो चुका है। वैष्णव पुष्टि सम्प्रदाय के संबन्धित व्यक्ति व अनुयायियों में इस योजना का तीव्र विरोध जागृत हो गया है। तिलकायत महाराज श्री इस विषय पर मौन हैं। और जब तक कमीटी के लिए प्रस्तावित योजना का अन्तिम निर्णय न हो अन्य पावर ऑफ आटर्नी के आधारपर कमीटी ने कार्यारम्भ भी कर दिया है।

सन् १६३४ से लगाकर लाखों रुपये की बर्बादी १६४३ तक मुकदमों के नामपर यहां की हुई और उसके बादभी पूरा युग समाप्त हो चुका कोई उचित और निर्णीत हल नहीं निकला। कमीटी के सदस्यों में भी मतभेद और असंतोष पाया जारहा है।

असंतोष व विरोध चाहे कैसा ही हो उसका अच्छा परिणाम कभी नहीं आता जन जागरण आरम्भ में छोटे रूपमें होकर उसके औचित्य से बादमें जाकर भीषण हो जाता है इसकी साक्षी इतिहास दे रहे हैं।

दिल्ली योजना अधूरी और अनुपयुक्त है उसका इसी रूपमें लागू होना अनुचित है। तिलकायित महाराजश्री और सम्प्रदाय के अनुयायियों को समय रहते इस पर गम्भीरता से विचार कर कोई उत्तम हल निकालना चाहिए अन्यथा हमें भय है कि पहले की तरह गतिअवरोध बढकर व्यर्थ का अपव्यय और मत भेद न बढजाय और जिसके कटुअनुभव करने पड़ें।

## नाथद्वारे के श्रीनाथजी के मन्दिर की योजना ( दिल्ली योजना )

# इस सांस्कृतिक केन्द्र के लिए घातक

दिल्ली योजना के अंतर्गत निर्मित तथा कथित व्यवस्थापक कमीटी की बैठक यहां आजसे होने जारही है।

व्यवस्थापक कमेटी योजना के शब्दों में ही स्वयं अप्रजातांत्रिक है। इसके शतप्रतिशत सदस्य वैष्णव जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और अधिकांश सदस्य पुष्टिमार्ग के विधिविधान से भी परिचित नहीं है। या स्वयं विधान से च्युत हो चुके हैं। इस प्रजातांत्रिक युगमें इस तरह की कार्यवाही वस्तुतः एक मखौल है। जिसे जन साधारण सहन नहीं कर सकता।

योजना की धारा ३५ में व्यक्त है कि 'ट्रस्ट एक्ट की धारा २० इस योजना पर लागू नहीं होगी" ट्रस्ट एक्ट की धारा २० के अन्तर्गत सम्पति के देन लेन पर प्रतिबन्ध है। योजना की धारा ३५ के अनुसार इस केन्द्र की सम्पत्ति सुरक्षा के लिए कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं रहता है। और इस केन्द्र की सम्पत्ति खुर्दबुर्द होने की सम्भावना है। जिसका असर नाथद्वारे की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।

योजना में स्थान २ पर राजस्थान सरकार का हवाला दिया गया है। किन्तु वह जब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि कोई आर्डिनेन्स या एक्ट इस सम्बन्ध में धारा सभा से पास न कराले। इस प्रकार की कानूनी अड़चनें समय आने पर व्यवस्थापक कमेटी के सदस्य ही उठाएंगे और अपनी धींगा धींगी कर सकते हैं।

क्या कांग्रेस के अनुयायी जो 'इस व्यवस्थापक कमेटी' के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इस सांस्कृतिक केन्द्र के विधि विधान पर चल सकेंगे और कांग्रेस के कार्यक्रम को बालाएताक रक्खेंगे?

इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्थापक कमीटी को कर्मचारियों की सेवा आदि के सम्बन्ध में नियमोपनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत सब सरकाराधीन कर्मचारियों की सुविधाऐं समान हैं। व उनके सम्बन्ध में नियमोपनियम भी एक से होने चाहिए कमेटी अपने मनमकसूद नियम बनाकर कर्मचारियों के अधिकारों को कुचल सकती है। जिसकी सुनवाई के लिए कोई गारन्टी नहीं दी गई है।

गोस्वामीजी की मजबूरियों का लाभ उठाकर अपना स्टन्ड चलाना हुकुमत की पार्टी के लिए अशोभनीय है। हम इस नीति का विरोध करते हैं। दिल्ली योजना केवल मृगमरीचिका ही है। जब तक कि इसमें जनता के सही प्रतिनिधि नहीं है। तथा इसकी वैधानिक स्थिति नहीं है।

हम हुकुमत तथा जनता से अपील करते हैं कि दिल्ली योजना पर उस तबके का जनमत अवश्य लिया जाय जिसका इससे संबन्ध है।

गोस्वामीजी की इस तरह कार्यवाही करने की प्रवृत्ति अनुचित है एवं न्याय संगत नहीं मानी जा सकती। क्योंकि वे भी एक तबके की कुर्बानियों पर ठहरे हुए हैं। जिसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि है।

अच्छा हो, यदि इस प्रश्न को ठण्डे दिमाग से फिर सोचा जाय और समय रहते जनता की उभडती हुई भावनाओं का समाधान किया जाय और भविष्य में आनेवाले विक्षोभ से बचाया जाय। क्रमशः

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाथद्वारा—
प्रचार विभाग

प्रकाश



# भारतवर्ष के प्रमुख वैष्णव नगरों से दिल्ली योजना के विरोध में सहायता देने के आश्वासन प्राप्त

## विरोध में कई पत्र प्राप्त, वैष्णव सत्याग्रह को तयार

१ आगरा और आस पास के ग्राम २ कलकत्ता ३ हरदोई ४ उज्जैन ५ अहमदाबाद ६ बंबई ७ जयपुर ८ काशी ९ कोटा १० मनोहरथाना ११ भोपाल १२ देहली १३ मोवइया १४ इन्दौर १५ सिद्धपुर १६ पाटण १७ लखनऊ १८ सेमुर और आस पास के गाम १९ वदनाण २० अमृतसर २१ इलाहाबाद २२ पीपरिया और आस पास के गाम २३ दाहोद २४ कराला २५ छिगनघाट २६ डभोई २७ बडोदा २८ बहादुर पुर २९ घोगाजी ३० वेरडो ३१ दुर। ३२ नागपुर ३३ आकोला ३४ बरहानपुर ३५ मद्रास ३६ हैदराबाद ३७ सिकन्दराबाद

अन्य भी छोटे मोटे कई गावों से विरोध पत्र और हस्ताक्षर आए हैं। हस्ताक्षर की कुल संख्या ७५७४६ आज तक हुई हैं और ५०० से ऊपर विरोध पत्र हैं। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वैष्णव सृष्टि अब भी सङ्गठित और जाग्रत है उसको उच्चे और निःस्वार्थ नेताओं की आवश्यकता है वैष्णवों के कुछ प्रेरक अभिप्राय यह है।

(१) श्रीमान् के विचार "प्रकाश" पत्र में विदित हुए कि श्रीजी की तरफ और अपनी परम्परा संस्कृति देश. धर्म, अर्थ, वेद परम्परा ऋषि आचार्य प्रणाली की ओर भावनाओं की ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। श्रीगुरुदेव वल्लभाचार्यजी की जीवनी तथा आपके ग्रन्थों से विदित होता है कि आप श्रीने आदर्श उच्च कोटि का सिद्धान्त दिखाया है।

श्रीमान् की भावनाओं को देखकर हम सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई अतः सेवकों की आपसे प्रार्थना है कि श्रीनाथजी के साथ ही अखिल भारतीन श्रीवल्लभाचार्यजी के मन्दिर निधि का कुल एकीकरण का भार भी आप स्वयं अपने हाथों में लें।

—स्वयं सेवक समिति, इलाहाबाद
५-३-५६

### प्राण देकर भी सम्प्रदाय की मर्यादा की रक्षा आवश्यक!

(२) पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय-सादर दंडवत्।

यदि सत्याग्रह की आवश्यकता होगी तो मैं भी अपने साथ के अनेक वैष्णवों को लेकर आऊँगी। श्रीपरीखजीका मथुरा से पत्र है कि सत्याग्रह अन्तिम शस्त्र है। उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। अभी उदयपुर कोर्ट में दावा पेश होगा। मेरे विचार से तो प्राण देकर भी सम्प्रदाय की मर्यादा का रक्षा करनी चाहिए। आप जैसे योग्य आचार्य के नेतृत्व में रहकर वैष्णव अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। किन्तु यदि सभी उपाय असफल हो जाँय तो केवल ठाकुर स्वरूपों का अलग पधरा के मन्दिर छोड़ दिया जाय। प्रभु जहां भी विराजेंगे धन ऐश्वर्य फिर आयगा। मैं श्रीनाथजी के लिए प्राण अर्पण कर चुकी हूं। इसलिए जब भी जैसी आज्ञा होगी मैं पालन को तैयार हूँ। परीखजी से कहें मेरे ऊपर कृपा कर पत्र द्वारा समाचार देते रहें। मैं हर समय आज्ञा पालन को तैयार हूं।

आपकी-
विष्णुप्रिया प्रपन्ना मु० सैनीपुर
ता० २७-२-५६

(३) पूजनीय आचार्यजी।

सम्प्रदाय के इतिहास से यह पूर्ण रूपेण सिद्ध है कि श्रीनाथजी और अन्य निधियां सम्पूर्ण समाज का नहीं किन्तु श्री वल्लभाचार्य तथा श्रीगुसाईजी द्वारा पधराई हुई होने से उन्हीं के वंशजों की ही हैं। उन पर श्रीगुसाईजी के वंशजों का ही संपूर्ण अधिकार है। समाज का उन पर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यह धर्म निरपेक्ष है।

(१) श्रीनाथजी की सेवा का अधिकार केवल टिकेत श्रीका ही नहीं है। बरन समस्त गोस्वामि बालकों का है। श्रीनाथजी की निधि समस्त गोस्वामि बालकों की है इसलिए टिकेत श्री के हस्ताक्षर करने से या योजना स्वीकृत करने से प्रबन्ध कमेटी का अधिकार नहीं हो सकता है।

(२) कमेटी के व्यक्ति सेवा प्रणाली से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। इसलिए वे इस योजना में शामिल हुए हैं। अन्यथा तनिक भी ज्ञान सम्प्रदाय का होता तो वे त्यागपत्र दे देते।

(३) हम वैष्णव लोग दास हैं, स्वामि नहीं। अतः हमको केवल सेवा रूप से अधिकार का कर्तव्य रहता है। स्वतन्त्र प्रबन्धक रूप से नहीं है।

(४) श्रीनाथजी का द्रव्य सेवार्थ आता है उसको बिजली पाठशाला आदि जन सामान्य उपयोग में लगाने का किसी को अधिकार नहीं है।

(५) यह योजना धोखे की टट्टी है। इसमें कमिटी का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं रखा गया है। कोरम के अभाव में कमिटि के उपस्थित एक या दो व्यक्ति भी सब उचित अनुचित कार्य कर सकते हैं जिसमें श्रीनाथजी के आभरण पत्र, खिलौना आदि बेचना, परिवर्तन करने का भी कहा गया है।

(६) प्रतीत होता है कि कुछ धनिकों का मन श्रीनाथजी का वैभव देखकर चलायमान हुआ है। और वे उसे सरकार के आश्रय में कुछ का कुछ करना चाहते हैं। जौहरियों को अहमदाबाद और बम्बई से बुलवाना और श्रीनाथजी के बिक्री का मोल करवाना आदि घटित घटनाएं इस बात की साक्षी हैं।

(७) कमिटि में जो सच्चे वैष्णव होंगे वे इस योजना का प्रत्यक्ष विरोध करेंगे।

यदि सत्याग्रह की आवश्यकता हो तो हम लोग तैयार हैं। समाचार दें। परीखजी को साथ में अवश्य रखें।

—जगदीश नारायण महरोत्रा हरदोई
ता० २४-२-५६

मेन कम्पनी खोल कर जनता प्राण रक्षा की अफसोस है ! ठिकाने की नोकर शाही ने योजना निर्माण के समय ऐसे रेकार्ड को रोटी राम बन कर पेडों में बांध कर रक्खा दहली जाते समय श्रीमदाचार्य चरण को साथ नहीं दिया ।

टीकायत महाराज श्री श्री भागी भूल में बिराज रहे हैं उन्हीं को निज का तथा उन छोटे २ लालबावा का गौरव साधन साथ ले जाना था नई योजना के निर्माण के प्रथम समय में क्रोड संख्यक वैष्णव समुदाय के प्रान्तीय चुनाव में आये हुए वैष्णव बुलाने थे उनके शामिल श्रीमदाचार्य वंशजों को करना था फिर मिटिङ्ग जोड़ कर बहुमत निष्कर्ष की प्रबन्ध योजना तरतीब देना था ऐसा कोई विधान सम्पादन नहीं किया और योजना की कलमें लिखी गई एसी क्षत विक्षत योजना यदि श्रीमदाचार्य चरण टीकायत महाराज श्री ने स्वयं बनवाई हो या स्वीकार की होतो वह कानूनी सबूत की ताकत नहीं रखती ।

क्रोड संख्यक वैष्णव समुदाय को तथा श्री मदाचार्य वंश को कदापि मान्य न होगा । श्री छोटे लालबावा जब बालिग होंगे निज वंश परम्परा का गौरव छिन जाने का रेकार्ड देखकर परेशानी उठावेंगे और पितृ चरण की भूलों को अफसोस के साथ देखेंगे ऐसी स्थिति में हमारा लोक प्रिय सरकार के लिये कोटि श्रध्दा व्यक्त करना है कि राशन कालके जमाने में भी श्री गोवर्द्धननाथजी के सेवा भोग इत्यादि पदार्थों का टीकायत श्री मदाचार्य चरण श्री गोविन्दलालजी महाराज के साथ पूर्ण सन्मार्ग रख कर सेवा प्रणाली सदा भांति निभाई किन्तु श्रीमदाचार्य टीकायत के संचालन में नई सौंधी सत्ता का उपयोग नहीं किया ।

भुलाई जा रही वैष्णव धर्म का परम्परा से चली आई प्रणाली । भुलाई जा रही मेवाड के महाराणा की रक्षक सत्ता । भुलाई जारही कर्तव्य परायण जनसमूह की भावना । भुलाया जा रहा श्रीमद् वैश्वानरवत श्री जगद् गुरु श्री मद्वल्लभाचार्य के सिध्दांत का मर्म । कुचला जा रहा धर्म निरपेक्ष भारत में महकने वाले पुष्प का अन्तिम अभिवादन यह है—

न्याय की प्रतिभा को दृष्टि सान्निध्य रख कर सर्व सम्मत योज ना बना कर क्रोड संख्यक वैष्णव समुदाय एवं श्रीमदाचार्य वंशको वैष्णवो सन्तोषप्रद सूचना शीघ्र प्रसारित की जाय ।

निवेदक—
अम्बालाल हरलाल जोशी
नाथूवास

श्रीपति नगर तिलकायत गोवन्दलाल
बाल रवि पाछली निशा को दूर भायो है ।
अवनीलौं तम तोम व्योमतें छिवार पर्यौ
निन्दक उलूकन ने घोर सोर छायो है ॥
पानी के बबुला लों बिलाइ जहिहैं दिनही में
जिनने कुचक्र चक्रधारी के भमायो है ।
सूर पै उछारिहे जे धूर धूर तेही खांहि
सेवा सुलेन को समैया अब आयो है ॥ १ ॥

रचयिता—
**कविरत्न गोविन्द शास्त्री मारूगली मथुरा**

# श्री श्रीनाथजी मन्दिर की व्यवस्था हेतु कमेटी योजना

## अनुपयुक्तः—

सज्जन,

श्रीनाथजी और आचार्य चरणों का प्राकट्य एक कालावच्छिन्न होने से अभेद सिद्ध है । तदनन्तर श्री गुसाईजी के समय श्रीकृष्णदासजी अधिकारी हुए थे, यह ठीक परन्तु उन्हें भी श्री गुसांईजी ने अनिच्छा से ही उपरणा दिया अर्थात् उन्हें भी अपराध का अनुभव करके भूतयोनि प्राप्त हुई । तदनन्तर से श्री तिलकायित द्वारा निर्णीत अधिकारी ही सेवा करते रहे हैं । परन्तु बलिहारी इस समय कि अब कुछ धनपति दैवी कार्यों में भी हस्तक्षेप करने को इतने अधिक लालायित हो रहे हैं जिन्होंने आज चलती गाड़ी में रोडा अटकाना ही अपना लक्ष्य बनाया है जब स्वयं श्रीमान् हुजूर अपनी अनिच्छा होते हुए भी इनके ऊपर जिम्मेवरी का सब भार सौंप करके नाथद्वारा छोड कर बम्बई बिराजे तो यही लोग श्री महाराज श्री की निन्दा करते नहीं अघाये; और बात २ में अनेक प्रकार की विवशताएं भी सम्मुख लाने लगे; परन्तु दुरवासा गुरु निन्दा का महान् पाप ही पाले पडा जो वास्तविक वैष्णव होगा वह तो कभी श्री गुरु-घर का प्रबन्ध कर्ता होना स्वीकार नहीं करेगा वह तो केवल श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही परम कर्तव्य ऐसा जान कर केवल सेवा का ही अधिकारी रहेगा ।

यह तो हुई श्रीमहाराज का अनिच्छा से भी मुंबई बिराजना और उनके पीछे कमेटी की करतूत और यही सत्य स्पष्ट प्रकट होरहा है कि अब श्रीमान तिलकायत स्वेच्छा से या श्रीजी की इच्छा से स्वय ही यहां बिराज कर सेवा और तत्सम्बन्धी सुचारु प्रबन्ध कर रहे हैं तो भी झूठी दुर्भावनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही है । स्वार्थ में अन्धे होकर सर्वथा मिथ्या प्रचार करना गुरु तथा इष्ट के प्रति दुर्व्यवहार एवं स्वार्थ सिद्धि को स्पष्ट प्रकट करता है । सत्य कसौटी पर भी सत्य ही रहेगा इसलिए यदि स्वार्थ रहित सेवाभाव होता या हो तो आज भी कमेटी के एकादश सदस्यों में से जो भी श्रीकृष्णदास जैसा त्यागी गुरु भक्त और भगवदीय होने का अभिमान करे वह स्वयं महाराज श्री के सन्मुख जाकर उपस्थित हों ! अधिकार सेवा का शपथ पूर्वक बीडा उठावे तब तो आज्ञा पूर्वक अधिकार सेवा मर्यादित पालन हुई अन्यथा अनाथ या अतिथि के समान गुरु घर की आलोचना या पञ्चायत करना गोड बन्दी कर हित व अनहित न देखना अनुपयुक्त तथा अति ही निन्दनीय है । श्रीनाथजी की संपत्ति दैवी संपत्ति है तथा सदा ही से ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा ही रक्षा की गई है सुरक्षित रखी भी गई है और ऐसे ही सदा सुरक्षित रखी जाएगी । हम आप वैष्णववृन्द तो सेवक है सेवा के अधिकारी हैं व्यवस्था के नहीं मालिक बिराजमान अपने घर की देख रेख कर रहे हैं स्वयम् व्यवस्था में दक्ष है सर्व समर्थ है मन्दिर प्रजा सब उन्हीं को चाहती है इसलिए अन्य किसी रुकावटी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

"छीत स्वामी गिरिधरन श्री बिट्ठल"
जेई तेई तेई अई कछु न सन्देह

निवेदक—
व्रज साहित्य नवनीत कवि मण्डल मथुरा

# श्रीनाथद्वारा दिल्ली-योजना का सर्वत्र विरोध ।

[ निम्नांकित पत्र श्रीनाथद्वारा—दिल्ली योजना के विरोध स्वरूप गोस्वामी श्री १०८ श्री घनश्यामलालजी महाराज एवं गो० ति० महाराज श्री व्रजभूषणलालजी महाराज के पास भेजे गये हैं । पू० पा० गो० जी ने इन पत्रों की प्रतिलिपि "प्रकाश" में प्रकाशनार्थ भेजी है। हम उन्हें अक्षरशः प्रकाशित कर रहे हैं। ये पत्र इस बात के द्योतक हैं कि वर्तमान दिल्ली-योजना के प्रति वैष्णवों में कितना अविश्वास है।—

—सम्पादक]

## चिट्ठी-पत्री

पुष्टिमार्ग इलाहाबाद ।

श्रीमद्वल्लभ कुल भूषण श्री गो० श्री घनश्यामलालजी के चरण कमलों में सेवक का दंडवत् ।

श्रीमान के विचार 'प्रकाश' पत्र में विदित हुए कि श्रीजी की तरफ और अपनी परम्परा संस्कृति देश धर्म रक्षार्थ वेद परम्परा ऋषि-आचार्य प्रणाली की भावनाओं की ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। श्री गुरुदेव वल्लभाचार्यजी की जीवनी तथा आपके ग्रन्थों से विदित होता है कि आप श्री ने आदर्श उच्च-कोटि का सिद्धान्त दिखाया और भगवत सेवा वाजन हित चिन्तन में ही अपना अमूल्य समय दिया।

श्रीमान की भावनाओं को देखकर हम सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई अतः सेवकों की आपसे प्रार्थना है कि श्रीनाथजी के साथ ही अखिल भारतीय श्री-वल्लभाचार्य मन्दिर-निधि का कुल एकीकरण का भार भी आप स्वयं अपने हाथों में लें ताकि यह सुचारू रूप में चल सके। आपको विदित हो कि यहां पर हम लोगों ने श्री गुरुदेव वल्लभाचार्य मन्दिर निधि एकीकरण स्वयं सेवक समिति गोकुल व्रज की स्थापना की है।

हम लोग आपसे आशा रखते हैं कि इस समिति का आप यथा उचित सहयोग प्रदान करें और सम्मति दें कि हम लोग किस प्रकार भविष्य में कार्य करें।

आपश्री के चरण कमलों में—

रामकृष्णदास का दंडवत

पूज्यपाद १०८ श्री व्रजभूषणलालजी महाराज मथुरा।

आपश्री के चरण कमलों में दासानुदास रामकृष्णदास का साष्टांग दण्डवत स्वीकृत हो।

आप श्री द्वारा श्रीनाथद्वारा के विषय में महत्व पूर्ण अभिप्राय मथुरा से छपा है पढ़कर बहुत ही आनन्द होता है हमारे काशीस्थ महाराज श्री के भी यही अभिप्राय हैं वे भी गो० बालकों के संगठन और सम्मेलन के पक्ष में हैं कारण समयानुसार सम्प्रदाय के रक्षा का कार्य करना चाहिए और इस समस्या का निराकरण अवश्य करना चाहिए। मैंने श्री दीक्षितजी महाराजश्री को लिखा था उनका तार से जवाब आया कि आप श्री को लिखा जाय सो मेरा अभिप्राय यह है कि आप वहां मथुरा में एक बृहत साम्प्रदायिक गो० वर्ग सम्मेलन की योजना करें और उस सम्मेलन में श्रीमद् आचार्य चरण के सिद्धांत एवं समय के अनुकूल क्या परिवर्तन करना चाहिए इसका निराकरण करें तो सम्प्रदाय की उन्नति होगी अन्यथा धीरे धीरे मर्यादा एवं भक्ति मार्ग का ह्रास होता जायगा।

आपश्री के चरणों का दासानुदास—

रामकृष्णदास का दंडवत

## दिल्ली योजना का विरोध—

हमारे सर्वस्व श्रीजी की सेवा एवं अन्य व्यवस्थाओं में सम्प्रदायेतर बाहरी किसी का भी हस्तक्षेप घातक है और असह्य है। श्रीमद्वल्लभ प्रभु तथा श्री विट्ठलेश प्रभु चरण द्वारा निर्दिष्ट परम्परागत प्राचीन प्रणाली के अनुसार आज पर्यन्त श्रीजी की सेवा जो हो रही है वह उसी रूप में भविष्य में चालू रह सकेगी यह अब एक शङ्का का विषय होगा, नवीन दिल्ली योजना से कदापि हमारे सम्प्रदाय की एवं हमारी निधियों की सुरक्षा होना कठिन है। वर्तमान काल तथा शासन से किसी प्रकार की अपेक्षा रखना भ्रामक है। समय भयंकर प्रस्तुत हो गया है। इस प्रवाही काल में प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे। दिल्ली योजना का विरोध अत्यावश्यक है। ऐसे समय में पूज्यवर्य समस्त गोस्वामी बालकों का तथा वैष्णवों का संगठन होना अनिवार्य है। श्रीजी वल्लभ वंशजों के मुख्यतः और समस्त वल्लभीय सृष्टि की एक अमूल्य निधि हैं। वहां की मर्यादा की सुरक्षा के लिए सामूहिक और संगठित विरोध होना आवश्यक है। काशी का वैष्णव समाज आप श्री के नेतृत्व में विश्वास रखता है और पूर्ण सहयोग देने का प्रस्ताव स्वीकृत कर चुका है

—कृष्णदास आढतिया

## श्री काशी में पु. मा. वैष्णवों की सभा—

पूज्यपाद गोस्वामी श्री मुरलीधरलालजी महाराज की अध्यक्षता में काशी के पुष्टिमार्गीय वैष्णवों की सभा जो दि० माघ सु० १२ को रात्री के समय एकत्रित हुई थी उसमें श्रीनाथजी के ठिकाने की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जो दिल्ली योजना उपस्थित की गई है उसका तीव्र विरोध किया गया था। यह योजना श्रीजी की परम्परागत सेवा प्रणाली एवं सम्प्रदाय की मर्यादा के लिए घातक होगी। यह सभा मन्दिर सुरक्षा समिति की कार्यवाईयों से सहानुभूति प्रदर्शित करती है और गो० श्री घनश्यामलालजी महाराज के नेतृत्व ग्रहण करने की प्रशंसा करती है और उनको आश्वासन दिलाती है कि काशी की वैष्णव जनता पूर्ण रूप से आपके कार्य में सहयोग देगी और साथ ही समस्त गोस्वामी बालकों से सविनय अनुरोध करती है कि वे दिल्ली योजना का सामूहिक रूप से विरोध करें।

# प्रकाश

पृष्ठ ४


# मुख्यमंत्री की विद्यार्थियों से ग्रामीणों से सम्पर्क साधन की अपील

जयपुर, १ मार्च। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने छात्रों का आह्वान किया कि वे अवकाश के समय देहातों में समाज सेवा शिक्षा प्रसार एवं विकास कार्यों के प्रति लोगों में अधिकाधिक उत्साह पैदा करके समाज के ऋण को चुकावे।

श्री सुखाड़ियाजी कल सायंकाल यहां महाराजा कालेज छात्रावास के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, बताया कि राज्य के विभिन्न भागों में क्रान्तिकारी नदी घाटी योजना एवं अन्य अनेक विकास कार्य बहुत तेजी से कार्यान्वित किये जारहे हैं जिन्हें देख कर हमारा आत्म विश्वास दृढ़ होता है।

आपने कहा कि देश के विभिन्न भागों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देखने से ही हो सकती है। आपने बताया कि राजस्थान के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली योजनाओं में भाखरा बांध विशेष उल्लेखनीय है। बड़े पैमाने पर बनाये जाने वाले बांध के निर्माण कार्य को देख कर हमारे इन्जिनियरों की दक्षता एवं कार्य कुशलता का परिचय मिलता है।

श्री सुखाड़िया ने कहा कि महान विकास कार्यों के सम्पन्न होने पर अन्तरिम काल में देश के निवासियों को गरीबी व बेकारी से जो संघर्ष करना पड़ रहा है उसका अन्त हो जावेगा आज जो प्रयत्न किये जारहे हैं उन्हें देखने से विश्वास होगा कि हमारा भविष्य उज्जवल और आशामय है।

## श्री धोराजी (सौराष्ट्र) में नाथद्वारा-दिल्ली-योजना का विरोध।

(ડાક દ્વારા)

આજે રવિવાર તા૦ ૨૬-૨-૫૬ ના દીને સાંઝના ચારના સમયે શ્રી ધોરાજી મોટી હવેલી માં "વૈષ્ણવ સંગઠન" અને "શ્રીનાથદ્વારા ના પ્રકરણ" એ વિષયોં પર ચર્ચા વિચારણા માટે સોની મોહનલાલ છગનભાઇ ના પ્રમુખપદે મળેલ જાહેર સભા માં ઉપરોક્ત વિષયેાં અંગે ચર્ચા વિચારણા કરી નીચે મુજબના ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર કરવામા આવ્યા.

આજના વિષયોં અંગે નીચેના વક્તાઓએ પોતાનું વક્તવ્ય સભા સમક્ષ રજુ કર્યું.

१. સંઘાડીઆ ત્રિભોવનદાસ જગજીવનદાસ વાઢેર.
२. પારેખ ભગવાનજી ગોરધનદાસ વકીલ
३. ધોડાધરા મગનલાલ નાથાલાલ બી. એ.
४. પટેલ ઠાકરસી ગોરધન ઉધાડ
५. પારેખ નટવરલાલ મોતીચન્દ
६. પટેલ દેવસી ભાઈ પ્રેમજીભાઈ ડેસીયા બી. એ. એલ. એલ. બી. એડવોકેટ
७. સોની મગનલાલ છગનભાઇ

ઠરાવ નં૦ ૧

એમ ગામ ધોરાજી સોરાષ્ટ્રના સર્વે વલ્લભીય વૈષ્ણવોં શ્રીનાથદ્વારા શ્રીનાથજીના પ્રબન્ધની દિલ્લી યેાજના નો સખ્ત વિરોધ કરી છીએ કેમકે તે યેાજના અમારા સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત રીત રીવાજ અને સેવા પ્રણાલી ની સંપૂર્ણ ઘાતક છે. આ યેાજનાથી વલ્લભીય સંપ્રદાયના નિજ મુખ્ય ઠેકાણા શ્રીનાથજી સાર્વજનિક થઇ જાય છે તેમજ પ્રબન્ધક કમીટી ના જે શખ્સોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેમના ઉપર અમારો વિશ્વાસ નથી વળી તેઓ સમસ્ત વલ્લભીય સમાજ ના પ્રતિનિધિ નથી એટલા માટે અમે સર્વાનુમતે અનુરોધ કરીએછીએ કે આ યેાજના વહેલી તકે રદ કરી એક નવા રૂપમા પુષ્ટિમાર્ગીય સમ્પ્રદાયના સિદ્ધાન્ત તેમજ પરમ્પરાની રક્ષા નું હીત ધ્યાનમાં રાખી સમસ્ત ભારતના [illegible] શ્રી ગોસ્વામીજી બાલકોં તેમજ વૈષ્ણવોના પૂર્ણ સહયેાગથી નવી યેાજના બનાવવી એમ આ સભા ઇચ્છે છે.

ઠરાવ નં૦ ૨

આજની સભા ધોરાજીના વૈષ્ણવોંના સંગઠન માટે ઠાવવે "શ્રી ધોરાજી પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ મણ્ડળ" ની સ્થાપનાને ખાસ જરૂરી માને છે કારણ કે સાંપ્રદાયિક વર્તમાન પરિસ્થિતિ માં વૈષ્ણવ સિદ્ધાન્તોં તથા સંસ્કારોં જાણવી રાખવા સાંપ્રદાયિક સાહિત્યના પ્રચાર તથા શિક્ષણ માટેવ તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ મેળવવા માટેની કોઇ સંસ્થા ધોરાજી માં અસ્તિત્વ માં નથી જેથી આજે "શ્રી ધોરાજી પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ મંડળ" ની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને તેમાં કાર્યવાહી કમિટીનાં નીમણુક થતાં સુધી કામ ચલાઉ પ્રમુખ પરમ ભગવદીય શ્રી ગાંધી મોતીચન્દ વસરામ ને ચુંટી કાઢવામાં આવે છે.

From—Manager The "PRAKASH" Nathdwara (Rajasthan)

Regd No, J·20

वार्षिक ६)
छः माही ३॥)
एक प्रति =)
स्थानीय ग्राहक प्रति
=)॥ आना

मुद्रक और प्रकाशक पं. रघुनाथ पालीवाल, श्री महेश [illegible] नाथद्वारा (राजस्थान)

वर्ष १ ] नाथद्वारा, रविवार दि० १८ मार्च १९५६ [ अङ्क १०

# राजस्थान विधान सभा मे श्रीनाथद्वारा-प्रकरण पर बहस

श्री टीकाराम पालीवाल ने नाथद्वारा-दिल्ली योजना को लेकर काफी आलोचना कर सरकार द्वारा उसमें पक्षपात नीति से काम करने का आरोप लगाया जिसका उत्तर दिनांक १५ मार्च को राजस्व मन्त्री श्रीदामोदरलालजी व्यास ने देते हुए बताया कि—

नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था वैष्णवों के पारस्परिक झगड़ों के कारण यह समस्या जटिल होगई है। जून सन् १९५२ में श्री तिलकायत महाराज द्वारा मुख्तार नामा देकर बनाई जिसे बादमें रद्द कर कर दिया गया जिस का तिलकायत श्री को कानूनी अधिकार था, जिसे रद्द करने की राय भू० पू० मुख्य मन्त्री श्री जयनारायण व्यास ने दी थी। अप्रेल ५५ में दूसरी बैठक नाथद्वारा में हुई जिसमें राज्य सरकार ने एक राय से होने वाले समझौते का समर्थन किया था उसके २१ सदस्यों में राजस्थान का १ भी सदस्य नहीं था। अतः राज्य ने एक प्रतिनिधि सरकारी व एक वैष्णवों का रखने की मांग की आदि।

## श्रीनाथद्वारा ठिकाने की प्रबन्ध की दिल्ली योजना पर—

पू० पा० गो० श्री ६ व्रजभूषणलालजी कांकरोली वालों

— का —

## महत्वपूर्ण अभिप्राय

दोनों ओर की वास्तविक परिस्थितियों के समुचित अध्ययन के अनन्तर यह प्रकाशित करना उचित प्रतीत होता है कि श्रीनाथद्वारा संबन्धित प्रस्तुत दिल्ली-योजना तो सम्पूर्ण रूपेण सर्वथा अस्वीकार्य है ही, फिर भी श्री तिलकायत महाराज तथा श्रीनाथजी के मन्दिर की परिस्थितियों कीभी आजके समयमें उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए सर्व सम्मति से-जिसमें गोस्वामी बालक और इस सम्प्रदाय के चुस्त अनुयायी हों—श्रीनाथजी के मन्दिर के प्रबन्धार्थ एक नई योजना तैयार करनी आवश्यक है। उसमें सम्प्रदाय की मर्यादा की पूर्ण रूपेण रक्षा के साथ मन्दिर विषयक आर्थिक प्रश्नों और श्री तिलकायत महाराज के सम्माननीय स्थान का भी समुचित सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है।

इस विषय पर विचार करने में श्री तिलकायत महाराज की अध्यक्षता में प्रमुख गोस्वामिएँ तथा सम्प्रदाय के माननीय विद्वान् और सद्गृहस्थ वैष्णवों की एक परिषद् शीघ्र बुलाई जाय और उसमें आजके समय के सभी आवश्यक प्रश्नों पर विचार कर सर्व सम्मति से नई योजना बनाई जाय।

श्रीनाथजी और उनका मन्दिर सम्प्रदाय के करोड़ों अनुयायीओं का श्रद्धा केन्द्र है। इसलिये उनके इतिहास और गौरव की रक्षा करना प्रत्येक सम्प्रदायप्रेमी आचार्य और वैष्णव का अनिवार्य कर्तव्य है।

ता० १२-३-५६

गो० श्रीव्रजभूषण शर्मा
कांकरोली-मथुरा

—नगर निगम उदयपुर ने इस वर्ष होली पर्व को अश्लीलता एवं गंदे ढंग को छोड़ कर पूर्ण शिष्ट एवं सांस्कृतिक ढंग से मनाने का निश्चय किया है।

श्री आनन्द टॉकीज नाथद्वारा

श्रीआनन्द टॉकीज नाथद्वारा के लेनदार दि० २५-३-५६ के पूर्व का जो कुछ लेना देना हो उसका विवरण मेरे पास शीघ्र भेजदें। अन्यथा टॉकीज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिए पहले 'रजत पट' में भी छपवा दिया गया है। इसके पाटनरों की आखीर मिटिंग ता० २८-३-५६ को मुखिया सा. श्रीधनालालजी के निवास स्थान पर १ बजे दिन को होगी।

रघुनाथ पालीवाल
—जनरल मैनेजर

सूचना:—

प्रिय पाठक गण!

गतांक की सूचना के अनुसार अभी नए टाईपों की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण यह अंक ४ पृष्ठों का ही प्रस्तुत किया जारहा है। आगामी होली-अंक पूर्ण सज धज एवं सविस्तार प्रस्तुत किया जायगा। अतः पाठक गण क्षमा करें।

—सम्पादक

( પૃષ્ઠ ૪ સે આગે )

આ પ્રકારે ગરુડાસન જેવો સર્વોચ્ચ આસને પ્રાપ્ત ઈશ્વર ને બેસવાને કયું આસન આપી શકાય તેમજ કૌસ્તુભ જેવા ઉત્તમ અને અમૂલ્ય આભુષણ થી ભૂષિત ભગવાન ને જીવ કયું આભૂષણ ધરાવી શકે છે. ઈત્યાદિ ઇશ્વરીય માહાત્મ્ય ને અંગે જીવ તેની સેવા કરી શકે તેાજ નથી.

બાલભાવ વલ્લભ સંપ્રદાયનીજ એક મહાન દેન છે. બીજા કોઇ સમ્પ્રદાય માં બાલભાવ ની સેવા છેજ નહીં એથી શ્રી વલ્લભાચાર્યજી ના ઘરમાંજ બાલભાવથી શ્રીકૃષ્ણની સેવા થઇ શકે છે. યદિ આ સેવાને ચાલુ રાખવી હોય તેા આચાર્ય ગૃહને કાયમ રાખવું અનિવાર્ય છે આચાર્યનું ઘર એજ કહેવાય જ્યાં આચાર્ય સર્વત્ર સત્તા હોય. અન્યથા આચાર્ય ગૃહના અભાવમાં આ સેવા પ્રણાલી ને બન્ધ કરી ઇશ્વર ના માહાત્મ્યની પૂજા પદ્ધતિ ને શ્રીનાથદ્વારા મન્દિર માં ઠોકી બેસાડવી જોઇયે. કમિટિના સભ્યો ઉત્તર આપે કે તેઓ બેમાથી કઇ વાતને રાખવા માગે છે. ચાલુ યેાજના માં સાંકર્યપણું છે એમા નતેા ઈશ્વરીય માહાત્મ્યની પૂર્ણ સિસ્ટમ છે. ન પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા પ્રણાલીની લેશ પણ રક્ષા થયેલી છે.

( ૪ ) "સમસ્ત વૈષ્ણવોની હર પ્રકારની ભલાઇ અને તેની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને" ઠેકો ( કોન્ટ્રાક્ટ ) રાખનાર કમિટિ ને વલ્લભીય વૈષ્ણવો પૂછે છે કે કલમ ૨૪।૧૦ ને અનુસાર મંદિરમાં હરિજનોને "પ્રવેશ" કરાવીને તેમજ શ્રીનાથજી ના પૈસાનેા તે સમ્બન્ધી ભાવી લડાઇ ઝગડા માટે કોર્ટ માં ખર્ચ કરાવીને અમારી કયા પ્રકારની ભલાઇ અને આધ્યત્મિક ઉન્નતિ તમે કરી શકશેા? કૃપા કરીને એનેા અવશ્ય ઉત્તર આપશેા અને તે સમ્પ્રદાના કયા સિદ્ધાન્તને અનુસાર છે તે પણ અવશ્ય જણાવશેા.

( ૫ ) તમને વલ્લભ સમ્પ્રદાયના વૈષ્ણવોનુ પ્રતિનિધિત્વ કોણે આપ્યું છે અને તેનેા સ્વીકાર કયા કયા વૈષ્ણવોએ કર્યો છે એનાં જરા નામ બતા વવાકતલીફ લેશેા.

( ૬ ) કલમ ૨।૩ ની "સમ્પ્રદાયના નિશ્ચય આદિથી શ્રીનાથજીના મંદિરનેા વહિવટ કરવાની" તમારી યેાજના માં જે વોટ સિસ્ટમ અને સભ્યો ના પરિવર્તન આદિની કલમો છે તે સમ્પ્રદાયના કયા નિયમ અને નિશ્ચય ને અનુસાર છે તે જણાવવા કૃપા કરશેા ? સંપ્રદાય નાં કયા ગ્રન્થ માં કે કઈ પ્રણાલીથી એની પુષ્ટી થાય છે ?

( ૭ ) કલમ ૩।૪ માં ઉલ્લિખિત તિલકાયત મહારાજ ની "સર્વોપરિતા અને સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ તરીકેની સ્થિતિ" અન્ય સભ્યોનેા તેમના સમાન કાસ્ટીંગ વેાટનેા અધિકાર તેમજ કાર્યકારિણી કમિટિઓ માટે તેમની સમ્મતિ તકની આવશ્યકતા નેા અભાવ બતાવીને શું જળવાઇ શકે છે ? કમિટિ ના બુદ્ધિમાન સદસ્યેા આનેા ઉત્તર આપવા બતાવીને શુ જળવાઈ શકે છે? કમિટીના બુદ્ધિમાન સદસ્યેા આનેા ઉત્તર આપવા અવશ્ય કૃપા કરશેાજ.

( ૮ ) શું આ સમ્પૂર્ણ અસંગ યેાજના વલ્લભ સમ્પ્રદાયના નિયમ નિશ્ચય આદિ સાથે એક ધોકાબાજી નાં રૂપમાં તેા ઉપસ્થિત કરવામાં નથી આવતી ? એમાં કોરટ અને રાજસ્થાન સરકાર ના હસ્તક્ષેપ પરિવર્તન આદિનો અધિકારોને સુરક્ષિત રાખીને વલ્લભ સમ્પ્રદાયના ઊપર પરિવર્તનશીલ મનેાવાંછિત કલમો ઠોકી બેસાડવાનું નાટક તો નથી કરેલું ?

( ૯ ) કમિટીકોને જબાબદાર છે ? યેાજનામાં એનો ખુલાસો નથી કમિટિ ના મેંબરેાં વૈષ્ણવોં ના ચુટાયલા નહીં હોવાથી તેમની બહુમતિના નિર્ણય વૈષ્ણવ સમાજ ને કેવી રીતે માન્ય થઈ શકે છે.

( ૧૦ ) શ્રીનાથજીના પેસા થી હાલમાં રૂપીયા એક લાખ અને તીસ હજાર માં પાવર હાઉસ બાંધવાની કમીટી ને શી જરૂરત પડી ? દૈવી દ્રવ્ય નો એટલેા મેાટેા અન્ય વિનીયેાગ શા માટે કરવેા જોઈએ ? એમાં શ્રીનાથજી ને શું સુખ છે ? નાથદ્વારા ની પ્રજા ને પણ એથી શેા લાભ છે ? એનો ખુલાસેા પત્રોમાં અવશ્ય કરશેા

અમે વૈષ્ણવોં આશા રાખીએ છીએકે આ પ્રશ્નેાની ચેાખવટ કમેટી અવશ્ય કરશેજ અન્યથા વૈષ્ણવેાને કમીટી ને કોઈપણ પ્રકારનેા સહયેાગ નહીજ આપે અને એનાં ગમ્ભીર પરીણામેા પણ આવશેજ

પ્રકાશકઃ—
શ્રીનાથદ્વારા સાંપ્રદાયિક મર્યાદા
સુરક્ષા સમીતિ–મુંબઈ
માનદમન્ત્રી
શ્રીઅંબાશંકરણદાસ મં, ચાવલા
૮૫–૮૭, વિઠ્ઠલવાડી
૩ જો માળે. મુમ્બઈ ૨,

---

उदयपुर के नागरिकों में काफी उत्साह और स्फूर्ति नजर आ रही थी जबकि हरिजनों ने महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए मन्दिर में उसके निर्माण के पश्चात् आज प्रथम वार प्रवेश किया। जगदीश में हरिजनों के प्रवेश की स्मृति नागरिकों के हृदय में चिरकाल तक बनी रहेगी क्योंकि वह मंदिर हिन्दु पुरातनपन्थियों का गढ माना जाता रहा

जयपुर, ३० जनवरी। राजस्थान के स्वायत शासन मंत्री, श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता आज दोपहर को कार द्वारा सुमेरपुर के लिए प्रस्थान कर गये हैं। आप वहां ३१ जनवरी को नेशनल वालंटीयर फोर्स की परेड का निरीक्षण करेंगे तथा विकास क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को देखेंगे और १ फरवरी को तीसरे पहर जयपुर लौट आयेंगे।

जयपुर, ३० जनवरी। राजस्थान सरकार ने भूस्वामी संघ के आन्दोलन के सम्बन्ध में दण्डित २८ और बंदियों को उनके शेष कारावास से मुक्त करते हुए रिहा करने की आज्ञा दी है। इनमें से ७ बन्दी अभी जयपुर सेन्ट्रल जैल में है तथा २ सब जेल सीकर, २ डिस्ट्रिक्ट जेल, अलवर, ३ सेन्ट्रल जेल जोधपुर, और १४ डिस्ट्रिक्ट जेल, कोटा में है।

# ०प्रकाश०



# श्रीनाथद्वारा नी प्रबन्धक कमिटिने पुछाता वल्लभीय वैष्णवों ना प्रश्नो-

આ યોજનામાંથી ઉઠતા પ્રશ્નો ના સન્તોષકારક ઉત્તરો સરકાર સમર્થિત શ્રીનાથદ્વારાની પ્રબન્ધકતા કમિટિના સભ્યો અમો વલ્લભીય વૈષ્ણવોંના સમક્ષ રજુ કરશે એવી આશા છે જો તેમ નહીં કરે તો તેઓ પોતાના હાથેજ—

( ૧ ) યોજના કલમ ૬/૨ ના પુષ્ટિમાર્ગીય નિયમ ( સેવા પ્રણાલી ) નિશ્ચય ( સિદ્ધાંત ) આદિને અનુસાર ઉલ્લિખિત પ્રબન્ધની સ્વ[illegible]ગ્યતા ને વલ્લભીય સમાજમાંથી ખોઇ બેસસે.

( ૨ ) ઉક્ત અયોગ્યતા ના કારણે તેઓ વલ્લભ સંપ્રદાય નાં વૈષ્ણવોનુ પ્રતિનિધિત્વ નથી ધરાવતા એમ સિદ્ધ કરશે અને તેથી યોજનાં માં બતાવેલી તેમની પ્રતિનિધિ પણાની પ્રતિષ્ઠા ની નાલાયકી તે સ્વત: સ્પષ્ટ કરી દેશે.

( ૩ ) ઉદેપુર, જોધપુર, અમદાવાદ, મુંબઇ, કલકત્તા આદિ કોરટો માં તેમની યોગ્યતા ને [illegible] ને વૈષ્ણવ જનતા ને [illegible]

( ૪ ) વૈષ્ણવ જનતા નો સપૂર્ણ ખોફ વ્હારી લેશે જેનાં ભાવી ગમ્ભીર પરિણામો ની જુમ્મેવરી પોતેજ ઓઢી લેશે     सुज्ञ षु किं बहुना !

❁ પ્રશ્નાવલી ❁

"પુષ્ટિમાર્ગ ના નિશ્ચય ( સિદ્ધાંત ) ને અનુસાર" તેની સેવાનો પ્રત્યેક કૃતિ ગુરૂની આજ્ઞાથીજ થવી જોઇએ. મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી "નવરત્ન" ગ્રન્થ માં આજ્ઞા કરે છે "सेवाकृतगुरोराज्ञा" એટલે કે સેવા ગુરૂની આજ્ઞાથી કરવી એથી મન્દિરની સેવામાં અધિકારીથી લઇને મુખિયા સુધીના બધાજ સેવકોં ગુરૂની આજ્ઞાથીજ નિયુક્ત થાય છે. અને તે તે સેવા કરે છે. એ 'નિયમ' આજ સુધી સમ્પ્રદાય માં જળવાતો આવ્યોં છે ને યોજના માં એ 'નિશ્ચય' અને 'નિયમ' ને અભરાઇ ઉપર મૂકી દઇ રોજસ્થાન સરકાર અને કમીટીની આજ્ઞાથીજ સેવકોંના નિયુક્તિ પ્રત્યેક સેવામાં સ્વીકારાઇ છે. ગુરૂપદે બિરાજમાન તિલકાયત ને કોઇ પણ વ્યક્તિની નિમણુંક કરવાનો અધિકાર નથી આપ્યો એટલે હવે શું સમ્પ્રદાય ના ગુરૂપદે વૈષ્ણવોએ કમીટી નાં સભ્યો ને કે રાજસ્થાન સરકારનેજ માની લેવી ? એનો ઉત્તર આપવા વિનન્તી છે

( ૨ ) જો તેઓ ગુરૂસ્થાને બેસે તો તેમને સમ્પ્રદાયના બ્રહ્મસંબંધ દેવા આદિના અધિકારો પણ પ્રાપ્ત થાય છે કે કેમ એ પણ ખુલાસા કરવા વિનન્તી છે.

( ૩ ) સમ્પ્રદાયના 'નિશ્ચય' (સિદ્ધાંત) પ્રમાણે પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી યશોદોત્સંગ લાલિત' કૃષ્ણનીજ સેવા થાય છે. 'जानीत परमं तत्वं यशोदोत्संग लालितम् । तदन्यादिति ये प्राहुरासुरां स्तान हो बुधाः ।' આ 'અણુભાષ્ય' ના આદેશ ને અનુસાર યશોદોત્સંગ લાલિત શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઇ ને પરમતત્વ કહેતો તેને આસુર જાણવા એ હિસાબે પુષ્ટિમાર્ગનુ પરમેતત્વ શ્રી યશોદોત્સંગ લાલિત શ્રીકૃષ્ણ છે એનો નિવાસ શ્રી નન્દરાયજી ઘરમાંજ રહેલો છે. એ નન્દરાયજી નુ ઘર શ્રી વલ્લભકુલનુજ ઘર છે એથીજ નન્દમહોત્સવ માં ગોસ્વામિ બાલકોં નન્દ યશોદા પ્રભૃતિના વેશ ધારણ કરી પ્રભુને પાલને ઝુલાવે છે આમ શ્રી વલ્લભકુલનુ ઘર તેજ નન્દરાયજીનું ઘર છે સમ્પ્રદાય ના 'નિયમ' નિશ્ચય રીતિ રીવાજ અને અમલ' આદિને અનુસાર' પુષ્ટિમાર્ગીય ઠાકુર શ્રી વલ્લભકુલનાં ઘરમાંજ પ્રતિષ્ઠિત રહે છે. આ યોજના માં આ ઘરનો સમૂલો નાશ કરી દેવામાં આવ્યો છે કેમકે વિદ્યમાન ગૃહપતિ તિલકાયત સત્તા વિહીન પ્રમુખ પદે રાખી "આ બધું ઘર તારુ પણ હુકુમ મારો" એ કહેવત ને ચરિતાર્થ કરવામાં આવી છે રાજસ્થાન સરકાર અને કમીટીની આજ્ઞા બીના તિલકાયત કોઈ પણ વ્યક્તીની નિયુકતી કરી શકતાજ નથી એથા તેઓ નામમાત્ર નાજ પ્રમુખ છે આ રીતે મંદિર આચાર્ય ગૃહ મટીને પબ્લીક મહાજનનુ ગૃહ બને છે મહાજનનું ઘર ન હોય તેમને તો ન્યાય કરવાને માટે વાડી ચોરો હોય છે ત્યાં બેસી ને તેઓ ન્યાય કરે છે એટલે આ સિસ્ટમ થી બાલભાવ ના પુષ્ટિમાર્ગીય ઠાકુરજી ત્યાં રહેતા નથી કેવલ ઇશ્વર ભાવનીજ સત્તા માત્ર રહે છે ઈશ્વરની સેવા થઈ શકતી નથી કેમકે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:- "किं आसने ते गरुडासनाय किं भूषणं ते कौस्तुभ भूषणाय । इत्यादि"

( શેષ પૃષ્ઠ ૭ પર )

From—Mânager The "PRAKASH" Nathdwara ( Rajasthan )     Regd No, J·20

वार्षिक ६)
छः माही ३॥)
एक प्रति =)
स्थानीय ग्राहक प्रति
-॥) आना

सम्पादक :- मुद्रक और प्रकाशक :- पं. रघुनाथ पालीवाल, श्री महेश प्रिंटिंग प्रेस, "नाथद्वारा" [ राजस्थान ]

(शेष पृष्ट ८ का)

में व सडक कूटने का रोलर कम मूल्य में बेच दिया तथा और भी कई बाते हैं।

दिल्ली योजना का दावा इस्व दफा ६२ जा. दी. सेशन कोर्ट में चल रहा है उसके लिए वकील तथा एडवोकेट और बेरिस्टरों से सम्मतियां लीं जाकर शीघ्रही एतराज दाखिल किये जारहे हैं।

शीघ्रही अखिल भारतीय वैष्णवों का विशाल सम्मेलन बुलाने की भी तयारी हो गई है। सयोजक ने कार्यारम्भ कर दिया है।

ता. १०।१।५६ को चौपाटी पर योजना विरोधी सभा हुई जिसमें श्री पालीवाल वैद्यराज मन्नालालजी, सुन्दरलालजी गौरवा सज्जन शर्मा के भाषण हुए।

कमीटी के नाराजगी के सर्व प्रथम शिकार
पं० भगवानदासजी 'सुमन'
श्री खर्चभंडारी नाथद्वारा

**नाथद्वारे में पावर हाउस**

ठिकाने नाथद्वारा ने शीघ्रही एक बडा पावर हाउस बनाने का निश्चय किया है।

× × ×



[ नकल ] श्रीवल्लभ

गोस्वामि श्रीगोविन्दलालजी
महाराज श्रीनाथद्वारा
डभोइ मां पुष्टि सम्प्रदाय नो वैष्णवोंनी
विरोध सभा

ता० ३०-१२-५५ ना रोज डभोइ मां श्री द्वारकानाथजी ना मोटा मन्दिर मां श्रीनाथजीना वहीवट बदल राजस्थान सरकार अने मध्यस्थ सरकारे एक योजना तयार करी छे ते सामे विरोध करवा एक सभा राखवामां आवी हती तेमां सहेरनां अग्रगण्य सद्गृहस्थ ते श्री जमनालाल माणेकलाल मगनलाल कापडिया वकील जमनादास तथा वकील पुरुषोतमदास तथा नानालाल त्रिभोवनदास विगेरे लोकोए सारी संख्या मां हाजरी आपी हती

सभानुं प्रमुख स्थान सेठ अम्बालाल मोतीलाल कन्ट्राकटरने आपवामां आव्युं हतु अने त्यार बाद श्री द्वारकादास परीखे आ योजना पाछळनो इतिहास अने योजनानी रूप-रेखा समजावी हती अने त्यार बाद नीचे प्रमाणे ठरावो करवामां आव्या हता,

[ १ ] सदर योजना अमारा सम्प्रदायना सिद्धांत रीत रिवाज अने सेवा प्रणालीनी घातक छे,

[ २ ] तेनी कलमो एक मेक थी परस्पर विसंगत छे

[ ३ ] अमारा सम्प्रदायना मुख्य ठाकोरजी सार्वजनिक बनाववामां आवे छे

[ ४ ] आ योजना पुज्यपाद गोस्वामि श्री गोविन्दलालजी ने राज्य शासकोंए दिल्ली बोलावी पोताना प्रभावथी गेर वाजवी दबाण वापरी मन्जुर कराववामां आवी छे

[ ५ ] आवी कांई योजनो स्वीकार करवा-पुज्य पाद गोस्वामि श्रीगोविन्दलालजी ने तेओना ऊत्तराधिकारी ना हित विरुद्ध तेमज सम्प्रदायनी मर्यादानी सुरक्षा विरुद्ध कोउ पण प्रकारनो हक्क नथी

[ ६ ] योजना होटल कमीटी ना सभासदों ना नामो जे जाहेर करवामां आव्या छे तेमना उपर अमारो विश्वास नथी अने तेओ अमारू प्रतिनिधित्व धरावता नथी अने तेमने मार्गनी प्रणाली नु ज्ञान नथी माटे तेमनी कमेटी वाली आवी योजना तुरत रद्द करवी जोइए

[ ७ ] आवी कोइ पण योजना अमोने सम्भव नथी पण अमारो विरोध होवा छतां कोइ योजना सरकार ने करवीज होयतो ते पुष्टिमार्गीय युक्त वैष्णवोंना सभासदों नी एक कमीटी निमीण करवी अने तेनो अमल पूज्यपाद गोविन्दरायजी महाराज ना पुत्र लायक उमरना थता सुधी थई सके अने ते पछी तेमना पुत्र जो पोते वहीवट करवा चाहे तो कमीटी बरखास्त करी पोते स्वतन्त्र वहीवट सम्भाली शके ते प्रमाणे स्पष्ट उल्लेख होवो जोइए

[ ८ ] श्रीनाथजी नी सेवामां प्रत्येक व्यक्तिनी नियुक्तिनो अधिकार पुज्यपाद गोस्वामि तिलकायत श्रीनेज होवो जोइए अने तेमना सभावमां तेमना प्रतिनिधि गोस्वामि प्रचारक महाराज श्री ने सेवा विगेरे आज्ञा बाबत मां अधिकार होवो जोईए अने तेवा अधिकारी नी नियुक्ति करवानो हक्क फकत पु० गो० श्री तिलकायतजीनोज होवो जोईए तेवी बाबत मां कमीटी मात्र सलाहकार रूपेज होवी जोइए

[ ९ ] श्रीनाथजीना वहीवट मां हस्तक्षेप सेवा विषय मां राजस्थान किम्वा मध्यस्थ सरकारनो कोइ पण जातनो हस्तक्षेप न होवो जोइए

[ १० ] वहीवट करनार कमीटी मां भारत वर्ष ना प्रत्येक प्रांतना बे पुष्टि मार्गीय वैष्णव होवा जोइए अने तेमनी कुल संख्या एकवीस राखवी

उपर प्रमाणे ठरावो सर्वानुमते करवामां आव्या छे तेनी जाण लागता वळगता सर्व ने करवा प्रमुख श्रीने सत्ता आपवामां आवे छे ता० ३०-१२-५५

अम्बालाल मोतीलाल सही पोते

# नाथद्वारा योजना सर्व प्रकारेण घातक है।

श्रीनाथद्वारा प्रकरण एवं श्रीनाथद्वारा की नई योजना के ऊपर प्रायः एक मास के सतत विचार और मन्त्रणाओं के पश्चात् हमको यह उचित लगता है कि इस विषय में सर्वथा मौन सेवन यह समग्र सम्प्रदाय के हिताहित की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है।

श्रीनाथद्वारा के समान एक परम पवित्र धर्मस्थान के प्रबन्ध सम्बन्धी योजना बनाई जाय और उस पुनीत धर्म केन्द्र को अपना सर्वस्व मानने वाले पुष्टिमार्गियों को श्रीनाथद्वारा की इस नूतन प्रबंध योजना से सर्वथा अपरिचित रखा जाय। यह हकीकत वास्तव में खेदजनक समझी जायगी।

वास्तविक रूप से तो इस योजना का हिन्दी की प्रत्येक भाषा में अनुवाद कराकर उसकी प्रतियां मुक्त हस्त से प्रत्येक पुष्टिमार्गियों में वितरण कराना था। और सम्प्रदाय के अनुयायियों का अभिप्राय प्राप्त करने के पश्चात् ही इस योजना को अन्तिम स्वरूप देना उचित था। पुष्टिमार्गीय जिस योजना के अन्तरंग स्वरूप से सर्वथा अपरिचित हों, वह योजना उनको स्वीकार्य कभी भी नहीं है। यह वस्तु सरकार एव योजना के निर्माताओं को खास ध्यान में रखनी चाहिए।

बम्बई अथवा अन्य एक दो स्थानों के केवल १०-१२ व्यक्ति ही समग्र सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हों। इस प्रकार की सरकार की एवं योजना के निर्माताओं की मान्यता भयंकर भूल से भरी हुई है।

और ऐसे १०।१२ व्यक्तियों को समग्र सम्प्रदाय की बहुसंख्यक वैष्णव जनता के प्रतिनिधि होकर बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन व्यक्तियों का सम्प्रदाय की समस्त जनता ने अपने प्रतिनिधि कह कर वरण नहीं किया है। उस प्रकार के अधिकार से ये लोग सर्वथा वञ्चित ही हैं। इससे श्रीनाथद्वारा की नवीन प्रबन्ध योजना का स्वरूप कोई डिक्टेटर (सर्वेसर्वा) द्वारा निर्माण व्यवस्था कौंसिल के समान है।

जनतन्त्र को रूंधने के लिए यह इरादा पूर्वक कुत्सित प्रयास है। और इसे दुर्भाग्य से हमारी जनतन्त्रात्मक सरकार का सहयोग मिल रहा है। यह तो महान् दुर्भाग्य का ही विषय है।

श्रीनाथजी समग्र सम्प्रदाय के आराध्य देव हैं। यह हकीकत सर चिम्मनलाल सेतलवाड 'के एवार्ड' द्वारा भी निर्णीत हो चुकी है। इन संयोगों में पुष्टिमार्गीय वैष्णव समस्त का प्रतिनिधत्व रखने वाले व्यक्तियों को ही श्रीनाथद्वारा की प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी योग्य निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होता है।

तदनुसार इस योजना का निर्माण करने वाले व्यक्तियों को भी समस्त पुष्टिमार्गीय वैष्णव जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्तकरना परमावश्यक हो जाता है।

श्रीनाथद्वारा सम्बन्धी नई योजना में व्यवस्थापक कमेटी के सदस्य होने की योग्यता का विचार करने वाली धारा में "पुष्टिमार्गीय" शब्द को व्यवस्ति तरीके से इरादा पूर्वक ही निकाल दिया गया है। यह अत्यन्त खेद जनक है। उस जगह मात्र वैष्णव शब्द रखा गया है। यह सहेतुक है— पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का गम्भीर अहित करने का।

पुष्टिमार्गीय वैष्णव इस प्रकार की चाल से पैदा होने वाले कुपरिणामों के प्रति अच्छी तरह सजग एवं सावधान हैं।

इसलिए यहां पर रखा हुआ केवल "वैष्णव" शब्द उनको कभी स्वीकार नहीं हो सकता है।

इस विषय में समग्र पुष्टिमार्गीय जनता का अभिप्राय लिया जाय तो हम निर्भिकता के साथ कहते हैं कि हमारा उपरोक्त कथन ही सर्वथा सिध्द होनेवाला है।

यद्यपि इस धारा के पहिले की धारामें "पुष्टिमार्गीय वैष्णव सांप्रदायिक रीति से सेवा होनी चाहिए।" ऐसा आग्रह रखा गया है। यह वस्तुतः सैध्दांतिक दृष्टि से आंशिक रूप में उचित है परन्तु केवल "वैष्णव" शब्द वाली धारा का विचार करने से सेवा का यह स्वरूप विरूप होजाने से बच नहीं सकता, यह निर्विवाद है। इस कारण से हम योजना की दूसरी धारा में भी 'पुष्टिमार्गीय वैष्णव' इन शब्दों का समावेश करना परमावश्यक मालूम होता है। इन शब्दों का समावेश विना किये नाथद्वारा योजना को स्वीकार करने का कदम पुष्टिमार्गीय वैष्णवों के लिए सम्पूर्णतः आत्म घातक है।

विशेष इस योजना के निर्माणकर्ता व्यक्ति यदि पुष्टिमार्गीय वैष्णव ही हैं तो वह इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा ही रजिस्टर्ड कराने का दुराग्रह क्यों सोचते हैं।। यह सब हकीकत पुष्टिमार्गीय जनता के हृदय में शंका शीलता का वातावरण पैदा करने वाली है।

हमारी तो निःशंक यह मान्यता है कि जयपुर हाईकोर्ट में इस योजना को रजिस्टर्ड कराने के लिए पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का प्रतिनिधित्व रखने वाली कमेटी में से ही कोई एक दो पुष्टिमार्गीय वैष्णवों की नियुक्ति होनी चाहिए।

तदुपरांत इस योजना की अन्तिम धारा में "इमरजेन्सी" की जो बात कही गइ है उसके द्वारा गर्भित रूपसे राजस्थान सरकार को जो योजना में हस्तक्षेप करने का अबाधित अधिकार सौंपा गया है।

यह कदम कानून दृष्टि से जरा भी लोकतन्त्रात्मक नहीं है। इस "इमरजेन्सी" का निर्णय भी उपरोक्त पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का प्रतिनिधित्व रखने वाला कमेटी के सदस्यों की बहुमती द्वाराही किया जाय ऐसी व्यवस्था योजना में सम्मिलित करना अत्यन्त आवश्यक है।

अन्त में हमको इतना ही कहना है कि पुष्टि मार्ग के सर्वस्व श्रीनाथजी के प्रबन्ध की व्यवस्था सम्बन्धी होनेवाले हमेशा के निर्णय के समय समग्र पुष्टिमार्गीय वैष्णव जनता सदोदित जाग्रत रहकर इस निर्णय को अत्यन्त सावधानता पूर्वक योग्य स्वरूप देने के कार्य में सतत प्रवृतीशील रहें। यह श्रध्देय गोस्वामी आचार्यों का सम्प्रदाय के विद्वान् पन्डितों का एवं समस्त पुष्टिमार्गीय वैष्णव जनता का प्रधान कर्तव्य हो जाता है।

गो० दीक्षित

गुरुवार ८।१२।५५ ] गोस्वामी श्री मधुसूदनलालजी

गुजराती से अनुवादकः आचार्य श्री यमुनावल्लभ गोस्वामी शास्त्री

द्वारपरायण परमानंद श्रीकृष्ण के मुखारविंद-स्वरूप श्रीमद्वल्लभाचार्यचरण का प्राकट्य भी इसी ऋतु में वैशाख कृष्ण ११ को हुआ है और आपश्री का उत्सव महान् आनंद एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है–और क्यों न हो, क्योंकि आपश्री हैं:–

श्रीभागवतपीयूषसमुद्रमथनक्षमः ।
तत्सारभूतरासस्त्रीभावपूरितविग्रहः ॥ (श्रीसर्वोत्तमस्तोत्र)

आपश्री ने ही—

सेवा रीति प्रीति व्रज जन की जन हित जग प्रगटाई ।
(अनुसंधान–'प्रगट ह्वेमारगरीति दिखाई'—श्रीहरिरायजी)

श्रीमहाप्रभुजी ने अपने सेवकों के कल्याण के अर्थ, श्रीमद्भागवत रूपी अमृत समुद्र का मंथन कर उसके सारभूत, ब्रजजनों की सेवा की रीति और प्रीति का मार्ग, प्रगट किया है–जिसका एक प्रकार है यह वसंत फाग की लीला ।

इस महान् अवसर, श्रीमहाप्रभुजी के प्राकट्य, को अपने अन्तर्गत प्राप्त कर ऋतुराज वसंत पूर्ण काम हुआ है !

धन्य धन्य ऋतुराज वसंत !

## जोधपुर वरिष्ठ न्यायालय का निर्णय-1

व.वि. वर्ष-१ सं.१० पृष्ठ ७

## श्री श्री १०८ श्रीमान् तिलकायित महाराज श्री के प्रकरण में

# जोधपुर वरिष्ठ न्यायालय का निर्णय

### नाथद्वारा टेम्पल एक्ट की अनधिकृत धाराएं !

हाल ही में श्रीमान् तिलकायित महाराज श्री के writ प्रकरण में जोधपुर के वरिष्ठ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह पुष्टिमार्गीयों के हितों पर महत्वपूर्ण निकट प्रभाव डालने वाला होने से उसके प्रमुख निष्कर्षों का यहां उल्लेख किया जाता है ।

स्मरण रहे श्रीमान् तिलकायित ने सन् १९५९ में एक writ अर्जी जोधपुर हाइकोर्ट में दी थी, जिसमें कहा गया था कि श्रीनाथजी के मंदिर की सम्पूर्ण सम्पत्ति उनकी निजी सम्पत्ति है—और विशेषकर श्रीमदनमोहनजी एवं श्रीनवनीतप्रियजी का मंदिर जो टेम्पल एक्ट में 'मंदिर' की परि-

हुए ख्याल करें ठिकाने की नौकरी से उसको मुअत्तिल (Suspend) कर दें।

४०—नाथद्वारा का मोतीमहल श्रीमान् महाराज साहब तथा उनके परिवार के बिराजने का स्थान होगा। उनका तपेली, सफर खर्च, नौकर तथा अन्य उपभोग की वस्तुएं दी जायगी जिनमें मोटर कार व इनके दर्जे के अनुसार कार शामिल है। परन्तु इस प्रकार के समस्त खर्चों का जोड़ ३०००) रुपये मासिक से अधिक नहीं होगा। रीति रिवाज के अनुसार श्रीमान् महाराज साहब को प्रसाद भी लेने का हक्क होगा। प्रबन्ध कमेटी श्रीमान महाराज साहब को ऐसा निर्वाह अलाउंस भी दे सकेगी जो कमेटी तथा उनके स्वीकृत होगा। प्रबन्धक कमेटी को यह भी अधिकार है (मजबूरी तौर से नहीं) कि श्रीमान तिलकायत महाराज वा इनके परिवार को अथवा पहले तिलकायत महाराज के परिवार का और भट्टजोन को ऐसे अन्य अलौंस लाभ तथा सुविधाएं दे देवे जिनमें धार्मिक रीत रिवाज के खर्चे शामिल है। जैसा कि प्रबन्धक कमेटी समय समय पर निर्णय करे, परन्तु प्रबन्धक कमेटी के लिए यह अनिवार्य होगा, कि बेटाजी, बालकों तथा भट्टों को उस अलौंस को अदा करे जिसको कि वह लोग श्रीमान गोस्वामी श्री गोविन्दलालजी की नाबालगी की अवस्था में ले रहे थे।

४१—यदि प्रबन्धक कमेटी ने किसी मेम्बर व कार्यकारिणी कमेटी को वा अधिकारी वा उप समिति को अधिकार अथवा कोई शक्ति दी हो तो उसको प्रधान मानते हुए यह साफ तौर पर नियम रहेगा यदि किसी नियम रकम की प्राप्ति के सम्बन्ध में जो किराये या आमदनी व ब्याज व डिवीडेन्ड वा जायदाद को अन्य आयक के सम्बन्ध में है कोई रसीद कमेटी के दो मेम्बरों के द्वारा दी गई है तो उस रसीद पर पाने वाले की समस्त जिम्मेदारी दूर हो जायगी और वह किसी नुकसान अथवा गबन होने का

नाथद्वारा दिल्ली योजना पर प्रमुख गो.श्रीघनश्यामलालाजी का वक्तव्य



( पृष्ठ १ का शेष )

કે પ્રમુખ વૈષ્ણવો મેં સુન્દર ઔર વ્યાપક પ્રચાર કિયા હૈ, ઔર બમ્બઈ ઔર નાથદ્વારો મેં ભી અપના પ્રચાર કેન્દ્ર ખોલા હૈ, પ્રમુખ પદ સ્વીકાર કિયા હૈ। ઇસકે જરિયે મેં વ્યાપક સંગઠન ઔર પ્રચાર કી એક યોજના બના રહા હું। ઇસસે મુઝે ઉમ્માદ હૈ કિ પુષ્ટિ-સૃષ્ટિ મેં નઇ ચેતના પૈદા હોગી। હમારે ઇસ કાર્ય મેં સમસ્ત પૂજનીય આચાર્ય-વંશજે હમેં આશીર્વાદાત્મક સહયોગ પ્રદાન કરેંગે, ઔર વૈષ્ણવગણ સહાયક હોંગે, ઐસી હી આશા કરતા હું। અન્ત में मैं આચાર્યચરણોં કે સદૈન્ય રુદ્ધસ્વર मैं પ્રાર્થના કરતા હું કિ વે હમે ઇસ બહિર્મુખ કરાને વાલે કાલકી બાધક પ્રવૃત્તિયોં સે બચાવેં ઔર હમારે પ્રમુખ આશ્રય કેન્દ્ર શ્રીનાથજી કો હમસે પૃથક ન હોને દેં। હમ અસહાય ઔર નિ:સાધન હૈં ઔર આપ નિ:સાધન જનોં કે આશ્રય રૂપ ઔર વિશેષતયા સ્વવંશ કે પક્ષપાતી હૈં। ઇસલિયે આપ શ્રીનાથજી હમેં બહિર્મુખ ન હોને દેંગે। 'શેષદૃકપાત સંસ્પૃષ્ટ ભક્તદૃષ્ટિ' ઐસે આપ હી ઇસ અસહાય પરિસ્થિતિ મેં હમારે રક્ષક હૈ યહી પુનઃ પ્રાર્થના હૈ।

મથુરા-૬-૨-૫૬ ] આપકા એક દીન વંશજ-
ગો૦ ઘનશ્યામ
કા કોટિશઃ દણ્ડવત પ્રણામ

( મૂલ લેખ વ આલોચના આગામી અંક મેં પઢિએ )

---

**राजकीय सहायता व जनता का उत्साह—**

उदयपुर जिला विकास समिति ने अपनी गत बैठक में गांवगुडा को (१८२५) रुपये की सहायता वहां की मिडिल स्कूल के लिए (१५००) की सहायता कोसीवाडा की पाठशाला की सहायता के लिए स्वीकार किया है, और गांवगुडा वालों ने (६०००) स्कूल के लिए तथा (५०००) औषधालय भवन के लिए एकत्रित कर लिया हैं। मदारवालों ने भी पाठशाला भवन एवं अन्य विकास कार्यों का चन्दा एकत्रित किया है और बहुधन्धी सहकारी समिति का भी निर्माण कर रहे हैं।

**नाथद्वारे में टेलीफोन—**

नाथद्वारे में करीब ८ टेलीफोन लग रहे हैं। सामान के अभाव में केवल थम्बे लगाकर कर्मचारी चले गए बताये गए। टेलीफोन की अग्रिम रकमें बहुत पहले ही लेली गई हैं। यहां का टेलीफोन पोस्टल विभाग के हाथ में हैं जिसके कर्मचारियों के पास बेशुमार जनता का कार्य रहता है। इसी प्रकार यहां काल बुक होनेपर कांकरोली को कहना पडता है। जहां से उदयपुर-जोधपुर एक साथ घन्टी बोलती है जो बीचमें से टेपिंग द्वारा लिया गया है परिणाम में टेलीफून से कोई लाभ नहीं है यहां और भी टेलीफून लोग लेने को तैयार हैं इसलिए हमारा डो. ई. टी. उदयपुर से कहना है कि उदयपुर से यहां सीधा एक्सचेन्ज बनाकर २० पोइन्ट वाला बोर्ड तथा अलग [illegible] की नियुक्ति करें तो आय भी बढेगी और जनता को भी सहुलियत होगी अन्यथा यह सब कबाडा बेकार होगा।

**गुरूजी गोलवलकरजी का ५१ वां जन्म दिन ८ मार्च**

भारत में चल रहे जन संपर्क अभियान के अनुसार नाथद्वारा शाखा के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक फिर फिर कर श्रद्धा [illegible] की आर्थिक सहायता एकत्रित कर रहे हैं जो जयपुर भेजी जायगी।

**नाथद्वारे में बिजली व नल—**

एक महिना हुआ नब नाथद्वारे में २ महिने में बिजली सप्लाई की बात कही गइ थी किन्तु आज तक उसकी कोई हवा तक नहीं है। जहां तक नल का प्रश्न है सुना है सरकार द्वारा ३ लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

**गांवगुड़े में शक्कर मिल—**

नाथद्वारा से करीब ४० मील दूरी पर करेड़ा (भूपालसागर) है जहां केवल एक शुगर मिल है इसी प्रकार गांवगुडा १३ माइल है। इस प्रान्त में बेशुमार सान्ठो की खेती होती हैं किसान लोग सांठो को देने के लिए नाथद्वारा स्टेशन पर मीलों दूरसे चिट्ठियां लेने व उसके बाद गाडियों में भरकर सांठे लेकर जाते हैं जो रास्ते में छीज जाते है और उनका पूरा पैसा पल्ले नहीं पड़ पाता सुना जाता हैं कि करेड़ा मील के साथ ऐसा करार पुरानी सरकार ने किया था कि २० कोस के एरिया में कोई दूसरा शक्कर मील नहीं बन सकता तो गांवगुड़ा समीचा ४० मील से उपर हैं वहां तालाव भी हैं और सांठे भी खूब पैदा होते हैं। जब सब मोनां पोलिया राजस्थान सरकार ने तोड़ दी तो क्या सरकार शुगर मिल को जनहित की दृष्टि से करेड़ा के अतिरिक्त गांवगुड़ा में बनाने का नहीं सोचेगी?

**पिछड़े क्षेत्र में रेल्वे लाइन—**

सरकार की यह नीति रही हैं कि पिछडे क्षेत्रों के विकास लिए अधिक से अधिक रेल्वे लाइन निकालने की प्राथमिकता करे। अरावली की घाटियों में स्थित राजस्थान का सब प्रांतों से पिछड़ा हुआ हैं और उसमें भी सबसे अधिक पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र हैं जो केवल ४० मील की रेल्वे लाइन निकल जाने पर नाथद्वारा से मारवाड़ या रानी स्टेशन से मिल जाता है जो नाथद्वारा गांवगुड़ा, केलवाड़ा, कुम्भलगढ़ के हिस्सों को मिलाता हुआ सीधा मारवाड़ रानी व फालना निकलता हैं। इस रेल्वे लाइन के निकल जाने से इस क्षेत्र में पैदा होनेवाले पन्ना जैसे अमूल्य कई पदार्थों की खोज एवं उपलब्धि के साथ २ कृषि द्वारा उत्पन्न वस्तुओं से प्रांत का बड़ा हित होगा। आशा है रेल्वे बोर्ड इस पर गम्भीरता से विचार करेगा।

---

**राजकोट में दिल्ली-योजना का विरोध—**

श्री चुन्नीलालजी पारीख की अध्यक्षता में राजकोट में वैष्णवों की एक विशाल मीटिंग नाथस्वरूप की हवेली में हुई। मीटिंग में श्री गुलाबचन्द भाई बखारिया सोनी कनुभाई रामजी भाई दरबार अजीतसिंहजी कंसारा कस्तूर भाई खेतसी भगवानजी भाई गोवर्द्धनदास ठक्कर को दिल्ली योजना को रद्द कराने प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसकी दूसरी मीटिंग १८-१-५६ को बुलाई गई जिसमें दिल्ली योजना को रद्द कराने बाबत फार्म बना कर उस पर हस्ताक्षर आन्दोलन चालू किया गया। चंदे के रूप में कुछ द्रव्य एकत्रित हुआ। अभी इस योजना को रद्द करने बाबत व्यवस्थित कार्यक्रम चालू है।

**कल्याण सम्पादक श्रीहनुमान प्रसाद पोद्दार नाथद्वारा पधार रहे है।**

विश्व विख्यात मासिक कल्याण के सम्पादक ६०० व्यक्तियों सहित श्रीनाथजी के दर्शनार्थ आगामी सोमवार को नाथद्वारा पधार रहे हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है।

वर्ष ६ ] नाथद्वारा, रविवार दि० १२ फरवरी १९५६ [ अङ्क ६

# भारत के ५ प्रान्त नहीं बनेंगे । ६१ वीं कांग्रेस में निर्णय

## नाथद्वारा दिल्ली योजना पर प्रमुख का वक्तव्य

## चौधरी रामचन्द्र व खेतासिंह राजस्थान मंत्री मण्डल में

भारत के ५ प्रान्त नहीं बनेगे ऐसा निर्णय कांग्रेस के अमृतसर में सम्पन्न हुए ६१ वें अधिवेशन में तयहोपाया है । श्री ढेबर ने रचनात्मक कार्यों पर बल देते हुए सक्रिय सदस्यों को विकास कार्य में जुट जाने को कहा । पं. पंथने अयोग्य व्यक्तियों की कडी भत्सर्ना करते हुए कांग्रेस को बलशाली बनाने की बात कही । पं. नेहरू ने बडे खेद से कमार्मिक भाषण में कहाकि मुझे ३६ करोड़ व्यक्तियों को साथ लेकर चलना है किसी जमात विशेष का मुझे मोह नहीं इसके लिए जिन उचित उपायों को मुझे चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पडे, काममें लाऊंगा ।

नाथद्वारा दिल्ली योजना विरोधी कमीटी के प्रमुख गो० श्री घनश्यामलालजी का संदेश—

उदयपुर सेशन कोर्ट से योजना को स्वीकृत कराने के लिए श्रीनाथद्वारा ठिकाने की प्रबन्धक कमेटी ने उदयपुर कलक्टर द्वारा जो दावा ता० ४-१-५६ को पेश किया था, उसकी सुनवाई की ता. ३-३-५६ को है इसलिए मैं वैष्णवों और पूज्य आचार्य वर्यो से भी अपील करता हूँ कि वे उस दिन उदयपुर कोर्ट में उपस्थित होकर वकील के जरिये उसके विरूध्द अरजी पेश करें ।

जो सज्जन जा नहीं सकें, वे अपने २ गांवके किसी भी वकील द्वारा उसके विरुध्द में विरोध अर्जियां "मजिस्ट्रेट उदयपुर सेशन कोर्ट" पर भेजें । उसमें लिखें कि इस योजना का समस्त वैष्णव विरोध करते हैं, क्योंकि यह हमारे सम्प्रदाय के सिध्दांत से विरुध्द है, यही नहीं यह कानून से भी प्रतिकूल है । इसलिए इसके विरुध्द सुनाई के लिये हम वैष्णवों को मौका दिया जाय ।

## सदैन्य निवेदन-

શ્રીનાથદ્વારા ઠિકાને કે પ્રબન્ધ કે લિયે દિલ્લી મેં યોજના હુઇ હૈ વહ સરકાર કે સિદ્ધાન્તોં સે સર્વથા વિરૂદ્ધ હૈ। અત: ઉસકો કલમોં કી સ પ્રદાય કે ઇતિહાસ ઔર સિદ્ધાન્ત પ્રણાલી આદિ સે ઇસ લેખમેં આલોચના કી હૈ। ઇસ આલોચના સે હમારા અભિપ્રાય કેવલ ઇતના હી હૈ કિ સમ્પ્રદાય કી પ્રણાલી કી સુરક્ષા હો ઔર ઇસ યોજના કો સિદ્ધાન્તાનુકુલ બનાકર હી ઇસકા અમલ કિયા જાય। જીસસે સમ્પ્રદાય કા રૂપ સુરક્ષિત રહે ઔર શ્રીનાથજી કે મન્દિર પર સમ્પ્રદાય કા વિશેષત: ગોસ્વામિ વંશજોં કા સ્તત્વ કોયમ રહે। પ્રત્યેક આચાર્ય વંશજ ઔર વિદ્વાન વૈષ્ણવ ઇસ યોજના કે ગુણ દોષોં પર વિચાર કરકે અપની અપની સમ્મતિ કો સ્વતન્ત્ર રૂપ સે પ્રકાશિત કરેં યા કિસી પ્રકાશન સંસ્થા દ્વારા કરે પ્રતજ્ઞાવેં, શાયહ નિતાન્ત આવશ્યક હે। ઈસ સમય મોન રહના સમ્પ્રદાય કે પ્રતિ દ્રોહ કરના હે એસા મેં માનતા હૂં। શ્રીનાથજી કી સુખદ સેવા જો આજ તક સમ્પ્રદાય મેં ચલી આ રહી હે વહ ઈસ યોજના સે બહુત હી શીઘ્ર તિરોધાન હોને કી પૂર્ણ સમ્ભાવના હે। ઈસીલિયે ઇસ યોજના કે વિરોધાર્થ મેંને "ઈસ શ્રીનાથદ્વારા સામ્પ્રદાયિક મર્યાદા સુરક્ષા સમિતિ" મથુરા કા જીસને આજ દો માસ મેં સારે ભારત

( शेष पृष्ट ३ पर )

नीतप्रियजी व श्रीमदनमोहनलालजी या उक्त अन्य मूर्तियों के काम में क्यों न आती हो।

५. इस योजना के अन्तर्गत फिलहाल उपरोक्त संपत्ति प्रबन्धक कमेटी में निहित रहेगी जो धारा ३ में दिये हुए उद्देश्यों के अनुसार उस पर अधिकार रखेगी, और जो योजना के नियमों के अनुसार उनका प्रबन्ध एवं संचालन करेगी।

६. इस योजना के नियमों और श्री तिलकायत महाराज को जो अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं उनके अन्तर्गत उक्त जायदाद का संचालन, नियंत्रण और प्रबन्ध निम्न प्रकार से प्रबन्धक कमेटी में निहित रहेगा।

७. (अ) प्रबन्धक कमेटी में कम से कम ७ सदस्य और अधिक से अधिक ११ सदस्य होंगे, जो जहां तक संभव होगा समस्त देश के पुष्टिमार्गीय और वल्लभ सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते होंगे, जिनमें से कम से कम २ राजस्थान राज्य के निवासी होंगे, और १ राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त होगा।

(ब) उक्त सदस्यों में से एक कमेटी का चेयरमेन होगा और दूसरा कमेटी का मन्त्री।

८. गोस्वामी श्री तिलकायत श्री १०८ गोविंदलालजी महाराज जो श्रीनाथद्वारा के वर्तमान तिलकायत महाराज हैं और उनके 'महाराज तिलकायत' पद के उत्तराधिकारी जो बालिग होने की अवस्था में स्वयं और नाबालिग होने की अवस्था में अपने संरक्षक द्वारा कमेटी के व उप कमेटी के जो इसके द्वारा नियत की जाय, सभापति होंगे, और प्रबन्ध कमेटी की प्रत्येक बैठक में उपस्थित हो सकेंगे, सभापतित्व कर सकेंगे, तथा वोट दे सकेंगे, और आवश्यकता होने पर कमेटी के प्रधान की हैसियत से अपने वोट के अतिरिक्त कास्टिङ्ग वोट भी दे सकेंगे।

९. प्रबन्धक कमेटी के केवल वैष्णव ही सदस्य हो सकेंगे, कमेटी के सदस्यों की निम्न स्थितियों में सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

(अ) मृत्यु हो जाती है, अपने पद से त्याग पत्र दे देता है कार्य करने से इन्कार कर देता है या अलग होने की इच्छा प्रकट करता है।

(ब) दिवालिया हो जाता है अथवा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है या पागल करार दिया जाता है।

(स) किसी नैतिक अपराध में सजा प्राप्त करता है।

(द) जो भारत में ६ माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है या प्रबन्धक कमेटी की लगातार दो बैठकों में बिना आज्ञा लिए अनुपस्थित रहता है।

१०. पहली प्रबन्धक कमेटी में निम्न लिखित सदस्य होंगे।—

| | | |
|---|---|---|
| १. | सेठ कृष्णराज माधवजी डी ठाकरसी, | बम्बई |
| २. | सेठ मूलराज करशनदास, | ” |
| ३. | सेठ वृन्दावनदास पुरुषोत्तमदास कापडिया, | ” |
| ४. | सेठ वृजलाल वसनजी लालजी, | ” |
| ५. | सेठ सांकरलाल बालाभाई, | अहमदाबाद |
| ६. | सेठ गोविंदलाल माणकलाल, | ” |
| ७. | सेठ चुन्नीलाल छापरवाल | राजस्थान |
| ८. | श्री चतुरभुज भाटिया. | ” |
| ९. | श्री सेठ हीरजी भाई ठाकरसी राजड़ा, | कलकत्ता |
| १०. | श्री गोपीकृष्ण मालानी, | हैदराबाद |
| ११. | ………………………… | राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त |

११. प्रबन्धक कमेटी अपनी प्रथम मीटिंग में और बाद में जब भी मौका पड़े उन मैम्बरों में से प्रेसिडेन्ट के अतिरिक्त वाइस-प्रेसीडेन्ट तथा सेक्रेट्री चुनेगी।

१२. प्रत्येक वर्ष के अन्तमें प्रबन्धक कमेटी के ⅓ मेंबर अपने पद से अलग हो जायंगे। यदि मैंबरों की तादाद ४ से पूरी विभाजित न हो तो उन मेंबरों में से ⅓ के निकटतम तादाद में रिटायर होंगे। परन्तु दोबारा भी नियुक्ति के लायक हो सकेंगे। जिनकी अवधि ज्यादा समय तक रही है, वह अन्य सदस्यों की अपेक्षा जल्दी रिटायर किये जायंगे। जिन मेंबरों का समय समान होगा, उनके रिटायर होने का फैसला लौटरी से किया जायगा, यदि परस्पर समझौता न हो सके।

१३. प्रबन्धक कमेटी में उपरोक्त नियम के अनुसार या अन्य प्रकार से रिटायर होने पर जब जब स्थान खाली होंगे तब उनकी पूर्ति प्रबन्धक कमेटी श्रीमान् तिलकायत महाराज की सिफारिश पर यदि वह बालिग है तो धारा ७ अ के नियमों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह नाबालिग है तो उनके संरक्षक द्वारा प्रबन्धक कमेटी की सिफारिश पर जो धारा ७ अ के नियमों का ध्यान रक्खेगी, रिटायर हुए सदस्यों अथवा अन्य सदस्यों से करेगी। जब तक कि प्रबन्धक कमेटी ⅔ के सदस्यों के बहुमत से और अपनी मीटिंग में वोट डालकर यह फैसला नहीं कर लेगी कि अभी इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना योजना के हित में नहीं है—और उन कारणों को लिखित में रखेगी (जिनके कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करानी है) और इस निर्णय के फल स्वरूप कमेटी के सदस्यों की संख्या सात से कम नहीं होने देगी।

१४. उपरोक्त नियमों के होते हुए कोई भी कार्य जो प्रबन्धक कमेटी द्वारा दैनिक संचालन में किया जावेगा जो कि इस योजना के नियमों के अनुसार होगा, केवल इस कारण से ही अमान्य नहीं होगा कि प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों की संख्या पूरी नहीं है, अथवा कोई सदस्य या सदस्यगण कार्य करने के अयोग्य है।

१५. प्रबन्धक कमेटी की बैठकें अपनी समय और स्थान की सुविधानुसार वर्ष में कम से कम तीन बार होंगी। और यदि सभापति एवं कम से कम ४ सदस्यों की अनुमति अन्यथा नहीं हैं तो यह मीटिंग नाथद्वारा में ही होंगी।

१६. प्रबन्धक कमेटी की बैठकें साधारण मन्त्री द्वारा बुलाई जायगी, उसके न बुलाने पर वाइस चेयरमैन अथवा सभापति द्वारा बुलाई जावेगी। यदि ये भी न बुलावें तो प्रबन्धक कमेटी के कोई भी ४ सदस्य बुला सकेंगे, और मीटिंग की सूचना में

(कृपया शेष अगले अङ्क में पढ़िये!)

(सी.) साधारणतया हिंदू धर्म तथा विशेषत: वैष्णव संप्रदाय के सिद्धान्तों का प्रचार करना।

डी. पाठशाला स्कूलें गौशाला और दूसरी संस्थाओं तथा प्रवृत्तियों जिनका और धार्मिक और शैक्षणिक बातों पर ही चलाना जारी रखना तथा सहायता देना।

(ई.) वल्लभ सम्प्रदाय के आध्यात्मिक तथा धार्मिक गुरु के रूप में तिलकायत महाराज के पद को श्रद्धा तथा सम्माननीय स्थिति में कायम रखना।

(एफ.) सभी वैष्णवों के साधारण तथा आध्यात्मिक भलाई की देख भाल करना।

१०. कि उपरोक्त कथनानुसार तथा उपरोक्त बतलाए हुए कारणों से श्रीनाथजी ठिकाना के प्रबन्ध के लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक है।

११. कि श्रीनाथजी ठिकाना नाथद्वारा में स्थित है और प्रबन्ध तथा व्यवस्था भी इस न्यायालय के अधिकार में स्थित नाथद्वारा में की जाती है।

१२. कि सुनिश्चित कोर्ट फीस १०) इसके साथ प्रस्तुत है।

१३. श्रवणाधिकार के प्रयोजन से वाद का मूल्यांकन एक लाख रुपया है।

१४. अतः वादी प्रार्थी है।

(ए.) कि श्रीनाथजी ठिकाना के प्रबन्ध और व्यवस्था के लिए योजना निश्चित तथा स्वीकृत की जाय।

(बी.) कि एक आदेश दिया जाय जिसके अनुसार संपत्तियां प्रबन्ध समिति में निहित होजाय।

(सी.) कि ऐसी और सहायता जो उचित आवश्यक हो दी जाय।

Sd/-Shiv Shanker.
I. A. S.
कलक्टर उदयपुर
ता० ४-१-५६

Sd/I. L. Govil
Adwocate.

मैं शिवशंकर कलक्टर, उदयपुर प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त पेरा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० तथा ११ आफिशियल स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हैं और अवशिष्ट कानूनी सलाहकार की सूचना के आधार पर सत्य हैं जिसे मैं सच होने का विश्वास करता हूँ

Sd/शिवशंकर
I. A. S.
कलक्टर उदयपुर
दिनांक ४-१-५६ स्थान उदयपुर

॥ श्रीनाथजी ॥

## नाथद्वारे के श्रीनाथजी ठिकाने के प्रबन्ध की योजना—

१. इस योजना का नाम "नाथद्वारा के श्रीनाथजी ठिकाने के प्रबन्ध व कार्य संचालन की योजना" होगा।

२. इस योजना के अन्तर्गत कार्य संचालन तथा प्रबन्ध श्रीनाथद्वारा राजस्थान से चलाया जायगा।

३. इस योजना के उद्देश्य निम्न लिखित हैं—

(क) श्रीनाथजी ठिकाने का कार्य संचालन तथा प्रबन्ध करना जिसमें मन्दिर श्रीनाथजी, श्री नवनीत प्रियजी और श्री मदनमोहनलालजी श्रीनाथद्वारा के सम्मिलित हैं तथा श्रीनाथद्वारा और अन्य जगह की वह सम्पत्ति भी शामिल है जिसका सम्बन्ध श्रीनाथजी तथा उक्त मूर्त्तियों से हैं।

(ख) पुष्टिमार्गीय तथा वल्लभी सम्प्रदाय के नियम तथा निश्चय के अनुसार तथा रिवाज, अमल व साधन के मुताबिक श्रीनाथजी, श्री नवनीतप्रियजी, श्रीमदनमोहनलालजी में तथा अन्य मन्दिरान, बैठकान पुखधाम में स्थित बहुतसी मूर्तियों की सेवा पूजा का संचालन कराना, और उनके संबधी अन्य संपति का कार्य संचालन कराना।

(ग) हिंदू धर्म की साधारणतया तथा वैष्णव संप्रदाय की विशेषतया उन्नति करना और वह सब कार्य करना जो इन कार्यों के लिए सहायक और आवश्यक हों।

(घ) पाठशालाओं, स्कूलों, गऊशालाओं तथा अन्य संस्था व कार्यो को जो धार्मिक, विद्या सम्बन्धी तथा मजहब सम्बन्धी हों- चलाना, कायम रखना और सहायता करना।

(ङ) श्रीमान् तिलकायत महाराज के दस्तूर को इज्जत तथा सम्मान के साथ कायम रखना जैसा कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक वैष्णव सम्प्रदाय के सर्वोच्च व्यक्ति का होता है।

(च) समस्त वैष्णवों की हर प्रकार की भलाई व आध्यात्मिक उन्नति की देख रेख रखना।

४. इस योजना के अन्तर्गत जो सम्पत्ति होगी वह इस प्रकार है— श्रीनाथजी, श्री नवनीतप्रियजी श्रीमदनमोहनलालजी से संबंधित अचल जायदाद तथा वह सब अन्य सम्पत्ति जो वल्लभी सम्प्रदाय के रीत-रिवाज और साधन से सम्बन्धित है और लगी हुई है और काममें आरही है। वह सब अन्य संपत्ति चल और अचल जो अब जहां कहीं भी हो अथवा भविष्य में श्रीनाथजी ठिकाने में तथा उक्त किसी भी ठाकुरजी के लिये भेंट में आवे या श्रीनाथजी और उक्त मूर्तियों के कोष से खरीदी जाय [मय उनके सम्बन्धी क्लेमों के चाहे वह वर्तमान तिलकायत महाराज व पूर्व तिलकायत महाराज के नाम पर दर्ज हो, और वह सब चल और अचल संपत्ति जो भविष्य में श्रीनाथजी, ठिकाना श्रीनाथजी, तथा किसी उक्त ठाकुरजी के लिए अथवा इस योजना के प्रबन्ध के लिए प्राप्त की जाय, खरीदी जाय, भेंट की जाय। परन्तु वह संपत्ति शामिल नहीं होगी जो उस समय के श्रीमान् तिलकायत महाराजजी की निज की हो। चाहे वह अथवा उसकी आवक ठाकुर श्रीनाथजी, श्रीनव-

# श्रीनाथजी की मिल्कियत के लिये-

## किया गया दावा का हिन्दी अनुवाद-

## व योजना का हिन्दी अनुवाद-

सेवामें श्री जिला न्यायालय उदयपुर,

अनवार

कलक्टर उदयपुर—वादी

बनाम

१. गोस्वामी तिलकायत श्रीगोविन्दलालजी महाराज तिलकायत महाराज नाथद्वारा

२. ठाकुरजी श्रीनाथजी, श्रीनवनीतप्रियाजी श्रीमदन मोहनजी विराजमान नाथद्वारा-उपरोक्त उल्लेखित प्रतिवादी संख्या १ के द्वारा

३. श्री के. एम. डी. ठाकरसी बंबई
४. श्रीमूलराज करसनदास ,,
५. श्रीवृन्दावनदास पी कापडिया ,,
६. श्रीबाबूभाई बसन्तीलालजी ,,
७. श्रीशंकरलाल बाबूभाई अहमदाबाद
८. श्रीगोविन्दभाई मानेकलाल ,,
९. श्रीचुन्नीलाल छापरवाल नाथद्वारा
१० श्रीचतुर्भुज भाटिया ,,
११ श्रीहरजीभाई सुन्दरजी ठाकरसी कलकत्ता
१२. श्रीगोपीकिशन एम, मालानी हैदराबाद

प्रतिवादी गण

उपरोक्त वादी निम्नलिखित कथन करता है —

१. कि वादि उदयपुर जिला उदयपुर का जिलाधीश ( कलक्टर ) है। जिसको इस वाद को प्रस्तुत करने के संबंध में सम्पत्ति विधि संग्रह की धारा ९२ के अन्तर्गत एडवोकेट जनरल के सभी अधिकारों को प्रयोग में लाने को राजस्थान सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त है। राजस्थान सरकार के कानून विभाग का आदेश सं० D १०७०९।LR।५५ दिनांक ३१-१२-५५ जिसके अनुसार स्वीकृति दी गई इसके साथ संलग्न है।

२. कि नाथद्वारा में श्रीनाथजी तथा दूसरी मूर्तियाँ जो अनेक मन्दिरों सुखधामों बैठकों में स्थित हैं की पुष्टिमार्ग तथा वल्लभी सम्प्रदाय के उसूलों व सिद्धान्तों के अनुसार पूर्व मर्यादा तथा प्रणालियों के अनुकूल सेवा पूजा करने के लिए ठिकाना श्रीनाथजी नामक एक धार्मिक संस्था है।

३- कि साधारण तया हिन्दू लोग तथा प्रमुख-बैष्णव द्वारा ठिकाना श्रीनाथजी बडी श्रद्धा व भक्ति से देखा जाता है जो श्री नाथजी के दर्शन करने में अपना धार्मिक तथा आध्यात्मिक लाभ समझते हैं और जो उक्त मूर्ति की पूजा के लिए भेंट करते हैं।

४. कि ठिकाना श्रीनाथजी के पास बहुत चल तथा अचल सम्पतियां हैं। जो श्रीनाथजी, नवनीतप्रियाजी, श्रीमदनमोहनजी का उपभोग वल्लभी सम्प्रदाय की पूर्व प्रणाली तथा मर्यादा के अनुसार किया जाता है चाहे वे सम्पत्तियां श्रीनाथजी ठिकाना उपरोक्त मूर्तियों में से कोई मूर्ति के द्वारा प्राप्त की गई हों, और चाहे वे मूर्तियों ठिकाना या तत्कालीन तिलकायत महाराज के नाम दर्ज हों।

५. कि प्रतिवादी संख्या १ श्रीनाथजी ठिकाना के वर्तमान तिलकायत महाराज हैं जो उक्त ठिकाना के आध्यात्मिक तथा लौकिक मामलों का प्रबन्ध करते हैं।

६. कि प्रमुखतः वैष्णव लोग तथा साधारणतया हिन्दू लोग श्रीनाथजी के उक्त ठिकाने के समुचित प्रबन्ध तथा व्यवस्था में यथा उसकी संपत्तियों की सुरक्षा में अत्यधिक अभिरुचि रखते हैं

७. श्रीनाथजी ठिकाना को उचित तथा श्रेष्ठतर प्रबन्ध की आवश्यकता है तथा यह तथ्य ऐसा है जिसने हिन्दुओं और वैष्णवों का बहुत चिन्ता उत्पन्न करदी है तथा जिसके कारण उक्त संस्था के प्रबन्ध तथा व्यवस्था के लिए एक समुचित योजना की आवश्यकता है।

८. कि प्रतिवादि सं० ३ से १० तक सारे भारतवर्ष के वैष्णवों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख व्यक्त हैं तथा जो इस समय प्रतिवादी संख्या १ को मिलाकर श्रीनाथजी ठिकाना की व्यवस्था चलाने के लिए एक सलाहकार कमेटी बनाते हैं किन्तु वर्तमान प्रबन्ध तथा व्यवस्था किसी सुदृढ तथा प्रगतिशील योजना पर आधारित नहीं है।

९. कि इसलिए समुचित प्रबन्ध तथा व्यवस्था के लिए योजना तैयार की गई है और वह इसके साथ प्रस्तुत की जारही है यह आशा की जाती है कि वह योजना जब न्यायालय की स्वीकृति के अन्तर्गत संचालित की जावगी तब उक्त ठिकाना में सुयोग्य प्रबन्ध तथा व्यवस्था का कारण बनेगी और इस धार्मिक संस्था से उद्देश्यो की पूर्ति करेगी वे उद्देश्य इस प्रकार है

ए. नाथद्वारा स्थित ठिकाना श्रीनाथजी श्रीनवनीतप्रियाजी श्रीमदनमोहनलालजी तथा नाथद्वारा स्थित तथा अन्यत्र श्रीनाथजी उक्त मूर्तियों की संपतियों का प्रबन्ध तथा शासन करना

बी. उक्त मूर्तियों की वल्लभ सम्प्रदाय तथा पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार पूर्व मर्यादा तथा प्रणाली के अन्तर्गत सेवा पूजा करना

को इसी दृष्टि से देखा है क्योंकि उसका अधिकार-क्षेत्र केवल सम्पत्ति-विभाग तक ही सीमित है, धार्मिक-विभाग में सर्वथा नहीं, अतः कानून वैध है। इस आशय के स्पप्ट फैसले पर भी सम्बन्धित सरकारी व्यवस्था अपने किन्हीं अज्ञात गूढ़ दुराशयों के द्वारा अगर हमारे निर्विवाद परम्परागत सैद्धान्तिक आग्रह को नहीं मानकर एक जटिल रूप देने के प्रयास में हो तो पुष्टिमार्ग के सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न तिलकायित-स्थानापन्न आचार्यश्री का यह नैतिक उत्तर दायित्व है कि वह स्थिति की स्पष्टता के लिये उन समस्त वैधानिक उपकरणों का प्रयोग करे। और किसी व्यक्तिगत नहीं अपितु इसी सैद्धान्तिक अधिकार की स्पष्टता व सुरक्षा का प्रयास ही, इस समय तिलकायित महाराजश्री के नाथद्वारा पधारने की विलम्ब का कारण है।

"आज नाथद्वारा का श्रीजी का मंदिर कि जो पुष्टिसेवा का आदर्श स्थान होना चाहिये वहां वह स्थान, राज्य द्वारा मनोनीत बोर्ड के अधिकार में समस्त पुष्टिमार्गीय परम्परा का मूलतः उच्छेदक की सी स्थिति में, पुष्टिप्राण श्रीनाथजी एवं आचार्य चरण के संबंध-विच्छेद के कारण, पुष्टि संप्रदाय का समूलोच्छेदक-सा हो गया है। बिना आज्ञा के सेवा परंपरा का मन चाहा कार्य व अनंगीकृत सामग्री का प्रसाद कह कर वितरण व वैष्णवों को देना इस प्रकार का विश्वास-घात वैष्णवों के साथ वहां व्यवहार में लाया जा रहा है। समस्त धार्मिक सेवा संबंधी अधिकार एवं सम्पत्ति सुरक्षा के निमित्त प्राप्त वैधानिक अधिकार इस समय बोर्ड के हस्तगत हैं। और समस्त आचार्यों के सैद्धान्तिक प्रस्ताव वाली मांगें, समस्त पुष्टिमार्गीय वैष्णवों की सैद्धान्तिक मांगें, तथा पुष्टिमार्ग के सर्वोच्च-सेवा-सम्पन्न तत्स्थानापन्न आचार्यचरण पू. पा. गो. ति. श्रीगोविंदलालजी महाराज श्री का सैद्धान्तिक आग्रह, सभी बातें उक्त राज्याश्रय-प्राप्त बोर्ड एवं राज्य सरकार के आग्रह के कारण लोह दीवार से टकरा-टकरा कर चकना-चूर हो रही हैं। जिसे सही परिस्थिति अवगत नहीं वह एक बहुत बड़ी वैष्णव सृष्टि ऐसे ही भ्रामक प्रचारों से असमंजस में डाली जा रही है।

"वर्तमान तिलकायित महाराज श्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्टतः घोषित किया है कि 'मैं नाथ-द्वारा जाना चाहता हूं' और वहां वे अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हों उसके लिये प्रयत्नशील हैं। इसलिये वैष्णव समुदाय को किसी भ्रामक प्रचार में न पड़कर सही वस्तु की जानकारी एवं पुष्टिमार्ग को समूल उच्छेद करने वाले चक्र की गति को पहिचान कर वर्तमान राज्य व्यवस्था व बोर्ड व्यवस्था से अपनी प्रबल मांग को और भी एकता के साथ दोहराना चाहिये कि राज्य सरकार जल्दी ही कानून में कहे गये उद्देश्यों की सीमा में रहकर धार्मिक क्षेत्र की दस्तंदाजी छोड़ दे और वहाँ पुनः तिलकायित श्री की आज्ञानुसार पुष्टि-सेवा-क्रम पूर्ववत् स्थापित हो, जिससे समस्त पुष्टि-मार्ग के गौरव-रूप तिलकायित महाराजश्री वहाँ (नाथद्वारा) पधार सकें। सीधी सी स्पष्ट बात, स्पष्ट घोषणा, हम राज्य-सरकार से चाहते हैं और वह यह है कि किसी भी धार्मिक क्षेत्र में जिसका सेवाक्रम एवं सेवक-वर्ग पूर्णतः पूरक अंग हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्मित बोर्ड-प्रशासन दस्तन्दाजी नहीं करेगा, और परम्परानुसार चली हुई पद्धति के अनुरूप तिलकायित महाराजश्री की आज्ञा से ही सेवा-क्रम सेवक-नियुक्ति, निष्कासन नियंत्रण क्रम चलेगा जो विशुद्ध धार्मिक है जरा भी सेक्युलर नहीं। अगर सेवा क्रम में भी हम राज्य सरकार का हस्तक्षेप स्वीकार कर लेते हैं तो हमें पुष्टि-सेवा के नाम को सदा के लिये तिरोधान

गहरो काजर घुरि रह्यो बेंदा जगमग जोत ।। हिये हार बहु मोल को गोरी कंठ बिराजे पोत ।।५।।
तिलक बन्यों अंगिया बनी वाकी पायल की झनकार ।। बड़े बगर ते नीकसी स्याम खरे दरबार ।।६।।
... मिस मरकि के नेक हरि हि दिखावे पीठ ।।७।।

**पुष्टि विचारधारा जब तक ...प्रभुको पराया, स्वतन्त्र या सर्वजनिक समझती हो तब तक ... पुष्टिसेवा चल नहीं सकती. इस भावना के अभाव में सारा सेवा के नाम पर होने वाला कार्य निश्चय ही नीरा नाटकीय मात्र होगा**
**-तिलकायत श्रीगोविन्दलालाजी.**

# नाथद्वारा प्रकरण पर सही दृष्टिकोण

## सिद्धान्त-संरक्षण ही श्रीमान् तिलकायित के नाथद्वारा न पधारने का कारण

श्रीवल्लभ विज्ञान के गत जनवरी १९६४ (अंक ७) में प्रकाशित श्री १०८ गो. श्रीव्रजभूषणलालजी महाराज (जामनगर) का 'खुला-पत्र' और 'श्रीनाथद्वारा प्रकरण पर वैष्णवों की भावना' शीर्षक लेख के संदर्भ में एक सुविज्ञ सूत्र ने इन लेखों के कतिपय अंशों का भ्रमात्मक बताया है। अतः इस सूत्र से संवाद प्राप्त हुआ है, उसके मुख्य-मुख्य अंश सही परिस्थिति के परिज्ञानार्थ नीचे दिये जाते हैं :—

इस संवाद में यह बताया गया है कि श्रीमान् तिलकायित के नाथद्वारा न पधारने का कारण उनके कोई व्यक्तिगत अधिकारों के आग्रह या दुराग्रहवश नहीं है परन्तु जो 'परम्परा प्राप्त, अद्यावधि-प्रचलित, सम्प्रदाय के सर्वमान्य निर्विवाद अधिकार' हैं, उन्हीं की रक्षार्थ विवश होकर उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। यथा, इस सूत्र का कथन है :—

"श्रीमदाचार्यचरण से प्रारंभ होकर अद्यावधि समस्त पुष्टिमार्ग में निर्विवाद सर्वमान्य सिद्धान्त-रूप यह परम्परा प्रचलित है कि सेवा, वह फिर किसी गृह (मंदिर) विशेष में, या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होती या बिराजती हो, वह सम्पूर्ण रूप से तत्तत् गृहाधिप, तत्तत् गुरु आचार्य की आज्ञा से एवं उनके द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार ही होती है, होनी चाहिये और होगी— तभी पुष्टि-सेवा ठाकुरजी अंगीकार करते हैं। वार्ता-प्रसंगों में इसके उदाहरण एवं सिद्धान्त ग्रंथों में इसके समर्थन असंख्य प्राप्त हैं।"

"उक्त सिद्धान्त-समर्थित परम्परा ही पुष्टि-सेवा का प्राण है जिसे वर्तमान के सभी आचार्यों एवं पुष्टिमार्ग के सभी वैष्णव अनुयायियों एवं संस्थाओं ने बार-बार अपने प्रस्तावों में दुहराया है, स्वीकार किया है, और जिसमें कहीं भी विरोध या विवाद उत्पन्न हुआ नहीं, हो सकता नहीं, है नहीं।

"जिस उक्त सैद्धान्तिक परंपरा का जिक्र उपर है उसे वर्तमान के नाथद्वारा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से मान्यता प्राप्त है।"

(आगे चलकर इसी सूत्र ने लिखा है) :—

"सुप्रीम कोर्ट ने 'नाथद्वारा मन्दिर कानून'

दाय में इतना ऊंचा स्थान है बोर्ड का केवल सदस्य रखा है, और वह भी तब कि यदि वे सदस्य बनने के लिये अन्य रूप से अयोग्य न ठहराये गये हों। राज्य शासन को इस विधान की धारा ३० (२) (a) के अन्तर्गत अधिकार दिया गया है कि गोस्वामि को इस पद पर रहने के लिये क्या योग्यताएं हों और क्या पारिश्रमिक दिया जावे यह ठहरावे। हमने निर्धारित किया है कि इस नियम ३० (२)(a) को (अवैध होने के कारण) निकाल दिया जावे। और भी हमें खुशी और संतोष होता यदि गोस्वामिजी को जो कि संप्रदाय में इतना उच्च और सम्मान का स्थान रखते हैं बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता। हम यह बता देवें कि विद्वान सालिसिटर जनरल भी इन्हीं विचारों के हैं और उनने स्वीकार किया है कि वे राज्य शासन को यह सलाह देवेंगे। तथापि इस कारण से धारा ५ अवैध नहीं ठहरती।

माननीय न्यायालय ने टेम्पल एक्ट की जिन कतिपय धाराओं में ऊपर उल्लिखित संशोधन या उनको निरस्त करने का निर्णय दिया है तदु-परान्त निम्न धाराएं भी अवैध ठहराई हैं:–

धारा २८ (२)–जिसके अन्तर्गत बोर्ड को मंदिर की अधिक आय का उपयोग मंदिर के अन्य कार्यों में खर्च करने का अधिकार दिया है।–यह निरस्त की जावे।

धारा ३६–जिसके अन्तर्गत राज्य शासन को अधिकार दिया गया है कि इस कानून के अमल करने में जो कठिनाई आवे वह दूर करे। बताया गया है कि इससे राज्य शासन धार्मिक कार्यवाहियों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। यह आपत्ति ठीक है–अतः यह धारा निरस्त की जानी चाहिये।

धारा ३७–जिसके अन्तर्गत राज्य शासन इस कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही करे उसके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में कोई दावा नहीं किया जा सकता। यह अधिकार इतने व्यापक हैं कि यदि धारा ३१ में कोई दावा करे तो राज्य शासन इससे अपना बचाव कर सकता है। इसलिये यह भी निरस्त की जावे।

---

# संप्रदाय के 'अक्षर' विग्रह का संरक्षण

**लेखक–श्रीरतीलाल दोसी, मंत्री पुष्टिमार्गीय पुस्तकालय, नड़ियाद**

सबको और विशेषकर ग्रेज्युएट सांप्रदायिक विद्वानों को सुविदित है कि जब-जब भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की तरफ से भारतीय तत्वज्ञान (Path to God) सम्बन्धी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें विशेष करके शुद्धाद्वैत-तत्वज्ञान, तथा पुष्टिमार्ग (अनुग्रह मार्ग) के सम्बन्ध में नहीं-के-समान अथवा निर्जीव ध्यान देने में आया है, और उसमें भी सम्प्रदाय के निर्देश को हलका दिखाने की ही नीति मालुम पड़ती है। इसके कुछ कारण नीचे लिखे अनुसार हैं:—

१. सांप्रदायिक अतुलनीय एवं अखूट साहित्य को प्रकट करने में संप्रदाय ने वर्षों तक उपेक्षा रखी, जिसके परिणाम स्वरूप संप्रदाय के प्रामाणिक उच्च साहित्य को देखने का विद्वानों को अवसर ही

संविधान की धारा ३१ का भी (वैष्णवों के लिये) कोई उल्लंघन नहीं होता क्योंकि संम्पत्ति श्रीनाथजी की है और श्रीनाथजी को उससे वंचित नहीं किया गया है। तिलकायितश्री को व्यवस्था करने के अधिकारों से वंचित करने से किसी का सम्पत्ति से वंचित होना सिद्ध नहीं होता—और वह भी कानून के अनुसार किया है।

संविधान धारा २५—वैष्णवों की, धर्म और धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता का भी उल्लघंन नहीं हुआ है—एक्ट की १६ वीं धारा में पुष्टि-मार्गीय सिद्धान्तों के अनुसार नित्य की सेवा उत्सव आदि की व्यवस्था करने का भार बोर्ड पर डाला गया है।

संविधान धारा २६ के अन्तर्गत आपत्ति उठाई गई है कि एक तरफ तिलकायित श्री को, और दूसरी तरफ वैष्णव वर्ग को भी (जिनमें आचार्य श्रीवल्लभकुल आदि सम्मिलित हैं) धार्मिक मामलों में अपनी व्यवस्था खुद करने का अधिकार अमान्य कर दिया है। न्यायालय ने निर्धार किया है कि हमारी निश्चित राय है कि ऐसा नहीं हुआ है फिर भी एक्ट की १६ वीं धारा में बोर्ड के जिम्मे मंदिर की सम्पत्ति और "काम काज" की व्यवस्था का जो प्रावधान है इनमें "काम काज" ये शब्द अवैधानिक हैं और हटा दिये जावें। जहाँ बोर्ड पर दैनिक पूजा ( सेवा ) उत्सव समारोह आदि की व्यवस्था का भार डाला गया है उसमें कोई हानि नहीं है—इससे व्यावहारिक व्यवस्था करने वाली समिति (Secular Body) पर इन उत्सवों के लिये सामग्री और धन संग्रह करने का भार डाला है—अतः इसमें कोई आपत्ति का कारण नहीं होना चाहिये।

फिर यह आपत्ति उठाई गई है कि चल अचल संपत्ति की मालिकी का संप्रदाय का अधिकार छीन लिया गया है—न्यायालय ने बताया है कि इसका स्पष्टीकरण पहिले हो चुका है। जब सब सम्पत्ति श्री नाथजी की मालिकी की मानी गई है तो संप्रदाय के उसकी मालिकी के अधिकार में भी कोई विपरीत असर नहीं होता।

फिर भी जो इस बात पर भी जोर दिया है कि संप्रदाय का संपत्ति की व्यवस्था करने का अधिकार पूर्णतया छीन लिया गया है, यहां न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय (रतीलाल पानाचंद गांधी विरुद्ध बम्बई राज्य) के आधार पर बताया है कि ऐसा नहीं हुआ है। कानून में यह प्रावधान रखा है कि अमुक ट्रस्टी दुर्व्यवस्था या अन्य उचित कारणों पर हटा दिये जाएं, परन्तु यदि 'व्यवस्था' संप्रदाय के ही हाथ में रहती है तो संविधान धारा १६ का उल्लघन नहीं होता। कानून ने एक बोर्ड की व्यवस्था की है जिसके अनुसार 'व्यवस्था' वोर्ड को दे दी है जिसमें उदयपुर के कमिश्नर (जो कि अध्यक्ष रहेगा) तथा नौ अन्य सदस्य हैं जिनके लिये व्यवस्था रखी गई है कि वे हिन्दू धर्म मानने वाले पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय के होने चाहिये और राज्य शासन ऐसे व्यक्ति नियुक्त करे जो सम्पूर्ण भारत से पुष्टि-मार्गीय वैष्णवों का प्रतिनिधित्त्व करने योग्य हों। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संप्रदाय के हाथ में से उक्त अधिकार छीन लिये हैं। कमिश्नर की बोर्ड पर नियुक्ति चाहे वह अहिन्दू भी हो, आपत्तिजनक बताई गई है। न्यायालय ने माना है कि यदि ऐसा न होता तो अच्छा होता। परन्तु फिर भी बोर्ड में वैष्णवों का पूर्णतया बहुमत होने के कारण सम्प्रदाय से व्यवस्था के अधिकार सम्पूर्णतया छीन लिये गये हैं यह नहीं कहा जा सकता। आगे न्यायालय ने बताया है कि यह भी टीका की गई है कि श्रीमान् गोस्वामि को जिनका कि संप्र-

# जोधपुर वरिष्ठ न्यायालय का निर्णय-4

ने अपने पास रखा (और वह अधिकार अब राजस्थान राज्य को मिल गया है) परन्तु इससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि संपत्ति में श्रीमान् तिलकायित का कोई हित नहीं है और यह कि वे केवल मंदिर के संबंधी कार्यों की देखरेख और प्रबंध ही रख सकते हैं। केवल इतने ही अधिकार कि वे निवास कर सकते हैं और प्रसाद प्राप्त कर उसका वितरण कर सकते हैं, (जो कि फर्मान से नहीं छीने गये हैं), संपत्ति में उनका हित सिद्ध करने को पर्याप्त हैं। इसलिये न्यायालय ने निर्णय दिया है, कि श्रीमान् तिलकायित का व्यावहारिक रूप से लाभान्वित होने का स्वत्त्व Beneficial Interest सुरक्षित है। अन्त में न्यायालय इन निष्कर्षो पर पहुंचा है:—

(१) श्रीमान् तिलकायित संप्रदाय के और श्रीनाथजी के मंदिर के धार्मिक प्रमुख हैं। मंदिर की सेवा और दूसरे धार्मिक समारोह सम्पन्न करने के केवल वे ही अधिकारी हैं।

(२) श्रीमान् तिलकायित का यह भी व्यावहरिक (Secular) कार्य है कि वे श्रीनाथजी की संपत्ति और भेंट की आय को एकत्रित करें, परन्तु यह आय सेवा के लिये ही हमेशा अलग रखी जावे और अपने निजी उपयोग में न ली जावे।

(३) राज्य शासन का पूर्ण अधिकार है कि यह देखरेख रखे कि मंदिर के निमित्त संपत्ति का उपयोग मंदिर के ही उपयोग में हो।

इसके अनन्तर न्यायालय ने यह चर्चा की है कि नाथद्वारा टेम्पल एक्ट के द्वारा श्रीमान् तिलकायित और वैष्णवों के अधिकारों का कहां तक अतिक्रमण होता है, और इस एक्ट की व्यवस्था उनके मूलभूत अधिकारों के कहांतक विरुद्ध है। न्यायलय ने निर्णय दिया है कि जहां तक मालिकी का प्रश्न है यह पहिले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि मंदिर और तत्संबंधी सब सम्पत्ति की मालिकी श्रीनाथजी की है। परन्तु धारा २ (७) में "मंदिर" की व्याख्या में श्रीमदनमोहनजी और श्रीनवनीत प्रियजी के मंदिर को सम्मिलित किया है, यह अवैधानिक है अतः ये शब्द निकाल दिये जाएं।

श्रीनाथजी के मन्दिर और सम्पत्ति की मालिकी श्रीनाथजी की होने के कारण और उसका कोई भाग श्रीमान् तिलकायित अपने लिये खर्च न करे, यह तय होने के बाद, फिर भी तिलकायितश्री के अन्य कई अधिकार हैं। न्यायालय ने बताया है कि इन सब की सुरक्षा एक्ट की धारा २२ के द्वारा होजाती है और इस तरह उनके लाभान्वित होने के स्वत्त्व Beneficial rights की रक्षा हो जाती है (धारा २२ में कहा गया है कि किसी भी स्थापित प्रथा का या किसी अधिकार, सन्मान, पुस्कार, वेतन, आदि का जो कोई भी व्यक्ति प्रथा के अनुसार अधिकारी है, कोई उल्लंघन नहीं होगा)। अवश्य ही तिलकायित श्री के (Secular) व्यवस्था करने के अधिकार में कमी हुई है परन्तु वह एक कर्त्तव्य मात्रकी हुई है—जहां तक का धार्मिक और निजी हितों के अधिकारों का सवाल है उनमें कोई कमी नहीं हुई है। न्यायालय ने कहा है कि श्रीनाथजी की जायदाद की व्यवस्था करने पर जो रोक रखी गई है वह उचित है और जनहित में है।

ऊपर उल्लेख किये हुए जिन कारणों से श्रीनाथजी की सम्पत्ति श्रीमान् तिलकायित के कब्जे में नहीं रह सकती उन्हीं कारणों से वह संप्रदाय के कब्जे में भी नहीं रखी जा सकती और इसमें वैष्णवों के अधिकारों का भी कोई उल्लंघन नहीं होता ऐसा न्यायालय ने बतायाहै।

पंच फैसला हुआ है जिसकी कि बाम्बे हाईकोर्ट ने मान्यता देकर डिक्री प्रदान की है, इन सब पर विचार करने से यह सिद्ध होता है कि श्रीनाथजी का मंदिर सार्वजनिक है तथा उपरोक्त सम्पत्ति श्रीनाथजी की मालिकी की है।

सम्पूर्ण फैसले में उदयपुर महाराना के दिसंबर १९३४ के एक फर्मान पर बहुत बल दिया गया है, जिसमें घोषणा की है कि उदयपुर के विधान के अनुसार श्रीनाथजी का मंदिर हमेशा से वैष्णव संप्रदाय के अनुयाइयों का धर्म स्थान रहा है और और है और सब चल-अचल सम्पत्ति जो श्रीनाथजी को भेंट आदि द्वारा प्राप्त हुई है वह मंदिर की है और तिलकायित महाराज उसके केवल संरक्षक, व्यवस्थापक और ट्रस्टी रहे हैं और उदयपुर महाराना का यह हमेशा पूर्ण हक रहा है कि वह देख-रेख रखे कि मंदिर को भेंट आदि द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपयोग मंदिर के ही हित में हो। इस फर्मान में तिलकायित महाराज को वंश परंपरा नियमानुसार गादी प्राप्त करने के हक को मान्यता दी है यद्यपि यह भी कहा है कि उदयपुर दरबार को यह हक रहा है कि यदि उनकी राय में कोई महाराज अयोग्य सिद्ध हों तो वे उन्हें तात्कालिक रूप से गादी से उतार सकते हैं--आदि। न्यायालय ने इस फर्मान को कानूनी मान्यता है ऐसा माना है।

श्रीमान् तिलकायित की 'रिट' अर्जी में एक और प्रार्थना है कि टेम्पल एक्ट की धारा ३ उनके इस हक को कि वे श्रीनाथजी, श्रीनवनीत-प्रियजी और श्रीमदनमोहनलालजी की सम्पत्ति को कब्जे में रखें और उसका प्रबंध करें, छीन लिया है और यह नियंत्रण अनुचित है। इस वैकल्पिक मांग को उनने जवाब दावे के उत्तर में दिये हुए एक शपथ-पत्र में इस तरह स्पष्ट किया है कि उनका व्यवसाय, समाज में उनका स्थान और उनके अधिकार संविधान के तीसरे भाग के द्वारा सुरक्षित हैं और इस एक्ट के द्वारा इन बुनियादी हकों में हस्तक्षेप किया गया है। न्यायालय ने बताया है कि यह वैकल्पिक मांग स्पष्ट नहीं है और सालिसिटर जनरल का कथन है कि श्रीमान् तिलकायित की मांग केवल मालिकी की है और अन्य कोई नहीं। परन्तु न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार करना उचित समझा है कि क्या श्रीमान् तिलकायित के श्रीनाथजी के मंदिर के संबंध में अन्य कोई हक भी हैं। न्यायालय ने यह माना है कि श्रीमान् तिलकायित का स्थान श्रीनाथजी के मंदिर के संबंध में कभी भी, हिन्दू मंदिर में जो 'शेबाइत' का स्थान है, उससे कम नहीं रहा है। सालिसिटर जनरल ने कहा है कि १९३४ के फर्मान के बाद श्रीमान् तिलकायित केवल संरक्षक, मैनेजर और ट्रस्टी रह गये हैं और इस कारण शेबाइत की तुलना के अब कोई हक उनके नहीं रह गये हैं।--न्यायालय इस प्रश्न पर विशद चर्चा करने के बाद, इस निर्णय पर पहुंचा है कि १९३४ के फर्मान में जो शब्द संरक्षक मैनेजर और ट्रस्टी उपायोग में लिये हैं वे केवल संपत्ति की मालिकी मंदिर की है यह बताने को है। इससे श्रीमान् तिलकायित के शेबाइत के रूप के अधिकार छीन लिये गये हैं यह सिद्ध नहीं होता। न्यायालय ने अपनी चर्चा में यह भी बताया है कि शेबाइत का का देवोत्तर संपत्ति में Beneficial Interest लाभान्वित होने का हक रहता है। न्यायालय ने कहा है कि यह ठीक है कि फर्मान के कारण एक दृष्टि से शेबाइत के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है और वह इस रूप में कि यह देखरेख रखने का अधिकार कि मंदिर की सम्पत्ति का उपयोग मंदिर के ही उपयोग में होता है, दरबार

भाषा में सम्मिलित किये गये हैं वे और उनसे संबंधित सम्पूर्ण सम्पत्ति तो सर्वथा उनकी ही है। साथ ही नाथद्वारा टेम्पल एक्ट (उस समय आर्डिनंस) की विभिन्न धाराओं को अवैधानिक बताते हुए निवेदन किया गया था कि राज्यशासन को ऐसा कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह संविधान में दिये गये कतिपय अधिकारों के विरुद्ध है–अतः राज्य शासन को उनपर अमल करने से रोका जाए और श्रीनाथजी, श्रीमदन-मोहनलालजी और श्रीनवनीत प्रियजी के मंदिर और उनसे संबंधित सम्पत्ति की श्रीमान् तिलका-यित द्वारा किये जाने वाली व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाए।

इसी के साथ ही एक writ अर्जी कतिपय वैष्णवों की ओर से भी दी गई थी उसमें भी यही निवेदन किया गया था कि संप्रदाय के सिद्धान्त और परंपरा के अनुसार सैंकड़ों वर्षों से तत्तत् समय के श्रीमान् तिलकायित को 'आचार्य' के रूप में उक्त मंदिर, उनमें बिराजे हुए स्वरूपों, एवं समस्त चल-अचल सम्पत्ति का पूरा चार्ज, आधि-पत्य और नियंत्रण रहा है–उन्हीं को सेवा का भी पूर्ण अधिकार रहा है–राजस्थान शासन राजनैतिक नेताओं की चाल में फंसकर इनमें अनुचित हस्त-क्षेप कर रहा है और इन संस्थाओं को प्राप्त कर अपने नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा इनका संचालन करना चाहता है और नाथद्वारा टेम्पल एक्ट के द्वारा संप्रदाय के संविधान की धारा १६, २५, २६ और ३१ में प्रदत्त अधिकारों से संप्रदाय को वंचित किया चाहता है।

एक और भी रिट (writ) अर्जी इसी समय गो. श्रीघनश्यामलालजी महाराज ने प्रस्तुत की थी जिसमें उपर्युक्त बातों को दोहराते हुए, विशेष में यह निवेदन किया गया था कि श्रीनाथजी समस्त गोस्वामि वंश के कुल देवता हैं, सबको उनकी सेवा का अधिकार है और यदि वे श्रीनाथजी को जतीपुरा में श्रीगिरिराजजी पर या कहीं अन्यत्र पधरावें तो उसमें राज्य शासन को कोई रोक-टोक नहीं करने दी जाए।

न्यायालय ने गो० श्रीघनश्यामलालजी महा-राज की writ अर्जी पर निर्णय दिया कि उनने श्रीनाथजी के मंदिर के संबंध में जो अपना हित बताया उसके लिये गवाहों के बयान और विस्तृत जांच की जरूरत है–यह भी देखना होगा कि क्या श्रीमद्वल्लभाचार्यजी के वंशजों को श्रीनाथजी की सेवा के विशेष अधिकार दिये गये हैं और क्या अनुमानतः इन ४०० वर्षों में इनका कोई उपयोग उनने किया है–इसलिए न्यायालय ने निर्णय किया कि यदि गो० श्रीघनश्यालालजी को अपने अधिकारों से वंचित हो जाने की कोई शिकायत है तो उन्हें सक्षम न्यायालयों में न्याय के लिये जाना चाहिये। इन कारणों से इस रिट अर्जी को निरस्त कर दी गई।

न्यायालय ने यह मान्य किया कि श्रीमदन-मोहनलालजी और श्रीनवनीत प्रियजी के स्वरूप और उनसे संबंधित सम्पूर्ण सम्पत्ति पूर्णतया श्रीमान् तिलकायित की निजी है और वह उनको दी जाए।

श्रीनाथजी का मंदिर और तत्संबंधित सम्पूर्ण जायदाद के स्वामित्त्व के विषय में न्यायालय ने एक विस्तृत समीक्षा की है, जिसमें बताया है कि प्रारंभ से अब तक शासकों व अन्यों ने जिस प्रकार गाम, जमीन जायदाद आदि भेंट किये हैं, उदयपुर राज्य के जो समय-समय पर फर्मान निकले हैं, सर चिमनलाल सेतलवाद का जो सन् १९४२ में

पुष्टि विचारधारा जब तक ...प्रभुको पराया, स्वतन्त्र या सर्वजनिक समझती हो तब तक ... पुष्टिसेवा चल नहीं सकती. इस भावना के अभाव में सारा सेवा के नाम पर होने वाला ... निरा नाटकीय मात्र होगा
-लकायत श्रीगोविन्दलालाजी.



समझने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। राज्य हुकुमत के हस्तक्षेप वाली सेवा पद्धति कभी भी पुष्टि पद्धति नहीं हो सकती और कोई भी समझदार आचार्य एवं वैष्णव इसे स्वीकार नहीं कर सकता।----"

आगे चलकर 'श्रीनाथद्वारा प्रकरण पर वैष्णवों की भावना' शीर्षक लेख के संदर्भ में इस सूत्र का कहना है कि--

"सरकार के मंत्रियों का यह कहना कि 'तिलकायित महाराज को बंबई जाकर हमने समझाया लेकिन वह श्रीनाथद्वार जाकर सेवा करना नहीं चाहते। हमने कहा आप जाकर सेवा करो फिर सब ठीक हो जाएगा लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। अब वैष्णव क्या विरोध करें' आदि वाक्य या तो लेखक के परिस्थितियों से अनजानेपन को, या फिर पूर्ण जानकारी हो तो भ्रम-प्रसारण को ही प्रदर्शित करते हैं, जो कि सहसा पढ़ने वाले के मन में यह भ्रम उत्पन्न कर देता है कि परिस्थिति अनुकूल है परन्तु महाराज-श्री तिलकायित ही वहां नहीं पधारना चाहते हैं। इस प्रकार की राज नीति के जुगनुओं के वाक् जाल से प्रभावित लेखक यह बात भूल जाते हैं कि संप्रदाय के सर्वमान्य पू. पा. तिलकायित महाराज ही एक ऐसे अडिग आचार्य हैं जिन्होंने अपने यथा-लब्ध सर्व श्रेष्ठप्रयासों द्वारा पुष्टि सिद्धान्त के प्रमुख एवं मूल अंग-रूप विचार को लेकर पुष्टि स्वरूप ठाकुरजी श्रीगोवर्धननाथजी की प्राकट्य वार्ता आदि में उल्लिखित श्रीमदाचार्यचरण के 'ये मेरे सर्वस्व हैं' इस भावना से और इसी को प्रमुख मानकर अपने भगीरथ प्रयास द्वारा वर्तमान के धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख वाद प्रस्तुत किया कि पुष्टि विचार-धारा अपने प्रभु पर जब तक ममत्त्व या अपनापन स्थापित नहीं करती तथा प्रभु को पराया, स्वतंत्र या सार्वजनिक समझती हो तब तक, मां की अपने दूध-मुंहे बालक के प्रति भावना से आधारित, तथा सत्पत्नी की अपने एक मात्र सत्पति के संबंध की ही अन्योन्याश्रय भूत एकांगी भावना पर आधारित, पुष्टि-सेवा चल ही नहीं सकती। इस भावना के अभाव में सारा सेवा के नाम पर होने वाला कार्य निश्चय ही निरा नाटकीय मात्र होगा जो संप्रदाय के किसी भी सिद्धान्त द्वारा न तो प्रतिपादित न समर्थित है, अपितु वह कथित परिपालित अद्यावधि प्रचलित परंपरा प्रणालिका के सर्वथा विपरीत, उसका उच्छेदक मात्र होगा।.....

"वर्तमान ति. पू. पा. श्री १०८ श्रीगोविन्द-लालजी महाराज का यह आग्रह कि सेवा तथा सेवा-संबंधित उपकरण सेवक आदि पर स्थानापन्न आचार्य का नियंत्रण रहना चाहिये तथा पुष्टि सेवा स्थानापन्न आचार्य की आज्ञानुसार होनी चाहिये, यह मांग सर्व-सम्मत अद्यावधि प्रचलित परम्परा के अनुसार एवं न्याय द्वारा प्रदत्त, सेवा में (धार्मिक क्षेत्र में) एक्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं होगा इस भावना वाले, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सर्वथा अनुकूल है एवं समस्त पुष्टिमार्गीय आचार्यों वैष्णवों द्वारा प्रदर्शित भावना प्रस्तावों आदि का मूलाधार है।"

---

हम यह उल्लेखित करते हैं कि विद्वान सोलिसिटर जनरल ने भी सरकार को इसी प्रकार की सलाह इस सम्बन्ध में दी है, जिससे यह कार्य उचित हो सके ।

श्री तिलकायतजी के हक और अधिकार के सम्बन्ध में अधिनियम में किसी प्रकार की स्पष्टता और विस्तृत विवेचन करने में नहीं आया है, इस संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बात प्रकट की है । "श्री तिलकायत के रूप में उनको मंदिर में रहने का हक है और इस प्रकार के आचार्य के रूप में मंदिर में ठाकुरजी की सेवा करने और उसकी व्यवस्था करने तथा प्रणालिकानुसार रीति-रिवाज और रूढ़िगत सेवा करने, उस पर देख-रेख रखने का अधिकार आपश्री को है । श्री ठाकुरजी की भेंट स्वीकार करने और प्रणालिकागत रीति-रिवाज के अनुसार प्रसाद बेचने का भी उनको पूर्ण अधिकार है । इन अधिकारों को ध्यान में रखने से अधिनियम का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है ।

भारत की सुप्रिम कोर्ट इस सम्बन्ध में यह प्रकट करती है कि यह "अधिनियम श्री तिलकायतजी के अधिकारों को छीनता नहीं है, परन्तु वे बोर्ड के दूसरे सदस्यों के साथ इस अधिकार में सम्मिलित हैं ऐसा इसका आशय माना जाता है ।"

इन स्पष्ट तथा सशक्त निरीक्षणों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री तिलकायतजी मंदिर की धर्मनिरपेक्ष अथवा भौतिक बातों के संचालन करने में बोर्ड में सम्मिलित अन्य सभासदों के साथ कर सकते हैं । और साथ-साथ आपश्री धार्मिक प्रमुख के नाते मंदिर की धार्मिक बातों के तथा मुखिया के सहित अन्य सेवकों की नियुक्ति तथा बर्खास्त करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों के हस्तक्षेप बिना अपने अबाधित अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मुखियादि आपकी सेवा विधि में सहायता मात्र करने हेतु ही उनके नौकर हैं ।

टेम्पल बोर्ड के नियम के अन्तर्गत (५) को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकट किया है कि "इसमें इस वात का ध्यान रखा गया है कि बोर्ड के अन्य सदस्य केवल हिन्दू ही हों ऐसा नहीं है, लेकिन वे इस सम्प्रदाय के भी होना चाहिए जिससे उनका प्रतिनिधित्व पूर्ण रीति से सुरक्षित रह सके ।"

**हम पुष्टिमार्गीय वैष्णव इस सम्बन्ध के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि राजस्थान की हाय कोर्ट और भारत के सुप्रीम कार्ट ने जिस प्रकार से अर्थघटित किया है । और अपने अभिप्राय स्पष्टीकरण व्यक्त किये हैं उन पर अमल करते हुए नाथव्दारा मंदिर अधिनियम में उनका योग्य, स्पष्ट तथा असंदिग्ध वैधानिक भाषा में समावेश करे जिससे यह अधिनियम एक पूर्ण प्रकार से कानूनी रूप धारण कर सके ।**

नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) बिल १९६४ नाम का जो बिल राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसे अभी सिलेक्टेड कमेटी कों सौंपने में आया था, जिससे मुखिया के सम्बन्ध में उलझन को दूर करते हुए उपर्युक्त स्पष्टीकरण तथा विवेचनों को सुसंगत रूप में इसके अन्तर्गत कर लिया गया है ।

## उचित माँगे

**इस संशोधन बिल में भारत के प्रख्यात न्यायमूर्तियों का निर्णय और नाथद्वारा मंदिर अधिनियम के**

**की मिल्कियत की व्यवस्था पर टेम्पल बोर्ड ध्यान देगा और इसकी धार्मिक बातों की व्यवस्था करना श्रीतिलकायतजी के जिम्मे रखी जाय जिसमें बोर्ड कोई हस्तक्षेप न करे।** यह अधिनियम श्रीतिलकायत जी को मंदिर की धार्मिक बाबतों में और उसमें कार्यरत सेवकों के बारे में अधिकार देता है। इसका प्रमाण सुप्रिम कोर्ट के नीचे दिये गये निर्णय से प्राप्त होता है :—

## अंतिम अधिकार

"बोर्ड श्रीतिलकायतजी के साथ ठीक तौर से और न्यायपूर्ण रूप से व्यवहार करेगा और मंदिर में सेवा सम्बन्धी धार्मिक बातों में तथा मंदिर के सेवकों पर के अधिकार को हानि पहुंचे ऐसा नहीं करेगा एवं सेवा प्रणालिका तथा महोत्सवों के सम्बन्धी कार्यों में तथा सेवारत सेवकों के बारे में श्री तिलकायतजी के अधिकारों को उचित मान देगा।" इसका अर्थ यह हुआ कि **मन्दिर के धार्मिक प्रमुख के नाते मन्दिर में सेवा का काम-काज संभालते सेवकों की नियुक्ति करने, उनको हटाने बाबत में श्रीतिलकायतजी को सर्वोच्च अधिकार है।**

## मुखिया की नियुक्ति

मंदिर में श्रीतिलकायतजी के मुख्य कर्मचारी मुखिया के सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय सेवा के सिद्धान्तानुसार तर्क संगत नहीं है। मुखिया को श्रीतिलकायत तथा टेम्पल बोर्ड इन दोनों के संयुक्त अधिकार में रखा गया है। इस कथन के समर्थन में ऐसे तथ्य रखे गए हैं कि श्रीनाथजी के शृंगारादि विधि कार्य में जवाहरातादि का संचालन करना पड़ता है। इसलिए मुखिया सम्प्रदायारिक्त कर्मचारी माना गया है। अब एक सामान्य ज्ञान की बात है कि अपने निजी निधि स्वरूप श्रीनाथजी की सेवा तो श्रीतिलकायतजी कर सकते हैं। परंतु श्रीतिलकायतजी की अनुपस्थिति में एवं वहां न होने पर उनके द्वारा नियुक्त मुखिया को सेवा करने की आज्ञा है और इस प्रकार की सेवा भी श्रीतिलकायतजी की आज्ञा एवं आदेश का सख्त पालन हो सके इसीलिए है। परन्तु श्रीतिलकायतजी जब वहाँ मौजूद हों और सेवा करते हों तब श्रीनाथजी को जवाहरातों में से शृंगार धराने की विधि को स्वयं ही सम्पन्न करते हैं। इसको शृंगार सेवा कहा जाता है। निज मंदिर में मुखिया की उपस्थिति अनिवार्य जैसी नहीं है। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से श्रीनाथजी की शृंगार विधि में सम्पूर्ण जवाहरात तथा आभूषणादि धारण करवाने की अंतिम विधि तो श्रीतिलकायतजी ही करते हैं। मुखिया जवाहरातादि का कार्य लाने-ले जाने का करने से वह अंशतः बिन सांप्रदायिक है। ऐसा जो सिद्धांत, विद्वान न्यायमूर्ति ने किया है, वह यदि श्रीतिलकायतजी पर लागू होता है तो पुष्टि सम्प्रदाय के वैष्णवों के लिए अपने सम्प्रदाय के मंदिर के धर्माध्यक्ष श्रीतिलकायतजी का दर्जा और गौरव के निर्णय करने का कार्य शक्य नहीं है।

## गौरवपूर्ण स्थान

श्री तिलकायतजी के स्थान और गौरव के सम्बन्ध में अदालत की सिफारिशें श्री तिलकायतजी के लिये जो सर्वोच्च प्रतिष्ठा की, सम्प्रदाय की भावनाओं पर आवरण डालदेती है, जो सम्प्रदाय के प्रमुख हैं। **अदालत यह बात प्रकट करती है कि "ऐसा होते हुए भी जो अपने अनुयायियों की दृष्टि में गौरवपूर्ण तथा प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त करने वाले गोस्वामी को बोर्ड के अध्यक्ष बनाये जाते तो हमें अत्यधिक आनन्द होता।"**

न्यायिक संभावना नहीं है। **भारत के सुप्रिम कोर्ट व्दारा इस विषय में श्री तिलकायतजी को प्रमाणिकता का स्पष्ट प्रमाणपत्र दिया है। उसमें लिखा है-"यह स्पष्ट है कि श्री तिलकायतजी ने अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं अथवा निजी कार्यों के लिए मन्दिर की किसी आय का उपयोग नहीं किया है।"** सरजू प्रसाद जाँच-आयोग की रिपोर्ट में भी श्री तिलकायतजी के सम्बन्ध में दिये गये आक्षेपों को निराधार तथा झूठे हैं। ऐसा भारत के सुप्रिमकोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री महाजन ने अपने प्रसिद्ध वक्तव्य में प्रकट किया है। टेम्पलबोर्ड के अध्यक्ष ने भी यह घोषणा की थी कि उन्होंने मंदिर के हिसाब के के रजिस्टरों की जाँच-पड़ताल की है और उन्हें मालूम हुआ है कि मंदिर की रकम अंक-बंध है और कुछ भी गायब नहीं है।

## राजकीय हेतु

**अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस अधिनियम के पीछे आशय राजकीय है और श्री तिलकायतजी अभीतक शासन की राजनीति के फेर में फंसे हुए हैं।**

नाथद्वारा मंदिर अधिनियम को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसे इतनी जल्दी बनाया गया है कि बनाने वाला पुष्टि संप्रदाय की विशिष्ट धार्मिक पद्धति एवं विधियाँ से पूर्णतया अपरिचित हैं। इसी कारण से इस अधिनियम बहुत सी कलमें बिल्कुल अस्पष्ट हैं। अधिनियम में न तो श्री तिलकायतजी के धार्मिक गौरव एवं पद का कोई प्रावधान रखा गया है और न मंदिर के सेवकों, विशेष रूप से मंदिर में सेवा विधि संभालने वाले मुखिया पर पर श्रीतिलकायतजी के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नाथद्वारा मंदिर तथा पुष्टिसंप्रदाय के प्रमुख होने के नाते श्री तिलकायतजी के जो वंश परम्परागत हक, सत्ता तथा अधिकार हैं, उनके बारे में भी स्पष्ट खुलाशा नहीं किया गया है। यह अधिनियम मोटे तौर पर अपूर्ण लगता है, क्योंकि इनमें मंदिर की निरपेक्ष साम्प्रदायिक बातों के बारे में, अर्थात् सम्पति की व्यवस्था के बारे में स्पष्टता है, परन्तु मंदिर की धार्मिक व्यवस्था तथा प्रणालिका के नियम में वे क्या करना चाहते हैं, इसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। राजस्थान हायकोर्ट तथा भारत के सुप्रिमकोर्ट का इसके लिए आभार प्रकट किया जाता है कि इनके द्वारा इस अधिनियम का अर्थ स्पष्ट कर देने से मंदिर की धार्मिक व्यवस्था के लिए इस अधिनियम को बनाने वालों के आशय के बारे में स्पष्ट चित्र अपने सामने आ गया है।

## धर्मनिरपेक्ष बातें

नाथद्वारा मंदिर अधिनियम के आशय को सुप्रिम कोर्ट ने समझा दिया है। ऐसी समझ प्रकट करते हुए बतलाया गया है कि "हमारे अभिप्राय के अनुसार श्रीतिलकायतजी मंदिर की मिल्कियत की व्यवस्था करते हुए वे धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का अन्त लायें, यही इस अधिनियम का आशय है। यह समझी हुई बात है कि आचार्य के पद में धार्मिक तथा धर्म निरपेक्षता दोनों का समावेश हो गया है। इस प्रकार इस धर्मनिरपेक्षता का दर्जा निरस्त करने में आता है।" आगे सुप्रिम कोर्ट ने स्पष्ट किया है— "मंदिर की व्यवस्था सम्बन्धी बातें" ये शब्द स्पष्ट रीति से मंदिर की व्यवस्था सम्बन्धी धर्म निरपेक्ष बाबतों पर घटित होती है। इसलिए बोर्ड को मंदिर की मिल्कियत तथा मंदिर की धर्म निरपेक्ष बाबतों की व्यवस्था करने का कार्य सुपुर्द किया गया है।

**इस प्रकार इस अधिनियम का मुख्य आशय राजकीय स्पष्टीकरण** के **अनुसार यह है कि मंदिर**

हेतु बम्बई के न्यायालय में प्रस्तुत करने आवश्यक कानूनी कागजात लाने के लिए भेजे गये आपश्री के कर्मचारी को भी खाली हाथ वहां से लौटा दिया गया था।

प्रसाद की पुरानी चिट्ठियों के स्थान पर प्रसाद के लिए नई चिट्ठियाँ प्रस्तावित की गई हैं, जिन पर श्री तिलकायतजी का प्रणालिकानुसार पवित्र नाम था, उसे भी हटा दिया गया है। पवित्र पंचांग तथा अन्य धार्मिक प्रकाशन भी समय के पूर्व प्रकाशित करने में आते थे, जो श्री तिलकायतजी की आज्ञा से प्रकाशित किये जाते थे। अब ऐसे प्रकाशन श्री तिलकायतजी की आज्ञा के बिना ही प्रकाशित किये जाते हैं। और उन पर प्रणालिकनुसार श्री तिलकायतजी का नाम भी नहीं है। वहाँ के सत्ताधारी वर्ग इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि श्री तिलकायतजी तो नाम मात्र के पुरोहित हैं और आचार्य नहीं हैं, ऐसे असभ्य तथा अनर्गल सिद्धांतों के समर्थन एवं प्रसारार्थ विद्वानों को रखा गया है और पुस्तकें प्रकाशित करने में आ रही हैं और ऐसी पुस्तकों के लिए उदारता से आर्थिक सहायता भी मंदिर के फंड से की जाती है।

## हस्तक्षेप

पुष्टिमार्गीय वैष्णवों को सरकार द्वारा यह आश्वासन मिला है कि टेम्पल बोर्ड का मुख्य कार्य केवल मंदिर की मिल्कियत की व्यस्था करना है और वे मंदिर की धार्मिक बातों में किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। नाथद्वारा मंदिर में फिल हाल जिस मुखिया की नियुक्ति की गई है, उसे तिलकायतजी ने प्रणालिकानुसार नियुक्त नहीं किया है, परन्तु उसकी नियुक्ति टेम्पल बोर्ड के द्वारा की गई है। मंदिर के अन्य सेवकों के लिए की यही बात है। श्रीतिलकायतजी जिनकी नियुक्तियां की थी और टेम्पल बोर्ड की स्थापना के पूर्व जो वहाँ सेवा करते थे, उन सेवकों को भी विशेषरूप से बर्खास्त कर दिये गये हैं। नाथद्वारा मंदिर के अभी के मुखिया **को श्री तिलकायतजी ने श्रीनाथजी की सेवा करने के लिये नियुक्त नहीं किया है, और न उसे अधिकार ही दिया है। इस तथ्य को राजस्थान के डिप्टी रेव्हेन्यु मिनिस्टर ने विधान सभा के खुले सत्र में स्वीकार किया है।**

मुखिया को श्री तिलकायतजी ने विधिपूर्वक नियुक्त नहीं किया हैं, इसलिए सम्पूर्ण मंदिर अपवित्र हो गया है अर्थात् 'अपरस' छूआ गई है। यह मुख्य बात ही श्रीतिलकायतजी को मंदिर प्रवेश करने में बाधक है। यह समझ में आने जैसी बात नहीं है कि किस लिए ऐसी परिस्थिति को इस ढंग से चलने दिया जा रहा है। और इसके परिणामों से सब परिचित हैं। श्री तिलकायतजी की नाथद्वारा मंदिर में लगातार अनुपस्थिति के कारण 'शरणमंत्र' तथा ब्रह्मसंबंध की दीक्षा विधि का देना बिलकुल स्थगित हो गया है। **इसके परिणाम-स्वरूप इस भव्य संप्रदाय के मूल पर कुठाराघात हुआ है। इसी कारण पुष्टि संप्रदाय के विकास तथा विस्तार की वास्तविक उत्साहमय भावनाएं अवरुद्ध हो गई हैं।** ऐसे अपवित्र वातावरण के कारण बहुत से धर्मनिष्ट वैष्णवजन वहां प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इस संप्रदाय में प्रसाद लेने का धार्मिक महत्व अत्यधिक है।

## निराधार आलोचना

नाथद्वारा मंदिर अधिनियम को बनाने के पीछे क्या मुख्य अभिप्राय था, यह ज्ञात नहीं हुआ है। श्री तिलकायतजी ने मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग किया है, या हेरफेर किया है, इसकी

लेकिन जब तुम्हारे प्रत्येक कर्म भगवान की इच्छा के साथ संलग्न कर दिए जाते हैं, अथवा भगवान की इच्छा को भगवान की इच्छा के सुज्ञाता गुरु की इच्छा के साथ जोड़ दिया जाता है, तब तुम्हारे कर्तृत्व भाव (अहंकार) की क्रिया स्थगित हो जाती है। और यह अहं भाव पुष्टिमार्गीय शब्दावली के अनुसार जो दुर्लभ दैवी गुण रूप 'दैन्य' में परिणित हो जाता है। ऐसे दैन्य भाव से भगवान के अनुग्रह की प्राप्ति होती है। (भक्तानां दैन्यमेवं हि हरितोषणसाधनम् )

भारत में पांच महान् तत्वज्ञानी नररत्नों का प्राकट्य हुआ है जो सर्वश्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य तथा श्री मद्वल्लभाचार्यचरण हैं। भारत के ये पाँचों आचार्य हैं। भारत की कीर्ति, महत्ता, संस्कृति, सभ्यता, एकता तथा अनुपमता इन पाँचों नामों में समाहित हो गई है। इन पाँचों आचार्यों की परम्परा को जाग्रत एवं सुरक्षित रखने में भारत भाग्यशाली रहा है।

विशेषतः भारत सदा के लिये श्री मद्वल्लभाचार्यजी का आभारी रहेगा। यह एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने ही भारतीय विचारधारा और संस्कृति को सरल तथा सुबोध भाषा में समझाया और इन्होंने निराशा के अन्धकार में भटकते हुए भारत में नवचेतना के प्राण फुँके तथा मुस्लिम मतानुयायी सत्ताधीशों के शिकंजों में जकड़ी हुई विच्छिन्न हिन्दू समाज की भावात्मक एकता को सिद्ध किया। पुष्टिसंप्रदाय ने संगीत, चित्रकला, काव्य और ललित कलाओं में भव्यता का स्वरूप ला दिया है और हिन्दू समाज पर इस संस्कृति की तथा नागरिक भावनापर इसका जो प्रबल प्रभाव पड़ा है, उसे समझना तथा उसका मूल्यांकन करना तो अभी आधुनिक इतिहासकारों का कर्त्तव्य है।

## ज्योतिर्धर

3

श्री मद्वल्लभाचार्य तथा पुष्टिसंप्रदाय को भारत की अमूल्य संपत्ति के रूप में श्रीमदाचार्य श्री गोविन्दलालजी महाराज श्री जो कि श्रीनाथजी के मन्दिर के और पुष्टिमार्ग के वैष्णवों के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, उन्हें तत्वस्वरूपवत् संभाला चाहिये। वे ही केवल नाथद्वारा के प्रख्यात पुष्टिमार्गीय मंदिर के मालिक, ट्रस्टी वा आचार्य हैं और संपूर्ण भारतवर्ष के पुष्टिसंप्रदाय के अनुयायियों के पथ आलोकित करने हेतु प्रेममय ज्योति स्वरूप है।

**परन्तु हमें ऐसा भय होगया है कि नाथद्वारा मंदिर अधिनियम के परिणामस्वरूप यह भव्यनाम तथा प्रणालिका लुप्त प्रायःहो जायगी और आपश्री का प्रकाश सदा के लिए बुझ जाएगा।**

**नाथद्वारा मंदिर अधिनियम के अनुसार श्री तिलकायतजी के मंदिर संबंधी समस्त अधिकार तथा सत्ता सम्पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिए हैं, इतनाही नहीं, लेकिन टेम्पल बोर्ड मंदिर समिति के फक्त एक सामान्य सदस्य के नाते आपश्री का दर्जा रखा है।**

नाथद्वारा मंदिर अधिनियमों ने वहाँ अधार्मिकता की एक ऐसी भ्रमात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि श्री तिलकायतजी को नाथद्वारा का अपना पुश्तैनी निवासस्थान छोड़ने को ही न केवल बाध्य होना पड़ा, परन्तु उन्हें अपना सारा साजो सामान तथा जरूरी कागजात भी छोड़ देने पड़े, और अब वहां पुनः प्रवेश करने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान सरकार के सशस्त्र सैनिकों का पहरा बैठा दिया गया है। आपश्री की विवादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व सिद्ध करने

2

पूजा तो एक प्रकार से सामूहिक प्रक्रिया है, परन्तु सेवा तो पूर्णतया स्वतः की जाने वाली होती है, जो केवल सेवक तथा सेव्य स्वरूप के बीच ही मर्यादित होती है। जिस प्रकार माता तथा बालक

## धार्मिक अनुग्रह

गुरु की ओर से पुष्ट स्वरूप की प्राप्ति होने पर उसकी सेवा ब्रह्म सम्बन्ध लेने के पश्चात् ही कर सकते हैं और इस प्रकार की सेवा भी गुरु जिस पद्धति या प्रणालिका से करने की आज्ञा प्रदान करते हैं, उसी पद्धति एवं प्रकार से सतर्कता-पूर्वक की जानी चाहिए। गुरु ने जो मार्ग बताया हो, उस मार्ग से उसी प्रकार और उसी मर्यादा-तक भक्त द्वारा ऐसी सेवा की जाती है।

ब्रह्मसम्बन्धी द्वारा केवल इस पुष्ट स्वरूप की ही सेवा की जानी चाहिए और वह दूसरे कोई भी स्वरूप पुष्ट अथवा निधि स्वरूप की सेवा करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। श्रीमद्वल्लभाचार्यजी के वंशावतंस द्वारा पुष्ट कर प्रदान की हुई प्रतिमा की ही सेवा करने का अधिकार उसको है, परन्तु गुरु स्वयं की इच्छानुसार अपने निधि स्वरूप की सूक्ष्म एवं स्नेहात्मक सेवा हेतु सहायतार्थ स्वेच्छा हो, तो अपने संप्रदाय के वैष्णव की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे पुष्टिमार्गीय वैष्णव प्रायः अपने गुरुदेव की ऐसी सेवा अवैतनिक रूप से करते हैं। और अपने गुरुदेव की ऐसी सेवा-सहायता करना, इसे दुर्लभ धार्मिक अनुग्रह और सम्मान मानते हैं। जब अन्य सेवकों को इनकी सेवा हेतु पुरस्कार दिया जाता है, तो वह पुरस्कार प्रसाद अथवा नकद होता है।

## प्रायश्चित

इस प्रकार इस संप्रदाय में श्रीतिलकायतजी का दर्जा अनुपम है। पुष्टि मार्ग के मूल भूत सिद्धांतानुसार तो केवल वे ही अपने निधि स्वरूप की सेवा करने के अधिकारी हैं। मंदिर के मुखिया तथा अन्य सेवक वर्ग मंदिर में इनके धार्मिक रूप से सेवक ही होते हैं। और इनका कार्य, इनके प्राणप्रिय बाल गोपाल श्रीनाथजी जो इनके निधि स्वरूप हैं, की सेवा के अत्यन्त विस्तृत, सूक्ष्म, पवित्र तथा स्नेहमय सेवा विधि में सहयोग देना है। आपश्री ही इनकी नियुक्ति करने के पहले उसकी ज्ञाति, आयु, अनुभव और सेवा के मूलभूत सिद्धांत के ज्ञान आदि की परीक्षा करते हैं। ऐसे सेवक इनके पास सेवा करने वाले होते हैं। उनको गुरु के कुटुम्ब में जो ठीक प्रणालिका, रीतिरिवाज, रूढ़ि वगैरह होती है, उनसे सुपरिचित होना जरूरी होता है। इन सेवकों को इसके बाद प्रायश्चित की विधि करनी होती है। मुखिया के लिए ऐसे प्रायश्चित की विधि खूब कड़क, विस्तृत तथा खर्चीली होती है और श्रीतिलकायतजी जब मुखिया को इस पद पर नियुक्त करते हैं, तब की जाने वाली विधियों में उपवास, ब्राह्मणों को गौदान आदि का समावेश होता है। ऐसे मुखिया श्रीतिलकायतजी के मुख्य धार्मिक प्रतिनिधि होते हैं और श्रीतिलकायतजी की ओर से अनुमति प्राप्त होने पर ही वे श्रीनाथजी के निज मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। उनको सेवा विधि की प्रत्येक बात में श्रीतिलकायतजी की आज्ञा लेना अनिवार्य होता है। क्योंकि श्रीवल्लभाचार्यजी की आज्ञानुसार गुरु की आज्ञा ही सेवा है, अर्थात् गुरु की आज्ञा का पालन करना भी सेवा है।

## भगवत्कृपा

भगवान का अनुग्रह अर्थात् भगवत्कृपा प्राप्त करने के लिए श्री मद्वल्लभाचार्यजी द्वारा प्रदत्त यह एक सरल तथा अद्वितीय मार्ग है। हमारे सब कर्मों का मूल हमारी इच्छाएं हैं। इच्छा तथा कर्म ही हमारे में अहंकार अर्थात् 'कर्तृत्वभाव' के लिए जिम्मेंदार है। (स्वतःकरणेऽहंकारो भवति-सुबोधिनी)

वल्लभाचार्यजी के सिद्धांतानुसार वल्लभ सम्प्रदाय के कोई भी मंदिर सार्वजनिक नहीं हो सकते हैं.



# नाथद्वारा मंदिर का धर्म संकट

[लेखक—कविरत्न आर. कलाधर भट्ट, बम्बई]
-तिलकायतजी के प्रमुख सलाहकार

नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी का पवित्र मंदिर भारत के पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का प्रमुख धार्मिक केन्द्र रहा है। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण की सत्रहवीं पीढ़ी में वर्त्तमान श्रीतिलकायतजी गो. १०८ श्रीगोविन्दलालजी महाराज का प्राकट्य हुआ है।

श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण द्वारा स्थापित तथा उपदिष्ट पुष्टिमार्ग सेवामार्ग माना जाता है।

भगवान श्रीकृष्ण के बालस्वरूप की भक्ति का प्रकार सेवा है, जो पूजा से मूलतः भिन्न है। पूजा करने का आशय सामान्यतः भौतिक अथवा आध्यात्मिक होता है। सेवा में पूर्ण प्रेम होता है और यही इसकी विशेषता है, इससे भगवान के साथ आत्मीयता का सम्बन्ध होकर प्रभु को सुख मिले इस दृष्टि से सेवा की जाती है।

पूजा तो एक प्रकार से सामूहिक प्रक्रिया है, परन्तु सेवा तो पूर्णतया स्वतः की जाने वाली होती है, जो केवल सेवक तथा सेव्य स्वरूप के बीच ही मर्यादित होती है। जिस प्रकार माता तथा बालक के बीच स्नेह सम्बन्ध होता है, ठीक उसी प्रकार से सेव्यस्वरूप तथा सेवक के मध्य कौटुम्बिक सम्बन्ध होता है। और जिस प्रकार केवल माता ही अपने बालक की सार-संभाल कर सकती है, उसी प्रकार पुष्टिमार्गीय वैष्णव ही अपने बालकृष्ण की सेवा कर सकता है। श्रीवल्लभाचार्यजी ने आज्ञा की है कि सेवा कदापि सार्वजनिक नहीं हो सकती है।

(सामूहिकग्रहणभजनाद्येनुपपत्तेः सुबोधिनी)

## ये सार्वजनिक मंदिर नहीं हैं

डाक्टर भाण्डारकर महोदय ने भी स्पष्टीकरण करते हुए प्रकट किया है कि श्रीवल्लभाचार्य जी के सिद्धान्तानुसार वल्लभ-संप्रदाय के कोई भी मंदिर सार्वजनिक नहीं हो सकते हैं।

सेवा करने का अधिकार प्राप्त करने के पूर्व ब्रह्म सम्बन्ध की दीक्षा लेना अत्यावश्यक माना गया है और इस प्रकार का ब्रह्म संबंध आचार्यश्री के द्वारा ग्रहण किये बिना कोई भी सेवा करने का अधिकारी नहीं हो सकता है।

ब्रह्मसम्बन्ध की जब गुरु दीक्षा देते हैं, तब वैष्णव को सेव्य स्वरुप की प्रतिमा, चित्रजी अथवा अंगवस्त्र प्रदान किया जाता है, और यह पुष्ट स्वरूप कहलाता है। श्रीमद्वल्लभाचार्यजी के इस प्रकार के जो निजी सेव्य स्वरूप उत्तराधिकार के रूप में उनके वंशजों को प्राप्त हुए हैं, वे निधि स्वरूप माने गये हैं।

ब्रह्म सम्बन्ध प्राप्त पुष्टिमार्गीय वैष्णव इस प्रकार के पुष्ट स्वरूप की सेवा करता है, परन्तु निधि स्वरूपों की सेवा तो केवल श्रीमद्वल्लभाचार्यजी के वंशज ही करते हैं। अर्थात् उनके उत्तराधिकार में जो निधि स्वरूप प्राप्त हुए हैं, वे ही उनकी सेवा कर सकते हैं।

સૌથી મોટો પુરાવો તો ગો.શ્રીતિલકાયત મહારાજે નિ.લી.ગો.શ્રીદીક્ષિતજી મહારાજને લખેલ આ પત્ર છે જેમાં તેઓ રૂ.3000/-ની માસિક વળતર રળી આપતી શ્રીનાથજી અને શ્રીનવનીતપ્રિયજીને બિરાજવાના સ્થાનને જાહેર મંદિર ઠેરવતાં યોજનાને પોતાનો ટેકો જાહેર કરે છે —

*H. H. Goswami*
*Tilkayat Shree*
*Govindlalji Maharaj*

Motimahal
NATHDWARA

Dated 13th Jany. 1956.

My Dear Brother,

I acknowledge the receipt of your telegram and letter of the 8th instant, regarding the finalisation of the Scheme.

As you already know I have agreed to the Scheme of management of Shrinathji Temple and Estates along with Shri Navnitpriyaji and Madan-Mohanlalji's temples.

The Scheme has been filed in the Civil Judge's Court at Udaipur on the 4th instant and it is upto the Court to finalise the same.

I hope you will understand me.

With best wishes,

Yours affectionately,
G. G. Goswami

To,
H.H.Goswami Shri Dixitji Maharaj,
Govind Bhuwan, 3rd Bhoiwada, Bhuleshwar,
Bombay.2

( कवर पृष्ठ ३ का शेष )

निवेशितत्व से अब केवल पुष्टिमार्गीय मंदिर मात्र नाम रूप रह गये हैं, वास्तव में अब पुष्टिमार्गीयता का छींटा भी उनमें नहीं है। तत्तत् साम्प्रदायिक मंदिरों की पूर्ण जीविता-वस्था तत्तत्संप्रदायानुकूल पूर्ण संस्कृति-निष्ठता पर ही अवलम्बित है। जिन मंदिरों की स्व-सम्प्रदायानुकूल संस्कृति विनष्ट हो गई है वे मंदिर निर्जीव तुल्य हैं, उन निर्जीव तुल्य मंदिरों में न सांप्रदायिक प्रचार हो सकता है न भगवत्सुख विचार। वास्तविक शब्दों में कहा जाए तो आज के यह मंदिर केवल आत्मवंचनोपयोग मात्र पर्यवसित ब्राह्मणवंश, जातकर्मणा वैश्यतुल्यों, को धन कमाने की एक पेढीरूप धनार्जन मन्दिर मात्र हैं। इन मन्दिरों की मंदिरता तो केवल साक्षात् श्री प्रभु के बिराजने मात्र से ही रह गई है, प्रभु सुख विचार व संप्रदाय–प्रचार की दृष्टि से तो अब इनमें मंदिरता का लेश भी नहीं है। ऊपर की पंक्तियों में भी जो लिखा है कि–वास्तव में अब पुष्टिमार्गीयता का छींटा भी उनमें नहीं है–वह संप्रदाय–प्रचार व भगवत्सुख विचार दृष्टि से ही लिखा है, यह समझना यहां अत्यावश्यक है। क्या ऐसी ही परिस्थिति संप्रदाय में मंदिरों की सर्वदा रहे यह विचार सांप्रदायिक अभिज्ञों का है।'

इसी संदर्भ में श्रीनाथद्वार की वर्तमान स्थिति का वर्णन आप श्री इस प्रकार करते हैं:—

"मन्दिरों की शोचनीय दशा का कहाँ तक वर्णन किया जाय ? संप्रदाय के प्रधान पीठ (प्रधान मंदिर) श्री नाथजी में भी जाकर, श्री गोवर्धन प्रभु को तुलसी समर्पण कर ब्रह्म संबंध (आत्म निवेदन) की इच्छा रखने वाले वैष्णवों को सर्वथा निराश होकर लौटना पड़े यहां तक की सीमा आ गई है। यह भी क्यों? केवल एक धन-मदांध धनिक ट्रस्टी व्यक्ति के सम्मान रक्षार्थ ! इस तरह वैष्णव समाज इन धनिकों की गुलामी कब तक एवं कहां तक सहन करेगा। ब्रह्म संबंध लेने वाले हजारों वैष्णवों की इच्छा को कहाँ तक इन धनिकों की त्यौरी चढ़े मिजाज के सामने ठुकराया जाएगा ? जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्री तिलकायत को सेवा संबंधी सब अधिकार सौंप देने का हुक्म हो गया है, फिर भी मुखिया को स्वयं नियुक्त करने का दुराग्रह जो नाथ द्वारा टेम्पल बोर्ड या बोर्ड के चेयरमेन कृष्णराज द्वारा रखा जा रहा है वह व्यक्ततया केवल अनधिकार चेष्टा एवं सुस्पष्ट धनमदांधता है, तुच्छ स्वयंमद किंवा अधिकार दर्मद है। जब तिलकायत धन सपंत्ति आदि की व्यवस्था में कुछ हस्तक्षेप किये बिना अपने अधिकारों को सुरक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुये थे, इसी तरह इनको भी सेवासंबंधी अधिकारों में कुछ भी हरकत न पहुंचाते हुये अपने (कल्पित) अधिकारों के लिये सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना उचित था। किन्तु जिसका निर्णय सुन्यायाधीशों ने न्दर व्यवस्थापूर्ण दिया है, और वह भी अधिकारों की स्वाभाविकता का पूर्णतया अनुसंधान रखते हुवे दिया है, उसको न मान कर केवल अपनी या अपने साथी की धनोदर्मद परिपूर्ति के लिये न्यायालयों में, श्रीनाथजी का लाखों रुपयों का दुर्व्यय, जो यह टेंपलबोर्ड वैष्णवों का प्रतिनिधि बनकर करवा रहा है वह नितान्त शोचनीय है। वैंष्णवों को इसका उग्र विरोध करना चाहिये।'

अपने वक्तव्य की परिसमाप्ति में महाराज श्री ने जो कर्तव्य निर्देश और चेतावनी दी है, उसपर पुष्टिमार्गीय समाज जितना शीघ्र ध्यान दे उतना ही अच्छा है। आप श्री ने कहा है:—

**'अन्त में पुष्टिमार्गीय वैष्णव समाज एवं श्री वल्लभवंशज गोस्वामियों से इतना ही कहना है कि यदि आप अब भी संगठित होकर इस घोर अन्याय पूर्ण व्यवस्था का सामूहिक रूप से विरोध न करकेअपनी अपनी डफली अ ना अपना राग अलापते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में यह संप्रदाय और ये मन्दिर केवल नाम शेष रह जाएंगे और आपका धार्मिक क्षेत्र सर्वथा विलुप्त हो जायगा'**

गोपालदास झालानी द्वारा वैष्णव मित्र मंडल के लिए प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टरी लि., इन्दौर में मुद्रित

"इस रोग प्रवेश का प्रथम दुष्परिणाम शिष्य भावना को दूषित करना था"।

"जहां गुरु-शिष्य का भाव की सत्ता हीन रहे वहाँ गुरु-शिष्य भाव के पनपने की चर्चा ही दूर है। और जब तक गुरु-शिष्य भाव में वृद्धि न हो तब तक सम्यक् उपदेश परंपरा सिद्ध नहीं होती है और सम्यक् उपदेश परंपरा ही सम्प्रदाय है। इस तरह सम्प्रदाय के सम्प्रदायकत्व को उच्छेद करने वाली, आत्मोद्धारपथ को दूषित करने वाली, इस ट्रस्ट प्रथा को टी. बी. रोग के नाम से संबोधित करना ही अति उचित है।"

"पुष्टिमार्ग की सर्वाधिक महत्ता एवं विशिष्टता यही है कि स्वल्प साधन द्वारा एवं सर्वथा अक्लेश से, प्रापंचिक पदार्थों से सर्वथा ममता को हटाकर किंवा सर्वथा न्यून कर, प्रभु को अपने ममतास्वरूप से समकक्ष प्रस्थापित करता है। जब कि इससे विपरीत रूप से ट्रस्ट-प्रथा भगवत्स्वरूप को स्वतंत्र कर, भगवत्स्वरूप पर केन्द्रित ममता कोसर्वथा विनष्ट कर, ब्रह्मसंबंध द्वारा विकसित भावना को छिन्न-भिन्न कर, भगवत्स्वरूप के एवं आचार्य-व्यक्ति के बीच बड़ी दीवार खड़ी करके, अविभक्त नन्दालय की भावना को समूलोच्छेदकर, हिन्दुस्तान पाकिस्तानकी तरह आचार्यस्तान भगवत्स्तान् रूपी दो विभक्त विभागों का निर्माण कर प्रापंचिक पदार्थों में विशेष ममता की अभिवृद्धि करता है। भगवत्स्वरूप में रही स्वल्प ममतालेश को भी नष्ट करता है। क्रमशः ट्रस्टियों के दुर्व्यवहार की अभिवृद्धि होने पर यहाँ तक हालत आती है कि यह तो ट्रस्ट सम्पत्ति है, इससे मेरा क्या सम्बन्ध है, न तो इसका साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से मैं विनियोग कर सकता हूं न इस सम्पत्ति की व्यवस्था करने का मुझे किसी प्रकार अधिकार है, यह कल नष्ट होती हो तो आज ही क्यों न नष्ट हो जाए, इसके लिये मैं क्यों सिर फोड़ूं? इस प्रकार की भावना का निर्माण कर ट्रस्ट मन्दिरों की अनाथालयवत् (आरफनेज नहीं-लावारिस खंडहर मकान की) परिणति करवाती है। मन्दिरों की सम्पत्ति, विशेष रूप से पुस्तक सम्पत्ति की तो अनिर्वचनीय दुर्दशा होती है जो सीमातीत है।"

अपने उक्त कथन की पुष्टि महाराज श्री अपने स्वतः के बड़े मन्दिर बम्बई और श्रीनाथद्वार उदाहरणों से करते हैं। इसके बाद महाराज श्री ने यह सिद्ध किया है कि:

'ट्रस्ट-प्रथा आचार्यत्व जो कि सम्प्रदायका--एक महत्वपूर्ण अंग है उसे सर्वथा विनष्ट कर आचार्य को देवलक (अर्थात् देव द्रव्य से समर्पित सामग्री को प्रसाद रूप से बिना न्यौछावर किये लेने वाले देव द्रव्योपभोक्ता) पुजारी बनाता है'।

इस ट्रस्ट-प्रथा के पुष्टि मार्ग में अभिनिवेश के कारणों का भी विश्लेषण महाराज श्री ने इस प्रकार किया है:--

"एक तरफ दुष्टातिदुष्ट शासन का आरम्भ, दूसरी तरफ संस्थाओं के पारस्परिक विद्रोह तथा गुरु शिष्य विद्रोह से निर्बल हुए इस पुष्टिमार्ग में इस ट्रस्ट रूप रोग का प्रवेश--सरलता से हुआ। इस रोग के प्रवेश से सबसे बड़ी हानि अपने संप्रदाय को हुई। शिष्यों की आचार्यत्वोच्छेदक भावना से, पुष्टिमार्गीय शिष्य सम्प्रदाय में धनिकों की संख्या के कारण, आचार्यों के राजस जीवन के कारण, हाउस आफ लार्ड्स द्वारा संचालित राज्य शासन प्रणाली प्रभाव के कारण (क्यों कि महाभारत में "राजा कालस्य कारणम्" ऐसा कहा है), आचार्यों को धनिकों से प्रभावित होना ही पड़ा, और इस धनिक प्रभाव--अभिवृद्धि ने ही ट्रस्ट रोग का पुष्टि मार्ग के शरीर में प्रवेश के लिये विशाल एवं मुक्त अवसर प्रदान किया'

इन परिस्थितियों से उत्पन्न मंदिरों की वर्तमान दशा का वर्णन महाराज श्री इस प्रकार करते हैं:--

"मंदिरों का निर्माण केवल साम्प्रदायिक प्रचार केन्द्र रूप से तथा भगवत्मुख विचार दृष्टि से ही हुआ है। अब मंदिर स्थापन के ये दोनों प्रधान उद्देश्य सर्वथा विलीन हो गये हैं। इस भयानक कुशासन से तथा गोस्वामि समाज एवं साम्प्रदायिक धनिक समाज के अर्थाभि-

(शेष कवर पृष्ठ ४ पर)

# पू॰ पा॰ श्री १०८ गो॰ श्री दीक्षित जी महाराज का अभिमत

## "आचार्यत्व उच्छेदक ट्रस्ट प्रथा से पुजारीपन की स्थापना, घोर सिद्धान्त हानि एवं घोर स्वरूप-च्युति"

पू॰ पा॰ श्री १०८ गो॰ श्री दीक्षित जी महाराज का एक वक्तव्य उक्त शीर्षक से प्राप्त हुआ है जिसका संक्षिप्त सार यहां दिया गया है। वक्तव्य का विषय उसके उक्त शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है—यह एक निश्चित सत्य है कि देश की धार्मिक संस्थाओं में अनिवार्य ट्रस्ट प्रथा कानून स्थापित कर देने से इन संस्थाओं की प्राणभूत आचार्यत्व प्रथा और उस प्रथा द्वारा पोषित धर्मव्यवस्था नष्ट हो चुकी है और उसके स्थान पर आज पुजारीपन और धर्म का केवल बनावटी ढांचा मात्र रह गया है। धार्मिकता के आधार के अभाव में आज जो नैतिकता का ह्रास और स्वच्छन्दता की वृद्धि देशमें, समाज में, हो रही है उससे सब कोई अवगत है और यह परिस्थिति पतन के किस गढ़े में भारतीय समाज को पहुंचा देगी कहा नहीं जा सकता।

पुष्टि मार्गीय धार्मिक संस्थाओं, जिनकी अपनी मान्यताएं, प्रणाली और भावनाएं, एक बिलकुल जुदे आधार पर स्थित हैं, को तो यह ट्रस्ट अथवा 'बोर्ड' प्रथा अत्यन्त ही घातक सिध्द हुई है।

महाराज श्री का कथन है:—

"श्रीमद्वल्लभाचार्य द्वारा प्रकाशित (संस्थापित) श्री मद्वल्लभसंप्रदाय में सभी मंदिर आचार्य-गृह रूप से ही संस्थापित हुए हैं, यह ऐतिहासिक वास्तवता है। इसका अपन्हव हो नहीं सकता, किन्तु वर्तमान शासन के स्थापनानन्तर महा भयानक कर-वृध्दि से पीड़ित त्रस्त जनता ने जो बचने के नये नये उपाय निकाले उन्हीं उपायों में अन्यतम एक ट्रस्ट प्रणाली भी हुई जिसने पुष्टिमार्ग के शरीर में टी बी. की तरह प्रवेश किया है'

(शेष कवर पृष्ठ ३ पर)

संपादक गोपालदास झालानी बी. ए. बी. कॉम एवं
घनश्यामदास मुखिया एम ए. (हिंदी संस्कृत), साहित्य-रत्न.

## ❀ गो० तिलकायतश्री को लक्ष्य देने योग्य विनती ❀

दिल्ली योजना को आद्योपांत पढ़ लेने के बाद उस पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई आपत्तियों को इस निबन्ध में पृथक् स्थान दिया गया है। उन पर समस्त गोस्वामि आचार्य तथा वल्लभीय वैष्णव सम्यक् रूप से विचार करेंगे, ऐसी आशा है। यहां पर हम तिलकायत श्री को भी कुछ नम्र निवेदन करना आवश्यक समझते हैं—

[१] सन् १९४२ के बंबई हाईकोर्ट के एवॉर्ड के अनुसार श्रीनाथ जी के मंदिर का आप स्वयं वहिवट करें। आप के पक्ष में सम्प्रदाय के सिद्धांत आदि के जानकार कुछ प्रामाणिक भावपूर्ण मधु गृहस्थ वैष्णव जाहिर रूप से इस बात की गारन्टी देने को तैयार हैं कि श्रीनाथद्वारा के मंदिर की अपेक्षित आवश्यक अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ श्रीमान् के अपेक्षित आर्थिक प्रश्न का भी यथेष्ट निपटारा वे प्रतिवर्ष करते रहेंगे।

[२] दिल्ली योजना में श्रीमान् ने जो मासिक-खर्च का प्रश्न तै किया है उससे कहीं अधिक खर्च की व्यवस्था उक्त सज्जनें करने को तैयार हैं।

[३] श्रीमान् ने दिल्ली योजना को स्वीकृत करने से पूर्व, इसे स्वीकृत करने के अपने अधिकार के प्रश्न पर गंभीर विचार नहीं किया है। कानून से श्रीमान् को यह अधिकार अपने वारिसों के हक में प्राप्त नहीं है।

[४] मासिक-खर्च बंधान की इस नई प्रथा से भविष्य में श्रीनाथ जी से संपूर्ण रूपेण संबंध विच्छेद होने की परिपूर्ण संभावना है। इससे आचार्यचरण द्वारा इंगित की गई बहिर्मुखता के अङ्गीकार की भी कल्पना अस्थाने नहीं है। इस पर दूरदर्शी बन कर विचार करना आवश्यक है।

[५] मासिक-खर्च बंधान की इस कलम को भविष्य में कम कर देना या हटा देना सरकार-समर्थित कमिटि के लिये बांये हाथ का खेल है।

[६] मासिक-खर्च रूप से श्रीनाथ जी का देवद्रव्य लेकर अपनी ५०० वर्षों से चली आई वंशानुगत प्रतिष्ठा को वैष्णव समाज से तिरोधान करना होगा।

[७] श्रीमान् की नवनिर्मित कमिटि में बहुमत उन लोगों का है, जो सम्प्रदाय और आचार्य से सर्वथा विमुख है। कुछ एक तो आंतरिक रूप से विरोधी भी हैं।

[८] आपको श्रीनाथ जी की सेवा और वहीवट न करना हो तो अपने वारिस के हक में उसका त्याग करें, जिससे वंश परंपरागत अधिकार बना रहे।

गोपाष्टमी
वि० सं० २०१२

विनीत :
द्वारिकादास परीख

पत्र ने १९६५ की जुलाई २ तारीख को यह समाचार प्रकाशित करते लिखा है कि–"जयपुर शहर के तारघर पर मानों तार की बरसात ही होरही थी। अखिल भारतीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद् ने उनको दी हुई जानकारी के अनुसार अनुसार लगभग २५ हजार तार राजस्थान गवर्नर मुख्यमंत्री और सिलेक्टेड कमेटी के अध्यक्ष आदि के नामों के थे। इनमें वे तार सम्मिलित नहीं है, जो पार्टियों ने सीधे सरकार को भेजे है।

इन तारों के अतिरिक्त भारत के विविध भागों से एक लाख से अधिक वैष्णवों ने अपने निजी हस्ताक्षरों की अपीलें गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भेजी गई है। इस सम्प्रदाय में कोई जाति अथवा वर्ग भेद न होने से हस्ताक्षर करने वाली वैष्णव जनता विविध वर्गों में से अर्थात् निम्न वर्ग से सर्वोच्च वर्ग तक की थी।

हिन्दू तथा वैष्णव तत्वज्ञानी विव्दान जैसे कि गुजरात तथा सौराष्ट्र के महान् संशोधक पंडित केशवरामजी का. शास्त्री एवं नागरदासजी बाँमणिया, एम.ए., एल.एल.बी., महाराष्ट्र की श्रीमती सी.आर. भट्ट, एम.ए., नाथद्वारा-काँकरोली के पंडित आनंदीलालजी शास्त्री तथा पंडित कंठमणिजी शास्त्री, जयपुर के श्रीकलानाथजी शास्त्री, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के वल्लभ वेदान्त के प्राध्यापक पं. सत्यनारायणजी शास्त्री, तथा उज्जैन के भूतपूर्व जज जमनादासजी झालानी एम.ए., एल.एल.बी. की तरफ से निवेदन-पत्र प्रकाशित हुए थे, जिसमें सुधार बिल को पारित करने की अपील की गई थी। इन विद्वानों के अतिरिक्त अग्रगण्य उद्योगपति, व्यापारी और नागरिक पुष्टिवैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी है, उन्होंने राजस्थान गवर्नर, मुख्यमंत्री और राजस्थान की विधानसभा के सिलेक्टेड कमेटी को प्रार्थनापत्र भेजे हैं, जिनमें इस सुधार बिल को पूर्ण रूप से पारित करने हेतु निवेदन किया है। इन माननीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों में निम्नलिखित व्यक्ति प्रमुख हैं—सेठ भगवानदास, सेठ पुरुषोत्तमदास रूपचंद, खंडवा के एम. पी. श्री सी.सी. चौबे, लखनऊ श्रीराधेश्याम रस्तोगी, वाराणसी के राजाबाबू, उदयपुर के श्रीचुन्नीलाल छापरवाल तथा श्रीकुर्बान हुसैन, अमृतसर के श्रीनाथजी राठी, अकोला के रायबहादुर सेठ श्रीगोपालदास मोहता, कलकत्ता का डागा परिवार और श्री रासबिहारी बर्मन, वाराणसी के श्रीगोपालदास नागर, पंजाब (करनाल) के श्रीरामकिशन भाटिया, पश्चिम बंगाल के श्रीनीलमणि महाराणा, बंबई के श्रीजमनादास द्वारकादास तथा अन्य लोग।

भारतीय संसद् के सदस्य सेठ गोविंददास, डा. यशपाल, श्रीप्रकाशवीर शास्त्री, डा.एन. एस. अणे, श्रीओंकारलाल बरबा, श्रीभगवानदास (४३०), श्रीगौरीशंकर कक्कड (३३९), श्री बी. सिन्हा उड़िया (५०९), इन्होंने भी इस सुधार बिल को संपूर्ण रूप से पारित करने हेतु अपने हस्ताक्षर सहित अपील की है। जबकि संसद के अन्य प्रमुख सदस्य जैसे श्री आर.एस. मुरारका ने भी हमारी इस माँग के साथ अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की है।

## समाचार पत्रों का सराहणीय सहयोग

हम भारत के समाचार पत्रों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि हमारी इस धर्म संकट की बात को सहानुभूति से सुन हमारी माँग को व्यापक बनाने हेतु जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक सहिष्णुता वाली हमारी सरकार के शासन में वैष्णवों की माँगों की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त प्रचार किया है। भारत के प्रमुख अखबारों ने इस बिल को वैष्णवों के हितार्थ पारित करवाने के लिये समर्थन किया है।

**भारत में पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या लगभग १।। (डेढ़) करोड़ है।** हस्ताक्षर किये गये निवेदन-पत्र एवं अपीलें जो शासन की ओर प्रेषित की गई है, वे तो केवल प्रतीकात्मक है, जिनको कि भारत के सम्पूर्ण वैष्णवों का समर्थन प्राप्त है।

**राजस्थान विधानसभा का यह कर्तव्य है कि पुष्टिमार्गीय वैष्णवों की इस प्रजात्मक प्रार्थना को तथा उनकी मांगों को आदर देते हुए तथा स्वयं किसी प्रकार की जातीय धार्मिकता के सम्बन्ध में हस्तक्षेप न करते हुए अपनी धर्म निरपेक्षता की भावना का समर्थन करे।**

———

बनाने वालों का आशय इन दोनों का समावेश स्पष्ट भाषा में किया गया है। और इसके अलावा भी लाखों पुष्टिमार्गीय वैष्णवों को आशा, आकांक्षा तथा धार्मिक धारणाओं का भी समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। यही हमारी उचित माँगे हैं।

यद्यपि इस संशोधन बिल को प्रस्तुत करने वाले सदस्य राजकीय पद के नहीं हैं फिर भी हम राजस्थान सरकार की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से निवेदन करते हैं कि वे इस बिल का सर्वानुमति से समर्थन करें और महात्मा गाँधी तथा पंडित नेहरू की अन्य उदारता तथा उनकी विचारधारा ग्राहय करते हुए एक पवित्र पथ के सदस्य के रूप में इस प्रकार का उदार समर्थनआप सब के लिये स्वभाविक ही माना जाता है। कॉग्रेस प्रजातन्त्र का प्रतीक माना जाता है। और उसे जनता की उचित और शान्तिपूर्ण माँगों को विना हिचकिचाहट के मान दिया है। समर्थन किया है उनके साथ है। और उसने जनता की नैतिक तथा उदार महत्वाकाँक्षाओं का समर्थन किया है। हम पुष्टिमार्गीय वैष्णव धार्मिक वृति तथा भक्ति में अनन्य श्रद्धा रखते हैं और हम भारत के गौरवशाली नागरिक हैं। सुधार बिल और उसके प्रावधानों के पीछे हम सब संगठित रूप से खड़े है। आप हमारा समर्थन करिये और इस संशोधन बिल को पूर्णतया पारित कीजिए।

इस प्रकार नाथद्वारा संशोधन बिल पुष्टिमार्गीय वैष्णवता के लिये जीवन का एक कार्य होगया है। उनके अनुयायियों के लिए प्रभु के मंदिर के गौरव का, गुरू का और सम्प्रदाय के अस्तित्व का संरक्षण करना अन्तिम कार्य हो गया है। :

## भारतव्यापी आन्दोलन 8

**सम्पूर्ण भारतवर्ष में पुष्टि सम्पदाय क वैष्णवों में अभूतपूर्व रूप में यह आंदोलन प्रारंभ हो गया है और आज इस आंदोलन की गति इतनी प्रबल हो गई है कि भारत भर के लगभग समस्त अखबार "वैष्णव आंदोलन" के शीर्षक के अन्तर्गत इस आंदोलन के समाचारों को प्रमुख स्थान दिया है।**

इस सम्प्रदाय के प्रत्येक वैष्णव द्वारा सुधार बिल को पूर्ण समर्थन किये जाने से भारतवर्ष में वैष्णवों का यह आँदोलन सुसंगठित है। वैष्णवों ने इस सुधार बिल का समर्थन करने हेतु विशाल सभाएं की और दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बडे-बडे शहरों में खास सभाएं की गई हैं। गोधरा, महुआ, डभोई जैसे गाँवों में और कलोल, कवान्ट, दौलतपुरा जैसे देहातों में और उपर्युक्त बड़े शहरों के स्थानों-स्थानों पर व्यापक पैमाने पर वैंष्णवों की सभाएं इस सुधार बिल के समर्थन में हुई है और प्रस्ताव पारित हुए है।

राजस्थान के गर्वनर, मुख्यमत्री, असेंबली स्पीकर और सिलेक्टेड कमेटी अध्यक्ष प्रभृतियों को हजारों तार नाथद्वारा सुधार बिल को हूबहू अपने सम्पूर्ण स्वरूप के अनुरूप सहित करने हेतु दिये गये है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आने वाले तारों की इतनी भरमार थी कि तमाम डाक और तारघर तारों से भरे हुये थे। तार घर के एक बड़े अफसर द्वारा यह कहा गया है कि राजधानी के इतिहास में इस प्रकार तारों की भरमार कभी भी देखने में नहीं आई। हकीकत मे उन्हें तार के ऊपर मोहर लगाने एवं तारों को जल्दी भेजने में नई मोहरे बनानी पड़ी थी। बंबई के एक अग्रगण्य गुजराती समाचार